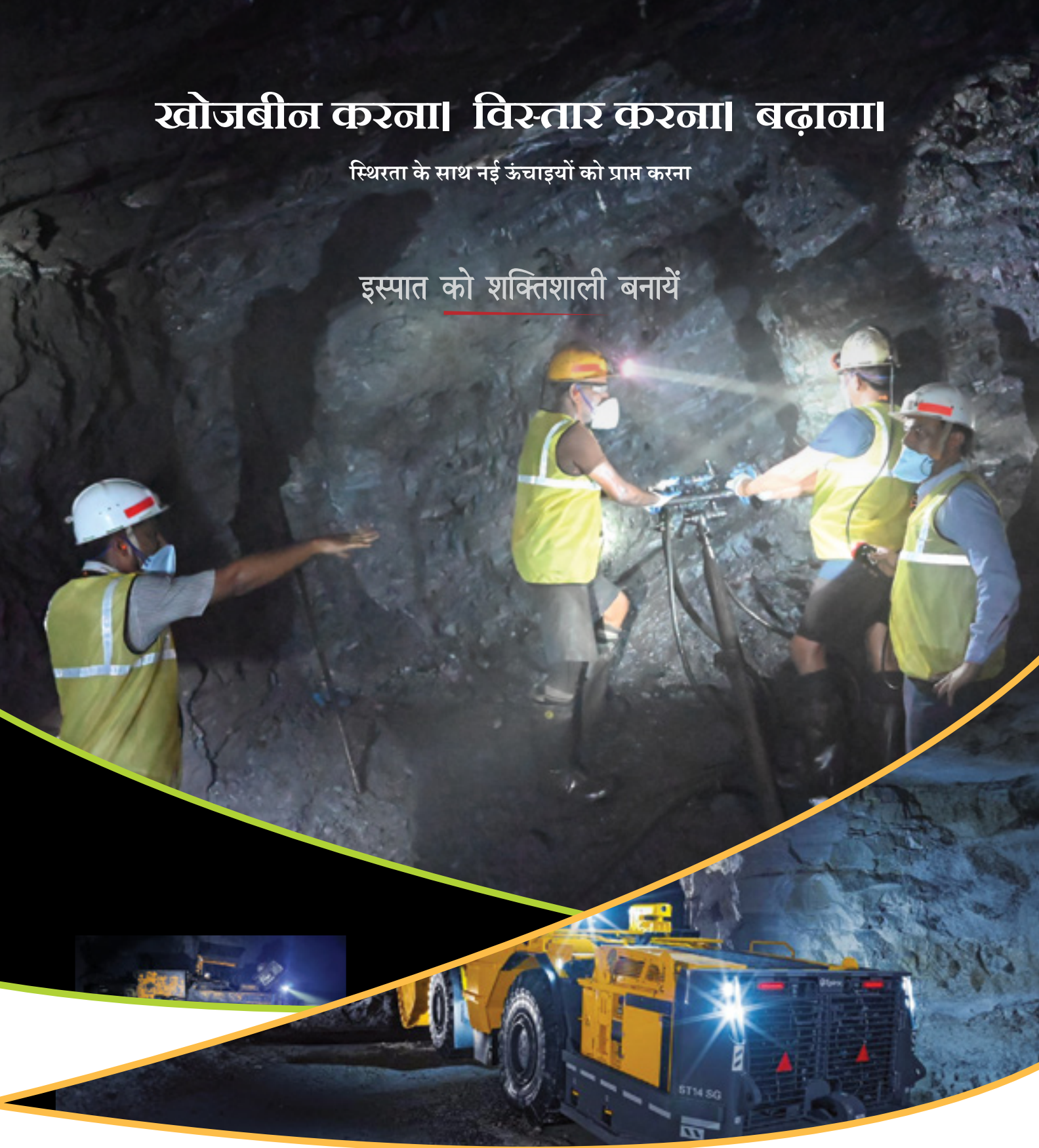


खोजबीन करना। विस्तार करना। बढ़ाना।

स्थिरता के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना

इस्पात को शक्तिशाली बनायें



विषय-वस्तु

01-22

कारपोरेट अवलोकन

- 02 मॉयल का परिचय
- 04 हमारा भौगोलिक पदचिह्न
- 06 प्रमुख मील के पत्थर
- 08 वित्तीय प्रदर्शन
- 09 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य विशेषताएं
- 10 परिचालन दक्षता का अनुकूलन
- 14 लोग
- 16 पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)
- 17 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)
- 18 पुरस्कार और प्रशंसा
- 19 निदेशक मंडल
- 22 प्रदर्शन पर एक नज़र

23-122

वैधानिक रिपोर्टें

- 23 शेयरधारकों के लिए बोर्ड की रिपोर्ट
- 45 कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट
- 67 2023-24 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
- 72 2023-24 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

123-183

वित्तीय विवरण

- 124 स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा संशोधित रिपोर्ट
- 138 तुलन पत्रक
- 139 लाभ और हानि का विवरण
- 140 इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- 142 नकदी प्रवाह का विवरण
- 144 लेखांकन नीति
- 151 बैलेंस शीट के लिए नोट्स
- 168 लाभ और हानि विवरण के लिए नोट्स
- 169 खालों पर नोट्स

आगे की ओर देखने वाले वक्तव्य

इस रिपोर्ट में कंपनी के लिए प्रत्याशित वित्तीय परिणामों, व्यावसायिक रणनीतियों और संभावनाओं को शामिल करते हुए भविष्य-उन्मुख कथन शामिल हैं। इन पूर्वानुमानों को आमतौर पर 'विश्वास', 'योजना', 'पूर्वानुमान', 'जारी', 'अनुमान', 'उम्मीद', 'हो सकता है', 'होगा', और इसी तरह के अन्य शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह के अनुमान उन अनुमानों और आधारों पर निर्भर करते हैं जिन्हें हमने सद्भावनापूर्वक चुना है, जो हमारे सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार, भौतिक रूप से उचित हैं। हालांकि, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि वास्तविक परिणाम या उपलब्धियां इन भविष्य-उन्मुख कथनों में सुझाए गए परिणामों या उपलब्धियों से काफी भिन्न हो सकती हैं। कृपया ध्यान दें कि हम किसी भी भविष्य-उन्मुख कथन को अपडेट या संशोधित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या किसी अन्य कारण से हो।



कंपनी के बारे में अधिक जानने के लिए, लॉग ऑन करें
www.moil.nic.in
या क्यूआर कोड को स्कैन करें



अन्वेषण, विस्तार, वृद्धि करना.

स्थिरता के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना

मॉयल लिमिटेड में, मैंगनीज खनन में एक शताब्दी से अधिक की हमारी यात्रा, निरंतर अन्वेषण, विस्तार और नवाचार द्वारा चिह्नित है। 1899 में अपनी स्थापना के बाद से, हम एक साधारण शुरुआत से आगे बढ़कर उद्योग में अग्रणी बन गए हैं, लगातार नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं और अपने क्षितिज को व्यापक बना रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों और टिकाऊ प्रथाओं के साथ परिचालन को बढ़ाने के प्रति हमारा समर्पण ही हमारी पहचान का मूल है।

इस वर्ष का विषय, 'अन्वेषण। विस्तार। संवर्द्धना। स्थिरता के साथ नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना' हमारी भावना को पूरी तरह से दर्शाता है। हम सिर्फ खनन नहीं करते; हम जिम्मेदारी से खनन करते हैं। जैसे-जैसे हम नई ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारा विकास, पर्यावरण का सम्मान करे और जिन समुदायों की हम सेवा करते हैं उनका उत्थान हो। हमारी पहल, जैसे पवन ऊर्जा फार्म, सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करना, तथा पर्यावरण अनुकूल खनन पद्धतियों को अपनाना, हरित एवं अधिक टिकाऊ भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और खनन उद्योग में नए मानक स्थापित कर रहे हैं। सतत विकास और नवीन प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मॉयल उल्लेखनीय सफलता के लिए तैयार है। हम एक ऐसा रास्ता बना रहे हैं जो हमारे उद्योग और हमारी कंपनी दोनों को लाभ पहुंचाएगा, तथा यह सुनिश्चित करेगा कि हमारी विरासत कायम रहे। हम साथ मिलकर, अपने दृष्टिकोण के केंद्र में स्थिरता के साथ नई ऊंचाइयों की खोज, विस्तार, वृद्धि और प्राप्ति कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक उज्ज्वल, अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण करें।



अध्यक्ष का संदेश



अजीत कुमार सक्सेना

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की इस 62वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। निदेशक मंडल की ओर से, मैं कंपनी के लिए आपके समर्थन की सराहना करता हूँ और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी कंपनी के समग्र प्रदर्शन और जिस माहौल में यह काम करती है, उस पर एक रिपोर्ट देकर कार्यवाही शुरू करना चाहूँगा।

125 वर्षों की गौरवपूर्ण विरासत के साथ, मॉयल भारत के मैंगनीज अयस्क उद्योग की रीढ़ बनी हुई है, जो देश के उत्पादन में लगभग 52% का योगदान देती है। हमारी खदानें, जिनमें से प्रत्येक का इतिहास एक शताब्दी से भी अधिक पुराना है, जोश के साथ काम करना जारी रखती हैं, जो हमारे दृढ़ नेतृत्व और मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होने का उदाहरण है जिसने हमें इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे आगे रखा है।

2030 तक स्टील उत्पादन क्षमता को 300 मिलियन टन तक बढ़ाने का भारत सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य मॉयल के लिए पर्याप्त विकास की संभावनाएं प्रदान करता है। स्टील निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में, मैंगनीज अयस्क की घरेलू मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

वर्तमान में भारत में मैंगनीज अयस्क की खपत लगभग 8 मिलियन टन है, जिसमें मैंगनीज-आधारित फेरो मिश्र धातु के निर्यात के लिए आवश्यक मैंगनीज अयस्क शामिल है। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुसार, 2030 तक देश

में मैंगनीज अयस्क की मांग 11 मिलियन टन से अधिक होने की परिकल्पना की गई है। यह स्पष्ट रूप से मॉयल के आगे मौजूद विशाल अवसरों को दर्शाता है।

व्यापक इस्पात उद्योग परिदृश्य भी सकारात्मक रूप से विकसित हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और "मेक इन इंडिया" अभियान जैसी पहलों ने इस्पात की मजबूत मांग को बढ़ावा दिया है। इन विकासों से इस्पात उद्योग के विस्तार को गति मिलने की संभावना है, जिससे मैंगनीज अयस्क की मांग में और वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की ओर वैश्विक बदलाव, जिसके लिए बैटरी उत्पादन के लिए मैंगनीज की आवश्यकता होती है, मैंगनीज क्षेत्र में विकास के लिए एक और अवसर प्रस्तुत करता है।

मॉयल इन प्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने और अपने परिचालनों को आधुनिक बनाने में चल रहे निवेश के साथ, हम बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सतत खनन प्रथाओं और नए खनन अवसरों की खोज के प्रति हमारी प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करेगी कि मॉयल न केवल भारतीय मैंगनीज अयस्क बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखे, बल्कि देश के औद्योगिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता रहे।

भारत अभी भी मैंगनीज अयस्क का शुद्ध आयातक है। उत्पादन में वृद्धि के साथ, मॉयल देश को आयात बिल

कम करने में मदद कर सकता है और साथ ही भारत सरकार के विकसित भारत मिशन में योगदान दे सकता है।

वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन

मैंगनीज अयस्क की कीमतों पर वैश्विक दबाव के बावजूद, वित्त वर्ष 2023-24 मॉयल के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा। आपकी कंपनी ने रिकॉर्ड उत्पादन, बिक्री और टर्नओवर हासिल किया। आपकी कंपनी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें शामिल है ₹.1449.42 टन अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ टर्नओवर साल-दर-साल 8% अधिक, 17.56 लाख टन एमएन अयस्क का अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन, साल-दर-साल 35% अधिक और 15.36 लाख टन एमएन अयस्क की अब तक की सबसे अच्छी बिक्री, साल-दर-साल 30% अधिक।

वित्त वर्ष 2023-24 में सुस्त बाजार स्थितियों के कारण शुद्ध बिक्री प्राप्ति में 15% की कमी के बावजूद, आपकी कंपनी का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) 16% बढ़कर 387 करोड़ रुपये हो गया, और कर-पश्चात लाभ (पीएटी) 17% बढ़कर 293 करोड़ रुपये हो गया।

हमारे हितधारकों की साख बढ़ाना

अपने शेयरधारकों को अधिकतम रिटर्न देने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरा उतरते हुए, हमने 35% का अंतरिम लाभांश वितरित किया, जो कि ₹. 3.50 प्रति इक्विटी शेयर। निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए 25.50% यानी 2.55 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की भी सिफारिश की है। सामूहिक रूप से, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर लाभांश 6.05 रुपये है, जिसमें कुल लाभांश परिव्यय 123.11 करोड़ रुपये है।

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन सुनिश्चित करना

मॉयल में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम करते हैं कि हम कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों का पालन करें। अपनी स्थापना के बाद से, हमने अपने कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार उपायों को लागू किया है। इस दृष्टिकोण ने पहलों के माध्यम से पारदर्शी और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं को बढ़ावा दिया है, जिसमें समग्रता संधि, एक व्यापक आचार संहिता और एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण ढांचा शामिल है। मॉयल, मॉयल के दायरे में आने वाले कॉर्पोरेट प्रशासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रहा है। कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन पर एक रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन अनुपालन के लिए मॉयल को डीपीई, भारत सरकार से उत्कृष्ट रेटिंग मिल रही है। कंपनी के उत्कृष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन को कई मंचों पर भी मान्यता मिली है, जिसमें इसकी खदानों को पांच सितारा रेटिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार, मानव संसाधन और सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार आदि जैसे विभिन्न पुरस्कार शामिल हैं।

रणनीतिक विकास और विस्तार

मॉयल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूरी हो चुकी परियोजनाओं में बालाघाट, कांदरी और चिकला खदानों में वर्टिकल शाफ्ट को गहरा करना शामिल है, साथ ही चिकला, उकवा और मुनसर में अतिरिक्त शाफ्ट का निर्माण पूरा हो चुका है। बालाघाट और गुमांगव में हाई-स्पीड शाफ्ट परियोजनाएँ कई अप्रत्याशित बाधाओं के बावजूद अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं।

वित्त वर्ष 2023-24 में, हमें कई क्षेत्रों के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई, जिससे हमारी कुल ईसी क्षमता बढ़कर 24.89 लाख टन प्रति वर्ष हो गई, जिसे वित्त वर्ष 2025 में बढ़ाकर 34.20 लाख टन प्रति वर्ष किए जाने की उम्मीद है।

मॉयल रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से नए अवसरों की खोज भी कर रहा है। हमने गुजरात में मैंगनीज अयस्क की खोज के लिए गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिसके अन्वेषण से आशाजनक परिणाम सामने आए हैं। हमें जीएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम के गठन के लिए नीति आयोग और डीआईपीएम दीपम की मंजूरी भी मिल गई है।

मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसीएल) के साथ एक और समझौता ज्ञापन प्रगति पर है, जिसका लक्ष्य चार जिलों में मैंगनीज अयस्क की खोज करना है, जिसके शुरुआती नतीजे सकारात्मक रहे हैं। इसके अलावा, मॉयल ने सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम) के साथ भी अन्वेषण के बाद खनन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मॉयल ने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर के नीलकंठपुर ब्लॉक में अन्वेषण के लिए आरक्षित 218 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहले ही अन्वेषण शुरू कर दिया है।

अन्वेषण

सफल खनन कार्यों के लिए अन्वेषण एक पूर्वपेक्षित है। इससे कंपनी को अपने मौजूदा भंडार और संसाधनों को बढ़ाने और जहाँ भी संभावना दिखती है, वहाँ नई खदानें

खोलने में मदद मिलती है। आपकी कंपनी ने 87,661 मीटर की अब तक की सबसे अच्छी खोजपूर्ण कोर ड्रिलिंग की है, जो साल-दर-साल 100% से ज़्यादा है। हमने वित्त वर्ष 2025 में 1,00,000 मीटर से ज़्यादा की खोज करने का लक्ष्य रखा है। वर्ष के दौरान, मॉयल ने अपने संसाधनों में 7.98 मिलियन टन की वृद्धि की है। वित्त वर्ष 2024 के अंत में आपकी कंपनी के भंडार और संसाधन 107.76 मिलियन टन हैं।

पूँजीगत व्यय और भविष्य की योजनाएँ

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मॉयल का पूँजीगत व्यय 316 करोड़ रुपये था, जो अब तक का सबसे अधिक और कंपनी के इस वर्ष के कर पश्चात लाभ से भी अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 328 करोड़ रुपये का और भी अधिक पूँजीगत व्यय का लक्ष्य रखा गया है।

हमारी रणनीतिक प्रबंधन योजना का लक्ष्य 2030 तक उत्पादन को 3.50 मिलियन टन तक बढ़ाना है, जिसके लिए आने वाले वर्षों में पर्याप्त पूँजीगत व्यय की आवश्यकता होगी। इसमें मौजूदा खदानों का विकास, नई खदानों का अधिग्रहण, नई शाफ्ट सिंकिंग परियोजनाएँ और विविधीकरण परियोजनाएँ शामिल हैं।

व्यापार से आगे

मॉयल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रभावशाली सीएसआर पहलों के लिए समर्पित है। वर्ष के दौरान की गई कुछ उल्लेखनीय सीएसआर पहलों में शामिल हैं:

- अपोलो नर्सिंग कॉलेज, हैदराबाद में नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए बीपीएल परिवारों की 50 लड़कियों को प्रायोजित करना।
- हमारे परिचालन क्षेत्र के निकट गोद लिए गए 22 गांवों में व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाना।
- एलीमको के सहयोग से विशेष रूप से सक्षम नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान करके उन्हें सहायता प्रदान करना।

वर्ष के दौरान, हमारे परिचालन क्षेत्र में लोगों के समुदाय और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई पहलों पर कुल 9.66 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा वित्त वर्ष 2023-24 में रुपये में से 7.00 करोड़ रुपये का सेट ऑफ लिया गया है। जो की पहले पीएम केयर फंड में 20 करोड़ का योगदान दिया गया था। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में सीएसआर पर 7.04 करोड़ रुपये के अनिवार्य लक्ष्य के मुकाबले 16.66 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

सतत विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों में योगदान देने के लिए सक्रिय कार्रवाई की है। इस दिशा में, मॉयल ने 31.03.2024 तक अपनी विभिन्न खदानों में कुल 22.60 लाख पौधे रोपे हैं।

कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए, मॉयल ने पहले ही मध्य प्रदेश के देवास जिले में 20 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र और कंपनी के विभिन्न खनन और परिचालन क्षेत्रों में 10.50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मॉयल द्वारा कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन इसकी कुल ऊर्जा खपत का लगभग 56% है।

आगे बढ़ने का रास्ता

मैंगनीज अयस्क उद्योग में निरंतर नेतृत्व और विकास के लिए मॉयल अच्छी स्थिति में है। हमारी रणनीतिक पहलों, सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति समर्पण के साथ, हम अपने शेयरधारकों को निरंतर मूल्य प्रदान करते हुए, आगे आने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं।

आपके निदेशकगण सभी सरकारी विभागों, कंपनी के शेयरधारकों, बैंकों, मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त समर्थन, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

मैं भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों, निदेशक मंडल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हमारे बैंकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, यूनियनों, अधिकारियों के संघ और हमारे सभी भागीदारों को उनके अटूट समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं उन सभी निवेशकों-हितधारकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने कंपनी में अत्यधिक विश्वास और भरोसा जताया है।

हम सब मिलकर विकास और सतत प्रगति का एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार हैं। मैं हमारी सफल साझेदारी को जारी रखने और आने वाले वर्षों में और भी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए उत्साहित हूँ।

अजीत कुमार सक्सेना

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

मॉयल का परिचय

22 जून, 1962 को निगमित, मॉयल लिमिटेड ने इस्पात उत्पादन के लिए भारत की मैंगनीज अयस्क की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे एक प्रमुख मैंगनीज खनन कंपनी के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है। हमारी विशेषज्ञता और समर्पण ने राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

हमारी यात्रा 1899 में सेंट्रल प्रॉस्पेक्टिंग सिंडिकेट (CPS) के रूप में शुरू हुई, जिसमें भारत के समृद्ध मैंगनीज भंडारों की खोज की गई थी। रणनीतिक साझेदारी और सरकारी सहयोग के माध्यम से, हम एक मिनीरल कंपनी के रूप में विकसित हुए हैं, जिसके शेयर भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं, जो हमारी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है।

महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हमारी खदानें विभिन्न उद्योगों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के मैंगनीज अयस्क की आपूर्ति करती हैं।



मिशन

हमारा मिशन, प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण और विकास के माध्यम से, कुशल, सुरक्षित, लागत प्रभावी और पर्यावरणीय अनुकूल तरीके से, हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करना है।



विज़न

रणनीतिक गठबंधनों और तकनीकी उन्नयन के माध्यम से भारतीय मैंगनीज उद्योग में बाजार नेतृत्व बनाए रखना और वैश्विक रूप से विविधीकृत उद्यम बनना।



10

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित खदानें

53%

देश के कुल मैंगनीज अयस्क का उत्पादन हमारे द्वारा किया जाता है

हमारी ताकत

हम मैंगनीज के अग्रणी उत्पादक के रूप में घरेलू बाजार में प्रमुख स्थान रखते हैं, जो कुल उत्पादन का लगभग 53% है।

प्रभावी वित्तीय प्रबंधन ने हमें ऋण-मुक्त बना दिया है।

पर्याप्त नकदी भंडार हमारी विस्तार परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से वित्तपोषित करता है।

हमारा बुनियादी ढांचा, सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी प्रदान करता है।

एक प्रतिभाशाली कार्यबल हमारी परिचालन दक्षता को बढ़ाता है।

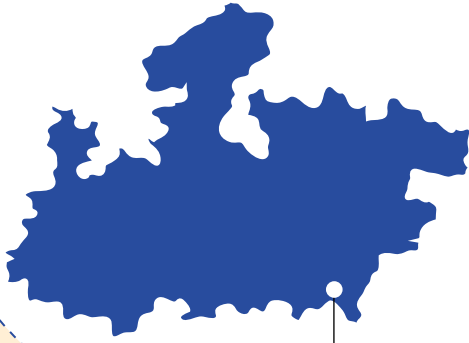
हम उत्पादक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक औद्योगिक संबंध बनाए रखते हैं।

सभी खनन पट्टों का सफलतापूर्वक नवीकरण करके सतत् परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

हमारा भौगोलिक पदचिह्न

1

मध्य प्रदेश



सीतापटोर

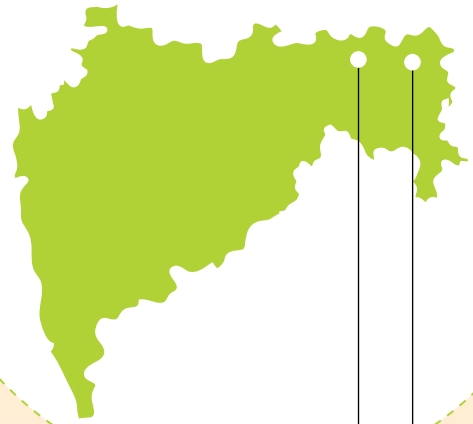
बालाघाट

तिरोडी

उकवा

2

महाराष्ट्र



गुमगांव

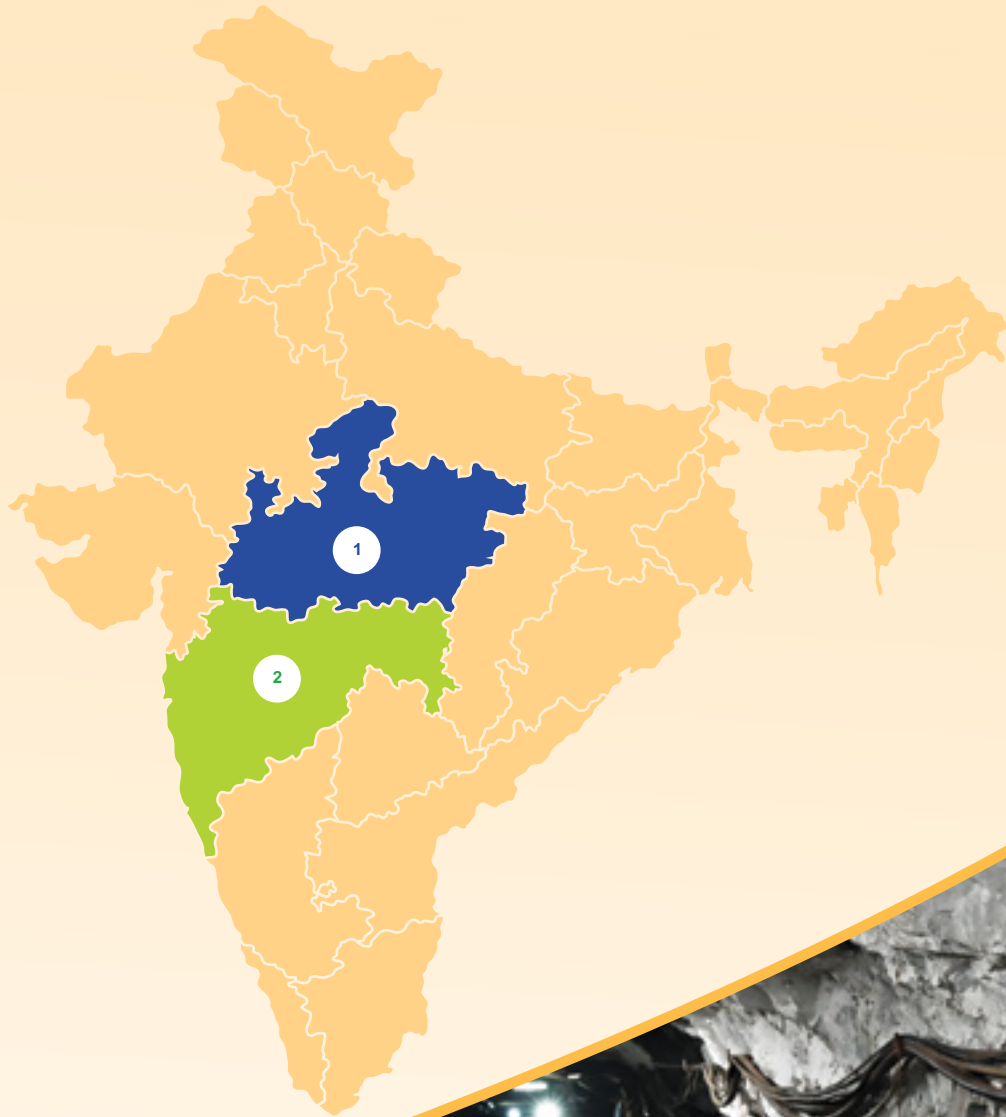
बेलडोंगरी

कांद्री

मनसर

डोंगरी बुजुर्ग

चिखला



प्रमुख मील के पत्थर

मैंगनीज भंडारों का पता लगाने के लिए केंद्रीय पूर्वक्षेत्र सिंडिकेट (सीपीएस) की स्थापना की गई।

22 जून को, मॉयल को इनकॉर्पोरेट किया गया, जिसमें भारत सरकार (जीओआई) और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के साथ सीपीएमओ की संपत्ति और इसकी 51% पूंजी का अधिग्रहण किया गया।

सीपीएस एक सार्वजनिक कंपनी, सीपीएमओ बन गई, जिसने नागपुर, भंडारा और बालाघाट में खदानों का अधिग्रहण कर लिया।

भारत के एकमात्र इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) संयंत्र की स्थापना।

1899

1908

1962

1991

फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थापित
किया गया है

मॉयल को अनुसूची 'ए'
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
(सीपीएसई) में पदोन्नत किया
गया

मॉयल का विनिवेश हो चुका है
और इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
(NSE) और बॉम्बे स्टॉक
एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध
किया गया है।

मॉयल ने वित्त वर्ष 2024 में ऐतिहासिक
प्रदर्शन दर्ज किया – उत्पादन में 35%
वृद्धि, बिक्री में 30% वृद्धि और PAT में
17% की वृद्धि हुई”

2024

2014

2010

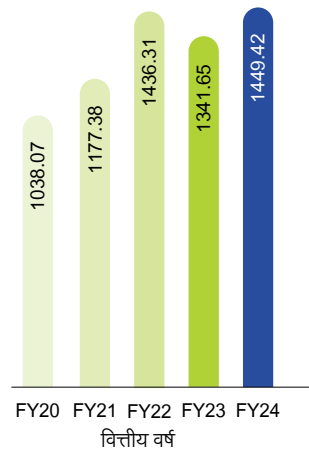
1998



वित्तीय प्रदर्शन

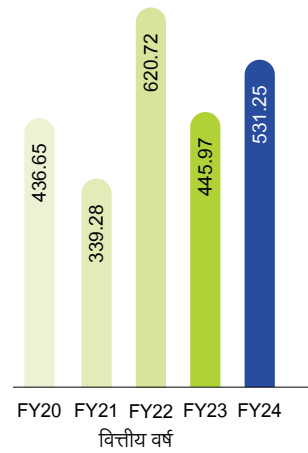
परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)



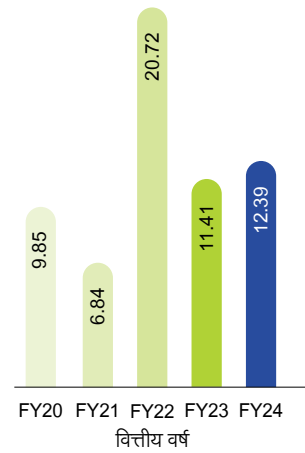
ईबीआईटीडीए

(₹ करोड़ में)



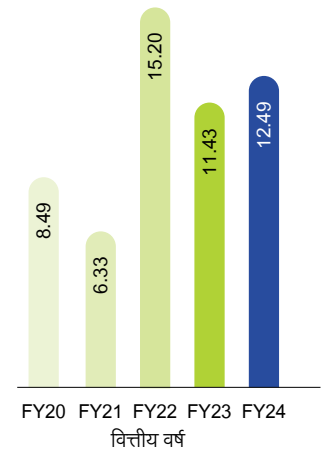
आरओसीई

(in %)



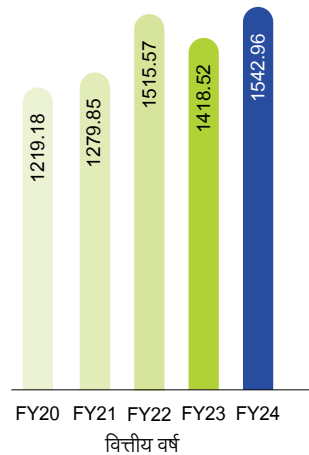
आरओएनडब्लू

(in %)



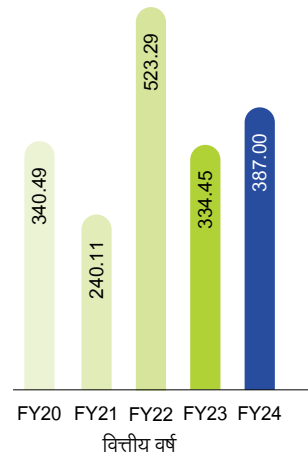
कुल आय

(₹ करोड़ में)



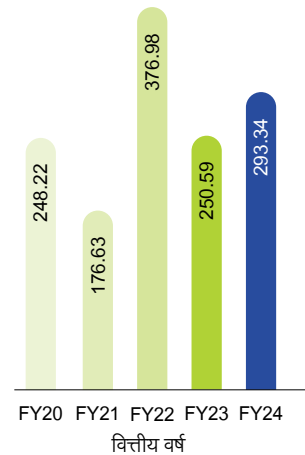
कर पूर्व लाभ

(₹ करोड़ में)



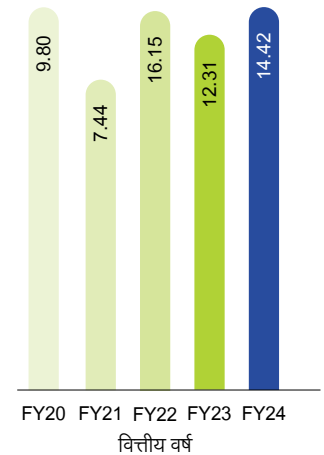
कर पश्चात लाभ

(₹ करोड़ में)



प्रति शेयर आय

(in ₹)



वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य विशेषताएं

प्रारंभ से अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन **17.56 लाख टन** दर्ज किया गया, जो वर्ष-दर-वर्ष **35%** की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करता है।

वित्त वर्ष 2024 में **15.36 लाख टन** की अपनी सर्वश्रेष्ठ बिक्री हासिल की, जिसमें साल दर साल **30%** की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) का अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन **1413 टन** प्राप्त किया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में **28%** अधिक है।

87,661 मीटर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है।

वर्ष 2023-24 के लिए कुल आय **1538.85 करोड़ रुपये** है।

वर्ष 2023-24 के लिए पीबीटी **395.04 करोड़ रुपये** है।

वर्ष 2023-24 के लिए पीएटी **295.62 करोड़ रुपये** है।

31.03.2024 तक नेटवर्थ **2488 करोड़ रुपये** है।

वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश **6.05 रुपये** प्रति शेयर है।

परिचालन दक्षता का अनुकूलन

हम विभिन्न क्षेत्रों में अपने निवेश को रणनीतिक रूप से बढ़ाकर उभरते अवसरों और अपने उत्पादों की बढ़ती मांग का लाभ उठाते हैं। हम सक्रिय रूप से मौजूदा खदानों को बढ़ा रहे हैं और नई संभावनाओं की खोज कर रहे हैं। विविध परियोजनाएं स्थापित करने के हमारे प्रयासों के तहत हमारी मौजूदा खदानों के समीपवर्ती क्षेत्रों के अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जाएगी।

हमारी प्रमुख परियोजनाएं ऊर्ध्वाधर शाफ्टों को गहरा करने, शाफ्ट सिंकिंग और स्थायी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन पर केंद्रित हैं, जिसका उद्देश्य हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

सरकार ने संभावित खनन अवसरों का पता लगाने के लिए हमें भूमि आवंटित की है और एक प्रमुख उपलब्धि यह है कि हमें गहन अन्वेषण और विनियामक अनुपालन के बाद हमारी एक खदान के निकट एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है।

17.56

लाख मीट्रिक टन

मैंगनीज अयस्क उत्पादन

15.36

लाख मीट्रिक टन

मैंगनीज अयस्क की बिक्री

1413 मीट्रिक टन

ईएमडी प्रोडक्शन

10163 मीट्रिक टन

फेरो मैंगनीज उत्पादन

8849 मीट्रिक टन

औसत बिक्री प्राप्ति



सुदृढ़ अनुसंधान एवं विकास

हमारी प्रमुख परियोजनाएं ऊर्ध्वाधर शाफ्टों को गहरा करने, शाफ्ट सिंकिंग और स्थायी परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन पर केंद्रित हैं, जिसका उद्देश्य हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और परिचालन दक्षता में सुधार करना है।

सरकार ने संभावित खनन अवसरों का पता लगाने के लिए हमें भूमि आवंटित की है और एक प्रमुख उपलब्धि यह है कि हमें गहन अन्वेषण और विनियामक अनुपालन के बाद हमारी एक खदान के निकट एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है।

अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और विस्तारित अनुसंधान एवं विकास

अपने महत्वाकांक्षी खनन कार्यों को समर्थन देने के लिए हमने अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। ये सुविधाएं महत्वपूर्ण अनुसंधान करती हैं तथा हमारे सामने आने वाली भूवैज्ञानिक संरचनाओं के बारे में महत्वपूर्ण डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। हमारी रॉक मैकेनिक्स प्रयोगशाला भू-तकनीकी लिथोलॉजी पर विस्तृत अध्ययन करती है, तथा हमारी खदानों के भीतर विविध ढलान दिशाओं के प्रबंधन के लिए हमारी रणनीतियों का मार्गदर्शन करती है।

रिमोट सेंसिंग और पेट्रोलॉजिकल लैब, विभिन्न खनन स्थलों से प्राप्त नमूनों की पेट्रोलॉजिकल और खनिज संबंधी विशेषताओं का विश्लेषण करती है। संपूर्ण भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करना जो विनियामक मानकों को पूरा करती हों तथा रणनीतिक निर्णय लेने में सहायक हों।

स्मार्ट सहयोग

यह मानते हुए कि बौद्धिक उन्नति और नवाचार सहयोग के माध्यम से पनपते हैं, हमने भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ स्थायी साझेदारियां स्थापित की हैं। ये सहयोग हमारे अनुसंधान और विकास प्रयासों को मजबूत करते हैं, तथा विचारों के आदान-प्रदान, क्षेत्र ज्ञान को गहन करने और भविष्य के नवाचारों को आकार देने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करते हैं।

हमारे बौद्धिक साझेदार

खनन के भविष्य पर कब्ज़ा

मॉयल में, हम मानते हैं कि अनुसंधान एवं विकास में हमारे रणनीतिक निवेश आज भविष्य के खनन कार्यों की सुरक्षा और उत्पादकता के लिए आधार तैयार करते हैं। हमारी अनुसंधान एवं विकास पहल आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और खनन दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए स्टॉप डिजाइन को परिष्कृत करने पर केंद्रित है। सॉफ्टवेयर, उन्नत प्रौद्योगिकियों और मजबूत प्रबंधन के निरंतर उपयोग के माध्यम से खनन प्रथाओं को आधुनिक बनाने की हमारी प्रतिबद्धता

से हमारे परिचालन में सुरक्षा, उत्पादकता और पर्यावरण मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

विशेष रूप से, मैंगनीज अयस्क भंडारों के लिए 'माइन टू मिल' प्रक्रियाओं में हमारी प्रगति ने आशाजनक परिणाम दिखाए हैं, विशेष रूप से गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में पानी परियोजना में सफल अन्वेषण परिणामों द्वारा उजागर किया गया है। हम मध्य प्रदेश में भी नए खनन पट्टे हासिल करने के उद्देश्य से चल रहे अन्वेषण प्रयासों के साथ प्रगति कर रहे हैं, जिससे मॉयल की उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा।



1

सीएसआईआर-केंद्रीय
खनन एवं ईंधन अनुसंधान
संस्थान (सीआईएमएफआर),
नागपुर और धनबाद

2

विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी
संस्थान (वीएनआईटी),
नागपुर

3

टेक्समिन एवं आईएसएम
धनबाद

4

भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान (आईआईटी),
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

सुरक्षा और उत्पादकता में अनुसंधान एवं विकास का महत्व

- हमने डीजीएमएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्टॉप्स के भीतर कर्मियों और उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सात भूमिगत खदानों में रॉक मैकेनिक्स उपकरण तैनात किए हैं।
- हम चट्टान यांत्रिकी की समझ बढ़ाने और खनन सुरक्षा बढ़ाने के लिए अपनी भूमिगत खदानों के आरएमआर अध्ययन के प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं।
- आईआईटी बीएचयू के सहयोग से हम उकवा खदान में स्टॉपिंग मापदंडों का मूल्यांकन कर रहे हैं। यह पहल मॉयल खदानों में पारंपरिक स्टॉपिंग प्रथाओं में सुधार के लिए कट और फिल स्टॉपिंग विधियों

के लिए संशोधित स्टॉपिंग मापदंडों को संशोधित, मशीनीकृत और मूल्यांकन करने पर केंद्रित है।

- रणनीतिक प्रबंधन समूह के प्रस्ताव के बाद, हमने चिखला खदान के चिखला-बी खंड में सबलेवल स्टॉपिंग का परीक्षण शुरू कर दिया है। सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) को स्टॉपिंग मापदंडों, स्टॉप डिजाइन का मूल्यांकन करने तथा इस नियोजित पद्धति के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस परीक्षण में सफलता से उत्पादन दर और सुरक्षा मानकों में वृद्धि हो सकती है, आर्थिक लाभ मिल सकता है और हमारे लिए वर्तमान स्टॉपिंग तकनीकों को अनुकूलित करने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

- हम वीएनआईटी नागपुर के सहयोग से खनिज लाभकारीकरण और रन-ऑफ-माइन (आरओएम) की वसूली पर कई अध्ययन कर रहे हैं।
- मॉयल खदानों से प्राप्त रन-ऑफ-माइन (आरओएम) सामग्रियों के वृहद घनत्व पर भी अध्ययन चल रहा है, ताकि आरओएम मापदंडों के विश्लेषण में सुविधा हो सके।
- सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) चिखला खदान में भूमिगत कार्यकलापों पर खुले क्षेत्र में विस्फोट के प्रभावों का मूल्यांकन कर रहा है, जिससे उत्पादकता बढ़ाने के लिए बेहतर निर्णय लेने और योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

मैंगनीज भंडारों की खोज और उसके बाद खनन, हमारी सबसे आशाजनक पहलों में से एक है। इस वर्ष, हमारा ध्यान हमारे खनन पट्टों के भीतर और बाहर अन्वेषण गतिविधियों में व्यापक वृद्धि पर रहा है। संसाधनों और भंडारों में वृद्धि के साथ, मैंगनीज उत्पादन में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादन में वृद्धि होगी और इस्पात उपयोग में वृद्धि होगी।

हमारी अनुसंधान एवं विकास पहल



मैंगनीज भंडार और संसाधनों की खोज और मूल्यांकन के बाद, मैंगनीज अयस्क खनन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की जाएगी। यह पहल हमारे खनन कार्यों को सुचारु बनाएगी और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाएगी।

हम मैंगनीज खनन के लिए अतिरिक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु विभिन्न राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करके अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं, तथा हम आगे की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अन्य राज्यों के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं।

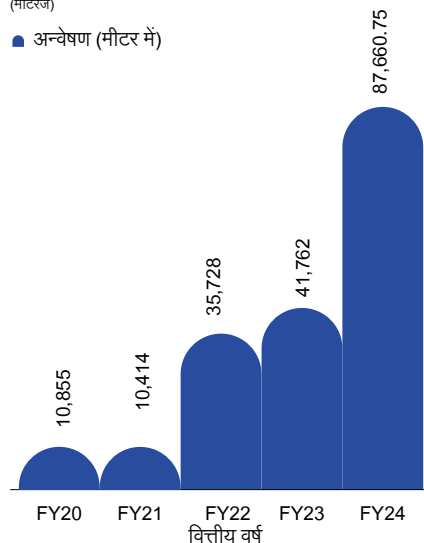
कोर ड्रिलिंग द्वारा जोड़े गए अन्वेषण एवं संसाधन

अन्वेषण पर अत्यधिक जोर देते हुए, मॉयल ने 87,661 मीटर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से भी अधिक है।

पिछले पांच वर्षों में अन्वेषण

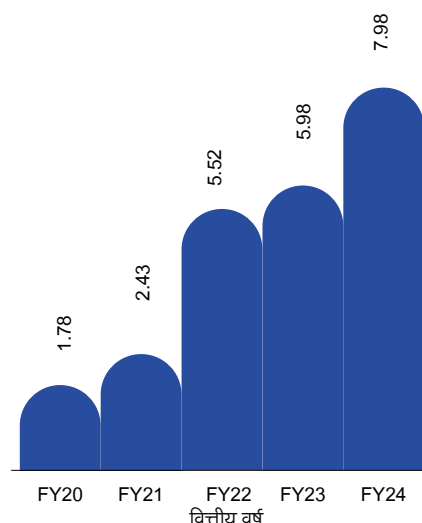
(मीटर में)

■ अन्वेषण (मीटर में)



कोर ड्रिलिंग द्वारा जोड़े गए संसाधन

(संसाधन (मिलियन टन में))



₹27.26 करोड़

अनुसंधान एवं विकास में निवेश

तकनीकी उन्नति

हमारी रणनीति का मूल आधार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण है, जो अनुकूलन, नवाचार और खनन उद्योग की उभरती मांगों को पूरा करने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। अपने संगठन में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करके, हम अपनी सेवा पेशकश और परिचालन दक्षता को बढ़ाते हैं।

परिचालन प्रणालियाँ

हम एफआईसीओ, एमएम, एसडी, पीपी, पीएम और एचआरएम जैसे कोर एसएपी मॉड्यूल को शामिल करते हुए एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम के कार्यान्वयन के माध्यम से परिचालन दक्षता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हैं। हमारी एकीकृत प्रणालियों में फ़ाइल जीवनचक्र प्रबंधन (एफएलएम), एक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली और एक कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से फ़ाइल ट्रैकिंग में सुधार करते हैं, कागजी कार्रवाई को कम करते हैं और वर्कफ्लो प्रबंधन को सुव्यवस्थित करते हैं। पारदर्शिता को और बढ़ावा देने के लिए, हम ई-प्रोक्वोरमेंट पोर्टल और विक्रेता चालान ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया में व्यापक दृश्यता सुनिश्चित होती है।

परिचालन दक्षता के लिए डिजिटल परिवर्तन

हम खदान नियोजन, विकास और उत्पादन समय-निर्धारण को परिष्कृत करने के लिए डिजिटल परिवर्तन पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य पर्यावरणीय

स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए मैंगनीज अयस्क उत्पादन को बढ़ावा देना है।

खनन नवाचार के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण

अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए, हम केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी में वैकल्पिक खनन तकनीकों की खोज कर रहे हैं। यह सहयोग खनन चुनौतियों से निपटने के लिए शीर्ष वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठाता है, जिससे हमारी परिचालन दक्षता और सुरक्षा मानकों में सुधार होता है।

स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादन में उन्नति

अनुसंधान और विकास निवेश के माध्यम से, हमने स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्राइमरी फ़ोक्स, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज धातु (ईएमएम) के विकास पर रहा है, जो स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम

शीट और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक है।

सस्टेनेबल भविष्य के लिए नैनो प्रौद्योगिकी में निवेश

अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से, हम Li-Ion बैटरियों में उपयोग के लिए नैनोस्ट्रक्चर्ड लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड (LMO) को आगे बढ़ा रहे हैं। यह पहल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को समर्थन देती है और हमारी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करती है।

डेटा प्रबंधन

हमारे डिजिटल परिवर्तन का केन्द्र बिन्दु ईआरपी-एसएपी तथा ग्राहक एवं विक्रेता पोर्टल की स्थापना है। ये पोर्टल, ग्राहकों को मूल्य निर्धारण और सामग्री की उपलब्धता जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं, जबकि विक्रेता आसानी से चालान प्रस्तुत कर सकते हैं और उनकी स्थिति की निगरानी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हमने विक्रेताओं के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू किया है, जो कुशल डेटा एक्सचेंज की सुविधा के लिए SAP सर्वर के साथ एकीकृत है।



लोग

मॉयल में हम मानते हैं कि हमारे कार्मिक हमारी सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति हैं। हम एक सशक्त, उच्च-प्रदर्शन कार्य संस्कृति को पोषित करने के लिए समर्पित हैं जो पेशेवर और व्यक्तिगत विकास दोनों को समर्थन देती है। एक समर्पित कार्यबल को आकर्षित करने और बनाए रखने की हमारी प्रतिबद्धता हमारे संगठन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे कार्यबल की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और हम सुरक्षित और सहायक कार्यस्थल वातावरण बनाने के लिए निरंतर पहलों को कार्यान्वित करते हैं।

प्रतिभा अधिग्रहण और प्रतिधारण

लगातार विकसित हो रहे परिचालन परिदृश्य में, हमारा ध्यान असाधारण प्रतिभाओं को सही भूमिकाओं के साथ जोड़ने पर है। अपने कार्यबल के कौशल को पोषित और परिष्कृत करने के लिए, हम प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार की आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण पहलों की पेशकश करते हैं। ये सत्र प्रतिष्ठित संस्थानों और नागपुर तथा खान स्थित हमारे प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, हम मान्यता प्राप्त पूर्व शिक्षण (आरपीएल) कार्यक्रम की देखरेख करते हैं, जो हमारे कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों दोनों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आवश्यक क्षमताओं से सुसज्जित हैं।

5480

कर्मचारियों की संख्या

11%

वित्त वर्ष 23 में प्रशिक्षण में साल दर साल वृद्धि

4010

वित्त वर्ष 24 में कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए मानव दिवस प्रदान किए गए

विविधता और समावेशन

हमारा दृढ़ विश्वास है कि भविष्य के लिए तैयार संगठन के निर्माण के लिए विविधता और समावेशन आवश्यक हैं। विविधता को अपनाने से नवाचार को बढ़ावा मिलता है, कर्मचारी सहभागिता बढ़ती है, तथा सुविचारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, यह ग्राहकों के साथ हमारे संपर्क को भी समृद्ध बनाता है। खदानों में कार्यरत महिला श्रमिकों के कल्याण की रक्षा के लिए हमने महिला मंडलों की स्थापना की है। हम अपनी महिला टीम सदस्यों की भागीदारी और मान्यता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे अवसरों को सक्रिय रूप से मनाते हैं।

823

कुल कार्यबल में महिलाओं की संख्या



कर्मचारी कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन

हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सहायक और पोषणकारी कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। हम उनके समग्र कल्याण के उद्देश्य से अनेक कल्याणकारी पहलों का क्रियान्वयन करते हैं। अपनी टीम की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें उद्योग के विकास से अवगत रखने के लिए, हम नियमित रूप से कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता स्थानीय समुदायों तक भी फैली हुई है, जहां हम विभिन्न रोजगार सृजन पहलों के माध्यम से बेरोजगारी को कम करने और गरीबी को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

450

संविदा कर्मचारियों सहित कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या

150

कौशल विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित संविदा कर्मचारियों की संख्या

स्वास्थ्य और सुरक्षा

मॉयल में, हमारे कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सर्वोपरि है। हम एक ऐसी संस्कृति को विकसित करने के लिए कठोर सुरक्षा प्रोटोकॉल, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सतत पहल लागू करते हैं, जहां सुरक्षा हमारी संगठनात्मक प्रक्रियाओं में सहजता से एकीकृत हो।

सुरक्षा प्रोटोकॉल

हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल में निरंतर प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, जो हमारे कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हमारे सुरक्षा प्रोटोकॉल में निरंतर प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं, जो हमारे कर्मचारियों के बीच सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि हमारी टीम नवीनतम सुरक्षा पद्धतियों और दिशानिर्देशों के साथ अद्यतन बनी रहे।

जोखिम प्रबंधन

कार्यस्थल पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए, हमने खानों और संयंत्रों में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) स्थापित की हैं। ये एसओपी हमारे कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, हम अपनी भूमिगत और खुली खदानों दोनों के लिए नियमित रूप से जोखिम आकलन करते हैं। हमारी आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन समिति, बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से, दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने तथा सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है।

171

आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रमाणपत्र और मान्यताएँ

हमें विभिन्न आईएसओ प्रमाणपत्रों से सम्मानित किया गया है जो सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिनमें शामिल हैं::

- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए **ISO 45001:2018**
- पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए **ISO 14001:2015**
- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए **ISO 9001:2015**

इसके अलावा, हमारे पास सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय मानकों के लिए SA 8000 प्रमाणन है और बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिलों में हमारे कार्यों के लिए स्थिरता रिपोर्टिंग के लिए GRI मानकों के अनुसार प्रमाणित किया गया है।



व्यावसायिक
स्वास्थ्य और
सुरक्षा प्रबंधन
प्रणालियों के लिए



पर्यावरण
प्रबंधन प्रणाली के लिए



गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)



पर्यावरण

पारिस्थितिकी संरक्षण हमारे लिए एक मुख्य प्राथमिकता है। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे सामुदायिक विकास प्रयास पर्यावरण संरक्षण और हमारे द्वारा संचालित क्षेत्रों के सांस्कृतिक संदर्भ के साथ सामंजस्य में हों। रेत घाटों सहित हमारी सभी खदानों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या नामित प्राधिकारियों से पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ, हमारी कंपनी ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सक्रिय उपायों को लागू किया है और हम अपने पट्टा क्षेत्रों के भीतर और आसपास के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं।

ऊर्जा संरक्षण

प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के प्रति हमारा समर्पण हमारे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऊर्जा-बचत परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शित होता है। हम उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाकर, ऊर्जा-कुशल उपकरणों का उपयोग करके तथा सतत निगरानी एवं अपशिष्ट में कमी लाकर बिजली की खपत को न्यूनतम करके ऊर्जा संरक्षण प्राप्त करते हैं।

उल्लेखनीय ऊर्जा संरक्षण पहलों में शामिल हैं:

- महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में 5.00 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।
- मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 4.50 मेगावाट और 0.96 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।
- विभिन्न खदानों में आवासीय कनेक्शन के लिए 476 किलोवाट क्षमता वाले भू-स्थित सौर संयंत्र का निर्माण पूरा होना।
- नागपुर में आवासीय स्थानों पर 4 x 10 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना।
- विद्युत प्रणाली में पावर फैक्टर में सुधार और हार्मोनिक को कम करने के लिए सभी खदानों में सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर, एपीएफसी पैनल और स्थिर कैपेसिटर बैंकों का कार्यान्वयन।
- सभी खानों और संयंत्रों का ऊर्जा लेखा परीक्षण।

- हम 'स्वच्छ भारत अभियान' को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। हम हर महीने के पहले बुधवार को स्वच्छता दिवस मनाते हैं और विभिन्न खदानों में 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाते हैं। इसमें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता शिविरों, खदानों एवं निकटवर्ती गांवों में बैनर, नारे एवं पोस्टर लगाना तथा सीवेज उपचार संयंत्र, बायो सेप्टिक टैंक एवं पारंपरिक शौचालयों का निर्माण शामिल है।

स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा

हमने स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। 2006 और 2008 के बीच, हमने इंदौर (मध्य प्रदेश) के पास देवास जिले में नागदा हिल्स में **4.8 मेगावाट** और रतेडी हिल्स में **15.2 मेगावाट** क्षमता वाले पवन फार्म चालू किए। इन पहलों को मध्य प्रदेश सरकार की वितरण और विद्युत प्रबंधन कम्पनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय और व्हीलिंग समझौतों द्वारा समर्थित किया जाता है। **4.8 मेगावाट** पवन फार्म से उत्पन्न बिजली बालाघाट खदान और फेरो मैंगनीज संयंत्र में खपत की भरपाई में मदद करती है।

121.03

लाख किलोवाट घंटा

कुल उत्पादित बिजली



सोशल

हमारे कार्यबल में 80% से अधिक लोग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं। हम निम्नलिखित पहलों के माध्यम से अपनी खदानों के पास, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों के विकास में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं:

1

हम अपने खनन स्थलों के निकटवर्ती गांवों के लिए स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करके, स्थानीय सड़कों का रखरखाव करके, तथा निवासियों के लिए नियमित चिकित्सा जांच और उपचार आयोजित करके जिम्मेदारी लेते हैं।

2

हम अपने खनन क्षेत्रों के निकट स्थित स्कूलों को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तकें और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करते हैं।

3

हम स्थानीय निवासियों को सशक्त बनाने और उनके आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए स्वरोजगार पर केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

4

महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए, हम नंदुरबार में आवश्यक प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गर्भवती महिलाओं को उनके और उनके शिशुओं के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई के रूप में, हमने पर्यावरण संरक्षण, नैतिक प्रथाओं और परोपकारी प्रयासों पर अपना ध्यान केंद्रित करके कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर बनाए रखा है।

हमारी सीएसआर पहल सार्थक सामाजिक प्रभाव डालने और विभिन्न सामुदायिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए तैयार की गई हैं। हमने अनेक सामाजिक रूप से लाभकारी पहल शुरू की हैं, जिनमें आर्थिक रूप से वंचित समुदायों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना, ग्रामीण छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना तथा कौशल विकास एवं आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना शामिल है। सीएसआर से संबंधित हमारी परियोजनाएं हैं:

हमने जरूरतमंद व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और पुनर्वास सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एएलआईएमसीओ के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग महाराष्ट्र के बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिलों तथा उत्तर प्रदेश के गढ़चिरौली और चित्रकूट जिलों में फैला हुआ है।

इस वर्ष **चित्रकूट** में हमारे प्रयासों से **138** लोगों को लाभ मिला।

2019 से, हमने सक्षम बालिका योजना के तहत आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की 15 लड़कियों को प्रतिवर्ष सहायता दी है। यह प्रायोजन उनकी नर्सिंग और सामान्य नर्सिंग में स्नातक की डिग्री और अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हैदराबाद में मिड-कोर्स की पढ़ाई में सहायता करता है।

इस वर्ष हमने 15 लड़कियों की मदद करना जारी रखा।

हम डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के साथ साझेदारी में **भंडारा जिले के सीतासौंगी में एक सीबीएसई-पंजीकृत स्कूल** संचालित करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम **महाराष्ट्र के भंडारा जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले** में अपनी शिक्षा और कौशल विकास पहल के तहत 4 अन्य स्कूलों को भी सहायता प्रदान करते हैं।

नंदुरबार के आकांक्षी जिले में, हम गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं की भलाई सुनिश्चित करने के लिए प्रसवपूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे मातृ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।

हमने मध्य प्रदेश के मंडला में तपेदिक, फेफड़ों की बीमारियों, सिकल सेल एनीमिया से निपटने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए **आर के एचआईवी एड्स अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र** को वित्तीय सहायता प्रदान की है। हमने मध्य प्रदेश के परसवाड़ा में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र और आमगांव (देवली) में वृद्धों के लिए संजीवन गृह और **ओफ़ांट फाउंडेशन** को भी एम्बुलेंस दान की हैं।

हमने ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षिक मानकों को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की हैं, जैसे:

- (a) मनसर खदान में **मॉयल डीएवी पब्लिक स्कूल** का निर्माण।
- (b) **नागपुर, महाराष्ट्र में मूक-बधिर बच्चों के स्कूल सरस्वती मंदिर** में एक नई मंजिल का निर्माण किया जा रहा है।
- (c) **बालाघाट में केन्द्रीय विद्यालय** में खेल मैदान का विकास।
- (d) **बालाघाट में शासकीय महिला पॉलिटेक्निक** में चारदीवारी का निर्माण।

हम BAIF इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट (BISLD) के सहयोग से **22 चिन्हित गांवों** में काम कर रहे हैं। इन गांवों में बालाघाट जिले (मध्य प्रदेश) के **11, भंडारा जिले (महाराष्ट्र) के 3 और नागपुर जिले (महाराष्ट्र) के 8 गांव** शामिल हैं। इनमें आजीविका संवर्धन, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, आंगनवाड़ी आधारित हस्तक्षेप, जल संसाधन प्रबंधन, सामुदायिक संसाधन विकास, कृषि प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचा विकास, पशुधन विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य पहल, स्वच्छता और सफाई शामिल हैं।

पुरस्कार और प्रशंसा

हमारी **AVIGHNA QC**,
बालाघाट खदान और परख
क्यूसी, तिरोड़ी खदान ने
नागपुर में **34वें चैप्टर लेवल
कन्वेंशन सीसीक्यूसी -2023**
में कई प्रशंसाओं के साथ केस
स्टडी प्रस्तुतियों में **सुपर
गोल्ड अवार्ड** जीते।

हमने **52वीं अखिल भारतीय
खान बचाव प्रतियोगिता
2023**, तेलंगाना में उपविजेता
ट्रॉफी हासिल की।

हमें नई दिल्ली में आयोजित
**छठे आईपीएसई पुरस्कार
2024** में सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक
केंद्रीय पीएसई पुरस्कार-
मैंगनीज अयस्क खनन
पुरस्कार प्राप्त हुआ।

**17वें ग्लोबल कम्युनिकेशन
कॉन्क्लेव, पीआरसीआई
अवार्ड्स 2023** में हमें 4 अलग-
अलग श्रेणियों में सम्मानित
किया गया: सीएसआर अभियान,
सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट इवेंट, वर्ष का
विजन लीडरशिप और सोशल
मीडिया का सर्वश्रेष्ठ उपयोग

हमें अंतर्राष्ट्रीय पीआर महोत्सव,
पीआरएसआई पुरस्कार 2023 में
पीआर और ब्रांडिंग और हिंदी न्यूजलेटर
के लिए सम्मानित किया गया।

हमें **22 मार्च 2024** को नई
दिल्ली में **10वें पीएसयू अवार्ड्स**
में गवर्नेंस नाउ की ओर से
सीएसआर लीडरशिप अवार्ड से
सम्मानित किया गया है।

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)
द्वारा आयोजित 32वें खान
पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण
(एमईएमसी) सप्ताह के दौरान,
मॉयल की नौ खदानों ने विभिन्न
श्रेणियों में पुरस्कार जीते।

नई दिल्ली में टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट
से “**विविधता और समावेशन
प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ**” पुरस्कार।

मॉयल को विश्व हिंदी परिषद, नई
दिल्ली की ओर से मॉयल भारती
पत्रिका और हिंदी राजभाषा के
सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए दो
पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

10वें पीएसयू अवार्ड्स में
गवर्नेंस नाउ द्वारा **अन्वेषण
एवं निष्कर्षण नवाचार, मानव
संसाधन उत्कृष्टता, सीएमडी
नेतृत्व, मानव संसाधन एवं
सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार**
प्रदान किया गया।



निदेशक मंडल



श्री अजित कुमार सक्सेना

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक



श्री राकेश तुमाने

निदेशक (वित्त)



श्रीमती उषा सिंह

निदेशक (मानव संसाधन)



श्री एम.एम. अब्दुल्ला

निदेशक (उत्पादन एवं योजना)



श्रीमती रश्मि सिंह

निदेशक (वाणिज्य)

सरकारी निदेशक



श्री विनोद कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय,
भारत सरकार-नामित

स्वतंत्र निदेशक



सीए दिनेश कुमार गुप्ता



श्री प्रशांत वशिष्ठ



डॉ. अर्चना मजूमदार

सेवानिवृत्त निदेशक



श्री पीवीवी पटनायक
पूर्व निदेशक (वाणिज्य)



श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
प्रमुख सचिव, जल संसाधन,
मप्र सरकार - नामित पूर्व निदेशक



श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव, जल संसाधन,
मप्र सरकार-नामित पूर्व निदेशक



डॉ. संजय रॉय
संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय,
भारत सरकार- नामित पूर्व निदेशक

मुख्य सतर्कता अधिकारी



श्री प्रदीप कामले

कार्यकारी निदेशक



श्री पी. करैया
ई.डी. (तकनीकी)

महाप्रबंधक



श्री एस.सी. राय
जी.एम. (तकनीकी)



श्री आर.के.वर्मा
जी.एम. (मैकेनिकल)



श्री अखिलेश राय
जी.एम. (इलेक्ट्रिकल)



श्री आर.पी. पाटिल
जी.एम. (मार्केटिंग)



श्री किशोर चंद्राकर
जी.एम. (खान)



श्री अनंत मसादे
जी.एम. (खान)



श्री नितिन कजारेकर
जीएम (वित्त)



श्री संजय चौधरी
जी.एम. (मटेरियल)

कंपनी सचिव



श्री नीरज दत्त पाण्डेय
कंपनी सचिव

निष्पादन पर एक नज़र

विवरण	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
वित्तीय स्थिति (करोड़ रुपये में)						
परिचालन से राजस्व	1449.42	1341.66	1436.31	1177.38	1038.07	1440.67
अन्य आय	93.54	76.87	79.26	102.47	181.11	190.81
कुल आय	1542.96	1418.52	1515.57	1279.85	1219.18	1631.48
परिचालन लाभ	293.47	254.76	438.35	187.63	159.38	528.94
सकल मार्जिन (EBITDA)	531.25	445.97	620.72	339.28	436.65	786.57
कर से पहले लाभ	387.00	334.45	523.29	240.11	340.49	719.75
कर के बाद लाभ	293.34	250.59	376.98	176.63	248.22	473.89
कुल व्यापक आय	294.02	224.90	354.80	187.05	253.56	454.32
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया लाभांश	85.26	122.09	177.34	130.53	148.48	141.68
इक्विटी शेयर पूंजी	203.49	203.49	203.49	237.33	237.33	257.61
अन्य इक्विटी	2249.59	2040.83	1938.03	2582.57	2526.06	2825.10
नेटवर्थ	2453.08	2244.32	2141.51	2819.90	2763.39	3082.71
उधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल ब्लॉक	1912.54	1708.34	1445.02	1349.23	1190.89	952.07
कार्यशील पूंजी	1071.88	1011.44	1143.41	1918.66	1933.78	2355.27
नियोजित पूंजी	2368.22	2195.42	1819.85	2581.57	2521.12	2785.62
महत्वपूर्ण अनुपात						
कर से पहले लाभ नियोजित पूंजी पर %	16.34	15.23	28.75	9.30	13.51	25.84
कर से पहले लाभ बिक्री पर %	26.70	24.93	36.43	20.39	32.80	49.96
ऋण-इक्विटी अनुपात	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेयर आय (₹) (₹ 10 के अंकित मूल्य पर)	14.42	12.31	16.15	7.44	9.80	18.40
राजकोष में योगदान (करोड़ रुपये में)						
आयकर	145.62	144.08	352.38	78.53	144.19	245.00
लाभांश वितरण कर	0.00	0.00	0.00	0.00	30.52	29.12
बिक्री कर और वैट, प्रवेश कर, सेवा कर और जीएसटी	191.09	198.25	92.44	18.15	15.33	35.12
रॉयल्टी और उपकर, डीएमएफ, एनाएमईटी	101.35	95.86	90.29	68.15	82.35	73.40
उत्पाद शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एमपी सड़क उपकर	23.29	24.54	24.32	18.34	24.56	27.88
कुल उत्पादन	461.35	462.73	559.43	183.17	296.95	410.52
मैंगनीज अयस्क (एमटी)	17,56,113	13,02,217	12,31,264	11,43,570	12,77,444	13,01,191
ई.एम.डी. (एमटी)	1413	1100	1202	1070	925	992
फेरो मैंगनीज (एमटी)	10163	8660	10,245	8851	10421	11003
पवन चक्कियों से बिजली (किलोवाट घंटा)	2,83,95,808	2,88,87,276	2,96,36,934	2,56,14,204	3,13,05,864	3,46,76,695
बिक्री						
मैंगनीज अयस्क (एमटी)	15,36,341	11,77,944	12,12,054	12,17,891	11,79,799	12,69,719
ई.एम.डी. (एमटी)	937	1448	996	918	930	987
फेरो मैंगनीज (एमटी)	8385	8419	10,781	13367	6187	12199
पवन चक्कियों से बिजली (किलोवाट घंटा)	2,05,42,597	2,08,66,699	2,22,69,599	1,99,84,972	2,27,45,120	2,56,11,820



शेयरधारकों के लिए बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे आपकी कंपनी की 62वीं वार्षिक रिपोर्ट, साथ ही 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

(1) वित्तीय और भौतिक प्रदर्शन

(ए) प्रमुख वित्तीय जानकारी

वित्त वर्ष 2023-24 और पिछले वर्ष के वित्तीय परिणाम नीचे दिए गए हैं।

विवरण	2023-24	2022-23
संचालन से प्राप्त राजस्व	1449.42	1341.65
अन्य आय	93.54	76.87
कुल आय	1542.96	1418.52
ब्याज, मूल्यहास और कर से पूर्व लाभ (ईबीआईटीडीए)	531.25	445.97
कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और असाधारण मद	387.00	331.63
परिचालन लाभ	293.46	254.76
असाधारण मद के बाद कर से पूर्व लाभ	387.00	334.45
कर के बाद लाभ (पीएटी)	293.34	250.59
कुल व्यापक आय	294.02	224.90
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	200.00	105.00

प्रमुख वित्तीय अनुपात

अनुपात	2023-24	2022-23
ईबीआईटीडीए से बिक्री कारोबार (%)	36.65	33.24
कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए मार्जिन	34.43	31.44
एसेट टर्नओवर (%)	53.41	52.70
नेट वर्थ से पीएटी (%)	12.49	11.43
प्रति शेयर आय (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रत्येक) (₹)	14.42	12.31
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	120.55	110.29



वैश्विक स्तर पर मैंगनीज अयस्क की कीमतों पर दबाव के बावजूद आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में असाधारण प्रदर्शन दर्ज किया। मॉयल ने मैंगनीज अयस्क का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन और बिक्री हासिल की है, और वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड कारोबार भी किया है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1542.96 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की है, जो पिछले वर्ष के 1418.52 करोड़ रुपये की तुलना में ~9% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष के दौरान, मॉयल ने 387.00 करोड़ रुपये का कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) और 293.34 करोड़ रुपये का कर-पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया, जो कि सुस्त बाजार स्थितियों के कारण शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) में लगभग 15% की कमी के बावजूद क्रमशः 16% तथा 17% की वृद्धि दर्ज करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार, आपकी कंपनी ने अधिशेष निधि को सावधि जमा और म्यूचुअल फंड में निवेश किया है। कंपनी ने सावधि जमा पर 62.21 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 47.56 करोड़ रुपये) की ब्याज आय और म्यूचुअल फंड के मोचन पर 8.56 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 9.39 करोड़ रुपये) का लाभ अर्जित किया है।

(बी) लाभांश

मॉयल कई वर्षों से लाभांश देने वाली कंपनी रही है। वर्ष 2023-24 के दौरान भी इसी तरह लाभांश देने के लिए मार्च 2024 में 35% यानी 3.50 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश दिया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए 25.50% मतलब 2.55 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के लिए कुल लाभांश 6.05 रुपये प्रति इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 3.69 रुपये) होगा। वर्ष के लिए कुल लाभांश परिव्यय 123.11 करोड़ रुपये है (पिछले वर्ष 75.09 करोड़ रुपये)। वर्ष 2023-24 के लिए लाभांश डीआईपीएएम दिशानिर्देशों के अनुरूप है। कंपनी की एक लाभांश वितरण नीति है जो कंपनी के वेब लिंक https://moil.nic.in/userfiles/Dividend_Policy_MOIL.pdf

(सी) बिक्री:

वित्त वर्ष 2023-24 में, मॉयल ने मिलियन अयस्क की कीमतों में दबाव के बावजूद पिछले वर्ष के 1341.65 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 8% की वृद्धि के साथ 1449.42 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड कारोबार दर्ज किया है। आयातित अयस्क की कीमतों के साथ समानता बनाए रखने के लिए, मॉयल ने मासिक आधार पर कीमतों की समीक्षा जारी रखी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान औसत बिक्री प्राप्ति 10,422 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटकर 8849 रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई (15% की कमी)। इसके बावजूद, मॉयल ने वित्त वर्ष 2024 में 15.36 लाख टन की अपनी सर्वश्रेष्ठ बिक्री हासिल की, जो वित्त वर्ष 2023 में 11.78 लाख मीट्रिक टन से 30% की उल्लेखनीय वृद्धि है।

आपकी कंपनी इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइ-ऑक्साइड (ईएमडी) और फेरो मैंगनीज (Fe Mn) का भी उत्पादन करती है। वित्त वर्ष 2023-24 में ईएमडी की बिक्री पिछले वर्ष की 1448 मीट्रिक टन की बिक्री की तुलना में 937 मीट्रिक टन थी। इसके अलावा, वर्ष 2023-24 में फेरो मैंगनीज की बिक्री 8385 मीट्रिक टन थी, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 8,419 मीट्रिक टन थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान घरेलू बाजार में फेरो मैंगनीज की कीमत और मांग उत्साहजनक नहीं रही, जिसके परिणामस्वरूप इस खाते में कम कारोबार हुआ।

(डी) उत्पादन और उत्पादकता

आपकी कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से मैंगनीज अयस्क का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन 17.56 लाख टन हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में 34.87% अधिक है। वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति शिफ्ट उत्पादन (ओएमएस) 1.428 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष 1.063 मीट्रिक टन) पर उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्रति जनशक्ति औसत वार्षिक उत्पादकता 316 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष 231 मीट्रिक टन) थी। मॉयल ने इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) का भी अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन हासिल किया, जो वर्ष-दर-वर्ष 28.45% अधिक है। ईएमडी उत्पादन पिछले वर्ष के 1,100 मीट्रिक टन के मुकाबले 1,413 मीट्रिक टन रहा और फेरो मैंगनीज का उत्पादन पिछले वर्ष के 8,660 मीट्रिक टन के मुकाबले 10,163 मीट्रिक टन रहा, जो 17% अधिक है।



(ई) क्लोजिंग स्टॉक

31.03.2024 तक मैंगनीज अयस्क का अंतिम स्टॉक 3.58 लाख मीट्रिक टन था, जिसका मूल्य 145.21 करोड़ रुपये था, जबकि 31.03.2023 तक यह 1.75 लाख मीट्रिक टन था, जिसका मूल्य 121.30 करोड़ रुपये था। 31.03.2024 को फेरो मैंगनीज का अंतिम स्टॉक 2490 मीट्रिक टन था जिसका मूल्य 14.51 करोड़ रुपये था, जबकि 31.03.2023 को 712 मीट्रिक टन था जिसका मूल्य 4.15 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार, 31.03.2024 को ईएमडी का समापन स्टॉक 520 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष 44 मीट्रिक टन) था, जिसका मूल्य 8.08 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.81 करोड़ रुपये) था।

(2) पूंजीगत व्यय, पूंजी / मूल्य संवर्धन / विविधीकरण परियोजनाएं

मॉयल, भारत में सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क उत्पादक है। भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने और उद्योग में नेतृत्व बनाए रखने के लिए, मॉयल ने 2030 तक अपने उत्पादन को 3.50 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है, जिसके लिए एक रणनीतिक प्रबंधन योजना पहले से ही लागू है। इस दिशा में, आपकी कंपनी ने मौजूदा खदानों के विकास, देश के भीतर और बाहर नई खदानों के अधिग्रहण, खदानों के आसपास के क्षेत्रों के अधिग्रहण, मूल्य संवर्धन/विविधीकरण परियोजनाओं की स्थापना आदि के लिए निवेश की योजना बनाई है। इनमें से कुछ परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और कुछ प्रगति पर हैं। इन परियोजनाओं के लिए चरणबद्ध तरीके से 2030 तक लगभग 2400 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

मॉयल, उत्पादन स्तर को बनाए रखने और क्षमता वृद्धि हासिल करने के लिए अपनी खदानों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर अत्यधिक जोर दे रहा है। बीते दिनों में, बालाघाट, कांद्री, और चिखला खदानों में वर्टिकल शाफ्ट को गहरा करने की परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा, चिखला, उकवा और मनसर खदान में दूसरे वर्टिकल शाफ्ट की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। इन शाफ्टों से कंपनी को इन खदानों से उत्पादन को बनाए रखने के साथ-साथ, उत्पादन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बालाघाट और गुमगांव खदानों में हाई स्पीड शाफ्ट का कार्य प्रगति पर है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, बालाघाट में 0.789 हेक्टेयर क्षेत्र, सीतापटोर में 4.734 हेक्टेयर क्षेत्र, तिरोड़ी में 4.419 हेक्टेयर क्षेत्र और चिखला में 150.65 हेक्टेयर क्षेत्र के संबंध में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई है। इस प्रकार, वर्ष के दौरान, मॉयल को कुल 2,21,900 टन प्रति वर्ष (टीपीए) की पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई। इसके साथ, 31.03.2024 तक मॉयल की कुल ईसी क्षमता 24,88,592 टीपीए हो गई है।

गुजरात के पानी क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क के खनन की संभावना तलाशने के लिए मॉयल ने गुजरात राज्य के उद्यम गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। कोर ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण पहले ही पूरा हो चुका है और परिणाम लगभग 9.51 मिलियन मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क की उपलब्धता और मात्रा दर्शाते हैं। अब, मॉयल समझौता ज्ञापन के अनुसार जीएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

मॉयल ने चार जिलों अर्थात् बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा में मैंगनीज अयस्क की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (एमपीएसएमसीएल) के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा के अलावा) खनिज रियायत नियम 2016 के नियम 67 के उपनियम (1) के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना द्वारा छिंदवाड़ा और बालाघाट जिले में क्रमशः 487 वर्ग किलोमीटर और 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, अन्वेषण कार्य करने के लिए आरक्षित किया है। मॉयल ने छिंदवाड़ा में कोर ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण पूरा कर लिया है। बालाघाट क्षेत्र में अन्वेषण प्रक्रियाधीन है। क्षेत्र में कुछ बोर होल, मैंगनीज अयस्क का सकारात्मक प्रतिच्छेदन दिखा रहे हैं।

अन्वेषण कार्य और उसके विश्लेषण के पूरा होने के बाद, एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की जाएगी। टीईएफआर और इसकी व्यवहार्यता के आधार पर, एमपीएसएमसीएल और मॉयल के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें एमपीएसएमसीएल की 49% और मॉयल की 51% हिस्सेदारी होगी।

उपरोक्त परियोजनाएं/नए पट्टे, मॉयल को 2030 तक अपने उत्पादन को लगभग तीन गुना बढ़ाकर 3.50 मिलियन मीट्रिक टन करने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेंगे।

(ए) पूंजीगत व्यय

कंपनी की पूंजीगत व्यय योजनाओं में वर्टिकल शाफ्ट सिंकिंग/गहरीकरण परियोजनाओं, खनन के लिए नए पट्टों/क्षेत्र का विकास, अचल संपत्तियों में नियमित वृद्धि/संशोधन/प्रतिस्थापन, अनुसंधान, विकास आदि में निवेश की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी का कुल पूंजीगत व्यय

उपयोग 316.08 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 245.10 करोड़ रुपये की तुलना में अब तक का सर्वाधिक पूंजीगत व्यय है। चालू और भविष्य की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 309.30 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

(बी) खदान विस्तार परियोजनाएं

कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं

(ए) बालाघाट खदान में 265.96 करोड़ रुपये की पूंजी लागत से 750 मीटर गहराई (संशोधित गहराई 660 मीटर) के बड़े व्यास वाले उच्च गति वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग।

(बी) गुमगांव खदान में 194 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से 330 मीटर गहराई वाले बड़े व्यास वाले हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की खुदाई।

गुमगांव और बालाघाट खदानों का उत्पादन क्रमशः 1,50,000 मीट्रिक टन से 3,50,000 मीट्रिक टन और 3,00,000 लाख मीट्रिक टन से 8,00,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए उच्च गति शाफ्ट सिंकिंग परियोजनाओं की संकल्पना की गई थी। परियोजनाएं विभिन्न कारणों से प्रभावित हुई हैं, जैसे कोविड महामारी, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, विशेष रूप से बालाघाट शाफ्ट में पानी का भारी प्रवाह, वीजा संबंधी समस्याएं आदि, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। इन कारणों से परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण, प्रभावित अवधि के लिए उत्पादन में वृद्धि में भी देरी हुई है। कंपनी देरी को कम करने और परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है।

(सी) देश के अंदर और बाहर खदानों का अधिग्रहण

कंपनी की रणनीतिक प्रबंधन योजना के अनुरूप, विदेशों में मैंगनीज अयस्क उत्पादकों के साथ ऑफ-टेक समझौतों के साथ रणनीतिक गठबंधन करने की योजना है। कंपनी ने देश के अंदर और बाहर परिसंपत्तियों की पहचान करने के लिए सलाहकारों/सलाहकारों को नियुक्त किया है।

(3) अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)

आपकी कंपनी संकीर्ण मैंगनीज अयस्क निकाय में सात भूमिगत और तीन खुली खदानें संचालित करती है, जिनमें दीवार की चट्टानों की खराब रॉक-मास गुणवत्ता के साथ कठिन भू-खनन स्थितियां हैं। कंपनी को "खान से मिल संचालन" तक मैंगनीज अयस्क खनन में विशेषज्ञता प्राप्त है और यह विभिन्न ग्रेड के मैंगनीज अयस्क और मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) और उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज मिश्र धातु के अन्वेषण, दोहन और विपणन में लगी हुई है।

खानों की सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियां शुरू की जाती हैं। ऐसा करने के लिए, मॉयल ने इस प्रक्रिया में सहायता के लिए इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले निम्नलिखित संस्थानों के साथ काम किया है;

1. सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), नागपुर और धनबाद
2. विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), नागपुर

3. टेक्समिन आईएसएम धनबाद

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), बनारस हिंदू विश्वविद्यालय

ये अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं आधुनिक खनन प्रौद्योगिकियों को लागू करने के साथ-साथ मॉयल के स्टॉप डिजाइन में बदलाव लाने में मदद करेंगी।

सॉफ्टवेयर, आधुनिक प्रौद्योगिकियों, उद्योग-शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के निरंतर उपयोग से खनन कार्यों में सुरक्षा, उत्पादकता और पर्यावरण मापदंडों में सुधार देखा गया है।

इसने मैंगनीज अयस्क भंडारों में कंपनी की 'माइन टू मिल' विशेषज्ञता में भी सुधार किया है। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में स्थित पानी परियोजना में किए गए अन्वेषण के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। इसी प्रकार, मध्य प्रदेश राज्य में नये खनन पट्टे प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। इससे नई मैंगनीज खदानें खोलने में सुविधा होगी और इससे मॉयल का उत्पादन बढ़ेगा।

मॉयल में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का महत्व

खान सुरक्षा और उत्पादकता:

1. मॉयल ने डीजीएमएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्टॉप्स में काम करने वाले लोगों और मशीनों की सुरक्षा के लिए 7 भूमिगत खदानों में रॉक मैकेनिक्स उपकरण स्थापित किए हैं।
2. मॉयल लिमिटेड की खदानों की बेहतर रॉक मैकेनिक समझ के लिए मॉयल की भूमिगत खदानों के आरएमआर अध्ययन का प्रस्ताव चल रहा है।

3. मॉयल की उकवा खदान के स्टॉपिंग मापदंडों का मूल्यांकन आईआईटी बीएचयू की सहायता से किया गया है, जिसमें उकवा खदान में कट और फिल स्टॉपिंग के संशोधित स्टॉपिंग मापदंडों का संशोधन, मशीनीकरण और मूल्यांकन शामिल है, ताकि सकारात्मक बदलाव लाया जा सके और मॉयल खदानों में स्टॉपिंग की सदियों पुरानी प्रणाली को बदला जा सके।

4. उत्पादन और सुरक्षा मानकों की दर बढ़ाने के लिए सब लेवल स्टॉपिंग द्वारा एक ट्रायल स्टॉपिंग विधि के लिए रणनीतिक प्रबंधन समूह के प्रस्ताव के अनुसार, सीएसआईआर-केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) को "चिखला खदान के चिखला-बी खंड में स्टॉपिंग मापदंडों, स्टॉप डिजाइन और योजनाबद्ध सब लेवल स्टॉपिंग के कार्यान्वयन का मूल्यांकन" करने के लिए नियुक्त किया गया है। यदि यह परीक्षण स्टॉपिंग विधि सफल रही, तो यह किफायती होगी और बेहतर उत्पादकता और सुरक्षा के लिए हाल की स्टॉपिंग विधियों को संशोधित करने के लिए मॉयल के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है।

5. वीएनआईटी नागपुर की सहायता से मॉयल खदानों के लिए खनिज लाभकारी अध्ययन और आरओएम की पुनर्प्राप्ति अध्ययन जैसे विभिन्न अध्ययन किए जा रहे हैं।

6. आरओएम मापदंडों के सुचारु विश्लेषण के लिए मॉयल खदानों के संबंध में रन-ऑफ-माइन (आरओएम) के थोक घनत्व अध्ययन किए जा रहे हैं।

7. चिखला खदान में भूमिगत कार्यों पर ओपनकास्ट के ब्लास्टिंग चर के प्रभाव का मूल्यांकन सीएसआईआर-केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उच्च उत्पादकता के लिए निर्णय लेने और योजना बनाने में सहायता करना है।

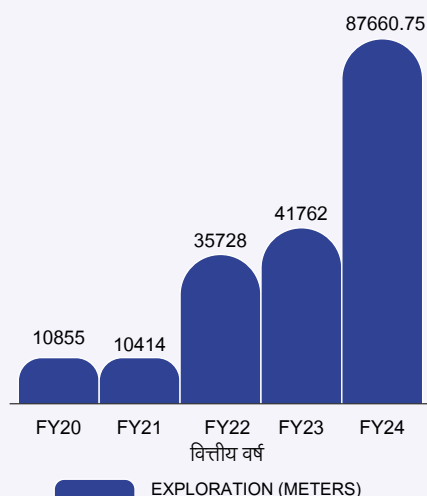


खनिज अन्वेषण

1. मैंगनीज भंडारों की खोज और उसके बाद खनन, मॉयल द्वारा की गई सबसे आशाजनक पहलों में से एक है। इस वर्ष, अन्वेषण ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि मॉयल के आंतरिक और बाहरी खनन पट्टों में अन्वेषण मीटररेज में जबरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले पांच वर्षों में अन्वेषण और जोड़े गए संसाधनों का विवरण निम्नानुसार है:

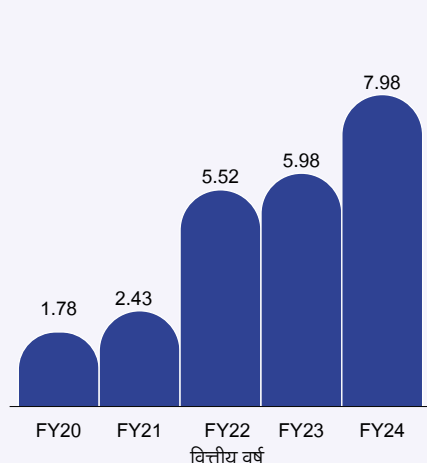
पिछले पांच वर्षों में अन्वेषण

(मीटररेज)



कोर ड्रिलिंग द्वारा जोड़े गए संसाधन

संसाधन (मिलियन टन में)



जैसे-जैसे अधिक से अधिक संसाधन और भंडार जुड़ते जा रहे हैं, मैंगनीज उत्पादन और इसके परिणामस्वरूप इस्पात उत्पादन में वृद्धि होना निश्चित है, जिससे इस्पात उपयोग में भी वृद्धि होगी।

2. **अन्य राज्यों के साथ MoU:** मॉयल, राज्य सरकार के साथ MoU पर हस्ताक्षर करके अन्य राज्यों में विस्तार कर रही है, ताकि मैंगनीज खनन की संभावनाओं की खोज के लिए अधिक क्षेत्र हासिल किया जा सके।

गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ MoU पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और अन्य राज्यों के साथ भी चर्चा चल रही है।

3. **संयुक्त उद्यम:** मैंगनीज भंडार और संसाधनों की खोज और निर्धारण के बाद, मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया जाएगा।

अनुसंधान एवं विकास व्यय

मॉयल ने 2023-24 में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर ₹27.26 करोड़ खर्च किए हैं, जिसका विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(4) ऊर्जा संरक्षण (गैर-पारंपरिक ऊर्जा सहित), पर्यावरण संरक्षण तथा सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

(ए) उर्जा संरक्षण

आपकी कंपनी अपने सभी परिचालन क्षेत्रों और उपकरणों में जिम्मेदारी के साथ, ऊर्जा खपत और ऊर्जा दक्षता का अभ्यास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में, कंपनी के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न ऊर्जा बचत परियोजनाओं को लागू किया गया है। नई प्रौद्योगिकी, ऊर्जा कुशल उपकरणों के उपयोग, उचित निगरानी द्वारा बिजली की खपत में कमी लाने और अपव्यय से बचने से ऊर्जा की बचत हो रही है। ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए उठाए गए कदम और इस संबंध में भविष्य की योजनाएं निम्नानुसार हैं।

- (1) महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले में 5.00 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है।
- (2) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 4.50 मेगावाट और 0.96 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं।
- (3) विभिन्न खदानों में आवासीय कनेक्शन के लिए 476 किलोवाट क्षमता के ग्राउंड माउंटेड सौर संयंत्र की स्थापना और कमीशनिंग का काम पूरा हो गया है।
- (4) नागपुर में कंपनी के आवासीय स्थानों पर 4 x 10 किलोवाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है।
- (5) पावर फैक्टर में सुधार और पावर सिस्टम में हार्मोनिक्स को कम करने के लिए सभी खानों में सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर, स्वचालित पावर फैक्टर कंट्रोल (एपीएफसी) पैनल और फिक्स्ड कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं।
- (6) सभी खानों और संयंत्रों में एनर्जी ऑडिट किया गया है।

कंपनी की खानों/संयंत्रों के लिए प्रति मीट्रिक टन उत्पादन पर बिजली की खपत निम्नानुसार है।

क्रमांक	विवरण	बिजली की खपत (kWh/मीट्रिक टन)	
		2023-24	2022-23
1.	मैंगनीज अयस्क (Mn अयस्क)	22.41	28.08
2.	फेरो मैंगनीज (FeMn)	3004.00	3165.00
3.	इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइ-ऑक्साइड (ईएमडी)	3202.00	3573.00

विभिन्न ऊर्जा बचत उपायों को अपनाकर वर्ष 2023-24 में खानों एवं संयंत्रों के लिए विशिष्ट विद्युत खपत को पिछले वर्ष की तुलना में कम किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण से संबंधित विवरण **अनुलग्नक-1** में दिया गया है।

(बी) पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन

स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पन्न करने और बढ़ावा देने के लिए, मॉयल ने वर्ष 2006 से 2008 के दौरान इंदौर (मध्य प्रदेश) के पास जिला देवास में नागदा हिल्स और रतेड़ी हिल्स में क्रमशः 4.8 मेगावाट और 15.2 मेगावाट के पवन फार्म चालू किए हैं। मॉयल का 4.8 मेगावाट संयंत्र से कैप्टिव उत्पादन के समायोजन के लिए वितरण कंपनी और मध्य प्रदेश सरकार की पावर मैनेजमेंट कंपनी के साथ दीर्घकालिक विद्युत खरीद और व्हीलिंग समझौता है। पवन फार्म से उत्पन्न बिजली को बालाघाट खदान और फेरो मैंगनीज संयंत्र के बिजली बिलों में समायोजित किया जा रहा है। 15.2 मेगावाट संयंत्र से उत्पादित विद्युत को उपयोगिता कम्पनी अर्थात् मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बेचा जाता है। 2023-24 के दौरान पवन ऊर्जा का उत्पादन 283.95 लाख किलोवाट घंटा होगा, जबकि 2022-23 में यह 288.87 लाख किलोवाट घंटा था।

महाराष्ट्र में 5.0 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र और मध्य प्रदेश में 5.5 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र से विद्युत उत्पादन 2019 में शुरू किया गया है। 2023-24 में इन संयंत्रों से कुल बिजली उत्पादन 121.03 लाख किलोवाट घंटा होगा, जबकि 2022-23 में यह 125.64 लाख किलोवाट घंटा होगा। सौर संयंत्रों से उत्पादित विद्युत को कंपनी के महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश स्थित खदानों के लिए एचटी कनेक्शनों में समायोजित किया जाता है।

(सी) पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा

आज के युग में पारिस्थितिकी संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि किसी समुदाय में विकास प्रक्रिया उसके पर्यावरण के साथ-साथ उस समुदाय की विशेष संस्कृति के अनुकूल हो। रेत के घाटों सहित मॉयल की सभी खदानों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या नामित कार्यालयों से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। आपकी कंपनी ने सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

कंपनी अपने पट्टा क्षेत्रों में और उसके आसपास पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत है। 31.03.2024 तक विभिन्न खदानों में कुल 22.60 लाख पौधे रोपे गए।

मॉयल, खदानों में सतत विकास और बेहतर पर्यावरण के लिए एकीकृत जैव प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण का पालन करके बंजर मैंगनीज मिट्टी के ढेरों पर पारिस्थितिक बहाली और अपशिष्ट ढेरों के पुनरुद्धार के प्रति सजग है।

कंपनी ने स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के लिए पवन चक्कियों और सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से बिजली उत्पादन का भी कार्य शुरू किया है।

(डी) सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य

आपकी कंपनी, खानों और संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है। यह नवीनतम खनन तकनीकों और खनन कार्यों के मशीनीकरण के माध्यम से सुरक्षा उपकरणों के मानकों में लगातार सुधार करके दुर्घटनाओं को कम करने के लिए निरंतर प्रयास करती है। खदानों में सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

- सुरक्षा चेतना विकसित करने के लिए श्रमिकों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण।
- मॉयल की सुरक्षा समितियों की नियमित बैठकें, जिनमें खदानों में काम करने वाले व्यक्तियों और श्रमिकों को कोई नुकसान न हो, इस उद्देश्य से खदान की सुरक्षा प्रबंधन योजना की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है।
- दुर्घटनाओं को यथासंभव रोकने के लिए सभी स्तरों पर कर्मचारियों के साथ घनिष्ठ संपर्क। खानों, संयंत्रों आदि में प्रत्येक परिचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) तैयार की जाती हैं तथा खानों और संयंत्रों में सभी कर्मचारियों को उनके सुरक्षित कार्य के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।
- व्यावसायिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण के अलावा, सभी कर्मचारियों को नियमित रूप से विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है।
- सतत विकास, खनन और पर्यावरण कानूनों में सुरक्षा की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।



- व्यावसायिक स्वास्थ्य और प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में, मॉयल को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएस) के लिए आईएसओ 45001:2018, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) के लिए आईएसओ 14001:2015, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के लिए आईएसओ 9001:2015, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए एसए 8000 अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणपत्र और बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिले की खदानों के लिए स्थिरता रिपोर्ट के लिए वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानकों के अनुसार प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- सभी भूमिगत/खुली खदानों के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किए जाते हैं और सुरक्षा प्रबंधन योजना की समीक्षा खदान की आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन समिति और बाहरी विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।
- खदानों, संयंत्रों, स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाना।
- खान सुरक्षा सप्ताह समारोह के अतिरिक्त, मॉयल ने अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग, प्राथमिक चिकित्सा तथा प्रतियोगिताओं आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।
- मॉयल की विभिन्न खानों को निम्नलिखित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रदान किए गए हैं:

वर्ष	खान	पुरस्कार
2021	बालाघाट	लॉन्गस्ट एक्सिडेंट फ्री पीरियड (एलएएफपी) विनर
2021	तिरोडी	लॉन्गस्ट इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलआईएफआर) विनर
2021	सीतापटोर	लॉन्गस्ट इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलआईएफआर) रनर
2021	चिखला	लॉन्गस्ट इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट (एलआईएफआर) रनर

(ई) खनन पट्टे और अन्वेषण

31.03.2024 तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मॉयल के पास कुल 1880.505 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र है।

महाराष्ट्र सरकार ने मैंगनीज अयस्क के दोहन के लिए भंडारा जिले की तुमसर तहसील के चिखला गांव में 99.36 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया है। इस क्षेत्र में कोर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है तथा अयस्क संसाधन स्थापित हो चुके हैं। तदनुसार, मॉयल ने इस क्षेत्र में 77.633 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने मैंगनीज अयस्क के दोहन के लिए बालाघाट के तवेझारी और मंझारा गांव में 202.501 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान किया है। इस क्षेत्र में कोर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है तथा अयस्क संसाधन स्थापित हो चुके हैं। तदनुसार, मॉयल ने 202.501 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है।

वैज्ञानिक और टिकाऊ खनन के लिए, मॉयल ने मनसर, गुमगांव और डोंगरी बुजुर्ग खदानों के पट्टों के एकीकरण के लिए आवेदन किया है। तदनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने मनसर खदान क्षेत्र 193.27 हेक्टेयर, गुमगांव खदान क्षेत्र 212.736 हेक्टेयर और डोंगरी बुजुर्ग खदान क्षेत्र 234.02 हेक्टेयर के एकीकरण को मंजूरी दे दी है।

मॉयल ने गुजरात के पानी क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क के खनन की संभावना का पता लगाने के लिए अक्टूबर, 2019 में गुजरात राज्य उद्यम, गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत अन्वेषण और विश्लेषण के लिए, कोर ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण पहले ही पूरा हो चुका है और परिणाम लगभग 9.51 मिलियन मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क की उपलब्धता दर्शाते हैं। अन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद, एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की गई है जो दर्शाती है कि परियोजना तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। अब मॉयल, MoU के अनुसार जीएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

मॉयल ने मध्य प्रदेश राज्य में मैंगनीज-युक्त क्षेत्रों का अन्वेषण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्वेषण के लिए छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में क्रमशः 487 वर्ग किमी और 850 वर्ग किमी क्षेत्र आरक्षित किया है। मॉयल ने छिंदवाड़ा क्षेत्र में अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग पूरी कर ली है, जहां एक क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क की स्थापना की गई है। बालाघाट जिले में अन्वेषण प्रक्रियाधीन है। कुछ बोर होल मैंगनीज अयस्क का धनात्मक प्रतिच्छेदन दर्शाते हैं।



इसी प्रकार, मॉयल ने छत्तीसगढ़ राज्य में मैंगनीज और संबंधित खनिजों के खनन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बलरामपुर जिले में 218 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अन्वेषण के लिए आरक्षित किया है। मॉयल ने नीलकंठपुर क्षेत्र के निकट अन्वेषण कार्य शुरू कर दिया है।

(5) 2023 के दौरान सतर्कता गतिविधियाँ/कार्यक्रम

सतर्कता विभाग के कामकाज में दंडात्मक और भागीदारी सतर्कता के अलावा निवारक सतर्कता भी शामिल है। मुख्य जोर, सतर्कता की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और विकसित करने के लिए सतर्कता परामर्श जारी करके संगठन में प्रणाली सुधार पर है। मॉयल में सतर्कता विभाग ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन सेवा प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई से आईएसओ-9001:2015 प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संयुक्त प्रत्यायन प्रणाली द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिसे आईएएफ (अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम) द्वारा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त है।

वर्ष 2023 के दौरान सतर्कता विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं।

- कुल 46 आवधिक, 33 आकस्मिक निरीक्षण और 6 मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई) प्रकार के निरीक्षण।
- मंत्रालय द्वारा संदर्भित 01 शिकायत सहित कुल 52 शिकायतों का निपटारा किया गया।
- शिकायतों, अध्ययन, निरीक्षण आदि से संबंधित जांच के परिणामस्वरूप, विभिन्न क्षेत्रों में प्रणाली सुधार के लिए प्रबंधन को 46 सलाह और सुझाव दिए गए।
- सीवीसी और इस्पात मंत्रालय के निर्देशानुसार, वर्ष 2023 के दौरान मॉयल प्रबंधन के साथ सतर्कता विभाग की 4 संरचित बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनमें सतर्कता द्वारा जारी प्रणालीगत सुधार सलाह की स्थिति और अन्य एजेंडा मदों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।
- मॉयल के बोर्ड द्वारा सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा की गई।
- 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक मॉयल की सभी खदानों/कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार “भ्रष्टाचार को न कहें; राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध हों” विषय पर विभिन्न गतिविधियाँ की गईं।
- सीवीसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार वीडब्ल्यू 2023 के अग्रदूत के रूप में निवारक सतर्कता उपाय सह हाउसकीपिंग गतिविधियाँ की गईं और तीन महीने का अभियान (16 अगस्त 2023 से 15 नवंबर 2023 तक) आयोजित किया गया, जिसमें मॉयल में पीआईडीपीआई जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ की गईं।
- वर्ष के दौरान मुख्यालय एवं खान में खरीद प्रक्रिया, आचरण नियम, साइबर सुरक्षा और पीआईडीपीआई समाधान पर कुल 436 कर्मचारियों के लिए 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- दिनांक 24.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 28(1)/2016-लेग.1 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान निपटाए गए और लंबित सतर्कता मामलों से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं:

कैलेंडर वर्ष	मामलों की प्रकृति		Total
	सतर्कता के मामलों के दृष्टिकोण वाले	प्रशासनिक **	
2023 के दौरान निपटाए गए मामलों	24	18	42
लंबित*	07	शून्य	07

* 7 मामले (7 विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 3 शिकायतें) निपटाए गए।

** सभी प्रशासनिक मामलों को प्रबंधन को उनके स्तर पर निपटाने के लिए भेज दिया गया।

(6) मानव संसाधन और कार्मिक

(A) प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास

कंपनी में मानव संसाधन के प्रशिक्षण और विकास पर जोर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले वर्षों की तुलना में प्रशिक्षण मानव दिवस में 11% की वृद्धि होगी।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण केंद्र, नागपुर, टेक्समिन, आईआईटी, एक्सएलआरआई, आईआईएम, आईएमटी आदि जैसे उत्कृष्टता केंद्रों में कर्मचारियों के लिए कुल 171 प्रशिक्षण कार्यक्रम (आंतरिक और बाह्य) आयोजित किए गए। कुल 4010 मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अधिकारियों के लिए 1930 मानव दिवस शामिल थे। इसके अतिरिक्त, मॉयल ने विभिन्न निर्दिष्ट ट्रेडों के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है। वित्त वर्ष 23-2024 के दौरान, मॉयल ने लगभग 323 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया, जो कुल कार्यबल का लगभग 5.89% है।

मॉयल ने कौशल विकास के अंतर्गत कार्यक्रमों में से एक, मान्यता प्राप्त पूर्व शिक्षण कार्यक्रम (आरपीएल) के अंतर्गत 450 मॉयल नियमित कर्मचारियों और 150 संविदा कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है।

(बी) कल्याणकारी योजनाएं और सुविधाएं

मॉयल अपने कर्मचारियों के साथ-साथ दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के समीपवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए आवास, पेयजल, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल, गृह ऋण और गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं।

- कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने तथा उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण किया गया है तथा अधिकांश कर्मचारियों को आवंटित किया गया है।
- खदान कॉलोनीयों में रहने वाले कर्मचारियों को पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।
- शिविरों की कॉलोनीयों और सड़कों पर अच्छी रोशनी की व्यवस्था की गई है। कर्मचारियों को उनके आवास के लिए रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई गई है।
- सभी खदानों में अस्पताल स्थापित किए गए हैं, जिनका रखरखाव योग्य डॉक्टरों द्वारा किया जाता है तथा प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ भी इनकी सहायता करता है। पुरुष एवं महिला के लिए अलग-अलग ओपीडी तथा इनडोर वार्ड की व्यवस्था की गई है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सभी अस्पतालों को एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराई

जाती है। आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को चिकित्सा उपचार के लिए विशेष अस्पतालों में भी रेफर किया जाता है।

- आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को चिकित्सा उपचार के लिए विशेष अस्पतालों में भी रेफर किया जाता है।
- मॉयल की पेंशन योजना, जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, कंपनी में 1 जनवरी, 2007 से लागू है।
- एनपीएस उन लोगों के लिए लागू किया गया है जिन्होंने मॉयल की पेंशन योजना से एनपीएस में स्विच करने का विकल्प चुना है।
- कुछ खदानों में प्राथमिक विद्यालय चलाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी खदानों में स्कूल बसों उपलब्ध कराई जाती हैं।
- मेधावी विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
- कर्मचारियों और श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा लेने के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

(सी) एससी/एसटी के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदम

मॉयल एक श्रम-प्रधान संगठन है, जिसके पास 31 मार्च, 2024 तक 5480 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल संख्या का 80% से अधिक हिस्सा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति 19.23%, अनुसूचित जनजाति 25.71%, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग 37.19%) से संबंधित है। आपकी कंपनी निम्नलिखित उपाय अपनाकर दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के आसपास रहने वाली जनजातीय आबादी के विकास में भी गहरी रुचि ले रही है।

- खदानों के निकट स्थित गांवों को गोद लेना तथा इन गांवों में रहने वाले लोगों को पेयजल सुविधा, सड़कों का रखरखाव, समय-समय पर चिकित्सा जांच और उपचार उपलब्ध कराना।

- खनन क्षेत्रों से सटे स्कूलों को वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना।
- स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करना।

(डी) महिला सशक्तिकरण

मॉयल में 823 महिला कर्मचारी कार्यरत हैं, जो 31 मार्च, 2024 तक इसके कुल कार्यबल 5480 का 15.02% हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए गए। तदनुसार, कंपनी में मॉयल के अधिकारियों और एक स्वतंत्र सदस्य की एक शिकायत समिति गठित की गई है।

कंपनी की सभी खदानों में महिला मंडल प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक और सामुदायिक गतिविधियां जैसे कि वयस्क शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य दूरदराज के खदान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को लाभ पहुंचाना है।

हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कंपनी मातृत्व अवकाश और परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश भी प्रदान करती है।

सीएसआर गतिविधियों के एक भाग के रूप में, खदानों में स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, जिनमें दूरदराज के गांवों की महिलाएं शामिल हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्तियाँ, वाशिंग पाउडर, कपड़े धोने का साबुन, बांस की टोकरियाँ, सिलाई और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।



(ई) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताएं

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अधिनियम के तहत प्राप्त मामलों से निपटने के लिए कंपनी में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों के नाम कंपनी की वेबसाइट https://moil.nic.in/upload_files/pyfwogz.pdf।

महिला श्रमिकों में जागरूकता लाने के लिए निर्देशों को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।

वर्ष 2023-24 में यौन उत्पीड़न का एक मामला दर्ज किया गया है और POSH अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसका निपटारा कर दिया गया है। अधिनियम के तहत 31.03.2024 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

(एफ) मानवबल

कंपनी में 31 मार्च 2024 तक का मानवबल का विवरण निम्नलिखित है

विवरण	एग्जिक्युटिव	नॉन- एग्जिक्युटिव	वर्कर्स	कुल
पुरुष	302	1670	2685	4657
महिला	34	84	705	823
कुल	336	1754	3390	5480

31.03.2024 तक कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

ग्रुप	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओ.बी.सी.	अन्य	कुल
A	50	11	88	158	307
B	28	10	59	56	153
C	261	168	418	257	1104
D	666	1220	1473	508	3867
सफाई कर्मचारी	49	0	0	0	49
कुल	1054	1409	2038	979	5480
कुल %	19.23%	25.71%	37.19%	17.87%	100%



(जी) नागरिक चार्टर और शिकायत निवारण तंत्र:

- (ए) कर्मचारियों की शिकायतें - मॉयल के पास अधिकारियों के साथ-साथ गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के लिए भी अपनी शिकायत निवारण प्रक्रिया है। तदनुसार, कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा नियमों के अनुसार किया जाता है।
- (बी) लोक शिकायत - कोई भी नागरिक अपनी शिकायत ऑनलाइन केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। सभी शिकायत निवारण अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि प्राप्त जन शिकायतों का किस प्रकार निपटारा किया जाना है। जनता की शिकायतों से निपटने के लिए अपनाई गई प्रणाली का गठन अतीत में विभिन्न प्राधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के आधार पर किया गया था।
- (सी) मॉयल में शिकायत निवारण मशीनरी में प्रत्येक इकाई/खदान में एक शिकायत अधिकारी नामित होता है। मुख्यालय में नामित शिकायत अधिकारी, इकाइयों/खानों के शिकायत अधिकारियों के साथ उनके प्रभावी निष्पादन के लिए समन्वय करता है।
- (डी) इकाइयों/खानों और मुख्यालय में नामित लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक/त्रैमासिक शिकायतों की समीक्षा की जाती है और उनका निपटारा एक माह की निर्धारित अवधि के भीतर किया जाता है।
- (ई) इकाइयों/खानों में शिकायतों से संबंधित डेटा, इकाई शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक/तिमाही रिटर्न में मुख्यालय को प्रस्तुत किया जाता है। इसकी जांच की जाती है और इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

क्रमांक	विवरण	1 अप्रैल, 2023 तक लंबित शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31 मार्च, 2024 तक लंबित शिकायतें
1	सार्वजनिक शिकायतें	शून्य	12	12	शून्य
2	कर्मचारियों की शिकायतें	शून्य	05	05	शून्य
3	कोविड-संबंधी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	17	17	शून्य



(एच) हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग

- मॉयल की मॉयल भारती पत्रिका को नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति (नराकास) नागपुर द्वारा 'प्रथम' पुरस्कार दिया गया है।
- मॉयल और उसकी खदानों में अधिकतम पत्राचार (~97%) हिंदी में किया जाता है। सभी प्रोसेसर्स में यूनिकोड प्रणाली लागू की गई है। कंपनी ने सभी कंप्यूटर प्रणालियों में हिंदी से संबंधित सॉफ्टवेयर स्थापित किए हैं।
- राजभाषा कार्यों के लिए निर्धारित राशि का 55% से अधिक हिस्सा हिंदी की पुस्तकों की खरीद पर खर्च किया गया।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 में निहित प्रावधानों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती, स्वच्छता अभियान, कौमी एकता दिवस और सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर विभिन्न प्रकार की हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
- कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों का आयोजन करके अधिक से अधिक लोगों को हिंदी में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला और राजभाषा संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं।
- नगर राजभाषा कार्यन्वयन समिति बालाघाट एवं नागपुर द्वारा प्रकाशित पत्रिका वैनगंगा एवं राजभाषा दर्पण के प्रकाशन हेतु मॉयल द्वारा अंशदायी निधि प्रदान की जाती है।

(आई) सूचना का अधिकार

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के आगमन के साथ, मॉयल ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में प्रमुख पहल की है।

मॉयल ने उप महाप्रबंधक (विधि) को मुख्यालय में सीपीआईओ तथा सभी खदानों में पीआईओ/एपीआईओ नियुक्त किया है। मुख्यालय में संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक) को अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/नामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारियों के नाम भी कंपनी की वेबसाइट <https://moil.nic.in/content/117/RTI>।

कंपनी, उसके कर्मचारियों आदि के संबंध में जानकारी आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) में निर्धारित 17 शीर्षकों के अंतर्गत तैयार की गई है और इसे कंपनी के पोर्टल पर होस्ट किया गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं और रिटर्न प्रस्तुत कर रहा है तथा नियमित रूप से उनका अद्यतन कर रहा है।

कंपनी के कर्मचारियों को इस अधिनियम की मंशा और वास्तविक भावना के बारे में जागरूक करने के लिए जागरूकता पैदा की गई है। परिपत्र जारी करके अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया है, दैनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखी गई है तथा सभी अभिलेखों को उचित/व्यवस्थित तरीके से बनाए रखा गया है। इसके अलावा, कंपनी अपनी वेबसाइट पर जनता के लिए नियमित अंतराल पर अधिक से अधिक जानकारी भी उपलब्ध करा रही है, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों का उपयोग करने की ज़्यादा आवश्यकता ही न पड़े।

वर्तमान परिदृश्य में आरटीआई अधिनियम के महत्व को समझाने के लिए कर्मचारियों की जागरूकता हेतु सेमिनार आयोजित किए गए हैं।



रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और अपीलों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवरण	01.04.2023 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	निपटाए गए मामले	31.03.2024 तक लंबित
1	आरटीआई आवेदन	33	125	125	33
2	आरटीआई के तहत अपील	0	14	14	0

(जे) औद्योगिक संबंध

वर्ष 2023-24 के दौरान मॉयल में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण बने रहे। बेहतर उत्पादन और उत्पादकता के लिए स्थितियाँ भी सुचारु रूप से बनाए रखी गई हैं। संगठन के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने तथा शिकायतों के निपटारे के लिए शीघ्र निर्णय लेने हेतु खानों एवं मुख्यालय स्तर पर विभिन्न समितियाँ गठित की गई हैं, जो संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(के) स्वच्छ भारत अभियान

हमारे देश के सबसे बड़े स्वच्छता मिशन, महात्मा गांधी के सपने "स्वच्छ भारत" के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए आह्वान पर स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Campaign) को बढ़ावा देने और इसमें भाग लेने में मॉयल सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है।

स्वच्छ भारत अभियान के एक भाग के रूप में, मॉयल प्रत्येक माह के पहले बुधवार को स्वच्छता दिवस मनाता है। इसके अलावा, स्वच्छता पखवाड़ा भी विभिन्न खदानों में मनाया जाता है, जिसमें बारी-बारी से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता शिविर, बैनर, नारे और पोस्टर प्रदर्शित करना, न केवल खदानों और आवासीय कॉलोनियों में, बल्कि खदानों के आसपास के गांवों में भी ऐसा किया जाता है। इसके अलावा स्कूली बच्चों के बीच पोस्टर, नारे, गांधीवादी विचारधारा और दर्शन तथा स्वच्छता के महत्व के माध्यम से विशेष ध्यान आकर्षित किया जाता है।

इन सबके साथ-साथ, इस्पात मंत्रालय के निर्देशानुसार, प्रत्येक वर्ष 16 मार्च से 31 मार्च तक सभी इकाइयों/खानों में विशेष स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देने के एक भाग के रूप में, न केवल खदानों में बल्कि आसपास के गांवों और स्कूलों में भी सीवेज उपचार संयंत्र, बायो-सेप्टिक टैंक, पारंपरिक शौचालयों का निर्माण किया गया है।

(एम) लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 3.0.

इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार मुख्यालय एवं सभी खदानों/इकाइयों में लंबित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान 3.0 का आयोजन किया गया है। इस अवधि के दौरान सभी खानों और कार्यालयों में की गई गतिविधियों में लंबित मामलों का निपटान, कार्यस्थल की सफाई, स्थान प्रबंधन, रिकॉर्ड प्रबंधन, रिकॉर्ड डिजिटलीकरण, स्क्रेप निपटान और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

(7) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थिरता:

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते, मॉयल पर्यावरणीय, नैतिक और प्रोपकारी जिम्मेदारी के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति प्रतिबद्ध है। कंपनी, सामाजिक रूप से उपयोगी विभिन्न परियोजनाओं में योगदान दे रही है, जिनमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चिकित्सा सुविधाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, कौशल विकास और आजीविका शामिल हैं। मॉयल अपने सामाजिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध है और इसलिए प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हुए समय, प्रभावी और प्रभावशाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्रथाओं को लागू करने में विश्वास करता है।



सीएसआर एक सतत प्रक्रिया है। पिछले कई वर्षों से मॉयल समर्पित तरीके से सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। मोटे तौर पर सीएसआर परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए, मॉयल ने आर्टिफिशियल लिंब मैनुफैक्चरिंग कंपनी (एलआईएमसीओ) के साथ एक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। मॉयल को एलएमआईसीओ के सहयोग से बालाघाट, भंडारा, नागपुर जिलों, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली (आकांक्षी जिला) और उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले चित्रकूट में विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास सहायता प्रदान और वितरित करना है। इस वर्ष यह योजना चित्रकूट में क्रियान्वित की गई है, जिससे 138 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, कंपनी ने मंडला (म.प्र.) में टीबी, फेफड़ों की बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, मातृ शिशु

स्वास्थ्य देखभाल के लिए आर के एचआईवी एड्स अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र को वित्तीय सहायता प्रदान की है। कंपनी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, परसवाड़ा (एमपी) को एम्बुलेंस प्रदान की है, संजीवन होम फॉर एज्ड, आमगांव (देवली) और 'ओफ्रॉट फाउंडेशन' को एम्बुलेंस प्रदान की है।

- महिला सशक्तीकरण की दिशा में मॉयल, 2019 से हर साल सक्षम बालिका योजना के तहत 15 लड़कियों (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से) को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद के सहयोग से नर्सिंग और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में स्नातक डिग्री कोर्स करने के लिए प्रायोजित करता है। इस वर्ष भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत 15 लड़कियों की मदद की गई।



- ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में, मॉयल ने कई कार्य शुरू किए हैं जिनमें शामिल हैं (क) मनसर खदान में मॉयल डीएवी पब्लिक स्कूल का निर्माण (ख) नागपुर, महाराष्ट्र में मूक-बधिर बच्चों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान सरस्वती मंदिर में अतिरिक्त मंजिल का निर्माण (ग) केंद्रीय विद्यालय, बालाघाट में खेल के मैदान का विकास (घ) सरकारी महिला पॉलिटेक्निक, बालाघाट में चारदीवारी का निर्माण आदि।
- मॉयल, डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से भंडारा जिले के सीतासौंगी में एक सीबीएसई पंजीकृत स्कूल चलाता है। मॉयल, डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से भंडारा जिले के सीतासौंगी में एक सीबीएसई पंजीकृत स्कूल चलाता है। मॉयल अपनी शिक्षा और कौशल विकास पहल के तहत चार स्कूलों (महाराष्ट्र के भंडारा जिले और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में दो-दो) को भी सहायता दे रहा है।
- सामुदायिक विकास के लिए, कंपनी ने 22 गांवों की पहचान की है, जिसमें बालाघाट जिला (म.प्र.) के 11 गांव, महाराष्ट्र के भंडारा

जिले के 3 गांव और महाराष्ट्र के नागपुर जिले के 8 गांव शामिल हैं। विकासात्मक गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र आजीविका, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, आंगनवाड़ी आधारित हस्तक्षेप, जल संसाधन प्रबंधन, सामुदायिक संसाधन विकास, कृषि प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे का विकास, पशुधन विकास प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता आदि हैं।



कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट **अनुलग्नक-II** में संलग्न है।

(8) निदेशक और केएमपी

(A) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन (केएमपी)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान (ए) श्री पी.वी.वी. पटनायक (डीआईएन-08734778) निदेशक (वाणिज्यिक) सेवानिवृत्ति के कारण 31 अगस्त, 2023 से निदेशक पद से हट गए। (बी) भारत सरकार ने श्री राघवेंद्र कुमार सिंह को 25 सितम्बर, 2023 से श्री निकुंज श्रीवास्तव के स्थान पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार का नामित निदेशक नियुक्त किया है। (सी) भारत सरकार ने 9 फरवरी, 2024 से श्री राघवेंद्र कुमार सिंह के स्थान पर श्री निकुंज श्रीवास्तव को फिर से मध्य प्रदेश राज्य सरकार का नामित निदेशक नियुक्त किया है। श्री निकुंज श्रीवास्तव का कार्यकाल पूरा होने के कारण वह 06 मार्च, 2024 को फिर से निदेशक नहीं हैं। (डी) भारत सरकार ने श्रीमती रश्मि सिंह को 20 दिसम्बर, 2023 से निदेशक वाणिज्यिक नियुक्त किया है।

31 मार्च 2024 के बाद, भारत सरकार ने श्री वी.के. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार को 18.07.2024 से डॉ. संजय रॉय, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम (8)(5)(iii) और धारा 203(1) के साथ पठित धारा 134(3)(क्यू) के अनुसार, बोर्ड ने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक [मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)], निदेशक (वित्त) [मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ)] और कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नामित किया है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्ष 2023-24 के दौरान केएमपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(बी) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव है तथा वे उच्च निष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति हैं। स्वतंत्र निदेशकों अर्थात् सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता, श्री प्रशांत वशिष्ठ और डॉ. अर्चना मजूमदार ने कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वे कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

(सी) नियुक्ति, कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एवं पारिश्रमिक नीति

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, निष्पादन मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों/धाराओं की प्रयोज्यता से छूट दे दी है। अधिसूचना के अनुसार, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को निदेशकों की नियुक्ति, उनकी पारिश्रमिक नीति तथा उनके कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मॉयल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति और उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के कार्यनिष्पादन, अपनी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों का मूल्यांकन लागू/आवश्यक नहीं है।

अधिकारियों (कार्यकारियों) का पारिश्रमिक वेतन संशोधन पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है और गैर-कार्यकारियों का पारिश्रमिक मान्यता प्राप्त संघ के साथ किए गए वेतन समझौते के अनुसार तय किया जाता है। कर्मचारियों की नियुक्तियां/पदोन्नति आदि बोर्ड द्वारा अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नीति के अनुसार की जाती है।

(D) निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

आपके निदेशक कहते हैं कि -

- (i) वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और उनसे कोई भी भौतिक विचलन नहीं है,
- (ii) उन्होंने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ और हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।
- (iii) उन्होंने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है।

- (iv) उन्होंने वित्तीय विवरण को चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया है
- (v) उन्होंने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।
- (vi) उन्होंने लागू सचिवीय मानकों सहित सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

(9) सूचना प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग

कंपनी के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों का प्रभावी कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक पूर्ण सिस्टम विभाग की स्थापना की है। पर्याप्त आईटी अवसंरचना सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम विभाग द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- अपने सभी कार्यालयों और खदानों/संयंत्रों में कंप्यूटर और अन्य आईटी उपकरणों की स्थापना।
- विंडोज और लिनक्स प्लेटफॉर्म पर ईथरनेट आधारित लोकल एरिया नेटवर्क (लैन), नागपुर में मुख्यालय और कंपनी की सभी खदानों में मौजूद है।
- अनुप्रयोगों, डेटाबेस/सूचना और अन्य संसाधनों के प्रभावी आदान-प्रदान के लिए सभी खदानों और मुख्यालयों को एमपीएलएस वीपीएन और लीज्ड लाइन पर वीपीएन के माध्यम से जोड़ा गया है।
- निरंतर ज्ञान अर्जन, ई-मेलिंग तथा अंतर इकाई डेटा स्थानांतरण सुविधाओं के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को ओएफसी पर इंटरनेट लीज्ड लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है। सभी खदानों को ओएफसी पर लीज्ड लाइन इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है।
- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए GeM और MSTC के ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।
- कंपनी में ईआरपी का कार्यान्वयन। एसएपी के मुख्य मॉड्यूल जैसे एफआईसीओ, एमएम, एसडी, पीपी, पीएम, एचआरएम के अतिरिक्त, कंपनी ने फाइल लाइफसाइकिल मैनेजमेंट (एफएलएम), दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल को भी क्रियान्वित किया है।
- प्रभावी फाइल ट्रैकिंग और कागजी कार्य में कमी के लिए एफएलएम का उपयोग।
- ग्राहक पोर्टल का कार्यान्वयन, जिससे ग्राहक एक ही स्थान पर कीमतों, सामग्री की उपलब्धता से संबंधित विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- विक्रेता चालान ट्रैकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, जहां विक्रेता अपने चालान ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और उसकी स्थिति पर नज़र रख सकते हैं।
- खान, मंत्रालय और अन्य एजेंसियों के साथ संचार के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग।

- बोर्ड मीटिंग के साथ-साथ उप-समिति की बैठकों में एजेंडा नोट्स और संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन अग्रेषित करके डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई।
- संरचित डिजिटल डेटाबेस (एसडीडी) को लागू करना।
- सतर्कता विभाग के लिए शिकायत निवारण प्रणाली का कार्यान्वयन
- उत्पादन रिपोर्टिंग प्रणाली का कार्यान्वयन, जहां वरिष्ठ अधिकारी दैनिक उत्पादन बनाम लक्ष्य की निगरानी कर सकते हैं।
- कहीं से भी चालान/बिल दावे प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए, मॉयल विक्रेताओं के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया। इस संबंध में एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है जो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है। इसे MOIL की वेबसाइट www.moil.nic.in से भी देखा जा सकता है। यह विक्रेताओं को चालान की गतिविधि और स्थिति पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है। यह SAP सर्वर के साथ एकीकृत है और स्वचालित रूप से सभी आवश्यक कार्य आदेश डेटा और विक्रेता मास्टर जानकारी साझा करता है।

(10) पुरस्कार और प्रशंसा

मॉयल देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है जो अपने निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में अपने अच्छे कार्य के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मान्यता मिल रही है। कंपनी को प्राप्त कुछ सम्मान निम्नलिखित हैं:

- **5 स्टार रेटिंग पुरस्कार:** वर्ष 2021-22 के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और टिकाऊ खान प्रबंधन के लिए खान मंत्रालय द्वारा मॉयल को गुमांग खदान के लिए 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है।
- भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा आयोजित 32वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण (एमईएमसी) सप्ताह के दौरान, मॉयल की नौ खानों ने विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किए।



- मॉयल की बालाघाट, तिरोड़ी, सीतापटोर और चिखला खदानों को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डीजीएमएस द्वारा दिए गए।
- मॉयल की एवीआईजीएचएनए क्यूसी, बालाघाट खदान और पीएआरएकेएच क्यूसी, तिरोड़ी खदान ने नागपुर में 34वें चैंप्टर लेवल कन्वेंशन सीसीक्यूसी-2023 में केस स्टडी प्रेजेंटेशन और कई प्रशंसाओं में सुपर गोल्ड अवार्ड जीते।
- मॉयल को 52वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता 2023, तेलंगाना में उपविजेता ट्रॉफी मिली।
- राज्य जीएसटी विभाग, नागपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में नागपुर क्षेत्र के लिए दूसरा उच्चतम जीएसटी भुगतानकर्ता पुरस्कार दिया गया।
- सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक केंद्रीय पीएसई पुरस्कार - 6वें आईपीएसई पुरस्कार 2024, नई दिल्ली में मैंगनीज अयस्क खनन पुरस्कार।
- मॉयल भारती पत्रिका के लिए दो पुरस्कार तथा विश्व हिंदी परिषद, नई दिल्ली से हिंदी राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार।
- 17वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, पीआरसीआई अवार्ड्स 2023 में सीएसआर अभियान, सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट इवेंट, वर्ष का विजन लीडरशिप और सोशल मीडिया के सर्वश्रेष्ठ उपयोग जैसी 4 विभिन्न श्रेणियों में पीआरसीआई अवार्ड्स 2023।



- अंतर्राष्ट्रीय पीआर महोत्सव, 2023 नई दिल्ली में पीआर और ब्रांडिंग और हिंदी समाचार पत्र के लिए **पीआरएसआई पुरस्कार 2023**.
- 10वें पीएसयू अवार्ड्स में गवर्नेस नाउ द्वारा **अन्वेषण और निष्कर्षण नवाचार, मानव संसाधन उत्कृष्टता, सीएमडी नेतृत्व, मानव संसाधन और सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार** प्रदान किया गया।
- 22 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 10वें पीएसयू अवार्ड्स में गवर्नेस नाउ की ओर से सीएसआर लीडरशिप अवार्ड।

(11) नीति और प्रकटीकरण

(A) जोखिम प्रबंधन नीति

मॉयल यह मानता है कि जोखिम किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में अंतर्निहित है और जोखिम का प्रभावी प्रबंधन, कंपनी की तत्काल और भविष्य की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति एक ऐसी प्रणाली स्थापित करती है जो जोखिमों की देखरेख, भौतिक व्यावसायिक जोखिमों के प्रबंधन और कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में भी मदद करती है। पहचाने गए जोखिमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। साथ ही, जोखिम के उन तत्वों की भी समीक्षा की जाती है, यदि कोई हो, जो बोर्ड की राय में कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकते हैं। यह नीति कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है: <https://www.moil.nic.in/userfiles/Risk%20Management%20Policy.pdf>

(B) सतर्कता तंत्र

कंपनी के पास एक व्हिसल ब्लोअर नीति है और इसे इसकी वेबसाइट https://www.moil.nic.in/userfiles/Whistle_Blower_Policy_of_MOIL.pdf पर अपलोड किया गया है। कंपनी के पास एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्कता विभाग है, जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं, जो किसी भी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की निगरानी करता है। सभी कार्मिकों को अपनी शिकायतों आदि के लिए सतर्कता विभाग तक पहुंच प्राप्त

है। निदेशकों और कर्मचारियों के लिए वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने हेतु सतर्कता तंत्र स्थापित किया गया है। सतर्कता तंत्र उन व्यक्तियों को प्रताड़ित किए जाने के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है जो वास्तविक समस्याओं के लिए ऐसे तंत्र का उपयोग करते हैं।

(C) कॉर्पोरेट गवर्नेंस

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर एक अलग अनुभाग संलग्न है और यह बोर्ड की रिपोर्ट (अनुलग्नक-III) का हिस्सा है। रिपोर्ट के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमाणपत्र भी संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है। वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड की संरचना के अलावा प्रमाण पत्र में कोई योग्यता नहीं है। सरकारी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। बोर्ड का मानना है कि भारत सरकार, मॉयल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी।

(D) प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता विनियम), 2015 के विनियमन 34 के अनुपालन में, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण तथा व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट पर रिपोर्ट क्रमशः **अनुबंध-IV** और **अनुबंध-V** में रखी गई है।

(E) संबंधित पार्टी लेनदेन

कंपनी ने कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे समग्र रूप से कंपनी के हितों के साथ टकराव की संभावना हो। फिर भी, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का खुलासा खातों की नोट संख्या 3 के बिंदु संख्या 3.10 में किया गया है। इसलिए, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ धारा 134(3) में अपेक्षित अनुसार फॉर्म एओसी-2 में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है। कंपनी की संबंधित पक्ष लेनदेन नीति है और इसे इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है: https://www.moil.nic.in/userfiles/Related_Party_Transaction_Policy.pdf



(F) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम, 2006 और जीईएम के अनुसार खरीद

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमडी) अधिनियम 2006 और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसई द्वारा उत्पादित उत्पादों और प्रदान की गई सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25% खरीदना आवश्यक है। इसमें यह भी अपेक्षा की गई है कि 25% में से 4% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसमें से 3% महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के लिए निर्धारित किया जाएगा। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे पूर्वोक्त खरीद के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों की रिपोर्ट करें तथा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्धियों का खुलासा करें।

2023-24 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद 415.47 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से एमएसई (अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य 279.25 करोड़ रुपये है, जो कुल वार्षिक खरीद का 67.21% है, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध है:

एमएसई फर्म की श्रेणी	मानदंड	उपलब्धि
एमएसई फर्मों से खरीद	25%	67.21%
एमएसई फर्मों एससी/एसटी से खरीद	4%	4.11%
महिला उद्यमियों एमएसई फर्मों से खरीद	3%	4.23%

इस प्रकार, कंपनी एमएसई फर्मों से न्यूनतम खरीद के संबंध में सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम 2006 की आवश्यकता का अनुपालन कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, मॉयल के पास MSMEs द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों/सेवाओं की खरीद करने के लिए एक लक्ष्य है जैसा कि पहले पैरा में उल्लेख किया गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान खुले निविदा के माध्यम से मॉयल की कुल खरीद रु. 415.47 करोड़ है। इसमें से, सरकारी ई-मार्केट (GEM) पोर्टल के माध्यम से खरीद रु. 395.37 करोड़ है।

(G) स्टील मंत्रालय के साथ मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU)

मॉयल 25 से अधिक वर्षों से स्टील के मंत्रालय के साथ MoU पर हस्ताक्षर कर रहा है। MoU वार्षिक प्रदर्शन के विभिन्न लक्ष्यों और मापदंडों को निर्धारित करता है, जिसका मूल्यांकन वास्तविक उपलब्धियों के खिलाफ किया जाता है। 1995-96 के बाद से जब मॉयल ने MoU पर हस्ताक्षर करना शुरू किया, तो यह सबसे खराब बाजार की स्थिति के कारण कुछ वर्षों को छोड़कर उत्कृष्ट रेटिंग हो रही है। वर्ष 2022-23 के लिए रेटिंग बहुत अच्छी थी। 2023-24 के लिए रेटिंग अभी तक अंतिम रूप नहीं दी गई है। काम जारी रखते हुए मॉयल, वर्ष 2024-25 के लिए भी स्टील मंत्रालय के साथ MoU पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है।

(12) लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक

(A) वैधानिक लेखा परीक्षक और सीएजी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अनुसार मेसर्स टीएसएस एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नागपुर को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कंपनी के लेखापरीक्षकों द्वारा कोई धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई है। वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है। लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। सीएजी ने एक प्रमाणपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के लिए कोई टिप्पणी नहीं है। सीएजी की टिप्पणी/पत्र इस बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है।

(B) सचिवीय लेखा परीक्षक

बोर्ड ने 2023-24 के लिए मेसर्स पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स, इंदौर को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। उनकी रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कंपनी के बोर्ड की संरचना से संबंधित एक टिप्पणी है। सरकारी कंपनी होने के कारण, सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, भारत सरकार, मॉयल के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करेगी।

(C) लागत लेखा परीक्षा

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है। तदनुसार, ऐसे खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे जाते हैं। मेसर्स उज्ज्वल पी. लोया एंड कंपनी, लागत लेखाकार नागपुर को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए लागत लेखांकन रिकॉर्डों की ऑडिट करने के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि सरकार द्वारा तिथि नहीं बढ़ाई जाती है तो उक्त वर्ष के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 सितम्बर, 2024 है। रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। वर्ष 2022-23 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर की गई थी।

(13) अन्य खुलासे:

(i) **अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी अवशोषण आदि के संबंध में विवरण:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के प्रावधानों के साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अंतर्गत अपेक्षित विवरण, जो इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं, इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

(ii) **विदेशी मुद्रा आय और व्यय:**

विदेशी मुद्रा आय: शून्य

विदेशी मुद्रा व्यय: ₹ 45.70 करोड़

- (iii) **कर्मचारियों का विवरण:** भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के मद्देनजर, कंपनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों और निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरण के बारे में प्रासंगिक नियमों को सरकारी कंपनी के लिए छूट दी गई है।
- (iv) **जमा:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मॉयल ने अधिनियम के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
- (v) **ऋण, गारंटी और निवेश:** अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी और निवेश का प्रावधान नहीं है।
- (vi) **लेखा परीक्षा समिति की संरचना:** लेखापरीक्षा समिति की संरचना के बारे में विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के खंड संख्या 3.1 (ए) में उल्लिखित है जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।
- (vii) **बोर्ड की बैठकों की संख्या:** वर्ष के दौरान कुल सात (7) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इस संबंध में आगे का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के खंड संख्या 2.2 में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।
- (viii) **वार्षिक रिटर्न की प्रति:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न की प्रति कंपनी की वेबसाइट <https://www.moi.nic.in/userfiles/file/InvRel/annual-return-2023-24.pdf>।
- (ix) **कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ, यदि कोई हों:** वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, सिवाय रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लिखित परिवर्तनों के।
- (x) **विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरण द्वारा पारित महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश:** विनियामकों/न्यायालयों/ट्रिब्यूनल द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की चालू स्थिति और परिचालन को प्रभावित करता हो।
- (xi) वर्ष 2023-24 के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं होगा।
- (xii) वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा ऋणों के एकमुश्त निपटान के संबंध में प्रकटीकरण लागू नहीं है।

(11) सरस्पेंस खाते में शेयरों और आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों/लाभांश का ब्यौरा

- (A) 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 तक सरस्पेंस खाते में कोई हिस्सा नहीं था। इसलिए, इस संबंध में जानकारी शून्य है।
- (B) 2023-24 के दौरान अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश राशि और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) खाते में हस्तांतरित शेयरों का विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	हस्तांतरित राशि (₹)	हस्तांतरित शेयरों की संख्या
अंतिम लाभांश 2015-16	7,09,036.00	5,860
अंतरिम लाभांश 2016-17	17,68,265.00	6,373

आईईपीएफ खाते में पहले से ही हस्तांतरित शेयरों से उत्पन्न होने वाले परिणामी लाभ (अर्थात् टीडीएस के बाद लाभांश) का विवरण निम्नानुसार है।

विवरण	राशि ₹.
अंतिम लाभांश 2022-23	37,220
अंतरिम लाभांश 2023-24	2,08,652

अवैतनिक/अदावाकृत लाभांश और संबंधित शेयरों का विवरण वेब लिंक <https://moi.nic.in/unpaid-ipo-dividend/164/Unpaid%20IPO%20Dividend> पर उपलब्ध है।

पावती

आपके निदेशकगण भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकारों, सभी सरकारी विभागों, कंपनी के शेयरधारकों, बैंकों, मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य सभी हितधारकों से प्राप्त समर्थन, सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

कंपनी के कर्मचारियों ने उत्कृष्टता की खोज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखा है। आपके निदेशकगण इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी सराहना व्यक्त करते हैं तथा आशा करते हैं कि कंपनी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता, समर्पण और उत्साह निरन्तर बना रहेगा।

निदेशक मंडल की ओर से

अजित कुमार सक्सेना

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(डीआईएन: 08588419)

स्थान: नागपुर

दिनांक: 13.08.2024

शेयरधारकों को बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक-I

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण

A) ऊर्जा संरक्षण

क्रमांक.	विवरण	विवरण												
1.	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की खपत में कमी की संभावना तलाशने के लिए सभी खानों और संयंत्रों में ऊर्जा लेखा परीक्षा की जा रही है।												
2.	वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	महाराष्ट्र की खदानों में कुल नई सौर परियोजनाओं की स्थापना प्रस्तावित है। गुमगांव खदान में 3.5 किलोवाट क्षमता का मिनी हाइड्रोलिक पावर प्लांट चालू करने की प्रक्रिया में है।												
3.	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	<table><tr><th>काम की जानकारी</th><th>निवेश (₹ लाख रुपए में)</th></tr><tr><td>ऊर्जा कुशल मोटरों की खरीद</td><td>25.06</td></tr><tr><td>खानों के लिए सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर की खरीद</td><td>61.14</td></tr><tr><td>खानों के लिए ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट प्रणाली की स्थापना</td><td>41.83</td></tr><tr><td>ऊर्जा कुशल ट्रांसफार्मरों की खरीद</td><td>38.26</td></tr><tr><td>कुल निवेश</td><td>166.29</td></tr></table>	काम की जानकारी	निवेश (₹ लाख रुपए में)	ऊर्जा कुशल मोटरों की खरीद	25.06	खानों के लिए सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर की खरीद	61.14	खानों के लिए ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट प्रणाली की स्थापना	41.83	ऊर्जा कुशल ट्रांसफार्मरों की खरीद	38.26	कुल निवेश	166.29
काम की जानकारी	निवेश (₹ लाख रुपए में)													
ऊर्जा कुशल मोटरों की खरीद	25.06													
खानों के लिए सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर की खरीद	61.14													
खानों के लिए ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाइट प्रणाली की स्थापना	41.83													
ऊर्जा कुशल ट्रांसफार्मरों की खरीद	38.26													
कुल निवेश	166.29													

(B) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i) कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों के अंतर्गत किए गए प्रयास और उनसे प्राप्त लाभ निम्नानुसार हैं। follows.

क्रमांक	क्षेत्र	प्राप्त हुआ लाभ
1	उत्पादकता में सुधार	
1.1	सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) द्वारा चिखला खदान में भूमिगत कार्यों पर ओपनकास्ट के ब्लास्टिक वैरिएबल के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है।	इसका उद्देश्य उच्च उत्पादकता के लिए निर्णय लेने और योजना बनाने में सहायता करना है।
1.2	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (आईआईटी-बीएचयू) द्वारा उकवा खदान में कट और फिल स्टॉपिंग के संशोधित स्टॉपिंग मापदंडों का संशोधन, मशीनीकरण और मूल्यांकन	कट-एंड-फिल स्टॉपिंग विधि में नवाचार और परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पादकता में सुधार हुआ।
1.3	सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) द्वारा चिखला खदान के चिखला-बी खंड में स्टॉपिंग मापदंडों का मूल्यांकन, स्टॉप डिजाइन, और नियोजित सबलेवल स्टॉपिंग का कार्यान्वयन	स्टॉपिंग विधि में नवाचार, उत्पादन और सुरक्षा मानकों में वृद्धि, जिससे उत्पादकता और सुरक्षा बेहतर होगी।
2	गुणवत्ता में सुधार	
2.1	मॉयल की भूमिगत खदानों के आरएमआर अध्ययन का प्रस्ताव प्रगति पर है।	आरएमआर अध्ययन मॉयल लिमिटेड की खानों की चट्टान यांत्रिकी को बेहतर ढंग से समझने में योगदान देता है।
2.2	मॉयल लिमिटेड की 7 भूमिगत खदानों में रॉक मैकेनिक्स उपकरणों की स्थापना और सीएसआईआर-केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) की विशेषज्ञता के तहत खरीदे गए रॉक मैकेनिक उपकरण के कार्यान्वयन का उपयोग	डीजीएमएस के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्टॉप्स में लोगों और मशीनों की सुरक्षा। सीएसआईआर-सीआईएमएफआर द्वारा मॉयल लिमिटेड की सात भूमिगत खदानों के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए स्ट्रेटा स्थितियों का उपकरण, स्थापना और व्याख्या। इससे खान सुरक्षा में सुधार होगा।
2.3	मॉयल खदानों के संबंध में रन-ऑफ-माइन (आरओएम) का थोक घनत्व अध्ययन किया जा रहा है।	रन-ऑफ-माइन मापदंडों का उन्नत एवं सुचारु विश्लेषण।
2.4	वीएनआईटी नागपुर की सहायता से मॉयल खदानों के लिए खनिज लाभकारी अध्ययन और आरओएम की पुनर्प्राप्ति अध्ययन किए जा रहे हैं।	उक्त मापदंडों की गुणवत्ता में सुधार।
3	मॉयल पट्टा क्षेत्र के अंदर और बाहर अन्वेषण	
		पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, मॉयल ने पट्टा क्षेत्र के अंदर और बाहर 87660.75 मीटर अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग पूरी की है, जिसके परिणामस्वरूप मैंगनीज संसाधन आधार में सुधार हुआ है।
(i)	आयात प्रौद्योगिकी का विवरण	शून्य
(ii)	अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (करोड़ में)	₹27.26

अनुलग्नक – II

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा: मॉयल ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में प्रदत्त सीएसआर नीति ढांचे के अनुरूप और अधिनियम के तहत बनाए गए कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 (नियम), भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए सीएसआर और स्थिरता पर जारी दिशा-निर्देशों (दिशा-निर्देश) के अनुसार सीएसआर और स्थिरता नीति विकसित की है। सीएसआर समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने सीएसआर नीति को स्वीकृति दे दी है।
2. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सीएसआर समिति की संरचना:

क्रमांक.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम / नेचर	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	श्री प्रशांत वशिष्ठ	स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष	7	7
2.	डॉ. अर्चना मजूमदार	स्वतंत्र निदेशक-सदस्य	7	7
3.	श्रीमती उषा सिंह	निदेशक (मानव संसाधन)- सदस्य	7	7
4.	श्री एम एम अब्दुल्ला	निदेशक (उत्पादन एवं योजना) - सदस्य	7	7

3. वेब-लिंक उपलब्ध कराए जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया हो।
 - (a) सीएसआर समिति का वेब लिंक: [https://moil.nic.in/userfiles/file/InvRel/ccb\(1\).pdf](https://moil.nic.in/userfiles/file/InvRel/ccb(1).pdf)
 - (b) सीएसआर नीति का वेब लिंक: https://www.moil.nic.in/userfiles/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf
 - (c) बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का वेब लिंक: [https://www.moil.nic.in/userfiles/CSR%202023-24\(1\).pdf](https://www.moil.nic.in/userfiles/CSR%202023-24(1).pdf)
4. यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के वेब-लिंक के साथ कार्यकारी सारांश प्रदान करें। – लागू नहीं
 अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसरण में मॉयल का तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में औसत सीएसआर दायित्व दस करोड़ रुपए या उससे अधिक नहीं है, इसलिए सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन लागू नहीं है।
 - (e) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:
5. (a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ 35,199.50 लाख रुपये
 (b) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 703.99 लाख रुपये
 (c) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष शून्य
 (d) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: शून्य
 (e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(बी)+(सी)-(डी)]: 703.99 लाख रुपये
6. (a) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चालू परियोजना और अन्य चालू परियोजना दोनों): रु. 966.48 लाख
 (b) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य
 (c) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: शून्य
 (d) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(ए)+(बी)+(सी)]: रु. 966.48 लाख

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि. (₹ लाख में)	खर्च न की गई राशि (लाख रुपए में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में स्थानांतरित की गई राशि		
	अमाउंट	स्थानांतरण की तारीख	निधि का नाम	मात्रा	स्थानांतरण की तिथि
966.48	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(f) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्रमांक	विवरण	अमाउंट (₹ लाख रुपए में)
(i)	धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	703.99
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	966.48
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	262.49
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	-
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]*	262.49

* मॉयल ने अपने औसत शुद्ध लाभ के 2% की अनिवार्य आवश्यकता से परे स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त सीएसआर काम किए हैं। इसने 966.48 लाख रुपए खर्च किए हैं और 703.99 लाख रुपए की अनिवार्य आवश्यकता के विरुद्ध व्यय के रूप में मान्यता दी है। 31.03.2024 तक पुस्तकों में कुल सीएसआर व्यय ₹ 1666.48 लाख को मान्यता दी गई है, जिसमें सीएसआर से स्थानांतरित ₹ 700 लाख (₹ 600 लाख) शामिल हैं, जो ₹ 1400.00 लाख (₹ 2000.00 लाख) की पूर्व-व्यय राशि है, जो मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार तत्काल बाद के तीन वर्षों के लिए सेट ऑफ के लिए उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरण की धारा 3.20 देखें।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरण:

क्रमांक	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	धारा 135 की उपधारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ लाख में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो। स्थानांतरण की तारीख	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ लाख में)	कमी, यदि कोई हो
1.	2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	2020-21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	Total	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि में से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है:

नहीं।

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें-एन.ए.

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों तथा व्यय की गई राशि से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें।

क्रमांक	संपत्ति(यों) की संपत्ति का संक्षिप्त विवरण [संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति का पिन कोड	निर्माण की तारीख	सीएसआर में खर्च की गई राशि	पंजीकृत स्वामी की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो
					नाम
					पंजीकृत पता

लागू नहीं

9. यदि कंपनी धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं – लागू नहीं

ए.के. सक्सेना

(डीआईएन: 03620891)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

प्रशांत वशिष्ठ

(डीआईएन: 08588419)

सीएसआर समिति के अध्यक्ष

अनुबंध-III

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

“कॉर्पोरेट प्रशासन में कंपनी के प्रबंधन, उसके बोर्ड, उसके शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के बीच संबंधों का एक समूह शामिल होता है। कॉर्पोरेट प्रशासन वह संरचना भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने और निष्पादन की निगरानी के साधन निर्धारित किए जाते हैं।”

- आर्थिक सहयोगिता और विकास के लिए संगठन.

मॉयल, एक "अनुसूची-ए मिनीरलन श्रेणी-I" कंपनी, एक कुशल, एकीकृत, ईमानदार, जवाबदेह और नैतिक तरीके से व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है और मानती है कि कॉर्पोरेट प्रशासन कानून के दायरे से परे है। इसकी शुरुआत प्रबंधन की संस्कृति और मानसिकता से होती है, और इसे केवल कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता।

1. कॉर्पोरेट प्रशासन दर्शन

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन, कानूनों के अनुपालन से कहीं आगे जाता है और इसमें कंपनी-व्यापी प्रतिबद्धता शामिल होती है। यह प्रतिबद्धता निदेशक मंडल से शुरू होती है, जो सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हितों में कंपनी की रणनीतिक और परिचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करके सभी के लिए दीर्घकालिक लाभ के साथ संतुलित तरीके से अपनी कॉर्पोरेट प्रशासन जिम्मेदारियों को निष्पादित करता है।

कॉर्पोरेट प्रशासन सतत मूल्य सृजन में सुधार लाने की एक यात्रा है और यह एक ऊपर की ओर बढ़ता लक्ष्य है। विनियामक और अनुपालन आवश्यकता के रूप में शासन के पारंपरिक दृष्टिकोण ने कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शासन को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) ने एक सूचीबद्ध कंपनी के लिए मानक अनुपालन नियम और शासन मानकों के लिए आधार रेखा निर्धारित की है। मॉयल न केवल लिस्टिंग विनियमन के अनुसार निर्धारित कॉर्पोरेट प्रथाओं का पालन करता है, बल्कि दुनिया भर में उभरती हुई सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारा प्रयास

उच्चतर मानक प्राप्त करना तथा रणनीति कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन तथा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में प्रबंधन को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना है।

2. निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत मॉयल एक सरकारी कंपनी है। मॉयल के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तदनुसार, मॉयल के बोर्ड के सभी निदेशकों की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। 31 मार्च 2024 तक, मॉयल के निदेशक मंडल में 9 (नौ) निदेशक शामिल हैं, जिनमें से 5 (पांच) पूर्णकालिक निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक 1 (एक), भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी निदेशक और 3 (तीन) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। मॉयल के बोर्ड की संरचना सेबी (सूचीबद्धता दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है क्योंकि 31 मार्च, 2024 तक तीन और स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता थी।

2.1 मॉयल के निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल की श्रेणीवार संरचना निम्नानुसार है:

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री अजित कुमार सक्सेना, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री राकेश तुमाने, निदेशक (वित्त)
3. श्रीमती उषा सिंह, निदेशक (मानव संसाधन)
4. श्री एम.एम. अब्दुल्ला, निदेशक (उत्पादन एवं योजना)
5. श्रीमती रश्मि सिंह निदेशक (वाणिज्यिक)

प्रमोटर नामित निदेशक

1. डॉ. संजय रॉय, भारत सरकार के नामिती

स्वतंत्र निदेशक

1. श्री प्रशांत वशिष्ठ
2. सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता
3. डॉ. अर्चना मजूमदार

2.2 बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली एजीएम, अन्य कंपनी निदेशकों की संख्या और 2023-24 के दौरान समिति की सदस्यता / अध्यक्षता

वर्ष 2023-24 के दौरान, 03.05.2023, 26.05.2023, 04.08.2023, 27.09.2023, 08.11.2023, 13.12.2023 और 02.02.2024 को सात (7) बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का विवरण इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली वार्षिक आम बैठक में भाग लिया	अन्य निदेशकों की संख्या *	समिति की सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या**	
					समिति अध्यक्षता	समिति सदस्यता
					As on 31.03.2024	
पूर्णकालिक निदेशक :						
श्री अजित कुमार सक्सेना (डीआईएन- 08588419)	7	7	हां	1	शून्य	शून्य
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक						
श्री राकेश तुमाने	7	6	हां	शून्य	शून्य	1
(डीआईएन-06639859) निदेशक (वित्त)						
श्रीमती उषा सिंह (डीआईएन-08307456)	7	7	हां	शून्य	शून्य	1
निदेशक (मानव संसाधन)						
श्री एम.एम. अब्दुल्ला (डीआईएन-09388832)	7	7	हां	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)						
श्रीमती रश्मि सिंह (डीआईएन- 10431308)	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशक (वाणिज्यिक) (20.12.2023 से प्रभावी)						
श्री पीवीवी पटनायक (डीआईएन-08734778)	3	3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निदेशक (वाणिज्यिक) (31.08.2023 तक)						
सरकार द्वारा नामित निदेशक :						
डॉ. संजय रॉय (DIN-10045280)	7	7	नहीं	3	1	1
(भारत सरकार के नामित व्यक्ति)						
श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव	3	1	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(डीआईएन-02008508) (मध्य प्रदेश सरकार के नामिती)						
(25.09.2023 तक) (09.02.2024 से 06.03.2024 तक)						
श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह (डीआईएन- 02406936)	4	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(मध्य प्रदेश सरकार के नामिती) (25.09.2023 से 09.02.2024 तक)						
स्वतंत्र निदेशक:						
श्री प्रशांत वशिष्ठ (DIN-03620891)	7	7	हां	1	शून्य	1
सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता (DIN- 01303034)	7	7	हां	3	1	2
डॉ. अर्चना मजूमदार (DIN-09550555)	7	7	हां	शून्य	1	2

* अन्य कम्पनियों में निदेशक पद तथा समिति अध्यक्ष पद/सदस्यता की जानकारी कम्पनी द्वारा प्राप्त अंतिम जानकारी के अनुसार दी गई है।

** मायल लिमिटेड और अन्य सोसायटी की ऑडिट परीक्षा समिति और हितधारक याचिका समिति के अध्यक्ष/अध्यक्ष पर विचार किया गया है।

2.3 अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के नाम जिनमें मायल के निदेशक भी निदेशक हैं, निदेशक पद की श्रेणी सहित (31.03.2024 तक)

क्रमांक	निदेशक का नाम	मायल के अलावा सूचीबद्ध कंपनी का नाम	निदेशक पद की श्रेणी
1.	श्री अजित कुमार सक्सेना	शून्य	लागू नहीं
2.	श्री राकेश तुमाने	शून्य	लागू नहीं
3.	श्रीमती उषा सिंह	शून्य	लागू नहीं
4.	श्री एम.एम. अब्दुल्ला	शून्य	लागू नहीं
5.	श्रीमती रश्मि सिंह	शून्य	लागू नहीं
6.	डॉ. संजय रॉय	केआईओसीएल लिमिटेड	गैर-कार्यकारी – नामित निदेशक
7.	श्री प्रशांत वशिष्ठ	शून्य	लागू नहीं
8.	सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	शून्य	लागू नहीं
9.	डॉ. अर्चना मजूमदार	शून्य	लागू नहीं

बोर्ड की संरचना की वर्तमान स्थिति कंपनी की वेबसाइट <https://www.moil.nic.in/content/60/Board%20of%20Directors> पर दी गई है

3. समितियां

बोर्ड की समितियां कुछ विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं तथा उन्हें सौंपे गए प्राधिकार के आधार पर सूचित निर्णय लेती हैं। बोर्ड की प्रत्येक समिति अपने चार्टर के अनुसार काम करती है, जो कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार इसकी संरचना, कार्यक्षेत्र, शक्ति और भूमिका को परिभाषित करता है। वर्तमान में, कंपनी में निम्नलिखित बोर्ड समितियां हैं:

3.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

लेखापरीक्षा समिति कंपनी के लेखांकन, लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग प्रथाओं की गुणवत्ता और अखंडता की देखरेख और कानूनी और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोर्ड की जिम्मेदारी में सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कंपनी की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, स्वतंत्रता, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन और पारिश्रमिक, आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन, कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति आदि की देखरेख करना है।

वर्तमान में समिति में चार सदस्य हैं, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं और एक सदस्य कार्यात्मक निदेशक है। लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18 की आवश्यकताओं को पूरा करती है। 31.03.2024 तक समिति का विवरण निम्नलिखित है।

A. संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

1. सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता -अध्यक्ष
2. श्री प्रशांत वशिष्ठ- सदस्य
3. डॉ. अर्चना मजूमदार- सदस्य
4. श्रीमती उषा सिंह- सदस्य

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

B. वर्ष के दौरान बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की पांच (5) बैठकें 25.05.2023, 03.08.2023, 27.09.2023, 07.11.2023 और 01.02.2024 को आयोजित की गईं। उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	5	5
श्री प्रशांत वशिष्ठ	5	5
डॉ. अर्चना मजूमदार	5	5

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
श्रीमती उषा सिंह (01.09.2023 से प्रभावी)	3	3
श्री पी.वी.वी. पटनायक (31.08.2023 तक)	2	2

C. भूमिका/संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

लेखापरीक्षा समिति की भूमिका/संदर्भ की शर्तों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय हैं।
2. बोर्ड को नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और यदि आवश्यक हो तो वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रतिस्थापन या हटाने तथा लेखा परीक्षा शुल्क और नियुक्ति की शर्तों का निर्धारण, जैसा भी लागू हो, की सिफारिश करना।
3. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदान किया गया किसी अन्य सेवा के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।
4. लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।
5. वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की जांच।
6. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन-देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन;
7. अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
8. कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;
9. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
10. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
 - a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (सी) के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे।

- b) लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण
 - c) प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग के आधार पर अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ
 - d) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन
 - e) वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग, लागू कानूनों और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन
 - f) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा
 - g) मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यताएं, यदि कोई हों, संशोधित राया
11. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना
 12. किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, अधिमान्य निर्गम, आदि) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/ अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण तथा सार्वजनिक या अधिकार निर्गम या अधिमान्य निर्गम या योग्य संस्थाओं के प्लेसमेंट की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना तथा इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।
 13. प्रबंधन के साथ वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
 14. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।
 15. आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर चर्चा और उसके अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई।
 16. ऐसे मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता हो और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।
 17. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा तथा लेखापरीक्षा के बाद चर्चा, ताकि चिंता का क्षेत्र, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके।
 18. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों, यदि कोई हो, को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।
 19. व्हिसल ब्लोअर तंत्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना।
 20. अभ्यर्थी की योग्यता, अनुभव एवं पृष्ठभूमि आदि का मूल्यांकन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति/ पदनामांकन का अनुमोदन।
 21. सीएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों/टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।
 22. संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना, यदि कोई हो।
 23. स्वतंत्र/वैधानिक लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक, यदि कोई हो, और बोर्ड के बीच संचार का एक खुला मार्ग प्रदान करना।
 24. कवरेज की पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों में कमी, तथा सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की स्वतंत्र/सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ समीक्षा करना।
 25. स्वतंत्र/वैधानिक लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:
 - a) कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता, और
 - b) स्वतंत्र/वैधानिक लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें, साथ में प्रबंधन की प्रतिक्रियाएं।
 26. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार करना और समीक्षा करना:
 - a) वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें पिछली लेखापरीक्षा अनुशंसा की स्थिति भी शामिल है।
 - b) लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई, जिसमें गतिविधियों के दायरे या अपेक्षित जानकारी तक पहुंच पर कोई प्रतिबंध शामिल है।

27. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और प्रक्रियाओं (यदि कोई हो) की समीक्षा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे लागू हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।
28. विस्तार परियोजनाओं, संयुक्त उद्यमों, विशेष प्रयोजन वाहनों (यदि कोई हो) की प्रगति की आवधिक समीक्षा
29. यदि परिचालन लाभ अनुपात में कमी या बिक्री में कमी के संदर्भ में कंपनी का प्रदर्शन खराब होता है, तो उसकी समीक्षा करना और बोर्ड को आवश्यक सुझाव देना।
30. लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लिखित या बोर्ड द्वारा निर्देशित किसी अन्य कार्य को करना।
31. सहायक कंपनी में होल्डिंग कंपनी द्वारा 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक ऋण और/या अग्रिम राशि के उपयोग/निवेश की समीक्षा करना, जिसमें इस प्रावधान के लागू होने की तिथि तक विद्यमान ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं।
32. सूचीबद्ध इकाई और उसके शेयरधारकों पर विलय, विभाजन, समामेलन आदि योजनाओं के औचित्य, लागत-लाभ और प्रभाव पर विचार करें और टिप्पणी करें।
33. निम्नलिखित जानकारी की अनिवार्य रूप से समीक्षा करें:
 - i. स्थिति और परिचालन के परिणामों पर प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण
 - ii. वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र।
 - iii. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
 - iv. मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
 - v. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।
 - vi. डेविशन का विवरण:
 - (a) विनियमन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत निगरानी एजेंसी सहित विचलन(ओं) का त्रैमासिक विवरण, यदि लागू हो।
 - (b) विनियमन 32(7) के अनुसार प्रस्ताव दस्तावेज/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

समिति का गठन, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178, लिस्टिंग विनियमों और इस संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

समिति का उद्देश्य

1. निर्धारित सीमा के भीतर, अधिकारियों और गैर-संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और उसके वितरण के लिए नीति तय करना।
2. कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी संशोधन की सिफारिश।
3. कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश और लिस्टिंग विनियमन और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों में लागू और निर्धारित अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य निष्पादन मूल्यांकन, पारिश्रमिक आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

B. 31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री प्रशांत वशिष्ठ – अध्यक्ष
2. डॉ. अर्चना मजूमदार- सदस्य
3. सीए श्री दिनेश गुप्ता - सदस्य

C. समिति की बैठकें

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति की नौ (9) बैठकें 02.05.2023, 10.05.2023, 25.05.2023, 26.05.2023, 20.09.2023, 07.11.2023, 22.12.2023, 01.02.2024 और 07.03.2024 को आयोजित की गईं। उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	जिन बैठकों में भाग लिया गया
श्री प्रशांत वशिष्ठ- अध्यक्ष	9	9
सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	9	9
डॉ. अर्चना मजूमदार	9	9

D. पारिश्रमिक नीति

मॉयल एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसके निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अधिकारियों का पारिश्रमिक वेतन संशोधन पर सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है और कंपनी के अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक हर 10 साल में उनके संघ के साथ किए गए वेतन निपटान समझौते के अनुसार तय किया जाता है।

E. सीएमडी और कार्यात्मक निदेशकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के सीएमडी और कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण:

क्रमांक	निदेशकों का नाम	वेतन	लाभ	पीएफ एवं अन्य निधियां	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	कुल
1.	श्री अजित कुमार सक्सेना अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	44,21,395	18,16,913	11,74,129	-	74,12,437
2.	श्री राकेश तुमाने निदेशक (वित्त)	40,04,219	10,42,224	10,58,528	46,16,718	1,07,21,689
3.	श्रीमती उषा सिंह, निदेशक (मानव संसाधन)	39,58,517	13,28,536	10,46,278	45,64,642	1,08,97,973
4.	श्री पीवीवी पटनायक, निदेशक (वाणिज्यिक) (01.04.2023 से 31.08.2023 तक)	13,39,392	4,05,296	48,02,099	21,51,826	86,98,613
5.	श्रीमती रश्मि सिंह निदेशक (वाणिज्यिक) (20.12.2023 से 31.03.2024)	11,06,771	6,21,393	2,92,492	-	20,20,656
6.	श्री एम.एम. अब्दुल्ला, निदेशक (उत्पादन एवं नियोजन)	31,60,882	11,19,347	8,32,435	13,81,897	64,94,561
7.	नीरज दत्त पांडे (कंपनी सचिव)	19,68,609	9,07,798	5,12,783	12,27,538	46,16,728

नोट: 1. बोनस/कमीशन: निल, स्टॉक विकल्प: कोई स्टॉक विकल्प नहीं

2. अन्य नियम व शर्तें जैसे सेवा अनुबंध, नोटिस अवधि, विच्छेद शुल्क आदि भारत सरकार के नियुक्ति आदेश के अनुसार तय की जाती हैं।

गैर-कार्यकारी निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं होता है, सिवाय उनके द्वारा भाग लिए गए बोर्ड/समिति की बैठक से संबंधित फीस/प्रतिपूर्ति के।

कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड और उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 20,000 रुपये (बीस हजार रुपये) की बैठक फीस का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार आयोजित स्वतंत्र निदेशक बैठक के लिए बैठक शुल्क का भी भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण निम्नानुसार है:

स्वतंत्र निदेशक का नाम	श्री प्रशांत वशिष्ठ	सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	डॉ. अर्चना मजूमदार
सिटिंग फीस	6,40,000	5,20,000	6,20,000

निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड, कंपनी की वेबसाइट [https://www.moil.nic.in/userfiles/file/InvRel/Term condition of Independent Directors Appointment19.pdf](https://www.moil.nic.in/userfiles/file/InvRel/Term%20condition%20of%20Independent%20Directors%20Appointment19.pdf) पर उपलब्ध हैं।

3.3 हितधारक संबंध समिति

समिति को हितधारकों और निवेशकों के अनुरोधों/शिकायतों जैसे शेयरों का हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, लाभांश की प्राप्ति न होना आदि का समाधान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति, कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के प्रदर्शन और सेवा मानकों

का मूल्यांकन भी करती है, और निवेशकों के लिए सेवा स्तर में सुधार के लिए निरंतर मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। बोर्ड ने प्रतिभूतियों के हस्तांतरण को मंजूरी देने की शक्ति आरटीए और/या कंपनी सचिव को सौंपी है।

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

समिति की जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं:

- निवेशकों की शिकायतों का निवारण
- शेयरों का आवंटन, शेयरों, डिबेंचर या किसी अन्य प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या संचरण का अनुमोदन
- विभाजन/समेकन/नवीनीकरण आदि पर डुप्लिकेट प्रमाण पत्र और नए प्रमाण पत्र जारी करना।
- घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, कंपनी की बैलेंस शीट
- सेबी (एलओडीआर), विनियमन 2015/किसी अन्य प्रासंगिक नियम में निहित किसी अन्य कार्य को पूरा करना, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
- बोर्ड द्वारा समय-समय पर प्रासंगिक रूप से निर्धारित कोई अन्य मामला।

B. समिति की संरचना:

31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- डॉ. अर्चना मजूमदार -अध्यक्ष
- सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता -सदस्य
- श्री राकेश तुमाने -सदस्य

कंपनी का कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

C. बैठक और उपस्थिति:

वर्ष 2023-24 के दौरान, हितधारक संबंध समिति की एक (1) बैठक 03.08.2023 को आयोजित की गई थी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	जिन बैठकों में भाग लिया गया
डॉ. अर्चना मजूमदार- अध्यक्ष	1	1
सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	1	1
श्री राकेश तुमाने	1	1

D. अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

श्री नीरज दत्त पाण्डेय, कंपनी सचिव, कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

E. निवेशकों की शिकायतों का सारांश

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी और रजिस्ट्रार ने निवेशकों की शिकायतों का तेजी से समाधान किया है। शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	0
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	4
3	वर्ष के दौरान उपस्थित/समाधानित	4
4	31 मार्च, 2024 तक लंबित	0

3.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

समिति का गठन सीएसआर और स्थिरता नीति के निर्माण/समीक्षा, सीएसआर और स्थिरता कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें मंजूरी के अनुसार पूरा किया जा रहा है। सभी सीएसआर और स्थिरता प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पहले समिति के समक्ष रखा जाता है और यदि उपयुक्त पाया जाता है, तो समिति बोर्ड को कार्यों की सिफारिश करती है।

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

समिति की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- यदि आवश्यक हो तो कंपनी की सीएसआर और स्थिरता नीति की समीक्षा,
- सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देशों या वर्तमान में लागू किसी कानून के अनुपालन की समीक्षा करना।
- मॉडल के बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी,

- सीएसआर और स्थिरता नीति के तहत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के अनुमोदन के लिए सिफारिश करना,
- कोई अन्य मामले, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देशों में लागू और निर्धारित हो सकता है, समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है।

B. समिति की संरचना

31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- श्री प्रशांत वशिष्ठ - अध्यक्ष
- डॉ. अर्चना मजूमदार - सदस्य
- श्रीमती उषा सिंह - सदस्य
- श्री एम.एम. अब्दुल्ला - सदस्य

कंपनी का कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में काम करता है।

C. समिति की बैठकें

वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएसआर समिति की सात (7) बैठकें 02.05.2023, 25.05.2023, 03.08.2023, 20.09.2023, 07.11.2023, 22.12.2023 और 01.02.2024 को आयोजित की गईं। समिति के सदस्यों और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग ली गई बैठकें
श्री प्रशांत वशिष्ठ	7	7
डॉ. अर्चना मजूमदार	7	7
श्रीमती उषा सिंह	7	7
श्री एम.एम. अब्दुल्ला	7	7

3.5 जोखिम प्रबंधन समिति:

बाजार पूंजीकरण के आधार पर मॉडल उन शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में से एक है, जिनके लिए जोखिम प्रबंधन समिति होना आवश्यक है। तदनुसार, कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

वर्तमान में समिति की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - कंपनी द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष

रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हो सकते हैं।

- (b) पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय।
- (c) व्यवसाय निरंतरता योजना।
- (2) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त कार्यप्रणाली, प्रक्रियाएँ और प्रणालियाँ मौजूद हों;
- (3) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना;
- (4) जोखिम प्रबंधन नीति की समय-समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो वर्षों में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और उभरती जटिलता पर विचार करना शामिल है;
- (5) निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और विषय-वस्तु के बारे में सूचित रखना;
- (6) मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी।
- (7) जोखिम प्रबंधन समिति, निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करेगी, जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप हो।
- (8) लागू कानून/नियम/विनियमन, यदि कोई हो, के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर तय की गई अन्य भूमिका और जिम्मेदारी।

B. समिति की संरचना

31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्री राकेश तुमाने - अध्यक्ष
2. श्रीमती उषा सिंह - सदस्य
3. श्री एम.एम. अब्दुल्ला - सदस्य
4. सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता - सदस्य
5. श्री प्रशांत वशिष्ठ - सदस्य

C. समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की दो (2) बैठकें 03.08.2023 और 07.11.2023 को आयोजित की गईं।

समिति के सदस्यों और सदस्यों द्वारा भाग ली गई बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग ली गई बैठकें
श्री राकेश तुमाने	2	2
श्रीमती उषा सिंह	2	2
श्री पीवीवी पटनायक (31.08.2023 तक)	1	1
श्री एम.एम. अब्दुल्ला	2	2
श्री प्रशांत वशिष्ठ	2	2
सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	2	2

3.6 परियोजना समीक्षा समिति:

A. संदर्भ की शर्तों का संक्षिप्त विवरण

समिति की जिम्मेदारियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी सहित सभी योजना स्कीमों/परियोजनाओं की जांच करना, जिसके लिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता होती है।
2. परामर्शदाताओं द्वारा तैयार व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर की जांच करना तथा निवेश के लिए बोर्ड को सिफारिश करना।
3. यदि आवश्यक हो तो समिति स्वतंत्र विशेषज्ञ व्यक्ति/एजेंसी को शामिल कर सकती है।
4. बोर्ड द्वारा तय किया गया कोई अन्य फ़ंक्शन।

B. समिति की संरचना

31.03.2024 तक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता - अध्यक्ष
2. श्री प्रशांत वशिष्ठ - सदस्य
3. डॉ. अर्चना मजूमदार - सदस्य
4. श्री राकेश तुमाने - सदस्य
5. श्रीमती उषा सिंह - सदस्य
6. श्री एम.एम. अब्दुल्ला - सदस्य

C. समिति की बैठकें

वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की एक (1) बैठक 22.11.2023 को आयोजित की गई।

समिति के सदस्यों और सदस्यों द्वारा भाग ली गई बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया
सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	1	1
श्री प्रशांत वशिष्ठ	1	1
डॉ. अर्चना मजूमदार	1	1
श्री राकेश तुमाने	1	1
श्रीमती उषा सिंह	1	1
श्री एम.एम. अब्दुल्ला	1	1

उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान 16.02.2024 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक आयोजित की गई।

उपर्युक्त समितियों की संरचना की वर्तमान स्थिति कंपनी की वेबसाइट [https://mail.nic.in/userfiles/file/InvRel/ccb\(1\).pdf](https://mail.nic.in/userfiles/file/InvRel/ccb(1).pdf) पर दी गई है।

3.7 वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण:

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	पद
1.	श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त)
2.	श्री पी. करैया	कार्यपालक निदेशक
3.	श्री एस सी राय	महाप्रबंधक-तकनीकी
4.	श्री अखिलेश राय	महाप्रबंधक (विद्युत)
5.	श्री राजेश कुमार वर्मा	महाप्रबंधक-यांत्रिक
6.	श्री आर पी पाटिल	महाप्रबंधक-विपणन
7.	श्री किशोर चंद्राकर	महाप्रबंधक-खान
8.	श्री अनंत मसादे	महाप्रबंधक-खान
9.	श्री नितिन पी. काजरेकर	महाप्रबंधक-वित्त
10.	श्री संजय चौधरी	महाप्रबंधक-सामग्री
11.	श्री अतुल शर्मा	संयुक्त महाप्रबंधक-यांत्रिक
12.	श्री नितिन पगनिस	संयुक्त महाप्रबंधक (कार्मिक)
13.	श्री नीरज दत्त पांडे	कंपनी सचिव
14.	श्री डी.वी.वी. गिरि	संयुक्त महाप्रबंधक-प्रक्रिया
15.	श्री दीपक एम बोरकुटे	संयुक्त महाप्रबंधक-सामग्री
16.	श्रीमती गुरप्रीत पटेल	उप महाप्रबंधक-वित्त (आंतरिक लेखा परीक्षा)
17.	श्री राजा तलथोटी	उप महाप्रबंधक (रचना)

वरिष्ठ प्रबंधन में परिवर्तन:

श्री सी बी अतुलकर ईडी-तकनीकी, श्री टी के मंडल जीएम-वित्त, श्री त्रिलोचन दास जीएम-कार्मिक, श्री योगेश चाफले संयुक्त जीएम-सिस्टम और सुश्री आकांक्षा सिंह डीजीएम-वित्त (लेखा परीक्षा)।

4 आम सभा की बैठक

4.1 कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	विशेष प्रस्ताव
2022-23	21st सितंबर, 2023	03:30P.M.	रेडिसन ब्लू होटल, 7 वर्धा रोड, नागपुर 440015	कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
2021-22	23rd सितंबर, 2022	11.30A.M	मॉयल लिमिटेड, मॉयल भवन, 1ए, काटोल रोड, नागपुर - 440 013.	1. श्री प्रशांत वशिष्ठ, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 03620891) की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति 2. स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन:01303034) सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति
2020-21	29th सितंबर, 2021	11.30A.M.	मॉयल लिमिटेड, मॉयल भवन, 1ए, काटोल रोड, नागपुर - 440 013.	कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं हुआ

4.2 वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

4.3 डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव का विवरण, डाक मतपत्र अभ्यास संचालित करने वाले व्यक्ति, डाक मतपत्र के मतदान पैटर्न और प्रक्रिया का विवरण: लागू नहीं।

4.4 डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित कराने का प्रस्ताव नहीं है।

5. प्रकटीकरण

- (i) निदेशकों के बीच कोई अंतर-संबंध नहीं है।
- (ii) गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी में कोई शेयर या परिवर्तनीय उपकरण नहीं रखते हैं।
- (iii) कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशक अपनी नियुक्ति के समय तथा वार्षिक रूप से यह घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि वे कानून के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं। बोर्ड इसकी समीक्षा करता है और उसकी राय है कि स्वतंत्र निदेशक अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।
- (iv) वर्ष के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने निदेशक पद से इस्तीफा नहीं दिया।
- (v) कंपनी ने कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है जिससे कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो। फिर भी, संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन का खुलासा, खातों के नोट्स में किया गया है जो 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है। कंपनी के पास संबंधित पार्टी लेनदेन नीति है और इसे इसकी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है: https://www.moil.nic.in/userfiles/Related_Party_Transaction_Policy.pdf
- (vi) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, बोर्ड की संरचना को छोड़कर कंपनी अधिनियम, 2013 या स्टॉक एक्सचेंजों या सेबी या किसी वैधानिक प्राधिकरण और दिशानिर्देशों के नियमों और विनियमों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन का कोई मामला नहीं था। इन प्राधिकरणों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है या जुर्माना नहीं लगाया है। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, लिस्टिंग विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का कोई गैर-अनुपालन नहीं हुआ। इस संबंध में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड ने वर्ष के दौरान दंड पत्र जारी किए हैं। हालाँकि, कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों की नीतियों के अनुसार जुर्माने में छूट के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाया गया जुर्माना इस प्रकार है:

वर्ष	रु. (जीएसटी सहित)	
	एनएसई	बीएसई
2023-2024	21,53,500	21,53,500
2022-2023	21,53,500	21,53,500
2021-2022	21,53,500	21,53,500

- (vii) व्हिसल ब्लोअर नीति: कंपनी के पास एक व्हिसल ब्लोअर नीति है और इसे इसकी वेबसाइट https://www.moil.nic.in/userfiles/Whistle_Blower_Policy_of_MOIL.pdf पर अपलोड किया गया है। कंपनी के पास एक सक्षम और स्वतंत्र सतर्कता विभाग है, जिसका नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) करते हैं, जो किसी भी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन की निगरानी करता है। और सभी कार्मिकों को अपनी शिकायतों आदि के लिए सतर्कता विभाग तक पहुंच प्राप्त हो रही है।
- (viii) कंपनी के किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।
- (ix) 'महत्वपूर्ण' सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति: लागू नहीं।
- (x) विदेशी मुद्रा जोखिम/कमोडिटी मूल्य जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ: आवश्यक नहीं है क्योंकि मॉयल का विदेशी मुद्रा में कोई एक्सपोजर नहीं है।
- (xi) कंपनी ने विनियमन 32(7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमाम्य आवंटन या योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है।
- (xii) वर्ष के दौरान समितियों की सभी अनिवार्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।
- (xiii) कंपनी ने वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा और उनके द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए वैधानिक लेखापरीक्षकों को 9.75 लाख रुपये (प्लस कर) का भुगतान किया।
- (xiv) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशक की रिपोर्ट में दी गई है।
- (xv) कंपनी ने किसी भी फर्म/कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं लिया है, जिसमें निदेशकों का नाम और राशि के अनुसार हित हो।
- (xvi) महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का ब्यौरा जिसमें निगमन की तिथि और स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के वैधानिक लेखा परीक्षकों का नाम और नियुक्ति की तिथि शामिल है: लागू नहीं।
- (xvii) निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, सतर्कता तंत्र, संबंधित पक्ष लेनदेन, स्वतंत्र निदेशकों, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के संबंध में दायित्वों के संबंध में विनियमन 17 से 27 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन मॉयल द्वारा किया गया है, सिवाय बोर्ड की संरचना के, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है।

(xviii) मॉयल लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रकटीकरण के संबंध में विनियमन 46 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का भी अनुपालन किया गया है।

(xix) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची III के भाग ए के पैराग्राफ ए के खंड 5ए के अंतर्गत प्रकट की गई सूचना- निल

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाना

मॉयल ने लिस्टिंग विनियमों (ऊपर उल्लिखित को छोड़कर) में सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V में निर्धारित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में, कंपनी द्वारा अपनाए गए/ अनुपालित क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

1. चूंकि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कंपनी में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत हैं, इसलिए अध्यक्ष कार्यालय का अलग से रखरखाव आवश्यक नहीं है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाती है, इसलिए किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कुल मिलाकर दस वर्ष से अधिक समय तक सेवा नहीं की है।
2. कंपनी पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित अर्ध-वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन रिपोर्ट शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को नहीं भेजती है क्योंकि कंपनी तिमाही वित्तीय परिणाम घोषित करती है और इसे शेयरधारकों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।
3. कंपनी का हमेशा यह प्रयास रहता है कि वह बिना किसी शर्त के वित्तीय विवरण प्रस्तुत करे।
4. जब भी आवश्यकता हुई, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।

6. संचार के साधन

- 6.1 कंपनी आम तौर पर प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र [अर्थात् इंडियन एक्सप्रेस, मित, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, बिजनेस स्टैंडर्ड, हितवाद], मराठी (लोकमत, नागपुर, नवराष्ट्र) और हिंदी दैनिक समाचार पत्र (अर्थात्

नवभारत, दैनिक भास्कर, लोकमत समाचार) में तिमाही अलेखापरीक्षित/ लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम प्रकाशित करती है।

- 6.2 ये अलेखापरीक्षित/लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किए गए हैं: <https://www.moil.nic.in/content/143/Financials..>
- 6.3 कंपनी आधिकारिक समाचार, प्रमुख कार्यक्रम, प्रदर्शन, उपलब्धियां, प्रस्तुतियां आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित करती है।

7. सामान्य शेयरधारक जानकारी

7.1 वार्षिक आम बैठक.

तारीख	दिन	समय	स्थान
11 ^{वा} सितंबर, 2024	बुधवार	12:30 P.M.	रेडिसन ब्लू होटल, 7 वर्धा रोड नागपुर 440015

7.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी ने वित्तीय वर्ष अपनाया जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है।

7.3 पुस्तक बंद करने की तिथि

कंपनी ने अभी तक अपनी बही बंद नहीं की है, इसलिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि 30 अगस्त, 2024 होगी।

7.4 लाभांश भुगतान तिथि

लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर शेयरधारक को भुगतान/ प्रेषित किया जाता है।

7.5 वर्ष के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों का व्यापार निलम्बित नहीं किया गया।

7.6 मॉयल एक ऋण मुक्त कंपनी है; इसलिए वर्ष 2023-24 के दौरान किसी क्रेडिट रेटिंग की आवश्यकता नहीं थी।

7.7 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता

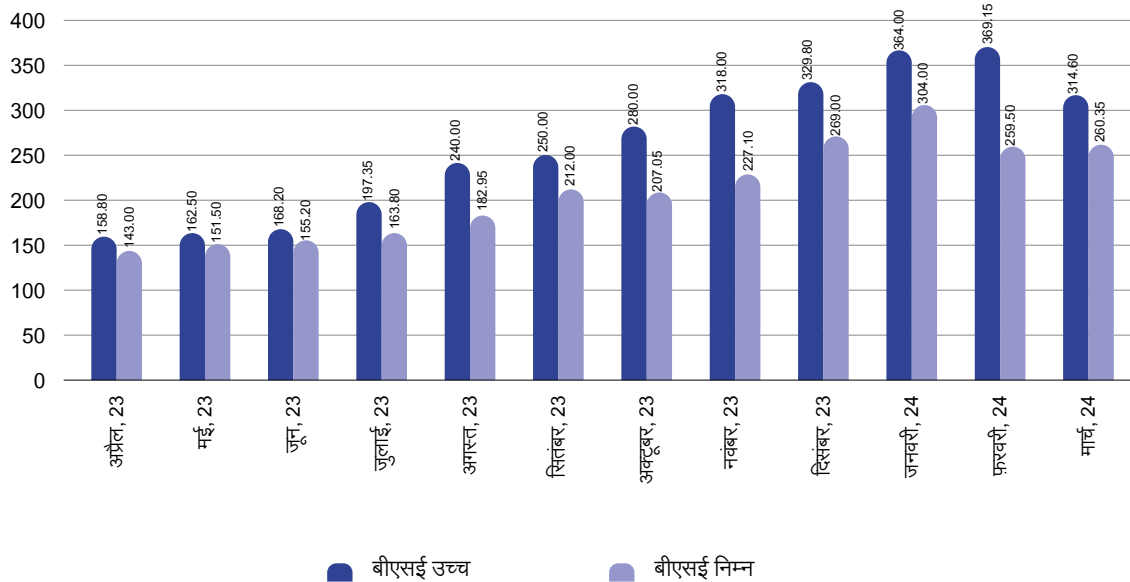
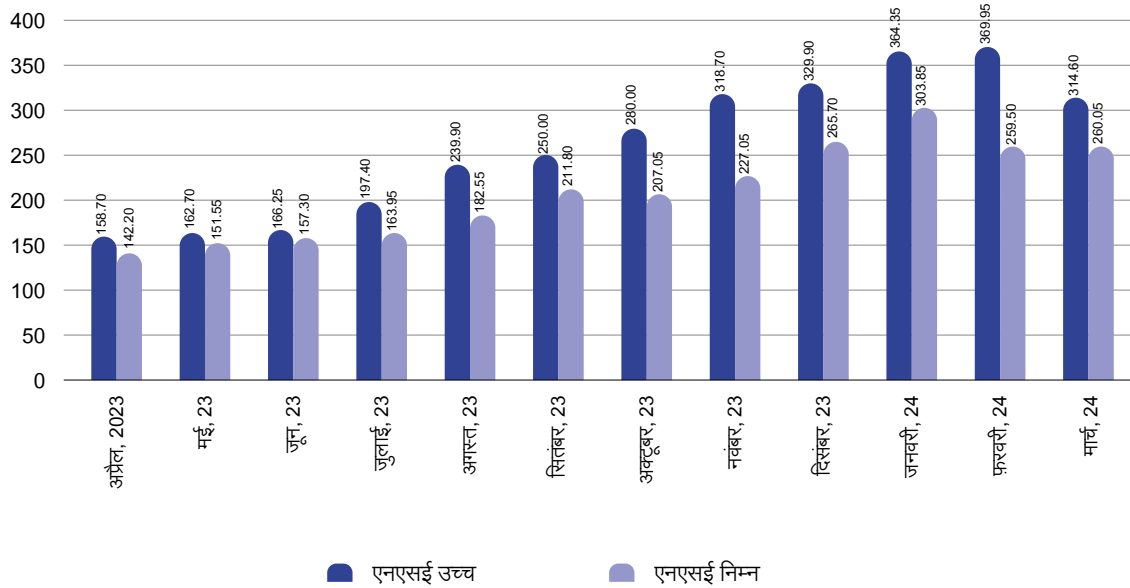
मॉयल के शेयर 15 दिसंबर 2010 को सूचीबद्ध किए गए थे। एक्सचेंज और स्टॉक कोड का विवरण इस प्रकार है:

स्टॉक एक्सचेंज	शेयरों के प्रकार	स्टॉक कोड	पता
बीएसई लिमिटेड	इक्विटी शेयर	533286	फ़िरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई- 400001
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	इक्विटी शेयर	मॉयल- ईक्यू	एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नंबर सी-1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400053

वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान उपरोक्त दोनों एक्सचेंजों को कर दिया गया है।

बाजार मूल्य डेटा: पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न:

महीना	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2023	158.70	142.20	158.80	143.00
मई, 2023	162.70	151.55	162.50	151.50
जून, 2023	166.25	157.30	168.20	155.20
जुलाई, 2023	197.40	163.95	197.35	163.80
अगस्त, 2023	239.90	182.55	240.00	182.95
सितंबर, 2023	250.00	211.80	250.00	212.00
अक्टूबर, 2023	280.00	207.05	280.00	207.05
नवंबर, 2023	318.70	227.05	318.00	227.10
दिसंबर, 2023	329.90	265.70	329.80	269.00
जनवरी, 2024	364.35	303.85	364.00	304.00
फरवरी, 2024	369.95	259.50	369.15	259.50
मार्च, 2024	314.70	260.05	314.60	260.35



7.8 एनएसई और बीएसई पर व्यापक-आधारित सूचकांकों की तुलना में प्रदर्शन

महीना	एनएसई		बीएसई	
	निफ्टी	मॉयल	सेनसेक्स	मॉयल
अप्रैल, 2023	18065.00	156.70	61112.44	156.65
मई, 2023	18534.40	155.15	62622.24	155.20
जून, 2023	19189.05	162.45	64718.56	162.40
जुलाई, 2023	19753.80	185.60	66527.67	185.50
अगस्त, 2023	19253.80	238.55	64831.41	238.60
सितंबर, 2023	19638.30	222.10	65828.41	222.05
अक्टूबर, 2023	19079.60	231.90	63874.93	232.40
नवंबर, 2023	20133.15	296.30	66988.44	296.40
दिसंबर, 2023	21731.40	309.00	72240.26	309.00
जनवरी, 2024	21725.70	347.00	71752.11	346.85
फरवरी, 2024	21982.80	265.70	72500.30	265.65
मार्च, 2024	22326.90	278.55	73651.35	278.25

7.9 शेयर और ट्रांसफर एजेंट का नाम और पता

बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

ऑफिस नंबर S6-2, 6वीं मंजिल,
पिनेकल बिजनेस पार्क, अहुरा सेंटर के बगल में,
महाकाली गुफा रोड, अंधेरी ईस्ट मुंबई 400093
टेलीफोन : 91-22-022-62638222
फैक्स : 91-22-022-62638299
ईमेल investor@bigshareonline.com

सचिव) द्वारा अनुमोदित किया जाता है। शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण का सारांश स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी/बोर्ड की बैठक में रखा जाता है। कंपनी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 40(10) के तहत आवश्यक शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के अनुपालन का अर्ध-वार्षिक प्रमाणपत्र प्रैक्टिस में कंपनी सचिव से प्राप्त करती है और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उक्त प्रमाणपत्र की एक प्रति दाखिल करती है। हालांकि, 8 जून, 2018 के सेबी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, कोई भी भौतिक शेयर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

7.10 शेयर ट्रांसफर सिस्टम

भौतिक खंड के अंतर्गत संपूर्ण शेयर हस्तांतरण गतिविधियां बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही हैं। शेयर ट्रांसफर सिस्टम में हस्तांतरिती से शेयर हस्तांतरण की प्राप्ति के साथ-साथ हस्तांतरण विलेख/फॉर्म, उसका सत्यापन, हस्तांतरण ज्ञापन तैयार करना आदि गतिविधियां शामिल हैं। शेयर हस्तांतरण/प्रेषण को उप-समिति/प्राधिकृत व्यक्ति (कंपनी

7.11 बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति की बैठक के लिए अनंतिम कैलेंडर:

तिमाही समाप्ति	बैठक की अपेक्षित तिथि
30 जून, 2024	अगस्त, 2024 का पहला/दूसरा सप्ताह
30 सितंबर, 2024	नवंबर, 2024 का पहला/दूसरा सप्ताह
31 दिसंबर, 2024	फरवरी, 2025 का पहला/दूसरा सप्ताह
31 मार्च, 2025	मई, 2025 का दूसरा/तीसरा सप्ताह

उपरोक्त के अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

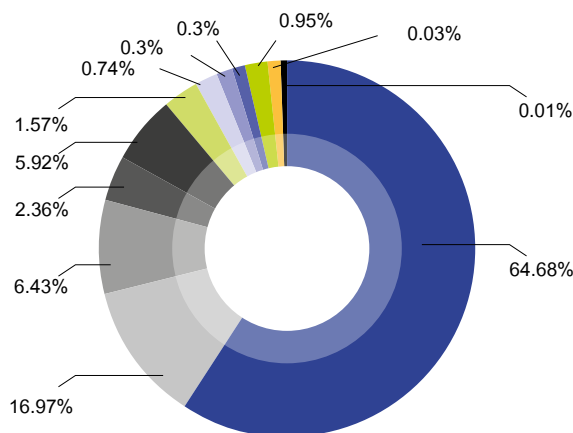
शेयरधारिता का वितरण.

a. साइज़ के अनुसार, 31 मार्च, 2024 तक होल्डिंग का प्रतिशत।

शेयर की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की कुल संख्या	शेयरों का %
1-5000	245938	95.779	15737812	7.7341
5001- 10000	5904	2.2993	4640803	2.2807
10001-20000	2567	0.9997	3861540	1.8977
20001-30000	855	0.3330	2179848	1.0713
30001-40000	377	0.1468	1363342	0.6700
40001-50000	302	0.1176	1419563	0.6976
50001-100000	458	0.1784	3337635	1.6402
100001 और इससे ज्यादा	373	0.1453	170944668	84.0084
कुल	256774	100.00	203485211	100.00

b. 31 मार्च, 2024 तक शेयरधारिता की कैटगरी के हिसाब से समरी

कैटगरी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
केन्द्र/राज्य सरकार (प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह)	131624088	64.68
सार्वजनिक (व्यक्तिगत)	34535921	16.97
बीमा कंपनियाँ	13078372	6.43
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	4793723	2.36
म्यूचुअल फंड	12054567	5.92
कॉर्पोरेट निकाय	3202745	1.57
अनिवासी भारतीय	1508436	0.74
विलयर्सिंग सदस्य	613171	0.3
कर्मचारी	52278	0.03
एचयूएफ	1925278	0.95
आईईपीएफ	66399	0.03
ट्रस्ट	27111	0.01
एलएलपी	3100	0.00
निदेशक और उनके रिश्तेदार (गैर-प्रवर्तक)	20	0.00
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	2	0.00



●	केन्द्र/राज्य सरकार (प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह)
●	सार्वजनिक (व्यक्तिगत)
●	बीमा कंपनियाँ
●	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक
●	म्यूचुअल फंड
●	कॉर्पोरेट निकाय
●	अनिवासी भारतीय
●	विलयर्सिंग सदस्य
●	कर्मचारी
●	एचयूएफ
●	आईईपीएफ
●	Trusts

7.12 शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और लिक्विडिटी

कंपनी के शेयर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास डीमैट रूप में हैं।

31.03.2024 तक डीमैट और फिजिकल मोड में शेयरों की संख्या है::

कैटगरी	शेयरों की संख्या	कुल जारी पूंजी का %
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में शेयर	1,88,47,480	9.26
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में शेयर	18,46,37,149	90.74
फिजिकल मोड में शेयर	582	नगण्य
कुल	20,34,85,211	100.00

कंपनी के इक्विटी शेयर, भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों यानी एनएसई और बीएसई पर तरल और सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों में से हैं।

7.13 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई भी परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव:

कंपनी द्वारा कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या परिवर्तनीय उपकरण जारी नहीं किए गए हैं।

7.14 सरप्लस खातों में शेयरों का विवरण:

सरप्लस खाते में कोई शेयर नहीं हैं।

7.15 खदानों, संयंत्रों और पवन फार्मों का स्थान

खानों की सूची

क्रमांक	खान का नाम और पता
महाराष्ट्र	
1.	चिखला खदान, पी.ओ.- चिखला, तह.-तुमसर, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441904
2.	डोंगरी बुजुर्ग खदान, पी.ओ.- डोंगरी बुजुर्ग, तह.-तुमसर, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र, पिन-441907
3.	बेलडोंगरी माइन, पी.ओ. – सातुक, तह- रामटेक, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-440401
4.	कांद्री खदान, पी.ओ. - कांद्री, तह- रामटेक, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441401
5.	मनसर खदान, पी.ओ. - मनसर, तह- रामटेक, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441106
6.	गुमगांव खदान, पी.ओ. - खापा, तह-सोनेर, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र, पिन-441101
मध्य प्रदेश	
7.	बालाघाट खदान, पी.ओ. भरवेली, जिला-बालाघाट, म.प्र., पिन-481102
8.	उकवा खदान, पी.ओ.-उकवा, जिला-बालाघाट, म.प्र., पिन-481105
9.	तिरोडी खदान, पी.ओ. तिरोडी, जिला-बालाघाट, म.प्र. , पिन-481449
10.	सीतापटोर खदान, पी.ओ. सुकली, जिला - बालाघाट, म.प्र., पिन-418449
प्लांट	
1.	फेरो मैंगनीज प्लांट 12000 (TPY) क्षमता, बालाघाट
2.	इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) प्लांट (1500 टीपीवाई) क्षमता, डोंगरी बुजुर्ग

पवन फार्मों की सूची

1.	नागदा हिल्स, जिला देवास, मध्य प्रदेश	क्षमता 4.8 मेगावाट
2.	रतेडी हिल्स, जिला देवास, मध्य प्रदेश	क्षमता 15.2 मेगावाट

7.16 पत्राचार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय:

कंपनी सचिव

मॉयल लिमिटेड,

“मॉयल भवन”

1-ए, काटोल रोड, नागपुर- 440 013

फोन: 0712 2806182/154

टेलीफैक्स – 0712 2591661

ईमेल: investors@moil.nic.inवेबसाइट: www.moil.nic.in

8. आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उच्च मानक निर्धारित करने के लिए मॉयल के सतत प्रयास के एक भाग के रूप में, सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' निर्धारित की गई है। उक्त संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट <https://www.moil.nic.in/userfiles/coc.pdf> पर उपलब्ध है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मॉयल की व्यावसायिक आचार और नैतिकता संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

घोषणा

जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के भाग डी के तहत प्रदान किया गया है, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

मॉयल लिमिटेड के लिए

अजित कुमार सक्सेना

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

(डीआईएन-08588419)

स्थान: नागपुर

दिनांक: 13.08.2024

9. सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

जैसा कि विनियमन 17(8) लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक है, कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. निदेशकों के लिए परिचय

बोर्ड के सदस्यों को आवश्यक दस्तावेज/ब्रोशर, रिपोर्ट और आंतरिक नीतियां प्रदान की जाती हैं ताकि वे कंपनी की प्रक्रियाओं और प्रथाओं से परिचित हो सकें। कंपनी अपने निदेशकों को विभिन्न बाहरी संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी नामित करती है। बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठकों में कंपनी के व्यवसाय और निष्पादन अद्यतन, कारोबारी माहौल, कारोबारी रणनीति और इसमें शामिल जोखिमों पर समय-समय पर प्रस्तुतियां दी जाती हैं। वर्ष के दौरान आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकों में कंपनी के व्यवसाय खंडों पर विस्तृत प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं। प्रासंगिक वैधानिक परिवर्तनों की अद्यतन जानकारी निदेशकों को दी जाती है। निदेशकों को कंपनी के परिचालन को समझने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न खदानों का साइट दौरा आयोजित किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है और इसे <https://moil.nic.in/userfiles/file/InvRel/idtp.pdf> पर देखा जा सकता है।

11. कीबोर्ड कौशल, विशेषज्ञता और दक्षता

बोर्ड ने निम्नलिखित मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की पहचान की है, जो कंपनी के व्यवसाय के संदर्भ में प्रत्येक निदेशक के पास होने की उम्मीद है और निदेशक के पास ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताएं होनी चाहिए:

कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता		निदेशकों का नाम
नेतृत्व / प्रशासनिक	किसी महत्वपूर्ण उद्यम के लिए विस्तारित उद्यमशीलता/नेतृत्व अनुभव। अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को विकसित करने और लागू करने, बोर्ड और प्रबंधन की जवाबदेही बनाए रखने, हितधारकों के हितों का प्रबंधन करने और ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, नियामक निकायों और जिन समुदायों में यह संचालित होता है, उनके प्रति कंपनी की जिम्मेदारियों का अनुभव। विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य, लिंग और संस्कृति की विविधता।	श्री अजित कुमार सक्सेना श्री राकेश तुमाने श्रीमती उषा सिंह श्री एम.एम. अब्दुल्ला श्रीमती. रश्मी सिंह डॉ. संजय रॉय श्री प्रशांत वशिष्ठ सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता डॉ. अर्चना मजूमदार
वाणिज्यिक/विपणन	विपणन कार्यनीतियों और नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, खरीद सहित विपणन कार्य।	श्री अजित कुमार सक्सेना श्रीमती रश्मी सिंह
उत्पादन एवं योजना	संगठन, प्रक्रियाओं, रणनीतिक योजना और जोखिम प्रबंधन, परिवर्तन की योजना बनाना और उसे आगे बढ़ाना तथा दीर्घकालिक विकास की व्यावहारिक समझ।	श्री अजित कुमार सक्सेना श्री एम.एम. अब्दुल्ला श्रीमती रश्मी सिंह
वित्त	लेखांकन एवं वित्त, व्यावसायिक निर्णय, सामान्य प्रबंधन प्रथाओं और प्रक्रियाओं में ज्ञान और कौशल।	श्री राकेश तुमाने सीए दिनेश कुमार गुप्ता
मानव संसाधन	उद्योग ज्ञान, मार्को-आर्थिक दृष्टिकोण, मानव संसाधन, श्रम कानून और प्रथाएं, स्टाफिंग योजनाएं, मुआवजा, लाभ, प्रशिक्षण और विकास, बजट और श्रम संबंध, प्रतिभा विकसित करने में मजबूत	श्रीमती उषा सिंह

12. लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

बोर्ड ने समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की है तथा सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

13. लेखा परीक्षक का अनुपालन प्रमाणपत्र

कंपनी के लेखा परीक्षक, सीएस अमित राजकोटिया, जो एक कार्यरत कंपनी सचिव हैं, से प्राप्त प्रमाण पत्र, जिसमें लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची V के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि की गई है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

निदेशक मंडल,
मॉयल लिमिटेड,
नागपुर

- a) हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार:
- इन कथनों में कोई भी तथ्यात्मक रूप से असत्य कथन नहीं है या कोई भी तथ्य छूटा नहीं है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;
 - ये विवरण कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुरूप हैं।
- b) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी ऐसा लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।
- c) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।
- d) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित कर दिया है:
- वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।
 - वर्ष 2023-24 के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है और वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा किया गया है; तथा
 - ऐसा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का मामला नहीं है जिसके बारे में हमें जानकारी मिली हो और इसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, तो हो सकती है, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.07.2024

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
(डीआईएन- 06639859)

अजित कुमार सक्सेना
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/सीईओ
(डीआईएन- 08588419)



कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का सर्टिफिकेट

सेवा में,

सदस्यगण,

मॉयल लिमिटेड

सीआईएन: L99999MH1962GOI012398

पता: 1-ए, काटोल रोड,

नागपुर – 440013.

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए **मॉयल लिमिटेड** ("कंपनी") द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियमन 17 से 27, विनियमन 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") की अनुसूची V के पैरा सी, डी और ई और भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), नई दिल्ली द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित किया गया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेबी लिस्टिंग विनियमों और भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), नई दिल्ली द्वारा जारी **केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है**, सिवाय कंपनी के बोर्ड की संरचना से संबंधित दिशानिर्देशों के और हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने बोर्ड की संरचना के विनियमों का अनुपालन करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार को पत्र भेजे हैं।

हम आगे यह भी कहते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है, न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सीएस अमित के. राजकोटिया

कार्यरत कंपनी सचिव

एफसीएस नं: CP No: 5162

पी.आर. नं.: 2272/2022

यूडीआईएन: F005561F000656961

दिनांक: 03/07/2024

स्थान: नागपुर

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,

सदस्यगण,

मॉयल लिमिटेड

सीआईएन: L99999MH1962GOI012398

1-ए, काटोल रोड,

नागपुर-440013

हमने **मॉयल लिमिटेड** के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्ट्रारों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जिनका **CIN L99999MH1962GOI012398** है और जिनका पंजीकृत कार्यालय 1-ए काटोल रोड, नागपुर- 440013 में है (जिसे आगे 'कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है), जो इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-सी उप खंड 10 (i) के साथ विनियम 34 (3) के अनुसार है

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	DIN	कंपनी में नियुक्ति की तिथि *
1.	श्री अजित कुमार सक्सेना	08588419	29.12.2022
2.	श्री राकेश तुमाने	06639859	28.09.2017
3.	श्रीमती उषा सिंह	08307456	18.12.2018
4.	श्री अब्दुल्ला मोहम्मद मिर्जा	09388832	10.01.2022
5.	डॉ. संजय रॉय	10045280	09.03.2023
6.	श्री प्रशांत वशिष्ठ	03620891	01.11.2021
7.	सीए श्री दिनेश कुमार गुप्ता	01303034	02.11.2021
8.	डॉ. अर्चना मजूमदार	09550555	28.03.2022
9.	श्रीमती रश्मी सिंह	10431308	20.12.2023

* नियुक्ति की तिथि एमसीए पोर्टल के अनुसार है।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है, न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

सीएस अमित के. राजकोटिया

कंपनी सचिव

एफसीएस नं: 5561 CP No: 5162

पी.आर. नं.:2272/2022

यूडीआईएन: F005561F000656851

दिनांक: 03/07/2024

स्थान: नागपुर

फॉर्म नं. MR-3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण,
मॉयल लिमिटेड
नागपुर (महाराष्ट्र)

हमने "मॉयल लिमिटेड" (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

"मॉयल लिमिटेड" की पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र मौजूद हैं:

1. हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और अन्य रिकॉर्ड की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;
- प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और इसके तहत बनाए गए नियम;
- डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा इसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;
- सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं:-

- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, 1992 (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011;
- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (अंदरूनी व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018; - **जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है,**
- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021:- **जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है,**
- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021:- **जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है,**
- कंपनी अधिनियम और ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इश्यू रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) विनियम, 1993;
- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इक्विटी शेयरों की डीलिंग) विनियम, 2021: **जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है,**
- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018; **जो समीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं है,**
- द सिक्योरिटीज ऐंड ऐक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
- सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश।

vi. कंपनी पर विशेष रूप से लागू अन्य कानून, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है:-

- (a) खान अधिनियम, 1952
- (b) खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
- (c) लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान एवं क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976.

2. हमने निम्नलिखित लागू धाराओं के अनुपालन की भी जांच की है:

- i. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानका
- ii. कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) के साथ किए गए लिस्टिंग समझौते;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- a. सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1)(बी) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या के संबंध में बोर्ड की संरचना का अनुपालन नहीं किया गया है।
- b. हमारी जानकारी में लाया गया है कि एनएसई और बीएसई ने पूर्वोक्त गैर-अनुपालन के लिए नोटिस जारी किए थे और कंपनी ने "कार्व आउट पॉलिसी" के आधार पर जुर्माना माफ करने के लिए एनएसई और बीएसई के साथ अपने जवाब दायर किए हैं, जिसमें मंत्रालय में लंबित निर्णय के कारण किसी भी गैर-अनुपालन की स्थिति में जुर्माने से छूट प्रदान की जाती है, क्योंकि मॉयल एक सरकारी कंपनी है, सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।
- c. सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ विनियम 30 के अंतर्गत प्रकटीकरण के संबंध में तकनीकी त्रुटि के कारण एनएसई पर दिनांक 08.11.2023 की बोर्ड बैठक के परिणाम की स्टॉक एक्सचेंज को सूचना दाखिल करने में देरी हुई है।

3. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत् गठित है, जिसमें कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन है, सिवाय नीचे बताए गए निदेशकों के। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे, सिवाय इसके कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त समीक्षा अवधि के दौरान न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में बोर्ड की संरचना को सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17(1)(बी) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के अनुसार नियुक्त नहीं किया गया था।

बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बहुमत का निर्णय लागू किया जाता है, जबकि असहमत सदस्यों के विचारों को, यदि कोई हो, तो, कार्यवाही के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने राइट इश्यू के आधार पर इक्विटी शेयर जारी और आवंटित नहीं किए हैं।

पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवों के लिए

स्थान: इंदौर
दिनांक: 18.07.2024
यूडीआईएन: F005812F000772151

प्रतीक त्रिपाठी
पार्टनर
सी.पी. नं. 5358

नोट: यह रिपोर्ट सम तारीख की सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के साथ पढ़ी जाए, जो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।



सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

सेवा में,
सदस्यगण,
मॉयल लिमिटेड
नागपुर

इस पत्र के साथ हमारी सम तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा दायित्व है कि हम अपने लेखापरीक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की विषय-वस्तु की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रियाएं और अभ्यास अपनाए हैं, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं। हमारी रिपोर्ट उक्त सचिवीय रिकॉर्ड पर आधारित है।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. कॉर्पोरेट और अन्य विशेष रूप से लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी। हमने उन कानूनों का अध्ययन नहीं किया है जो सामान्य प्रकृति के हैं तथा कंपनी पर लागू होते हैं।
5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।
6. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों तथा घटनाओं के घटित होने आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व और घोषणा प्राप्त कर ली है।

पी.एस. त्रिपाठी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिवों के लिए

स्थान: इंदौर
दिनांक: 18.07.2024
यूडीआईएन: F005812F000772151

प्रतीक त्रिपाठी
पार्टनर
सी.पी. नं. 5358

अनुलग्नक- IV

2023-24 के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रस्तावना

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) का उद्देश्य कारोबारी माहौल में विकास, पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को स्पष्ट करना है। एमडीएआर, बोर्ड की रिपोर्ट का एक हिस्सा है। किसी कंपनी का प्रदर्शन मांग, आपूर्ति, जलवायु परिस्थितियों, आर्थिक स्थितियों, राजनीतिक स्थितियों, सरकारी नियमों और नीतियों, करान, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न कारकों से जुड़ा होता है, जो कंपनी के नियंत्रण से परे हैं और कंपनी के संचालन में महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। इसके कारण, इस रिपोर्ट में अनुमान, दृष्टिकोण, अपेक्षाएं, अनुमान आदि से संबंधित कुछ कथन अंततः वास्तविकता से भिन्न हो सकते हैं।

A. उद्योग संरचना और बाजार परिदृश्य

विश्व में उत्पादित मैंगनीज का 95% से अधिक हिस्सा इस्पात की मजबूती, घर्षण प्रतिरोध, कठोरता आदि बढ़ाने के लिए इस्पात बनाने में उपयोग किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 (वित्त वर्ष '24) के दौरान, भारतीय इस्पात क्षेत्र ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, और पिछले वित्तीय वर्षों की समान अवधि की तुलना में उत्पादन और खपत के अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 143.60 मिलियन टन (एमटी) था, जबकि तैयार इस्पात का उत्पादन 138.5 मीट्रिक टन तक पहुंच गया और तैयार इस्पात की खपत 135.9 मीट्रिक टन रही, जो पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023 की तुलना में क्रमशः 12.9%, 12.4% और 13.4% की वृद्धि दर्शाती है। वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत स्टील का शुद्ध आयातक था, जिसका आयात निर्यात से 8.3 मिलियन टन अधिक था। इसके विपरीत, वित्त वर्ष 2023 में भारत स्टील का शुद्ध निर्यातक था, जिसका निर्यात आयात से 7.0 मिलियन टन अधिक था। (स्रोत: इस्पात मंत्रालय मार्च 2024)।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान मैंगनीज अयस्क का आयात 2022-23 में 4.64 मिलियन टन की तुलना में 5.59 मिलियन टन था, जो डीजीएफटी के अनुसार 20% की वृद्धि दर्ज करता है। बिगमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, आयातित अयस्क में वृद्धि का कारण आयातित अयस्क की आकर्षक कीमतें थीं तथा स्मेल्टरों की आक्रामक बुकिंग थी, जिससे घरेलू सिलिको मैंगनीज उत्पादन को समर्थन मिला।

वित्त वर्ष 2024 में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 13% बढ़कर 143.60 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस्पात उत्पादन में वृद्धि ने स्वाभाविक रूप से मैंगनीज मिश्रधातुओं की मांग को बढ़ावा दिया, जो कि अंतिम इस्पात उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि ऐसे ग्रेड तैयार किए जा सकें जो कठोर गुणवत्ता विनिर्देशों को पूरा कर सकें। स्टील की मांग में वृद्धि ने मैंगनीज मिश्र धातुओं और अयस्क की खपत को बढ़ावा दिया। भारत की मैंगनीज अयस्क खपत में वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY'24) में 18% से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो वित्त वर्ष 23 में 7.48 mnt की तुलना में 8.85 मिलियन टन (mnt) तक पहुंच गई। मैंगनीज अयस्क की खपत में अच्छी वृद्धि घरेलू बाजार में मजबूत मांग का संकेत देती है। (स्रोत: BigMint)

विश्व इस्पात संघ के अनुसार, 2023 में वर्ल्ड कच्चे इस्पात का उत्पादन 1892.2 मिलियन टन रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1% की गिरावट दर्शाता है। चीन, 2023 में 1019.08 मिलियन टन उत्पादन के साथ विश्व कच्चे इस्पात उत्पादन में अग्रणी बना रहा, 2022 की तुलना में उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भारत, 2023 में 140.8 मिलियन टन उत्पादन के साथ कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था, जो 12% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान विश्व के कच्चे इस्पात उत्पादन में देश का योगदान 7.4% रहा। भारत, 2023 में 49.60 मीट्रिक टन (पिछले वर्ष की तुलना में 17.20% की वृद्धि) उत्पादन के साथ विश्व डीआरआई उत्पादन में अग्रणी बना रहा। विश्व के डीआरआई उत्पादन में देश का योगदान 36% है। (स्रोत: WSA)

भारत सरकार की महत्वपूर्ण नीतियां और पहल:

इस्पात एक वि-विनियमित क्षेत्र है। सरकार की भूमिका एक सुविधाप्रदाता की है जो नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित करती है तथा इस्पात क्षेत्र की दक्षता और प्रदर्शन में सुधार के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संस्थागत तंत्र/संरचना स्थापित करती है। (स्रोत: इस्पात क्षेत्र का अवलोकन, इस्पात मंत्रालय)

इस भूमिका में, सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 जारी की है, जिसमें 2030-31 तक मांग और आपूर्ति दोनों पक्षों पर भारतीय इस्पात उद्योग के लिए दीर्घकालिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु व्यापक रोडमैप निर्धारित किया गया है। (स्रोत: इस्पात क्षेत्र का अवलोकन, इस्पात मंत्रालय)

राष्ट्रीय इस्पात नीति में इस्पात क्षेत्र के सभी पहलुओं जैसे इस्पात की मांग, इस्पात क्षमता, कच्चे माल की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और रसद, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) और ऊर्जा दक्षता को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017 में परिकल्पित घरेलू कच्चे इस्पात की क्षमता, उत्पादन और प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात खपत मूल्य के समग्र अनुमान नीचे दर्शाए गए हैं: -

क्रमांक.	पैरामीटर	अनुमान
1	कुल कच्चे इस्पात की क्षमता	300 मीट्रिक टन
2	कुल कच्चे इस्पात की मांग/उत्पादन	255 मीट्रिक टन
3	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात की खपत किलोग्राम में	158 मीट्रिक टन
4	मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता	11 मीट्रिक टन

[स्रोत: राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017]

मीट्रिक टन – मिलियन टन

भारत सरकार, विशिष्ट इस्पात के लिए उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना लागू कर रही है। उम्मीद है कि 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात उत्पादन 42 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा।

भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक 300 एमएनटीपीए इस्पात निर्माण क्षमता और 158 किलोग्राम प्रति व्यक्ति इस्पात खपत के साथ भारत में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग का निर्माण करना है। इससे लौह अयस्क, कोकिंग, मैंगनीज, कोयला, लिग्नाइट आदि सहित

इस्पात बनाने के कच्चे माल की अतिरिक्त खपत होगी। इसी प्रकार लौह मिश्र धातु, इस्पात के निर्माण में महत्वपूर्ण इनपुटों में से एक है और इस प्रकार, लौह मिश्र धातु, उद्योग का विकास लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास से जुड़ा हुआ है। प्रचुर संसाधनों के साथ, भारत में मैंगनीज अयस्क और फेरो मिश्र धातु उद्योग में विकास की अच्छी संभावना है।

2022-23 में भारत की कच्चे इस्पात की क्षमता 161.3 मिलियन टन थी। उपलब्ध संकेतकों के अनुसार, भारत में इस्पात उद्योग में आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जिससे निश्चित रूप से मैंगनीज अयस्क की मांग बढ़ेगी।

B. स्मॉल विश्लेषण

मॉयल की ताकतें

- देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक, जिसकी बाजार हिस्सेदारी ~53% है तथा जिसके पास मैंगनीज अयस्क का विशाल भंडार है।
- देश में उच्च/मध्यम श्रेणी के मैंगनीज अयस्क के कुल प्रदर्शित भंडार का अधिकांश हिस्सा इसके पास है।
- उच्च निवल मूल्य और शून्य ऋण के साथ मजबूत वित्तीय स्थिति।
- उत्कृष्ट कार्य संस्कृति और शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंधों के साथ योग्य तकनीकी रूप से कुशल जनशक्ति की उपलब्धता।
- मैंगनीज भंडार, मध्य भारतीय मैंगनीज बेल्ट में हैं और भंडार सामान्यतः नियमित आकार के हैं।
- कंपनी को लॉजिस्टिक फ़ायदा मिला है, क्योंकि इसकी सभी खदानें, राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह जुड़ी हुई हैं। इसकी अधिकांश खदानें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रेलवे नेटवर्क के साथ स्थित हैं और उन्हें रेलवे साइडिंग प्रदान की गई है।
- मॉयल एक कुशल और पर्यावरण अनुकूल खनन कंपनी बनी हुई है।

कमजोरियां

- नए खदान पट्टे प्राप्त करने में देरी के परिणामस्वरूप नई खदानों के चालू होने में देरी होती है, जिससे कंपनी की विस्तार/निवेश योजनाएं प्रभावित होती हैं।
- चूंकि कंपनी मुख्यतः एकल उत्पाद वाली कंपनी है, इसलिए मैंगनीज अयस्क उद्योग पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव, कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित करेगा।
- मॉयल की खदानों में अयस्क, निकाय संकीर्ण है और इसलिए पूर्ण मशीनीकरण अपेक्षाकृत कठिन है।
- जमाराशि में वृद्धि, नियमित कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के साथ-साथ संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में संशोधन के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी।

- वैश्विक कंपनियों की तुलना में उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का सीमित भंडार।
- मॉयल का अधिकांश उत्पादन भूमिगत खदानों से होता है, जहां उत्पादन लागत खुली खदानों की तुलना में अधिक है तथा लागत में वृद्धि का रुझान है, तथा लागत का बड़ा हिस्सा जनशक्ति लागत है। अंडर ग्राउंड खनन की लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि से मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- अनिश्चित भू-आकृति विज्ञान के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हो रही है।

अवसर

- सरकार, घरेलू और विदेशी, दोनों स्रोतों से भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और निवेश संबंधी मंशा के त्वरित क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि घरेलू मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए वांछित कच्चे इस्पात क्षमता स्तर तक पहुंचा जा सके और राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार अनुमानित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट और आवश्यक बुनियादी ढांचे की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- भारत ने 2030-31 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिससे मैंगनीज अयस्क की उच्च मांग पैदा होगी। इसके लिए लगभग 11.00 मिलियन टन मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता होगी।
- भारतीय मैंगनीज अयस्क बाजार में मांग-आपूर्ति का बड़ा अंतर, आयात प्रतिस्थापन का अवसर देता है।
- देश में मैंगनीज अयस्क की खपत ~ 18% बढ़कर 8.85 मिलियन टन हो गई है, जबकि उत्पादन ~ 20% बढ़कर 3.4 मिलियन टन हो गया है। इससे घरेलू मैंगनीज अयस्क उद्योग को आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।
- मजबूत वित्तीय स्थिति, अर्थात् अच्छा नकदी भंडार, प्रमुख निवेश योजनाओं के लिए अवसर प्रदान करता है। मॉयल ने पहले ही अपनी मौजूदा खदानों के विकास के लिए बड़े निवेश की योजना बना ली है, साथ ही नई खदानें भी हासिल करने की योजना बना ली है, जिससे मैंगनीज अयस्क की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- मध्य प्रदेश सरकार ने मैंगनीज अयस्क के दोहन के लिए बालाघाट के तवेझारी और मंझारा गांव में 202.501 हेक्टेयर क्षेत्र में पूर्वक्षेत्र लाइसेंस प्रदान किया है, कोर ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और इस क्षेत्र में अयस्क संसाधन स्थापित हो चुके हैं। तदनुसार, मॉयल ने उक्त क्षेत्र में 202.501 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया है।
- इसी तरह, मॉयल ने छत्तीसगढ़ राज्य में मैंगनीज और संबंधित खनिजों के खनन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बलरामपुर जिले में 218 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अन्वेषण के लिए आरक्षित किया है। मॉयल शीघ्र ही अन्वेषण शुरू करने जा रहा है।

दिक्कतें

- एक खनन कंपनी होने के नाते, मॉयल पर लोगों और पर्यावरण के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित व्यापक नियम लागू हैं। विनियामक मानकों और सामुदायिक अपेक्षाओं के निरंतर विकास के साथ, कंपनी को बढ़ी हुई अनुपालन लागत और अप्रत्याशित पर्यावरणीय सुधारात्मक व्यय का सामना करना पड़ रहा है।
- मैंगनीज अयस्क के आयात मूल्य में गिरावट सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इससे कंपनी के लाभ मार्जिन में गिरावट आती है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें काफी हद तक चीन से आने वाली मांग और उपलब्धता परिदृश्य पर निर्भर करती हैं।
- चीन की मंदी, धीमी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था, और व्यापार नीतियों और कई क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिति को लेकर अनिश्चितता भी व्यापार को प्रभावित कर सकती है।
- केवल एक क्षेत्र अर्थात् इस्पात उद्योग पर अत्यधिक निर्भरता।
- विनियामक अनुमोदन में किसी भी प्रकार की देरी से कंपनी की दीर्घकालिक वृद्धि पर भी असर पड़ सकता है।

C. आउटलुक

मैंगनीज अयस्क और फेरो मिश्र धातु उत्पादों की मांग इस्पात उद्योग के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, जो समग्र अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर करती है। प्रतिशत की दृष्टि से इस्पात में मैंगनीज का उपयोग बहुत कम है, तथापि, विश्व में मैंगनीज उत्पादन का 95% से अधिक हिस्सा इस्पात की मजबूती, घर्षण प्रतिरोध, कठोरता आदि बढ़ाने के लिए इस्पात निर्माण में उपयोग किया जाता है। तदनुसार, इस्पात उत्पादन बढ़ने के साथ मैंगनीज अयस्क और फेरो मिश्रधातु की मांग बढ़ेगी।

विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) ने 2024 और 2025 के लिए अपने लघु अवधि परिदृश्य में पूर्वानुमान लगाया है कि इस्पात की मांग 1.7% बढ़कर 1,793 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) ने 2024 और 2025 के लिए अपने लघु अवधि परिदृश्य में पूर्वानुमान लगाया है कि इस्पात की मांग 1.7% बढ़कर 1,793 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। अनुमान है कि 2025 में इस्पात की मांग 1.2% बढ़कर 1,815 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। 2020 में कोविड संकट के बाद से दो वर्षों की नकारात्मक वृद्धि और गंभीर बाजार अस्थिरता के बाद, वे 2024 और 2025 में वैश्विक इस्पात मांग में वृद्धि के शुरुआती संकेत देख रहे हैं।

यह उम्मीद की जाती है कि 2024 में चीन में इस्पात की मांग 2023 के स्तर के आसपास रहेगी, क्योंकि रियल एस्टेट निवेश में गिरावट जारी रहेगी, लेकिन बुनियादी ढांचे में निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों से आने वाली इस्पात की मांग में वृद्धि से इस्पात की मांग में होने वाली कमी की भरपाई हो जाएगी। 2025 में चीन में स्टील की मांग में 1% की गिरावट के साथ गिरावट देखी जाएगी। (स्रोत: WSA)

भारत, 2021 के बाद से इस्पात की मांग में वृद्धि का सबसे मजबूत चालक बनकर उभरा है, और अनुमानों से पता चलता है कि भारतीय इस्पात की मांग 2024 और 2025 के दौरान 8% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ना जारी रहेगी, जो सभी इस्पात उपयोग क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि और विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश में निरंतर मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। 2025 में भारत में इस्पात की

मांग 2020 की तुलना में लगभग 70 मिलियन टन अधिक होने का अनुमान है। (स्रोत: WSA)

2025 में भारत में इस्पात की मांग 2020 की तुलना में लगभग 70 मिलियन टन अधिक होने का अनुमान है। (स्रोत: WSA). कच्चे इस्पात का उच्च उत्पादन और घरेलू मिश्र धातु क्षमता विस्तार, मैंगनीज अयस्क की मांग को बढ़ाने वाले कारक हैं। मैंगनीज अयस्क की घरेलू आवश्यकता में पर्याप्त वृद्धि हुई है, जिससे न केवल इस्पात के बढ़ते घरेलू उत्पादन की पूर्ति हो रही है, बल्कि मैंगनीज आधारित मिश्रधातुओं के निर्यात की भी पूर्ति हो रही है। इससे भारत लगातार मैंगनीज अयस्क का शुद्ध आयातक बना रहा है और विकास का अवसर प्रदान कर रहा है।

भविष्य में मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता को पूरा करने और बाजार में अग्रणी बने रहने के लिए, मॉयल ने रणनीतिक प्रबंधन योजना-2030 (एसएमपी-2030) तैयार की है। संशोधित रणनीतिक योजना के अनुसार, कंपनी ने 2030 तक अपना उत्पादन बढ़ाकर 3.5 मिलियन टन करने की योजना बनाई है। इस दिशा में कंपनी अपनी मौजूदा खदानों के विकास और मशीनीकरण, नई शाफ्ट बिछाने तथा नए पट्टे जोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि लक्षित उत्पादन हासिल किया जा सके।

107.75 मिलियन मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क के अपने वर्तमान संसाधन आधार के साथ, मॉयल अपनी प्रमुख स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी के अयस्क भंडार, केन्द्र में स्थित खदानों और मजबूत ग्राहक संबंधों के कारण भारत की इस्पात मांग में वृद्धि में योगदान करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। भविष्य में मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मॉयल देश के विभिन्न राज्यों में मैंगनीज अयस्क खदानें प्राप्त करने के अवसरों की खोज कर रहा है। इसके अलावा पहले से आरक्षित मैंगनीज अयस्क वाले क्षेत्रों में पूर्वेक्षण पट्टों को खनन पट्टों में परिवर्तित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।

D. जोखिम और चिंताएँ

मैंगनीज अयस्क उद्योग, इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है जो चक्रीय प्रकृति का है और मैंगनीज अयस्क की मांग पर प्रभाव डालता है। इस्पात बाजार की मांग में किसी भी प्रकार की मंदी तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ती दरों पर अधिक आपूर्ति से भारतीय इस्पात उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मॉयल एक श्रम प्रधान संगठन है। यद्यपि कंपनी में औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट रहे हैं, फिर भी श्रम से जुड़े जोखिम कारक हमेशा इसके उत्पादन निष्पादन पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

E. सेगमेंट के आधार पर/प्रॉडक्ट के हिसाब से प्रदर्शन

वर्ष 2023-24 के दौरान मैंगनीज अयस्क की शुद्ध बिक्री पिछले वर्ष के 1341.65 करोड़ रुपये के मुकाबले 8% बढ़कर 1449.42 करोड़ रुपये हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने पिछले वर्ष के 11.78 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 15.36 लाख मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क बेचा।

2023-24 में घरेलू बाजार में फेरो मैंगनीज की कीमत और मांग उत्साहजनक नहीं थी। विनिर्मित उत्पादों, अर्थात् फेरो मैंगनीज (स्लैग सहित) और इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड से कारोबार 2023-24 के दौरान 82.97 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2022-23 में यह 106.94 करोड़ रुपये था, जो 22% की गिरावट दर्शाता है। ईएमडी की बिक्री मात्रा, वर्ष 2022-23 में 1448 मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2023-24 में 937 मीट्रिक टन हो गई और फेरो मैंगनीज की बिक्री 8,419 मीट्रिक टन से घटकर 8,385 मीट्रिक टन हो गई।

F. उत्पादन

2023-24 के दौरान, मॉयल ने पिछले वर्ष 13.02 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले विभिन्न ग्रेड के मैंगनीज अयस्क का 17.56 लाख मीट्रिक टन उत्पादन किया है। ईएमडी का उत्पादन पिछले वर्ष के 1,100 टन की तुलना में 1,413 टन था। फेरो मैंगनीज का उत्पादन पिछले वर्ष के 8,660 मीट्रिक टन की तुलना में 10,163 मीट्रिक टन था। पवन टरबाइन जनरेटरों ने पिछले वर्ष के 288.87 लाख किलोवाट घंटे यूनिट की तुलना में इस वर्ष 283.95 लाख किलोवाट घंटे यूनिट का उत्पादन किया है।

G. आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां और उनकी पर्याप्तता

मॉयल ने सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण स्थापित कर लिए हैं और वे पर्याप्त पाए गए हैं। कंपनी के बोर्ड ने उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भी निर्धारित किया है। कंपनी एसएपी, जिम्मेदारियों और शक्तियों का प्रतिनिधिमंडल, एसओपी, आंतरिक लेखा परीक्षा, आंतरिक जांच, सतर्कता आदि के माध्यम से आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित कर रही है।

H. वित्तीय एवं परिचालन प्रदर्शन पर चर्चा

वैश्विक स्तर पर मैंगनीज अयस्क की कीमतों पर दबाव के बावजूद, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया। मॉयल ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मैंगनीज अयस्क का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन, बिक्री और रिकॉर्ड कारोबार हासिल किया है।

• वित्तीय प्रदर्शन

	रुपये करोड़ों में	
विवरण	2023-24	2022-23
परिचालन से राजस्व	1449.42	1341.65
अन्य कमाई	93.54	76.87
कुल आय	1542.96	1418.52
कुल व्यय	1155.96	1086.89
ईबीआईडीटीए	531.25	445.97
असाधारण मद से पहले कर से पहले लाभ	387.00	331.63
कर से पहले और अपवादात्मक मद से पहले परिचालन लाभ	293.46	254.76
असाधारण वस्तु	0.00	-2.82
वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ (पीबीटी)	387.00	334.45
कर के बाद लाभ (पीएटी)	293.34	250.59
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	294.02	224.90
लाभांश (प्रस्तावित लाभांश सहित)	123.11	75.09
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	200.00	105.00
आगे ले जाया गया लाभ का शेष	73.92	65.17

कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 1542.96 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह 1418.52 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का कुल कारोबार 1449.42 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के 1341.65 करोड़ रुपये की तुलना में 8.03% की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष के लिए कर-पूर्व लाभ (अपवादजनक मद से पहले) पिछले वर्ष के 331.63 करोड़ रुपए के पीबीटी की तुलना में 16.70% बढ़कर 387.00 करोड़ रुपए हो गया। इसी प्रकार, कंपनी ने कर पश्चात लाभ (पीएटी) 293.34 करोड़ रुपये अर्जित किया है, जबकि पिछली तिमाही में यह 250.59 करोड़ रुपये था। परिचालन लाभ भी वर्ष 2022-23 में 254.76 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 293.47 करोड़ रुपये हो गया है।

कंपनी के टर्नओवर पर ईबीआईडीटीए मार्जिन, पिछले वर्ष के 33.24% मार्जिन की तुलना में इस वर्ष 36.65% रहा है। म्यूचुअल फंडों के मोचन पर ब्याज और लाभ सहित अन्य आय 93.54 करोड़ रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष यह 76.87 करोड़ रुपये थी।

• प्रमुख वित्तीय अनुपात

अनुपात	2023-24	2022-23
देनदारों का टर्नओवर (दिनों में)	53.00	39.00
इन्वेंटरी टर्नओवर (दिन)	43.00	35.00
वर्तमान अनुपात (गुना)	4.11	3.66
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	20.25	18.99
निवल लाभ सीमा (%)	20.24	18.68
बिक्री टर्नओवर में ईबीआईडीटीए (%)	36.65	33.24
नेटवर्थ पर रिटर्न (%)	12.49	11.43

● परिचालन प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, मॉयल ने पिछले वर्ष के 13.02 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 34.87% की वृद्धि के साथ 17.56 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हासिल किया है। वित्त वर्ष 2023-24 में मैंगनीज अयस्क की बिक्री मात्रा 15.36 लाख मीट्रिक टन थी, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में यह 11.78 लाख मीट्रिक टन थी। ईएमडी उत्पादन पिछले वर्ष के 1,100 मीट्रिक टन से 28.45% बढ़कर 1,413 मीट्रिक टन हो गया है और फेरो मैंगनीज का उत्पादन पिछले वर्ष के 8,660 मीट्रिक टन से 17.35% बढ़कर 10,163 मीट्रिक टन हो गया है। वर्ष के दौरान औसत बिक्री प्राप्ति 10,422 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटकर 8,849 रुपये प्रति मीट्रिक टन रह गई। वित्त वर्ष 2023-24 में परिचालन लाभ 293.46 करोड़ रुपये था, जबकि वर्ष 2022-23 में यह 254.76 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2023-24 में नेटवर्थ पर रिटर्न पिछले वर्ष के 11.43% की तुलना में 12.49% बढ़ा है।

I. मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध के क्षेत्र में भौतिक विकास, जिसमें नियोजित लोगों की संख्या भी शामिल है

मॉयल के कर्मचारी कंपनी के प्रति बहुत समर्पित और वफादार हैं। सामान्यतः कर्मचारी हर अच्छे-बुरे समय में कंपनी के साथ बने रहे हैं। प्रबंधन की ओर से, यह अपने कर्मचारियों के लिए सर्वांगीण सुविधा सुनिश्चित कर रहा है, जिसमें आवश्यकता के आधार पर सभी स्तरों पर आवश्यक प्रशिक्षण भी शामिल है।

यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे हैं। यदि कोई मुद्दा हो तो उसे उचित मंच पर द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से सुलझाया जाता है। इस संबंध में कर्मचारी यूनियनों द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये कामगारों का सहयोग और समर्थन सराहनीय है।

31 मार्च 2024 तक कुल कर्मचारियों की संख्या 5480 है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी बोर्ड की रिपोर्ट में है।

अनुलग्नक- V

2023-24 के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट



ईएसजी संरेखण की ओर एक कदम

हाल के दिनों में, व्यवसाय क्षेत्र में पर्यावरण, सामाजिक, और प्रशासन (ईएसजी) सिद्धांतों को अपनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रवृत्ति देखी गई है। ईएसजी एक ऐसा ढांचा है जो कंपनियों को उनके पर्यावरणीय प्रभाव, हितधारक संबंधों और समग्र प्रशासन एवं नैतिक मानकों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है। इस बढ़ी हुई जागरूकता ने मॉयल को ईएसजी रणनीतियों को एकीकृत करने की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। अब हम टिकाऊ पहलों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाना, तथा संसाधनों के उपभोग को अनुकूलतम बनाना। इसके अलावा, हम समावेशी और विविधतापूर्ण कार्यस्थलों को विकसित करने, समान श्रम प्रथाओं को सुनिश्चित करने और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक समर्पित हैं। इसके अलावा, हम पारदर्शी रिपोर्टिंग और जवाबदेही तंत्र के साथ शासन संरचनाओं को बढ़ा रहे हैं। ईएसजी की दिशा में ये प्रयास, व्यावसायिक समृद्धि और पर्यावरणीय एवं सामाजिक कल्याण की परस्पर संबद्ध प्रकृति की व्यापक स्वीकृति को दर्शाते हैं।



मॉयल, देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है जो अपने निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। कंपनी को विभिन्न क्षेत्रों में अपने अच्छे कार्य के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय मान्यता मिल रही है। 2023-24 में कंपनी को प्राप्त कुछ मान्यताएँ निम्नलिखित हैं :

- वर्ष 2021-22 के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और टिकाऊ खान प्रबंधन के लिए खान मंत्रालय द्वारा गुमगांव खदान को 5 स्टार रेटिंग दी गई।
- भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित 32वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण (एमईएमसी) सप्ताह के दौरान मॉयल की नौ खदानों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार मिले।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय, डीजीएमएस ने बालाघाट, तिरोड़ी, सीतापटोर और चिखला खानों को 2021 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) प्रदान किए।
- मॉयल की अविघ्ना क्यूसी, बालाघाट खदान, परख क्यूसी और तिरोड़ी खदान ने नागपुर में 34वें चैप्टर लेवल कन्वेंशन सीसीक्यूसी-2023 में केस स्टडी प्रेजेंटेशन और कई श्रेणियों में सुपर गोल्ड अवार्ड जीते।
- 52वीं अखिल भारतीय खान बचाव प्रतियोगिता 2023, तेलंगाना में उपविजेता ट्रॉफी।
- राज्य जीएसटी विभाग, नागपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में नागपुर क्षेत्र के लिए दूसरा उच्चतम जीएसटी भुगतानकर्ता पुरस्कार।
- नई दिल्ली में टॉप रैंकर्स मैनेजमेंट से विविधता और समावेशन प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार।
- सर्वश्रेष्ठ रणनीतिक केंद्रीय पीएसई पुरस्कार - 6वें आईपीएसई पुरस्कार 2024, नई दिल्ली में मैंगनीज अयस्क खनन पुरस्कार।
- मॉयल भारती पत्रिका के लिए दो पुरस्कार तथा विश्व हिंदी परिषद, नई दिल्ली से हिंदी राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार।
- 17वें ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, PRCI अवार्ड्स 2023 में 4 विभिन्न श्रेणियों में PRCI अवार्ड्स 2023.
- 10वें पीएसयू अवार्ड्स में गवर्नेस नाउ द्वारा अन्वेषण और निष्कर्षण नवाचार, मानव संसाधन उत्कृष्टता, सीएमडी नेतृत्व, मानव संसाधन और सीएसआर नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया।
- 10वें पीएसयू अवार्ड्स में गवर्नेस नाउ की ओर से सीएसआर लीडरशिप अवार्ड।



Contents

खंड ए:

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

खंड बी:

प्रबंधन और
प्रक्रिया प्रकटीकरण

खंड सी:

सिद्धांतानुसार
प्रदर्शन प्रकटीकरण



खंड A:

सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1. सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L99999MH1962GOI012398						
2. सूचीबद्ध इकाई का नाम	मॉयल लिमिटेड						
3. निगमन का वर्ष	1962						
4. पंजीकृत कार्यालय पता	1-ए, काटोल रोड, नागपुर, महाराष्ट्र, 440013, भारत						
5. कॉर्पोरेट पता	1-ए, काटोल रोड, नागपुर, महाराष्ट्र, 440013, भारत						
6. ई-मेल	compliance@moil.nic.in						
7. टेलीफोन	0712-2806182						
8. वेबसाइट	www.moil.nic.in						
9. वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2023-2024						
10. स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	<table border="1"> <thead> <tr> <th>एक्सचेंज का नाम</th><th>स्टॉक कोड</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज</td><td>533286</td></tr> <tr> <td>नेशनल स्टॉक एक्सचेंज</td><td>मॉयल</td></tr> </tbody> </table>	एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	533286	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	मॉयल
एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड						
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज	533286						
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज	मॉयल						
11. पेड-अप कैपिटल	203,48,52,110						
12. उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	वीआर परिदा, संयुक्त महाप्रबंधक (खान) पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी vrparida@moil.nic.in						
13. रिपोर्टिंग सीमा - क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण एकल आधार पर (अर्थात केवल इकाई के लिए) किए गए हैं या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और उन सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिए गए हैं)।	इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए खुलासे, मॉयल के लिए एकल आधार पर किए गए हैं।						
14. आश्वासन प्रदाता का नाम	सेबी सर्कुलर SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 दिनांक 12 जुलाई, 2023 के अनुसार लागू नहीं।						
15. प्राप्त आश्वासन का प्रकार	सेबी सर्कुलर SEBI/HO/CFD/CFD-SEC-2/P/CIR/2023/122 दिनांक 12 जुलाई 2023 के अनुसार लागू नहीं।						

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90% हिस्सा):

क्रमांक	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का %
1.	खनन	मैंगनीज अयस्क का खनन	93.80
2.	मैन्युफ्रेचरिंग	फेरो मैंगनीज, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड का विनिर्माण	5.72
3.	विद्युत उत्पादन	पवन ऊर्जा टरबाइन जनरेटर	0.48

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्रमांक	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का % योगदान
1.	मैंगनीज अयस्क	7293	93.80
2.	इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड	24209	1.35
3.	फेरो मैंगनीज	24104	4.37
4.	बिजली इकाइयाँ	35106	0.48

III. ऑपरेशन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं:

स्थान	प्लांट की संख्या*	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	12	2	14
अंतरराष्ट्रीय		शून्य	

* कंपनी के पास कुल 10 खदानें और 2 संयंत्र हैं।

19. इकाई द्वारा जिन बाज़ारों में सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

a. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	पूरा भारत
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	एनए

b. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

शून्य. कंपनी अपने उत्पादों का निर्यात नहीं करती है।

c. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी।

एक प्रमुख मैंगनीज अयस्क खनन कंपनी के रूप में, मॉयल शीर्ष स्तरीय मैंगनीज अयस्क उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो इस्पात और लौह मिश्र धातु निर्माण में एक महत्वपूर्ण घटक है। मॉयल मुख्य रूप से इस्पात कंपनियों, प्रोसेसर, और फेरोएलॉय उत्पादन में शामिल फेरोएलॉय उत्पादकों को सेवा प्रदान करती है। मॉयल भारत में इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड का एकमात्र उत्पादक है, जो फार्मास्यूटिकल्स, बैटरी और रासायनिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करता है। इस्पात कंपनियां अपने इस्पात उत्पादों की मजबूती, स्थायित्व और संक्षारण प्रतिरोध में सुधार के लिए मॉयल की निरंतर और भरोसेमंद मैंगनीज अयस्क आपूर्ति पर निर्भर रहती हैं। लौह मिश्र धातु उत्पादकों को मॉयल के उच्च गुणवत्ता वाले मैंगनीज अयस्क से लाभ मिलता है, जिससे उन्हें आवश्यक लौह मिश्र धातु बनाने में मदद मिलती है, जो इस्पात के गुणों को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, मॉयल की पेशकशों में मूल्य संवर्धन में लगे प्रोसेसर, ऑटोमोटिव, निर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे विविध क्षेत्रों में विशेष मिश्र धातुओं की बढ़ती मांग को पूरा करते हैं।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत तक का विवरण:

a. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित):

क्रमांक	विवरण	कुल (A)	पुरुष		महिला	
			नंबर (B)	% (B / A)	नंबर (C)	% (C / A)
कर्मचारी						
1.	स्थायी (D)	2090	1972	94.35	118	5.65
2.	स्थायी के अलावा (E)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	कुल कर्मचारी (D + E)	2090	1972	94.35	118	5.65
कर्मचारी						
4.	स्थायी (F)	3390	2685	79.20	705	20.80
5.	स्थायी के अलावा (G)	4726	4071	86.14	655	13.86
6.	कुल कर्मचारी (F + G)	8116	6756	83.24	1360	16.76

b. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्रमांक	विवरण	कुल (A)	पुरुष		महिला	
			नंबर (B)	% (B / A)	नंबर (C)	% (C / A)
दिव्यांग कर्मचारी						
1.	स्थायी (D)	17	11	64.70	6	35.30
2.	स्थायी के अलावा (E)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (D + E)	17	11	64.70	6	35.30
DIFFERENTLY ABLED WORKERS						
4.	स्थायी (F)					
5.	स्थायी के अलावा (G)			शून्य		
6.	कुल दिव्यांग श्रमिक (F + G)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

	कुल (A)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत नंबर. (B)	% (B / A)
निदेशक मंडल	9	3	33.33
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	3*	0	0.00

*3 में से 2 केएमपी निदेशक मंडल का हिस्सा हैं।

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23			वित्त वर्ष 2021-22		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	3.83	0.85	3.57	4.06	7.41	4.25	2.91	2.41	2.62
स्थायी कर्मचारी	2.50	1.86	1.61	2.97	0.14	2.41	0.77	0.72	0.48

V. होल्टिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. (a) होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम

क्रमांक	होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (A)	बताएं कि क्या यह होल्टिंग/ सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ 'ए' में दर्शाई गई इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
	शून्या कंपनी के पास कोई होल्टिंग / सहायक / सहयोगी कंपनी / संयुक्त उद्यम नहीं है।			

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: हाँ

- a. टर्नओवर (रु. में, करोड़ में) – 1449.42
- b. कुल संपत्ति (रु. में, करोड़ में) – 2453.07

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें:

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू है (हां/ नहीं)	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	रिमार्क	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	रिमार्क
समुदाय निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	हाँ	0	0	कोई रिमार्क नहीं लागू नहीं	12	0	कोई रिमार्क नहीं
शेयरधारक	हाँ https://www.moiil.nic.in/userfiles/MOIL's%20Investor%20Grievance%20Redressal%20Policy.pdf	4	0	सभी शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया	6	0	कोई रिमार्क नहीं
कर्मचारी एवं श्रमिक	हाँ	0	0	कोई रिमार्क नहीं	0	0	कोई रिमार्क नहीं
ग्राहक	हाँ	52	0	सभी शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया	63	0	सभी शिकायतों का तुरंत समाधान किया गया
वैल्यू चेन पार्टनर्स अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	हाँ	0	0	कोई रिमार्क नहीं लागू नहीं	0	0	कोई रिमार्क नहीं

* शिकायतें/प्रतिक्रियाएं <https://www.moiil.nic.in/> पर दर्ज की जा सकती हैं।

26. संस्था के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों और पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित स्थिरता के मुद्दों का अवलोकन जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उनकी पहचान करने का औचित्य, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने का दृष्टिकोण और इसके वित्तीय निहितार्थ।

क्रमांक	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
1.	घटना का प्रबंधन	जोखिम	घटनाओं का अपर्याप्त प्रबंधन और समाधान गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, जिसमें कानूनी दंड, प्रतिष्ठा को नुकसान और वित्तीय नुकसान शामिल हैं।	मॉयल के पास एक मजबूत घटना प्रबंधन ढांचा है जो जोखिमों को सक्रिय रूप से पहचानता है और उन्हें न्यूनतम करता है, अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देता है, उद्योग विनियमों का पालन करता है, और इसके संचालन और दीर्घकालिक व्यवहार्यता की रक्षा करता है।	नकारात्मक * रिपोर्टिंग वर्ष में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं
2.	कर्मचारी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	जोखिम	खनन कार्यों में अनेक जोखिम शामिल होते हैं, जैसे ढह जाना, मशीनरी दुर्घटनाएं, खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आना, तथा क्षसन संबंधी बीमारियां। स्वास्थ्य और सुरक्षा की मजबूत संस्कृति पर जोर देने और उसे कायम रखने की उपेक्षा करने से कार्यस्थल पर दुर्घटनाएं, शारीरिक क्षति और व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे अनुपस्थिति बढ़ सकती है, कार्यकुशलता कम हो सकती है और कानूनी देनदारियां उत्पन्न हो सकती हैं।	कंपनी अपने कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने, खतरों को कम करने और सुरक्षित कार्य वातावरण को बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रशिक्षण पहल और निवारक कार्यों के लिए संसाधन आवंटित करती है।	नकारात्मक * रिपोर्टिंग वर्ष में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं
3.	कचरे का प्रबंधन	अवसर	मौजूदा कानूनों के अनुसार उचित अपशिष्ट निपटान प्रक्रियाओं का पालन करना पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा।	-	सकारात्मक
4.	जल का प्रबंधन	अवसर	टिकाऊ जल प्रबंधन रणनीति अपनाने के माध्यम से मॉयल, जल के उपयोग को सुव्यवस्थित कर सकता है, खपत को कम कर सकता है, तथा इसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर सकता है। परिणामस्वरूप, यह प्रयास एक ईमानदार और पर्यावरण के प्रति जागरूक इकाई के रूप में कंपनी की छवि को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, प्रभावी जल प्रबंधन से जल-संबंधी लागत में कमी लाकर तथा परिचालन दक्षता बढ़ाकर वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सकता है।	-	सकारात्मक
5.	मानव अधिकार और सामुदायिक संबंध	अवसर	मानव अधिकारों और सामुदायिक कल्याण के प्रति समर्पण दिखाने से कंपनी की प्रतिष्ठा में सुधार हो सकता है और सामाजिक रूप से जागरूक निवेशक और सहयोगी आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा, सामाजिक विकास, शिक्षा और कौशल संवर्धन से संबंधित परियोजनाओं पर स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर, मॉयल उन क्षेत्रों में सतत विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने में भूमिका निभा सकता है जहां वह अपना परिचालन करता है।	-	सकारात्मक
6.	लेबर प्रैक्टिस	जोखिम	निष्पक्ष और नैतिक श्रम मानकों की उपेक्षा से कर्मचारियों में असंतोष, श्रम विवाद, हड़ताल और परिचालन संबंधी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। श्रम विनियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप कानूनी परिणाम, जुर्माना और कंपनी की छवि को नुकसान हो सकता है।	मॉयल उचित पारिश्रमिक की पेशकश, सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने, तथा श्रम मामलों से संबंधित संभावित जोखिमों को कम करते हुए प्रेरित और कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए कर्मचारी अधिकारों को कायम रखने पर महत्व देता है।	नकारात्मक * रिपोर्टिंग वर्ष में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं

क्रमांक	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम है या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम की स्थिति में अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ दर्शाएँ)
7.	सुरक्षा को खतरा	जोखिम	वर्तमान में, मॉयल द्वारा संचालित 70% खदानें भूमिगत हैं, जो कुल उत्पादन में 65% का योगदान देती हैं। मॉयल मौजूदा खदानों में और अधिक गहराई तक जाकर तथा प्रवेश एवं क्षमता वृद्धि के लिए नए ऊर्ध्वाधर शाफ्टों का निर्माण करके उत्पादन बढ़ाने तथा अयस्क की गुणवत्ता बनाए रखने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। हालाँकि, यह रणनीति इन खदानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकती है।	मॉयल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन की गारंटी देता है तथा अपनी सभी खदानों और संयंत्रों में अग्नि सुरक्षा ऑडिट आयोजित करता है।	नकारात्मक * रिपोर्टिंग वर्ष में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं
8.	जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा प्रबंधन	अवसर	। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश और ऊर्जा दक्षता में सुधार से परिचालन लागत और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आ सकती है, जिससे मॉयल की स्थिरता प्रोफाइल और विनियमों के अनुपालन में वृद्धि हो सकती है।		सकारात्मक
9.	विनियामक अनुपालन	जोखिम	खनन विनियमों, पर्यावरण कानूनों और श्रम मानकों का अनुपालन न करने पर कानूनी दंड, जुर्माना और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है।	नियमित लेखा परीक्षा, अनुपालन प्रशिक्षण, तथा कानूनी आवश्यकताओं का पालना (यह पुष्टि की जाएगी कि कौन से उपाय अपनाए गए हैं)	नकारात्मक * रिपोर्टिंग वर्ष में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं
10.	पर्यावरणीय प्रभाव और स्थिरता	जोखिम	मैंगनीज अयस्क के निष्कर्षण और प्रसंस्करण से पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें आवास विनाश, मृदा क्षरण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण शामिल हैं। बढ़ती नियामक जांच और टिकाऊ प्रथाओं के लिए बढ़ती सामाजिक अपेक्षाएं उन खनन कंपनियों के लिए जोखिम पैदा करती हैं जो पर्यावरणीय चिंताओं का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करती हैं।	गैर-खतरनाक अपशिष्ट (लैंडफिलिंग और बैकफिलिंग के लिए प्रयुक्त चट्टानें) का इकाई द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। सभी खदान स्थलों के आसपास के क्षेत्र में नियमित रूप से पानी देकर वृक्षारोपण क्षेत्र को बनाए रखा जाता है। यह इकाई सौर पैनलों और पवन चक्कियों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से बिजली पैदा करती है। साथ ही, सभी खनन स्थलों और मुख्यालय में वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए समर्पित विशाल क्षेत्र हैं। संगठन ने अपनी सभी खदानों में शून्य तरल निर्वहन तंत्र को प्रभावी ढंग से स्थापित किया है, जिसमें सीवेज उपचार संयंत्र और अपशिष्ट उपचार संयंत्र शामिल हैं। उपचारित जल का उपयोग बागवानी, वृक्षारोपण, हरित पट्टी के रखरखाव और धूल नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, मुख्यालय में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा हुआ है, तथा उपचारित जल का उपयोग बागवानी और वृक्षारोपण के लिए किया जाता है।	नकारात्मक * रिपोर्टिंग वर्ष में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं
11.	तकनीकी और प्रक्रिया नवाचार	अवसर	मैंगनीज अयस्क उद्योग को खनन प्रौद्योगिकियों और प्रसंस्करण तकनीकों में प्रगति से काफी लाभ हो सकता है। स्वचालित खनन उपकरण, उन्नत अयस्क लाभकारी तरीके और ऊर्जा-कुशल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां जैसे नवाचार, उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं और मैंगनीज अयस्क उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। मॉयल को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को अपनाने और एकीकृत करने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और परिचालन दक्षता बनी रहे।		सकारात्मक

खंड B:

प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. a. क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं।	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
b. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
c. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो									
सेबी द्वारा अनिवार्य सभी नीतियां यहां पाई जा सकती हैं: https://www.moil.nic.in/content/148/Policies									
1. मॉयल की निवेशक शिकायत निवारण नीति - https://www.moil.nic.in/userfiles/MOIL's%20Investor%20Grievance%20Redressal%20Policy.pdf P2, P3, P4, P5, P8									
2. घटनाओं या सूचना की महत्ता का निर्धारण और उसका प्रकटीकरण - https://moil.nic.in/userfiles/file/InvRel/Disclosure%20and%20events/Policy_website.pdf P1, P4									
3. मॉयल निष्पक्ष प्रकटीकरण संहिता और अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता, 2015: https://www.moil.nic.in/userfiles/MCFDC2015.pdf P1									
4. निवेशक संबंध नीति - https://www.moil.nic.in/userfiles/Investor_Relation_Policy.pdf P1, P4									
5. लाभांश नीति - https://www.moil.nic.in/userfiles/Dividend_Policy_MOIL.pdf P3, P4									
6. रिकॉर्ड रखने और नष्ट करने की नीति - https://www.moil.nic.in/userfiles/Policy_on_Record_Retention_Destruction.pdf P1, P9									
7. व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता - https://www.moil.nic.in/userfiles/coc.pdf P1									
8. संबंधित पक्ष लेनदेन नीति: moil.nic.in/userfiles/Related_Party_Transaction_Policy.pdf P1, P4, P7									
9. विहसिल ब्लोअर नीति - https://www.moil.nic.in/userfiles/Whistle_Blower_Policy_of_MOIL.pdf P1, P3									
10. सीएसआर नीति- https://www.moil.nic.in/userfiles/CSR_and_Sustainability_Policy_of_MOIL.pdf P4, P8									
11. जोखिम प्रबंधन नीति - https://www.moil.nic.in/userfiles/Risk%20Management%20Policy.pdf P1, P2									
12. सूचना नीति: https://www.moil.nic.in/userfiles/InformationTechnology_Policy-MOIL-FinalB.pdf P9									
13. धोखाधड़ी रोकथाम नीति - https://www.moil.nic.in/userfiles/fpp2017.pdf P1									
14. सुरक्षा नीति- https://www.moil.nic.in/userfiles/safety_policy.pdf P4, P5									
15. पर्यावरण नीति- https://www.moil.nic.in/userfiles/Environment_Policy.pdf P2, P6									
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है।	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला साझेदारों तक विस्तारित हैं?	हमारी कुछ नीतियां हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक भी विस्तारित हैं। ये इस प्रकार हैं:								
	• सुरक्षा नीति • धोखाधड़ी रोकथाम नीति; • आईटी नीति								
4. आपके निकाय द्वारा अपनाए गए और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणन/लेबल/मानकों (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट अलायंस, ट्रस्टिया) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) के नाम।	1) सभी खानों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (OHSAS) हेतु ISO 45001:2018 लिया गया 2) सभी खदानों के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) हेतु आईएसओ 14001:2015 लिया गया 3) सभी खदानों के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) हेतु आईएसओ 9001:2015 लिया गया 4) सभी खानों के लिए सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु एसए 8000 अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाणपत्र लिया गया 5) बालाघाट, भंडारा और नागपुर जिले की खदानों के लिए स्थिरता रिपोर्ट हेतु जीआरआई मानकों के अनुसार प्रमाणन								
5. कोई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो, परिभाषित समयसीमा के साथ।	अपने ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) प्रयासों के एक भाग के रूप में, मॉयल का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा उपयोग, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, वायु उत्सर्जन में कमी, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) शमन और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित स्थिरता प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) के लिए लघु, मध्यम और दीर्घकालिक उद्देश्यों को स्थापित करना है।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और टारगेट के प्रति इकाई का प्रदर्शन तथा इनके पूरा न होने की स्थिति में कारण।									

शासन, नेतृत्व और निगरानी

7. व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया

ईएसजी सिद्धांतों के प्रति हमारे समर्पण में, हम स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं के निरंतर बदलते परिदृश्य को स्वीकार करते हैं। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसी चुनौतियों के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है। हमारे लक्ष्यों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन, पर्यावरणीय नुकसान को न्यूनतम करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना, तथा हमारी मूल्य श्रृंखला में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ सहयोग करना शामिल है। हम पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे परिचालन और आपूर्ति श्रृंखला में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए।

एक जिम्मेदार निगम के रूप में, हम मजबूत शासन प्रथाओं को महत्व देते हैं जो ईमानदारी और निष्पक्षता को प्राथमिकता देते हैं। हम अपने कार्यबल के बीच विविधता, समावेशिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को पोषित करते हुए कानूनों और नियमों का अनुपालन करने के लिए अपनी शासन संरचनाओं को निरंतर परिष्कृत करते रहते हैं।

हमारी उपलब्धियां हमारी टीमों, हितधारकों और साझेदारों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम हैं, जो एक स्थायी भविष्य के लिए हमारे दृष्टिकोण को साझा करते हैं। स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास पहलों सहित हमारे सामुदायिक योगदान को मान्यता मिलना, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

जबकि हम अपनी सफलताओं का जश्न मनाते हैं, हम मानते हैं कि हमारी ईएसजी यात्रा जारी है। हम हितधारकों के साथ जुड़ने, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, तथा उभरती चुनौतियों का समाधान करने और अपने मूल्यों के अनुरूप अवसरों का लाभ उठाने के लिए नवोन्मेषी समाधान खोजने के लिए समर्पित हैं। साथ मिलकर, हमारा लक्ष्य पर्यावरण, समाज और हमारे हितधारकों की दीर्घकालिक समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालना है, जिससे एक जिम्मेदार और टिकाऊ संगठन के रूप में मॉयल लिमिटेड की स्थिति की पुष्टि हो सके।

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (नीतियों) के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण। श्रीमती उषा सिंह, निदेशक (मानव संसाधन), डीआईएन-08307456

9. क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां/नहीं) यदि हां, तो विवरण प्रदान करें। कंपनी के पास सीएसआर, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और जोखिम प्रबंधन के लिए एक समर्पित समिति है। अन्य नीतियों के लिए, कंपनी के पास उनकी समीक्षा और कार्यान्वयन पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

समीक्षा का विषय	बताएं कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)								
	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
उपरोक्त नीतियों के विरुद्ध प्रदर्शन और अनुवर्ती कार्रवाई	निदेशक मंडल, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति, और लेखा परीक्षा समिति, जहां लागू हो, उल्लिखित नीतियों और अनुवर्ती कार्रवाइयों से संबंधित निष्पादन की समीक्षा करती हैं। ये समीक्षाएं समय-समय पर होती रहती हैं, जो प्रासंगिक कानूनों में परिवर्तन के कारण अद्यतन की आवश्यकता के चलते होती हैं।																	
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	परिचालन संबंधी मुद्दों की पहचान होने पर उनका 'निरंतर आधार' पर समाधान किया जा रहा है। कंपनी, समय-समय पर अनुपालन की निगरानी करती है और उन्हें पूरा करती है।																	
11. क्या इकाई ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाह्य एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन कराया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	धीर एंड धीर एसोसिएट्स नामक एक लॉ फर्म ने नीतियों के क्रियान्वयन और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया और उनकी परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अतिरिक्त, विभाग प्रमुख और व्यवसाय प्रमुख समय-समय पर नीतियों की समीक्षा और संशोधन करते हैं, जिसका अंतिम अनुमोदन प्रबंधन या बोर्ड से होता है। जहां लागू हो, वहां प्रक्रियाओं और अनुपालन उपायों की आंतरिक लेखापरीक्षाओं और नियामक निकायों द्वारा जांच की जा सकती है।																	

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर "नहीं" है, अर्थात् सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
इकाई, सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हां/नहीं)	लागू नहीं								
इकाई, ऐसी स्थिति में नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने की स्थिति में हो (हां/नहीं)									
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

खंड C:

सिद्धांतानुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

यह अनुभाग संगठनों को महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और निर्णयों में सिद्धांतों और मूल तत्वों को शामिल करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। अनुरोधित जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सभी संस्थाओं से आवश्यक संकेतकों का खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन नेतृत्व संकेतकों का खुलासा उन संस्थाओं के लिए वैकल्पिक है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना चाहते हैं।



सिद्धांत

1

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ तथा नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन करना चाहिए।

व्यवसायों को ईमानदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से काम करना चाहिए। इन मूल्यों को बनाए रखने से हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है और दीर्घकालिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है। नैतिक आचरण निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, पारदर्शिता विश्वास का निर्माण करती है और जवाबदेही समाज और पर्यावरण दोनों के प्रति जिम्मेदारी प्रदर्शित करती है।



आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशत:

सेगमेंट	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनके प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	5	खनन इण्डाबा सम्मेलन, फेरो अलॉयमेंट 24वां अंतर्राष्ट्रीय मैंगनीज उद्योग शिखर सम्मेलन, फेरो अलॉय सम्मेलन, बेहतर बोर्ड निर्माण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आदि।	56%
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	20	निर्णय लेना, अग्रिम प्रबंधन कार्यक्रम, हरित खनन, निवारक सतर्कता, फेरो मिश्र धातु शिखर सम्मेलन, खनन प्रक्रिया का डिजिटलीकरण, फेरो मिश्र धातु शिखर सम्मेलन आदि।	92%
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	67	मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम, नए कर्मचारियों के लिए परिचय एवं अभिमुखीकरण, वार्ता कौशल, निवारक सतर्कता, अनुबंध श्रम प्रबंधन, खनन प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी का डिजिटलीकरण, सार्वजनिक खरीद, साइबर सुरक्षा, खानों में विद्युत सुरक्षा आदि।	95%
कर्मचारी	70	अग्निशमन और सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला, ऑनलाइन पोर्टल में ड्रोन डेटा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम और खनन योजना प्रस्तुत करना, खरीद अनुबंध प्रबंधन पर कार्यशाला, टाटा हिताची उपकरण का रखरखाव, पिट सुरक्षा, श्रमिक निरीक्षक कार्यक्रम आदि।	36%

2. वित्तीय वर्ष में विनियमकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/दंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में (नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	मुद्रा	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हां/ नहीं)
			राशि (भारतीय रुपये में)		
जुर्माना/दंड	P1	स्टॉक एक्सचेंज	4,318,800	कंपनी, बोर्ड की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 17(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।	हां
सेटलमेंट				शून्य	
चक्रवृद्धि शुल्क				गैर-मौद्रिक	
कैद				शून्य	
सजा					

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में उजागर किए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है।

केस विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
कंपनी, बोर्ड की संरचना के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियमन के विनियमन 17(1) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई)

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

मॉयल के निदेशक मंडल ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता का समर्थन किया है, जिसमें ईमानदार, नैतिक व्यवहार और प्रासंगिक कानूनों, विनियमों और मानकों के पालन के महत्व पर बल दिया गया है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार विरोधी उपाय इस संहिता का अभिन्न अंग हैं। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए धोखाधड़ी रोकथाम नीति लागू की है। इन नीतियों का वेब लिंक बीआरएसआर के खंड बी में शामिल है।

5. निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
निदेशक	शून्य	शून्य। रिपोर्टिंग वर्ष में हमारे किसी भी निदेशक/केएमपी/कर्मचारी/
केएमपी	शून्य	श्रमिक के विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी
कर्मचारी	01	भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं
श्रमिक	शून्य	की गई।

6. हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का ब्योरा:

	वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23	
	संख्या	रिपोर्ट	संख्या	रिपोर्ट
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य। हितों के टकराव के संबंध में कोई		शून्य। हितों के टकराव के संबंध में कोई	
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शिकायत दर्ज नहीं की गई।		शिकायत दर्ज नहीं की गई।	

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

- सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात इस्पात मंत्रालय) के माध्यम से की जाती है। इस प्रकार, निदेशकों की नियुक्ति न तो कंपनी के बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है और न ही कंपनी/उसका बोर्ड किसी निदेशक की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत है। कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 का अनुपालन करने के लिए कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में निदेशकों की नियुक्ति करने के लिए मंत्रालय को पत्र भेज रही है।
- कंपनी ने "सेबी के एसओपी परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार लगाए गए एसओपी जुर्माने के लिए एकसमान कटौती" की नीति के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को दंड की माफी के लिए भी आवेदन किया है, जो लिस्टिंग समझौते/लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन के लिए एसओपी के तहत लगाए गए जुर्माने की माफी/कमी के लिए स्वीकार्य कारण निर्धारित करता है।

8. देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	38	33

9. व्यवसाय की खुलापन: व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मेट्रिक	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खरीद का संकेन्द्रण	a. कुल खरीद के % के रूप में ट्रेडिंग हाउसों से खरीद	शून्य	शून्य
	b. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीद की गई	शून्य	शून्य
	c. शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद, व्यापारिक घरानों से कुल खरीद के % के रूप में	शून्य	शून्य
बिक्री का संकेन्द्रण	a. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में बिक्री	शून्य	शून्य
	b. डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है	शून्य	शून्य
	c. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	शून्य	शून्य
आरपीटी का हिस्सा	a. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	शून्य	शून्य
	b. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	शून्य	शून्य
	c. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	शून्य	शून्य
	d. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	शून्य	शून्य

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों की आयु का % (मूल्य के अनुसार)
शून्य। वर्तमान में वैल्यू चेन भागीदारों के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है। हालाँकि, आने वाले वर्षों में इसका मूल्यांकन किया जाएगा और उसके अनुसार कार्य किया जाएगा।		

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

बोर्ड से संबंधित हितों के टकराव पर विस्तृत दिशानिर्देश, बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए कंपनी की व्यावसायिक आचार संहिता और आचार संहिता में उल्लिखित हैं। यह दस्तावेज़ हितों के टकराव की अवधारणा को स्पष्ट करता है तथा उन गतिविधियों को सूचीबद्ध करता है जिनसे निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों को बचना चाहिए। इस जानकारी तक पहुंचने के लिए वेब लिंक बीआरएसआर के खंड बी में उपलब्ध है।



सिद्धांत

2

व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से प्रदान करना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

व्यवसायों का कर्तव्य है कि वे वस्तुओं और सेवाओं को संधारणीय और सुरक्षित तरीके से वितरित करें। संधारणीयता को प्राथमिकता देने से पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है, संसाधनों का संरक्षण होता है और ग्रह को स्वस्थ बनाने में योगदान मिलता है। सुरक्षा सुनिश्चित करने से उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की भलाई की गारंटी मिलती है, व्यावसायिक प्रथाओं में नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा मिलता है।



आवश्यक संकेतक

- उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश में।

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी पूंजीगत व्यय	शून्य 6.2	0.03% शून्य	पीसीसीएफ महाराष्ट्र और पीसीसीएफ मध्य प्रदेश द्वारा वन्यजीव संरक्षण उपायों को मंजूरी दी गई। ये शमन उपाय उकवा, बालाघाट, तिरोड़ी, सीतापटोर, डोंगरी, गुमगांव और कांदरी खदानों के कोर और बफर क्षेत्रों में पारिस्थितिकी और जैव विविधता, पुष्प और जीव प्रजातियों की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह निवासियों, वन कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में भी योगदान देता है।

- क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)

मॉयल पूरे भारत में सभी के लिए सुलभ पारदर्शी और समावेशी निविदा प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। विभिन्न संस्थाओं से बिडिंग आमंत्रित करते समय, कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और महिला उद्यमियों द्वारा संचालित व्यवसायों को समर्थन देने को प्राथमिकता देती है, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। कुछ निविदाओं में बिडिंग करने वालों को सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन श्रृंखला (OHSAS) या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) प्रमाणन रखना आवश्यक हो सकता है।

- यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट टिकाऊ तरीके से प्राप्त किए गए?

कंपनी वर्तमान में टिकाऊ स्रोतों से प्राप्त इनपुट का मूल्य या प्रतिशत दर्ज नहीं करती है। हालांकि, मॉयल आगामी वर्षों में इस पहलू का मूल्यांकन और समाधान करने का इरादा रखता है।

- अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और डिस्पोज करने के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (ए) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (बी) ई-कचरा (सी) खतरनाक अपशिष्ट और (डी) अन्य अपशिष्ट।

खनन कंपनी मॉयल लिमिटेड मुख्य रूप से मैंगनीज अयस्क के साथ-साथ मैंगनीज अयस्क, इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड और फेरो मैंगनीज के अन्वेषण, निष्कर्षण और उत्पादन में लगी हुई है। खनन कार्यों की प्रकृति के कारण, जहां मूल्यवान खनिज प्राप्त करने के लिए अयस्क का निष्कर्षण और प्रसंस्करण किया जाता है, वहां जीवन चक्र के अंत में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण या निपटान के लिए उत्पादों को पुनः प्राप्त करने के अवसर सीमित होते हैं। कुछ विनिर्माण क्षेत्रों के विपरीत, जो अपने उत्पादों को पुनः चक्रित या पुनः प्रयुक्त कर सकते हैं, खनन प्रक्रियाओं में प्रायः गैर-नवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण करना पड़ता है, जिससे उपयोगी जीवन के अंत में सामग्रियों को पुनः प्राप्त करना और पुनः चक्रित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर भी, मॉयल अपने परिचालनों में टिकाऊ प्रथाओं को लागू करने, पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करने तथा दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार खनन मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर), इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हां / नहीं)। यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबंधित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, मॉयल पर लागू नहीं है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या इकाई ने अपने किसी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें?

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	कुल कारोबार का % योगदान	वह बाउंड्री जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य / मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हाँ/नहीं)	परिणाम, सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक प्रदान करें
कंपनी, वर्तमान में अपने उत्पादों/सेवाओं के लिए एलसीए नहीं कर रही है। हालाँकि, आने वाले वर्षों में इसका मूल्यांकन किया जाएगा और कंपनी की आवश्यकता के अनुसार इसे आगे बढ़ाया जाएगा।					

2. यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, जैसा कि जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाना गया है, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें।

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
यह लागू नहीं है क्योंकि कंपनी वर्तमान में अपनी सेवाओं के लिए एलसीए नहीं कर रही है।		

3. उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में प्रयुक्त कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकृत या पुनःप्रयुक्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत।

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री के लिए पुनर्चक्रित या पुनः उपयोग की गई इनपुट सामग्री	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
	लागू नहीं	लागू नहीं

4. उत्पादों और पैकेजिंग की जीवन अवधि के अंत में पुनः प्राप्त, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और सुरक्षित रूप से निपटान की गई मात्रा (मीट्रिक टन में), निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित रूप से निपटान	पुनः उपयोग	पुनर्चक्रण	सुरक्षित रूप से निपटान
प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित)	लागू नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी उत्पादों को वापस लेने की स्थिति में नहीं है			लागू नहीं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कंपनी उत्पादों को वापस लेने की स्थिति में नहीं है		
ई-कचरा						
खतरनाक अपशिष्ट						
अन्य अपशिष्ट						

5. प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)

उत्पाद श्रेणी बताएं	प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुनः प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में)।
	लागू नहीं।



सिद्धांत

3

व्यवसायों को अपने मूल्य शृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए

व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, तथा अपनी मूल्य शृंखलाओं में उन सभी को समर्थन और सम्मान देना चाहिए। निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देकर और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाकर, कंपनियाँ उत्पादकता बढ़ाती हैं और वफ़ादारी को बढ़ावा देती हैं।



आवश्यक संकेतक

1. a. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

कुल (A)	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %									
	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व बीमा *		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	संख्या (B)	% (B/A)	संख्या (C)	% (C/A)	संख्या (D)	% (D/A)	संख्या (E)	% (E/A)	संख्या (F)	% (F/A)
स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	1972	1972	100.00	1972	100.00	0	0.00	शून्य	1972	100.00
महिला	118	118	100.00	118	100.00	118	100.00		118	100.00
कुल	2090	2090	100.00	2090	100.00	118	100.00		2090	100.00
स्थायी कर्मचारियों के अलावा										
पुरुष								शून्य		
महिला										
कुल										

* (D) का प्रतिशत – मातृत्व लाभ की गणना एनएसई द्वारा दिनांक 10 मई, 2024 को जारी बीआरएसआर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार 100% के रूप में की जाती है, क्योंकि इसकी गणना केवल महिला कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

b. श्रमिकों के कल्याण हेतु उपायों का विवरण:

कुल (A)	इसके अंतर्गत आने वाले श्रमिकों का %									
	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ *		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	संख्या (B)	% (B/A)	संख्या (C)	% (C/A)	संख्या (D)	% (D/A)	संख्या (E)	% (E/A)	संख्या (F)	% (F/A)
स्थायी कर्मचारी										
पुरुष	2685	2685	100.00	2685	100.00	0	0.00	शून्य	2685	100.00
महिला	705	705	100.00	705	100.00	705	100.00		705	100.00
कुल	3390	3390	100.00	3390	100.00	705	100.00		3390	100.00
Other than Permanent workers										
पुरुष	4071	4071	100.00	4071	100.00	0	0.00	शून्य	4071	100.00
महिला	655	655	100.00	655	100.00	655	100.00		655	100.00
कुल	4726	4726	100.00	4726	100.00	655	13.90		4726	100.00

* (D) का प्रतिशत – मातृत्व लाभ की गणना एनएसई द्वारा 10 मई, 2024 को जारी बीआरएसआर पर एफएक्यू के अनुसार 100% के रूप में की जाती है, क्योंकि इसकी गणना केवल महिला कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

c. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	2.73	2.84

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (Y/N/N.A.)	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (Y/N/N.A.)
पीएफ	100	100	Y	100	100	Y
ग्रेज्युटी	100	100	NA	100	100	NA
ईएसआई	मॉयल अपने सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को अपने परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करता है।			मॉयल अपने सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को अपने परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा में मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करता है।		

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं?

कंपनी समावेशिता को प्राथमिकता देती है तथा सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने का प्रयास करती है। इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, कंपनी दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए रैंप, रेलिंग स्थापित करती है और व्हीलचेयर प्रदान करती है। यह दिव्यांग व्यक्तियों को उनके कौशल और क्षमताओं को पहचानते हुए उपयुक्त नौकरी के अवसर प्रदान करने में दृढ़ विश्वास रखता है। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यकता हो सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित सहायता टीम उपलब्ध है।

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

मॉडल में, हम व्यक्तियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म, राष्ट्रीय मूल, आयु या विकलांगता के बावजूद समान रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। हम एक निष्पक्ष और समावेशी कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं जहाँ हर कर्मचारी को मूल्यवान, सम्मानित महसूस हो और उसे आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। हालाँकि वर्तमान में इसे किसी नीति में औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन हम भविष्य में इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का पालन करती है।

5. स्थायी कर्मचारियों और पैतृक अवकाश लेने वाले श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दरा

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	काम पर वापसी की दर	अवधारण दर	काम पर वापसी की दर	अवधारण दर
पुरुष	यह लागू नहीं है, क्योंकि इसमें पितृत्व अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है।			
महिला	100.00	100.00	100.00	100.00
कुल	100.00	100.00	100.00	100.00

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें।

	हां/नहीं (यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)
स्थायी श्रमिक	कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। इस तंत्र में प्रत्येक इकाई या खदान में एक शिकायत अधिकारी का नामांकन शामिल है। प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यालय में नामित शिकायत अधिकारी, इकाइयों या खदानों में कार्यरत अधिकारियों के साथ समन्वय करता है। इकाइयों या खदानों तथा मुख्यालय में नियुक्त लोक शिकायत अधिकारियों द्वारा मासिक या त्रैमासिक आधार पर शिकायतों की समीक्षा की जाती है तथा उनका समाधान किया जाता है, तथा निर्धारित एक माह की समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाता है। इकाई शिकायत अधिकारी, मासिक या त्रैमासिक आधार पर शिकायतों से संबंधित आंकड़े मुख्यालय को प्रस्तुत करते हैं, जो इसकी जांच करता है और सूचना इस्पात मंत्रालय को भेजता है।
स्थायी श्रमिकों के अलावा अन्य	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक (A)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन(एसोसिएशनों) या यूनियन का हिस्सा हैं (B)	% (B / A)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक (C)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन(एसोसिएशनों) या यूनियन का हिस्सा हैं (D)	% (D / C)
कुल स्थायी कर्मचारी	2090	2090	100.00	1480	1480	100.00
पुरुष	1972	1972	100.00	1387	1387	100.00
महिला	118	118	100.00	93	93	100.00
कुल स्थायी कर्मचारी	3390	3390	100.00	4131	4131	100.00
पुरुष	2685	2685	100.00	3415	3415	100.00
महिला	705	705	100.00	716	716	100.00

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

	वित्त वर्ष 2023-24					वित्त वर्ष 2022-23				
	कुल (A)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (D)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		No. (B)	% (B/A)	No. (C)	% (C/A)		संख्या (E)	% (E/D)	संख्या(F)	% (F/D)
कर्मचारी										
पुरुष	1972	लगभग 1448 कर्मचारियों और श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं				कर्मचारियों को सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन पर विविध प्रशिक्षण प्रदान किया गया				
महिला	118	सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।				हालाँकि, रिपोर्टिंग वर्ष के लिए इसका डेटा मात्रात्मक नहीं है। आगामी वर्षों से				
कुल	2090	हालाँकि, वर्तमान में इसका सीमांकन नहीं किया गया है।				इसे उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं।				
श्रमिका										
पुरुष	6756	लगभग 1448 कर्मचारियों और श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं				श्रमिकों को सुरक्षा एवं कौशल उन्नयन पर विविध प्रशिक्षण प्रदान किया गया				
महिला	1360	सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।				हालाँकि, रिपोर्टिंग वर्ष के लिए इसका डेटा मात्रात्मक नहीं है। आगामी वर्षों से				
कुल	8116	हालाँकि, वर्तमान में इसका सीमांकन नहीं किया गया है।				इसे उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं।				

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण:

Category	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (A)	No. (B)	% (B/A)	कुल (C)	No. (D)	% (D/C)
कर्मचारी						
पुरुष	1972	1972	100.00	1387	1387	100.00
महिला	118	118	100.00	93	93	100.00
कुल	2090	2090	100.00	1480	1480	100.00
श्रमिक						
पुरुष	6756	6756	100.00	3415	3415	100.00
महिला	1360	1360	100.00	716	716	100.00
कुल	8116	8116	100.00	4131	4131	100.00

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

a. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली क्रियान्वित की गई है? (हां/नहीं) यदि हां, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

मॉयल अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है, जिसका उदाहरण व्यावसायिक रोग जांच के लिए समर्पित इसका व्यापक स्वास्थ्य शिविर है। यह पहल कार्यबल के लिए नियमित स्वास्थ्य मूल्यांकन सुनिश्चित करती है, जिससे संभावित व्यावसायिक स्वास्थ्य चिंताओं की सक्रिय पहचान और प्रबंधन संभव हो पाता है। इस कार्यक्रम में प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण (आईएमई) और आवधिक चिकित्सा परीक्षण (पीएमई) दोनों शामिल हैं, जिसमें 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की हर 5 वर्ष में और 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की हर 3 वर्ष में जांच की जाती है।

इसके अलावा, कंपनी भारी वाहनों का संचालन करने वाले श्रमिकों की भलाई के लिए उनकी वार्षिक नेत्र जांच आयोजित करके अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, मॉयल, व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने श्रमिकों को आवश्यक जीवन रक्षक कौशल प्रदान करने के लिए समर्पित है। सभी कर्मचारियों को आपात स्थिति के दौरान घायल सहकर्मियों को बचाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरत पड़ने पर वे तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहें। इसके अलावा, श्रमिकों को आग और छत गिरने जैसी गंभीर स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे सभी खनन कार्यों के दौरान सुरक्षा और तैयारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

b. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

कंपनी सावधानीपूर्वक रखरखाव प्रथाओं के माध्यम से अपनी मशीनरी और उपकरणों की विश्वसनीयता और दक्षता पर जोर देती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मशीनें बेहतर ढंग से काम करें, नियमित रखरखाव जांच की जाती है, जिससे अप्रत्याशित खराबी का जोखिम कम हो जाता है और परिचालन में व्यवधान न्यूनतम हो जाता है। किसी भी खराब उपकरण की शीघ्र मरम्मत, परिचालन को शीघ्रता से पुनः आरंभ करने तथा संभावित देरी और उत्पादकता हानि को रोकने के लिए प्राथमिकता है।

परिचालन क्षेत्रों की अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, कंपनी उपकरणों और पाइपलाइनों की संरचनात्मक अखंडता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से दबाव परीक्षण करती है। यह निवारक उपाय सुरक्षा जोखिम उत्पन्न करने से पहले संभावित लीक या कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है।

इसके अलावा, कंपनी महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए गैर-विनाशकारी परीक्षण (एनडीटी) का उपयोग करती है। एनडीटी एक मूल्यवान निरीक्षण तकनीक है जो कंपनी को बिना किसी क्षति के आवश्यक उपकरणों की स्थिति का आकलन करने की अनुमति देती है। एनडीटी परीक्षणों के माध्यम से, मॉयल महत्वपूर्ण मशीनरी में किसी भी दोष या

असामान्यता का पता लगा सकता है और मरम्मत या प्रतिस्थापन के बारे में सूचित निर्णय ले सकता है, जिससे इसकी खनन प्रक्रियाओं का निरंतर और सुरक्षित संचालन सुनिश्चित होता है।

c. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य-संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से खुद को दूर रखने की प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)

प्रत्येक खदान में संचार क्षेत्र में एक टेलीफोन लगा होता है। किसी चोट या आपात स्थिति में, श्रमिकों को खदान के वरिष्ठतम प्रबंधक या खदान प्रबंधक को घटना की तुरंत सूचना देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, वे ड्यूटी पर मौजूद किसी भी पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर, खदान प्रबंधक स्थिति की जिम्मेदारी लेता है और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार नामित अधिकारी को सूचित करता है। इसके बाद नामित अधिकारी स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित सुरक्षित परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करता है तथा घायल कर्मचारी को सुरक्षित एवं कुशलतापूर्वक बचाने के लिए सर्वोत्तम कार्यवाही का निर्णय लेता है।

d. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

कंपनी तत्काल प्रतिक्रिया और मामूली चोटों या चिकित्सा आपात स्थितियों के उपचार के लिए ऑन-साइट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है, जिनका प्रबंधन खदान परिसर के भीतर ही किया जा सकता है।

हालांकि, किसी महत्वपूर्ण चिकित्सा दुर्घटना की स्थिति में या जब साइट पर मौजूद सुविधा की क्षमता से परे विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है, तो मॉयल जिम्मेदारीपूर्वक प्रभावित व्यक्ति को खदान के बाहर स्थित अस्पताल में रेफर करता है। कंपनी इस बाह्य चिकित्सा उपचार पर होने वाले खर्च को वहन करती है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में::

	श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
खोया हुआ समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	0	0
	श्रमिक	0.40	0.51
कुल रिकॉर्ड योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	0	0
	श्रमिक	0	0
मृतकों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	श्रमिक	3	2
उच्च परिणाम वाली कार्य-संबंधित चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	0	1
	श्रमिक	3	5

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

कंपनी ने सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- मशीनों का रखरखाव
- सुरक्षा ब्रीफिंग
- श्रमिकों के लिए रिफ्रेशर प्रशिक्षण और वार्षिक प्रशिक्षण
- नई मशीनों के लिए प्रशिक्षण
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई)
- चिकित्सा जांच
- सफाई और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

Category	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	रिमार्क	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	रिमार्क
काम करने की स्थिति	शून्य			शून्य		
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा						

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	100.00
काम करने की स्थिति	100.00

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें।

प्रत्येक खदान में सुरक्षा जागरूकता अभियान, कार्य संबंधी सुरक्षा पर प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण, आपातकालीन तैयारी के लिए नियमित मॉक ड्रिल आदि।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (A) कर्मचारियों (हां/नहीं) (B) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

हां, मॉयल समूह, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रदान करता है तथा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में कर्मचारियों को वित्तीय सहायता योजना प्रदान करता है, जैसे कि सेवाकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाना या 55 वर्ष की आयु से पहले अशक्तता के कारण समय से पूर्व सेवानिवृत्ति हो जाना। इसके अलावा, मृत्यु की स्थिति में, प्रत्येक कर्मचारी एक पूर्व निर्धारित राशि का योगदान देता है, जिसके बराबर ही कंपनी भी योगदान देती है।

कंपनी उन कर्मचारियों या श्रमिकों के परिवारों की सहायता के लिए अनुकंपा नियुक्ति योजना भी प्रदान करती है, जिनकी मृत्यु उनके रोजगार के दौरान हो गई हो। इस योजना का उद्देश्य कुछ नियमों व शर्तों के अधीन, मृतक के परिजनों को नौकरी के अवसर प्रदान करके पुनर्वास करना है।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों की जानकारी प्रदान करें।

श्रम कानूनों के संबंध में, मॉयल अपने कार्मिक अधिकारियों के माध्यम से भविष्य निधि (पीएफ) प्रमाणपत्रों की देखरेख करता है। जीएसटी अनुपालन के संदर्भ में, मॉयल लगातार जीएसटी पोर्टल से रिपोर्ट प्राप्त करता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि विक्रेताओं ने जीएसटी का भुगतान विधिवत किया है।

3. ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्होंने गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) झेली है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है::

	प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कर्मचारी	शून्य	1	शून्य	1
श्रमिक	6	7	6	7

4. क्या संस्था निरन्तर रोजगार योग्यता को सुगम बनाने तथा सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है?

हां, कार्यकारी और गैर-कार्यकारी, दोनों के लिए। मॉयल के पास एक परामर्श नीति है जो निश्चित अवधि या अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनः नियुक्ति का प्रावधान करती है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाएँ	कंपनी वर्तमान में अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों का उल्लेखित मापदंडों पर मूल्यांकन नहीं कर रही है। आगामी वर्षों में इसका मूल्यांकन किया जाएगा और इस पर काम शुरू किया जाएगा।
काम करने की स्थिति	

6. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।



सिद्धांत

4

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए तथा उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए।

व्यवसायों को सभी हितधारकों की ज़रूरतों पर सक्रिय रूप से विचार करना चाहिए और उन्हें संबोधित करना चाहिए, दीर्घकालिक सफलता में उनकी भूमिका को पहचानना चाहिए। खुले संचार और जवाबदेही को बढ़ावा देकर, कंपनियाँ विश्वास का निर्माण कर सकती हैं और स्थायी विकास सुनिश्चित कर सकती हैं।



आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

मॉयल में, हम एक व्यापक हितधारक पहचान प्रक्रिया में संलग्न हैं, जिसमें आंतरिक और बाह्य दोनों हितधारक शामिल हैं, तथा हमारे व्यवसाय पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। यह दृष्टिकोण हमें प्रमुख हितधारकों को प्राथमिकता देने और उनकी अपेक्षाओं और चिंताओं को समझने में सक्षम बनाता है। हम संबंधों को मजबूत करने और अपनी संगठनात्मक रणनीति को परिष्कृत करने के लिए विविध चैनलों के माध्यम से हितधारकों के साथ नियमित संचार बनाए रखते हैं। हमारा हितधारक जुड़ाव एक सतत प्रयास है, जो साझा मूल्य उत्पन्न करने के लिए संवाद और सहयोग पर आधारित है।

पारस्परिक विश्वास, पारदर्शिता, नैतिकता और जवाबदेही के सिद्धांतों को कायम रखते हुए, हमने सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा दिया है। ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, सरकार, नियामक और सांविधिक निकायों सहित हितधारकों से निरंतर फीडबैक ने स्थायी कनेक्शन की स्थापना को सुविधाजनक बनाया है। हम अपने हितधारकों के दृष्टिकोण को अत्यधिक महत्व देते हैं तथा जिम्मेदार और सहयोगात्मक प्रथाओं के माध्यम से उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहते हैं।

2. अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति बताएं।

हितधारक समूह	क्या उन्हें कमज़ोर एवं हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है	संचार के चैनल	जुड़ाव की आवृत्ति	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
सरकारी एवं नियामक प्राधिकरण	नहीं	ईमेल, पत्र, बैठक, प्रस्तुति परियोजना बैठकें, समीक्षा, उचित परिश्रम, कॉल और बैठकें, सम्मेलन और सेमिनार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया साक्षात्कार	जब भी आवश्यकता हो	निष्पक्ष और नैतिक व्यावसायिक व्यवहार और प्रकटीकरण में पारदर्शिता
ग्राहक	नहीं	ग्राहक पोर्टल और वेबसाइट (ईमेल, पत्र, बैठक के साथ)	जब भी आवश्यकता हो	उत्पाद मूल्य निर्धारण, ग्राहक संबंध प्रबंधन, नवाचार, पारदर्शिता
निवेशक	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, समाचार पत्र प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्ट	जब भी आवश्यकता हो	कंपनी की वित्तीय स्थिति
कर्मचारी	नहीं	कर्मचारी पोर्टल, ई-न्यूज़लैटर, सर्कुलर	जब भी आवश्यकता हो	स्वास्थ्य जानकारी, ज्ञान साझा करना, लाभ की जानकारी साझा करना, कंपनी की जानकारी, वित्तीय योजना, पुरस्कार और मान्यता, सीखना और विकास, कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य जागरूकता
समुदाय	हां	समाचार पत्र, वेबसाइट, पत्र, विज्ञापन	जब भी आवश्यकता हो	सामुदायिक विकास और वित्तीय समावेशन
एनजीओ	नहीं	वेबसाइट, ईमेल, पत्र, बैठकें, समाचार पत्र प्रकाशन, वार्षिक रिपोर्ट	जब भी आवश्यकता हो	सार्वजनिक और व्यावसायिक चिंताओं के बारे में जानकारी साझा करें और योगदान दें

नेतृत्व संकेतक

1. आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है।
कंपनी हितधारकों की प्रतिक्रिया को बहुत महत्व देती है। जब कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो कंपनी संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श करती है, जिसमें यदि आवश्यक हो तो बोर्ड-स्तरीय चर्चा भी शामिल है। इसका लक्ष्य ऐसे बदलावों को लागू करना है जो सभी संबंधित पक्षों के लिए पारस्परिक लाभ प्रदान करें।
2. क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारक परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)? यदि हां, तो उदाहरणों का विवरण प्रदान करें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया।
कंपनी वर्तमान में पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए अपने हितधारकों के साथ संलग्न नहीं है। हालाँकि, इस तरह की सहभागिता की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार संबोधित किया जाएगा।
3. कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ सहभागिता के उदाहरणों का विवरण प्रदान करें।
कंपनी की सीएसआर पहल, इसकी सीएसआर नीति के अनुरूप, समाज के वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों को लक्षित करती है। कंपनी के सीएसआर प्रयासों के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, कौशल विकास, शिक्षा और ग्रामीण विकास शामिल हैं। यद्यपि आलोच्य अवधि में ऐसा कोई उदाहरण नहीं था, फिर भी विगत वर्षों में इस प्रकार की चर्चा के आधार पर निर्णय लिए गए थे।



सिद्धांत

5

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

व्यवसायों को मानवाधिकारों को बनाए रखना चाहिए और उनकी वकालत करनी चाहिए, सभी कार्यों में गरिमा और समानता की रक्षा करनी चाहिए। स्वतंत्रता, सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार जैसे मौलिक अधिकारों का सम्मान करके, कंपनियाँ समावेशी वातावरण को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक कल्याण में योगदान देती हैं। मानवाधिकारों को बढ़ावा देना नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप है, प्रतिष्ठा बढ़ाता है और सतत विकास सुनिश्चित करता है।



आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है:

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	कुल (A)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (B)	% (B/A)	कुल (C)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (D)	% (D/C)
कर्मचारी						
स्थायी	2090	लगभग 779 कर्मचारियों और श्रमिकों को POSH पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया। हालाँकि, वर्तमान में इसका सीमांकन नहीं किया गया है।		यह डेटा रिपोर्टिंग वर्ष के लिए मात्रात्मक नहीं है।		
स्थायी के अलावा अन्य	0					
कुल कर्मचारी	2090					
श्रमिक						
स्थायी	3390	लगभग 1448 कर्मचारियों और श्रमिकों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा कौशल उन्नयन पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। हालाँकि, वर्तमान में इसका सीमांकन नहीं किया गया है।		यह डेटा रिपोर्टिंग वर्ष के लिए मात्रात्मक नहीं है।		
स्थायी के अलावा अन्य	4726					
कुल कर्मचारी	8161					

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

		वित्त वर्ष 2023-24				वित्त वर्ष 2022-23					
		कुल (A)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
			संख्या. (B)	% (B/A)	संख्या. (C)	% (C/A)		संख्या. (E)	% (E/D)	संख्या. (F)	% (F/D)
कर्मचारी											
स्थायी											
पुरुष	1972	शून्य		1972	100.00	1387	शून्य		1387	100.00	
महिला	118			118	100.00	93			93		
स्थायी के अलावा अन्य											
Male	NA					लागू नहीं					
Female											
श्रमिक											
स्थायी											
पुरुष	2685	शून्य		2685	100.00	3415	शून्य		3415	100.00	
महिला	705			705	100.00	716			716		
स्थायी के अलावा अन्य											
पुरुष	4071	4071	100.00	शून्य		3877	3877	100.00	शून्य		
महिला	655	655	100.00			624	624	100.00			

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:

a. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी (प्रति माह)	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी (प्रति माह)
निदेशक मंडल (बीओडी)	3	3017931.86	2	1498659.70
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	1	548778.14	0	0
निदेशक मण्डल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	1972	86816.75	118	99187.31
श्रमिक	2685	49897.56	705	50155.72

* निदेशक मण्डल के आंकड़े में निदेशकों द्वारा ली जाने वाली बैठक फीस शामिल नहीं है, तथा केएमपी के आंकड़े में वे 2 केएमपी शामिल नहीं हैं, जो पहले से ही निदेशक मण्डल के अंतर्गत आते हैं।

b. संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को दी गई सकल मजदूरी, निम्नलिखित प्रारूप में:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	15.02%	14.42%

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)

हां, मानव संसाधन निदेशक एक केन्द्र बिन्दु है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या उसमें योगदान किए गए मानव अधिकार प्रभावों या मुद्दों के समाधान के लिए जिम्मेदार है।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें

कंपनी ऐसे किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध भेदभाव, प्रतिशोध या उत्पीड़न को रोकने के लिए समर्पित है, जो सतर्कता तंत्र के माध्यम से अपनी चिंताओं की रिपोर्ट करता है या जांच में भाग लेता है। विहसल ब्लोअर नीति, आचार संहिता और शिकायत नीति में शिकायतकर्ता की पहचान की सुरक्षा और पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई है।

वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, कार्य समिति कार्य स्थितियों, सुरक्षा और संबंधित मामलों से संबंधित शिकायतों का भी निपटारा करती है। शिकायत निवारण नीति कर्मचारियों की शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

6. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	रिमार्क	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	रिमार्क
यौन उत्पीड़न	1	0	शिकायत का समाधान हो गया			
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य			शून्य		
बाल श्रम						
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम						
वेतन						
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे						

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:

	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) के अंतर्गत दर्ज कुल शिकायतें	1	शून्य
POSH के तहत महिला कर्मचारियों/श्रमिकों की शिकायतों का प्रतिशत	0.07	
POSH पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	1	

8. भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को होने वाले प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र

कंपनी उन कर्मचारियों के विरुद्ध भेदभाव, प्रतिशोध या उत्पीड़न को रोकने के लिए समर्पित है जो विजिल मैकेनिज्म के माध्यम से रिपोर्ट करते हैं या जांच में भाग लेते हैं। विहसल ब्लोअर नीति, आचार संहिता और शिकायत निवारण नीति में शिकायतकर्ता की पहचान की सुरक्षा और पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान गोपनीयता बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई है।

वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में, यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, कार्य समिति कार्य स्थितियों, सुरक्षा और संबंधित मामलों से संबंधित शिकायतों का समाधान करती है, जबकि शिकायत निवारण नीति कर्मचारियों की शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करती है।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं?

हां, मानवाधिकार के पहलू व्यापारिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा होते हैं।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	वर्तमान में संयंत्रों/कार्यालयों का उल्लेखित मापदंडों पर मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि,
कार्यस्थल पर भेदभाव	कंपनी आगामी वर्षों से इसे शामिल करने के लिए प्रासंगिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वेतन	
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	

11. उपरोक्त प्रश्न 9 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

नेतृत्व संकेतक

1. मानवाधिकार शिकायतों के समाधान के परिणामस्वरूप संशोधित/प्रवर्तित की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण

कंपनी अपनी प्रक्रियाओं को आवश्यकतानुसार अनुकूलित करने के लिए समर्पित है तथा सभी कर्मचारियों और हितधारकों के लिए खुले दरवाजे की नीति बनाए रखती है। हालांकि, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्रक्रिया संशोधन की आवश्यकता वाले कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं रहे हैं।

2. किसी भी मानवाधिकार संबंधी जांच के दायरे और कवरेज का विवरण।

कंपनी वर्तमान में मानवाधिकारों के संबंध में कोई भी जांच-पड़ताल नहीं करती है, तथापि वह इसकी प्रासंगिकता का आकलन करने तथा आगामी वर्षों में इसे क्रियान्वित करने के लिए तैयार है।

3. क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, संस्था का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?

कंपनी दिव्यांग आगंतुकों को बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान करती है, जैसे कि रैंप, व्हीलचेयर और रेलिंग।

4. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

	मूल्य श्रृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	वर्तमान में मूल्य श्रृंखला भागीदारों का उल्लेखित मापदंडों पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है। हालांकि,
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	कंपनी आगामी वर्षों से इसे शामिल करने के लिए प्रासंगिक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मजदूरी	
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें	

5. उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

शून्य



सिद्धांत

6

व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा और पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करने चाहिए

व्यवसायों पर पर्यावरण का सम्मान करने, उसकी रक्षा करने और उसे बहाल करने की जिम्मेदारी होती है। संधारणीय प्रथाओं को लागू करने से पारिस्थितिकी पदचिह्न कम होते हैं, संसाधनों का संरक्षण होता है और जलवायु परिवर्तन कम होता है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देकर, कंपनियाँ जैव विविधता संरक्षण में योगदान देती हैं, लचीलापन बढ़ाती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुरक्षित करती हैं।



आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में :

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (A)	150,331,100.40	70,469,726.40
कुल ईंधन खपत (B)	0	0
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (C)	0	0
कुल ऊर्जा खपत (A+B+C)	150,331,100.40	70,469,726.40
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली खपत (D)	112,375,292.40	224,644,316.40
कुल ईंधन खपत (E)	64,726,273.90	40,582,870.91
अन्य स्रोतों से ऊर्जा की खपत (F)	-	-
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा खपत (D+E+F)	177,101,566.30	265,227,187.31
कुल ऊर्जा खपत (A+B+C+D+E+F)	327,432,666.70	335,696,913.71
प्रति रुपया टर्नओवर में ऊर्जा की इंटेंसिटी (कुल ऊर्जा खपत/ टर्नओवर रुपए में)	0.02	0.03
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपए ऊर्जा की इंटेंसिटी (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत / संचालन से राजस्व)	0.51	0.55
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की इंटेंसिटी	फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।	फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।
ऊर्जा की इंटेंसिटी (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हमारे परिचालन, प्रदर्शन या मानकों या विनियमों के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए कोई बाह्य समीक्षा या विश्लेषण नहीं किया गया है।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें

मॉयल में हमारी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के दायरे में शामिल नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारी साइटें, पीएटी योजना द्वारा निर्धारित विनियमों और आवश्यकताओं के अधीन नहीं हैं, जिससे हमें प्रासंगिक ऊर्जा दक्षता और संरक्षण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए अपने परिचालन में लचीलापन मिलता है।

3. जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) ऊपरी तह का पानी	65,325.00	63,295.00
(ii) भूजल	474,162.00	385,685.00
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	2,250.00	0
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	0	0
(v) अन्य	261,690.00	260,975.00
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)*	803,427.00	709,955.00
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	359,506.00	360,277.00
प्रति रुपया कारोबार में जल की इंटेंसिटी (पानी की खपत / कारोबार)	0.00002	0.00003
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपए टर्नओवर पर जल की इंटेंसिटी (कुल जल खपत / परिचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	0.000056	0.000060
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में जल की इंटेंसिटी	फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।	फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।
जल की इंटेंसिटी (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हमारे परिचालन, प्रदर्शन या मानकों या विनियमों के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए कोई बाह्य समीक्षा या विश्लेषण नहीं किया गया है।*

4. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
(i) सतही जल तक		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	0	0
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(ii) भूजल तक		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	0	0
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iii) समुद्री जल तक		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	0	0
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	0	0
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	10818	9085
(v) अन्य		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं	0	0
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें	0	0
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	10818	9085

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हमारे परिचालन, प्रदर्शन या मानकों या विनियमों के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए कोई बाह्य समीक्षा या विश्लेषण नहीं किया गया है।

5. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

मॉयल लिमिटेड ने शून्य तरल उत्सर्जन (जेडएलडी) नीति अपनाई है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पर्यावरण में कोई भी तरल अपशिष्ट उत्सर्जित न हो। यह नीति सभी 10 खदानों में क्रियान्वित की गई है, जहां घरेलू सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट, दोनों के प्रबंधन के लिए कई उपाय किए गए हैं।

घरेलू सीवेज उपचार

प्रत्येक 10 खदानों से जुड़ी खदान कॉलोनियों में पर्याप्त क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए गए हैं। ये एसटीपी घरेलू सीवेज के उपचार के लिए नीरी, नागपुर द्वारा डिजाइन की गई फाइनेरिड बेड तकनीक का उपयोग करते हैं। उपचारित जल को भूमि सिंचाई के लिए पुनः उपयोग में लाया जाता है, जिसमें खदान कॉलोनियों में बागवानी और वृक्षारोपण गतिविधियां भी शामिल हैं।

औद्योगिक अपशिष्ट उपचार

खदानों की कार्यशालाओं में उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट का प्रबंधन पर्याप्त क्षमता वाले अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (ईटीपी) के माध्यम से किया जाता है। उपचारित अपशिष्ट को पुनःचक्रित कर वाहन धुलाई के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम होता है तथा जल संसाधन संरक्षित होते हैं।

प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण

मॉयल लिमिटेड यह सुनिश्चित करता है कि खदान पट्टा क्षेत्रों के भीतर आंतरायिक और मौसमी धाराओं को किसी भी खनन उत्सर्जन से संरक्षित किया जाए। मृदा क्षरण को रोकने और इन जल निकायों की अखंडता को बनाए रखने के लिए पत्थर डालना, घास लगाना और देशी प्रजातियों के पौधे लगाना जैसे उपाय किए जाते हैं। ये प्रयास प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने तथा खनन क्षेत्रों में भूमि और जल संसाधनों के क्षरण को रोकने में मदद करते हैं।

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
NOx			
SOx			
पार्टिकुलेट मैटर (PM)			
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (POP)			
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक s (VOC)			
खतरनाक वायु प्रदूषक (HAP)			
अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें			

वायु उत्सर्जन का वर्तमान में परिमाणन नहीं किया गया है। कंपनी आगामी वर्षों में इस पर काम करेगी।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

7. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी इंटेसिटी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	युनिट	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का विभाजन, CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समतुल्य	986.18	616.65
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का विभाजन, CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ , यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂ समतुल्य	64,616.77	56,767.72
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन	मीट्रिक टन CO ₂ समतुल्य	0.000005	0.000004
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन (पीपीपी के लिए समायोजित कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / परिचालन से राजस्व)	Metric tonnes of CO ₂ equivalent/rupees	0.00010	0.00009
फिजिकल आउटपुट के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की इंटेसिटी		फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।	फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन की इंटेसिटी (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा घुना जा सकता है			-

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं। हमारे परिचालन, प्रदर्शन या मानकों या विनियमों के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए कोई बाह्य समीक्षा या विश्लेषण नहीं किया गया है।

8. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।

मॉयल, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा अपने कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए अपने परिचालन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को सक्रिय रूप से एकीकृत कर रहा है। कंपनी ने सौर ऊर्जा जैसी विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसकी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वच्छ, हरित ऊर्जा के माध्यम से पूरा हो। इसके अतिरिक्त, मॉयल ने अपने परिसर के चारों ओर एक विशाल हरित पट्टी विकसित की है तथा उसका सावधानीपूर्वक रखरखाव भी किया है। यह व्यापक हरियाली न केवल क्षेत्र के सौंदर्य को बढ़ाती है, बल्कि प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में उपलब्ध कराएं:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (A)	0.015	0.01
ई-अपशिष्ट (B)	0.025	0.23
जैव-विकल्पा अपशिष्ट (C)	4.333	5.154
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट (D)	0.6	0.7
बैटरी अपशिष्ट (E)	0.644	5.49
रेडियोएक्टिव अपशिष्ट (F)	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट कृपया, यदि कोई हो तो बताएं। (G)	0.89	2.78
उत्पन्न हुए अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (H). यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार विभाजन)	3800	3657
कुल (A+B + C + D + E + F + G + H)	3806.507	3671.364
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट की इंटेसिटी (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / परिचालन से राजस्व)	0.0000003	0.0000003
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर के प्रति रुपया अपशिष्ट की इंटेसिटी (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित संचालन से राजस्व)	0.000006	0.000006
फिजिकल आउटपुट के संदर्भ में अपशिष्ट की इंटेसिटी	फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।	फिलहाल इसका पता नहीं लगाया जा सकता।
अपशिष्ट की इंटेसिटी (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक का चयन इकाई द्वारा किया जा सकता है	-	-

उत्पन्न हुए अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

अपशिष्ट की श्रेणी	
(i) अपशिष्ट की श्रेणी	
(ii) पुनः उपयोग	यह डेटा परिमाणित नहीं है।
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	
कुल	उत्पन्न हुए अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)
अपशिष्ट की श्रेणी	
(i) जलाना	
(ii) लैंडफिलिंग	यह डेटा परिमाणित नहीं है।
(iii) अन्य निपटान कार्य	
कुल	

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हमारे परिचालन, प्रदर्शन या मानकों या विनियमों के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए कोई बाह्य समीक्षा या विश्लेषण नहीं किया गया है।

10. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और विषैले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें

मॉयल लिमिटेड निर्धारित विनियमों और प्रासंगिक कानूनों के अनुसार अपशिष्ट निपटान का प्रबंधन करके पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। यह दृष्टिकोण स्थिरता और जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

गैर-खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

कंपनी, लैंडफिलिंग और बैकफिलिंग उद्देश्यों के लिए चट्टानों जैसे गैर-खतरनाक अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक पुनः उपयोग करती है। इस पद्धति से न केवल अपशिष्ट कम होता है, बल्कि प्रभावी भूमि सुधार और संसाधन उपयोग में भी योगदान मिलता है।

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

सभी मॉयल खदानें जैव-चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सुपर्व हाइजीनिक डिस्पोजल्स के साथ पंजीकृत हैं। यह प्रक्रिया जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित) का पालन करती है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

मॉयल, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा मान्यता प्राप्त विक्रेताओं के माध्यम से जले हुए तेल जैसे खतरनाक अपशिष्ट का उचित निपटान सुनिश्चित करता है। कंपनी नियमित रूप से अपने सभी खदानों से निर्धारित फॉर्म-IV में खतरनाक अपशिष्ट रिटर्न एसपीसीबी को प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, नियामक आवश्यकताओं के साथ पारदर्शिता और अनुपालन बनाए रखने के लिए संबंधित एसपीसीबी को खतरनाक अपशिष्ट घोषणापत्र प्रदान किए जाते हैं।

11. यदि इकाई का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें:

क्रमांक	परिचालन/कार्यालयों का स्थान	ऑपरेशन के प्रकार	क्या पर्यावरण अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नहीं) यदि नहीं, तो इसके कारण और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो उसका विवरण दें।
कंपनी पर्यावरणीय दृष्टि से नाजुक या पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अपना परिचालन करने से परहेज करती है। यह रणनीतिक निर्णय, जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। जानबूझकर ऐसे स्थानों का चयन करके जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, कंपनी का उद्देश्य अपने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना तथा जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में योगदान करना है।			

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण:

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना नंबर	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए जाएंगे (हां / नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं।					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे कि जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें:

क्रमांक	उस कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो तो
हां, संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम				

नेतृत्व संकेतक

1. जल संकट वाले क्षेत्रों में जल निकासी, खपत और निर्वहन (किलोलीटर में):

जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा/संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- क्षेत्र का नाम
- संचालन की प्रकृति
- निम्नलिखित प्रारूप में जल निकासी, खपत और निर्वहन:

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) ऊपरी तह का पानी		
(ii) भूजल		
(iii) तीसरे पक्ष का जल		
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)		
प्रति रुपया कारोबार में जल की खपत (पानी की खपत / टर्नओवर)		
जल तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है		
गंतव्य और ट्रीटमेंट के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल में		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं		
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल तक		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं		
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल में		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं		
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष तक		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं		
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
- कोई ट्रीटमेंट नहीं		
- ट्रीटमेंट के साथ - कृपया ट्रीटमेंट का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)		

हमारे संयंत्र ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जहाँ जल संकट कोई चिंता का विषय नहीं है। इस तरह के स्थानों का जानबूझकर चुना गया है। यह चयन, जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हमारे संचालन का जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े।

Our plants are situated in regions where water stress is not a concern. This deliberate choice of locations is part of our commitment to responsible resource management, ensuring that our operations have minimal impact on water-stressed areas.

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

2. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	यूनिट	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का विभाजन, CO ₂ , CH ₄ , N ₂ O, HFCs, PFCs, SF ₆ , NF ₃ में, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO ₂		
प्रति रुपया कारोबार पर कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	समतुल्य		
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

स्कोप 3 उत्सर्जन को फिलहाल निर्धारित नहीं किया गया है। कंपनी आगामी वर्षों में इस पर काम करेगी।

नोट: बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

हमारे परिचालन, प्रदर्शन या मानकों या विनियमों के अनुपालन के विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए कोई बाह्य समीक्षा या विश्लेषण नहीं किया गया है।

3. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के विवरण के साथ-साथ रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों का विवरण प्रदान करें।

कंपनी पर्यावरणीय दृष्टि से नाजुक या पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अपना परिचालन करने से परहेज करती है। यह रणनीतिक निर्णय, जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके। जानबूझकर ऐसे स्थानों का चयन करके जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील नहीं हैं, कंपनी का उद्देश्य अपने पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना तथा जैव विविधता और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण में योगदान करना है।

4. यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार करने, या उत्सर्जन / अपशिष्ट निर्वहन / उत्पन्न अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधान का उपयोग किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार इसके विवरण के साथ-साथ ऐसी पहलों के परिणाम भी प्रदान करें:

क्रमांक	शुरू की गई पहल	पहल का विवरण (यदि कोई हो तो वेब-लिंक, सारांश सहित उपलब्ध कराया जाए)	पहल का परिणाम
1	वनरोपण और हरित पट्टी विकास	मॉयल ने अपने परिचालन क्षेत्रों के अंदर और बाहर बड़े पैमाने पर वनरोपण कार्यक्रम चलाया है। मार्च, 2024 तक कुल 1940.725 हेक्टेयर परिचालन खदान पट्टा क्षेत्र में से कुल 750 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया गया है (वनरोपण द्वारा 39% कवरेज)। मार्च, 2024 तक कुल 22.5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।	यह ग्रीन बेल्ट विकास, सालाना औसतन 68,000 टन CO2 समतुल्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के मुकाबले लगभग 56,000 टन CO2 समतुल्य कार्बन को कम करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 50,000 पौधे लगाए गए।
2	व्यर्थ पानी का ट्रीटमेंट	सभी खदान कॉलोनियों में घरेलू सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए पर्याप्त क्षमता वाले एसटीपी (कुल क्षमता 1625 सीएमडी) लगे हुए हैं। उपचारित जल का उपयोग वृक्षारोपण और बागवानी के लिए किया जाता है। खदान कार्यशालाओं से उत्पन्न औद्योगिक अपशिष्ट को सभी खदानों में स्थापित ईटीपी की पर्याप्त क्षमता (कुल क्षमता - 65 सीएमडी) के माध्यम से उपचारित किया जा रहा है।	उपचारित आउटलेट जल को वाहन धुलाई के लिए पुनःचक्रित किया जाता है तथा उपचार इकाइयों से उत्पन्न कीचड़ का निपटारा CHWTSDF का उपयोग करके किया जाता है।
3	जीएचजी न्यूनीकरण/ कार्बन फुटप्रिंट न्यूनीकरण परियोजनाएं	मॉयल ने ग्रिड से अपनी कुल ऊर्जा खपत में योगदान देने के लिए 10.5 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र और 20 मेगावाट क्षमता का पवन चक्की संयंत्र स्थापित किया है।	कुल ऊर्जा खपत का लगभग 61% नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त होता है।

5. क्या संस्था के पास व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें।

किसी भी आपदा की अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए, मॉयल लिमिटेड ने एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना स्थापित की है। यह योजना न केवल हमारी खदानों और संयंत्रों को कवर करती है, बल्कि हमारे स्कूलों, अस्पतालों और प्रशासनिक कार्यालयों तक भी फैली हुई है, ताकि आपात स्थितियों के दौरान समन्वित और कुशल प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

आपदा प्रबंधन योजना का विकास और दायरा

आपदा प्रबंधन योजना संगठन के सामने आने वाले संभावित खतरों और जोखिमों के गहन विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उन संभावित घटनाओं के प्रभाव को न्यूनतम करना है, जिनके परिणामस्वरूप संपत्ति की क्षति हो सकती है या कर्मचारी को चोट लग सकती है।

निवारक उपाय और प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल

योजना में दुर्घटनाओं, आग, विस्फोटों और प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न आपात स्थितियों के लिए निवारक उपायों और प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल की रूपरेखा दी गई है। इसे वरिष्ठ प्रबंधन को किसी भी प्रतिकूल स्थिति को सामान्य बनाने के लिए निवारक कार्रवाई करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह योजना लचीली है और विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर इसे पूर्णतः या आंशिक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां

योजना में प्रबंधन अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तथा यह निर्दिष्ट किया गया है कि असामान्य स्थितियों या कानून-व्यवस्था की समस्याओं के दौरान क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया गया है कि "किसे सूचित किया जाना चाहिए", "किसे क्या करना चाहिए" तथा "किसे कहाँ होना चाहिए", ताकि एक सुव्यवस्थित तथा प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

योजना में प्रबंधन अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, तथा यह निर्दिष्ट किया गया है कि असामान्य स्थितियों या कानून-व्यवस्था की समस्याओं के दौरान क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें प्रमुख प्रश्नों पर विचार किया गया है कि "किसे सूचित किया जाना चाहिए", "किसे क्या करना चाहिए" तथा "किसे कहाँ होना चाहिए", ताकि एक सुव्यवस्थित तथा प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

6. इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करें। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं?

मूल्य श्रृंखला साझेदारों का फिलहाल मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है।

7. मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया।

मूल्य श्रृंखला साझेदारों का फिलहाल मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है।



सिद्धांत

7

व्यवसायों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय ऐसा जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए

सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसायों को जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करना चाहिए। नैतिक मानकों को बनाए रखना हितों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है, जनता का विश्वास बढ़ाता है और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है। लॉबिंग प्रयासों में पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ावा देती है, जिससे हितधारकों को नीति वकालत की प्रेरणाओं और संभावित प्रभावों को समझने में मदद मिलती है।



आवश्यक संकेतक

1. a) व्यापार एवं उद्योग चैम्बरों/एसोसिएशनों से संबद्धता की संख्या 3
- b) उन शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है या जिनसे संबंधित है।

क्रमांक	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय खनिज उद्योग संघ	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	राष्ट्रीय
3	अंतर्राष्ट्रीय मैंगनीज संस्थान	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक सक्रियता बरती गई
शून्य। नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित कोई मुद्दा नहीं पहचाना गया, इसलिए, यह बिंदु हमारे लिए लागू नहीं है।		

नेतृत्व संकेतक

1. संस्था द्वारा समर्थित सार्वजनिक नीति पदों का विवरण:

क्रमांक	एडवोकेट की गई सार्वजनिक नीति	इस तरह की एडवोकेसी के लिए अपनाया गया तरीका	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हां/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य - कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
			शून्य		



सिद्धांत

8

व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देने में व्यवसाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को प्राथमिकता देकर, स्थानीय समुदायों का समर्थन करके और विविधता को बढ़ावा देकर, कंपनियाँ साझा समृद्धि में योगदान देती हैं। समावेशिता को अपनाने से यह सुनिश्चित होता है कि आर्थिक प्रगति के लाभ सभी के लिए सुलभ हों, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाज का निर्माण हो।



आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का ब्यौरा।

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित किए गए परिणाम (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
रिपोर्टिंग वर्ष में एस.आई.ए. आकर्षित करने वाली कोई परियोजना शुरू नहीं की गई।					

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है:

क्रमांक	परियोजना का नाम जिसके लिए R&R चल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफ) की संख्या	5 परियोजना प्रभावित परिवारों को आर एंड आर के अंतर्गत शामिल किया गया	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
रिपोर्टिंग वर्ष में कोई भी पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास आकर्षित करने वाली परियोजना शुरू नहीं की गई।						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें।

कंपनी अपने परिचालन क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले समुदायों की सुरक्षा और कल्याण को निरंतर प्राथमिकता देने की अनिवार्यता को स्वीकार करती है। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और इस पर सहमति है कि इन समुदायों के जीवन की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। संचार को सुविधाजनक बनाने तथा किसी भी चिंता का समाधान करने के लिए, समुदाय के सदस्यों को अपनी शिकायतें बताने के लिए लोक शिकायत पोर्टल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
वेब लिंक: <https://www.moil.nic.in/user-feedbacks>

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के अनुसार कुल इनपुट में इनपुट):

पैरामीटर	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	67.21	69.21
जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से सीधे प्राप्त	100.00	100.00

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी / अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
ग्रामीण	0.00	0.00
अर्ध शहरी	0.00	0.00
शहरी	0.00	0.00
महानगर	100.00	100.00

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं।	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्रमांक	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	महाराष्ट्र	नंदुरबार	23.47 लाख
2	महाराष्ट्र	गडचिरोली	6.25 लाख
3	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	6.25 लाख

3. (a) क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं)

हां, कंपनी के पास सरकार द्वारा अनिवार्य क्रय वरीयता नीति है।

- (b) आप किस हाशिए पर पड़े/कमजोर समूह से खरीदारी करते हैं?

वरीयता क्रय नीति के अनुसार, एमएसएमई, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय तथा प्रथम श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं (50% से अधिक स्थानीय सामग्री) को प्राथमिकता दी जाती है।

- (c) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

कुल खरीद में एमएसएमई का योगदान 67.21% है। एससी/एसटी का योगदान 4.11% और महिलाओं का योगदान 4.23% है।



सिद्धांत

9

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

व्यवसायों को उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदारी से जुड़ना चाहिए, उनकी भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए और नैतिक रूप से मूल्य प्रदान करना चाहिए। पारदर्शी संचार, उत्पाद सुरक्षा और उचित मूल्य निर्धारण विश्वास और वफादारी का निर्माण करते हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करते हुए उपभोक्ता की जरूरतों को संबोधित करके, कंपनियां दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देती हैं, ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती हैं और सतत विकास में योगदान देती हैं।



आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें।

मॉयल लिमिटेड, उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को अत्यंत गंभीरता से लेता है तथा कंपनी के उत्पादों और सेवाओं को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। अपने उपभोक्ताओं के साथ पारदर्शी संचार को बढ़ावा देने के लिए, मॉयल ने अपनी वेबसाइट पर एक विशेष मंच लागू किया है, जहां लोग आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और बहुमूल्य फीडबैक दे सकते हैं। यह इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, मॉयल को ग्राहकों की चिंताओं से सक्रिय रूप से जुड़ने, मुद्दों को तेजी से हल करने और ग्राहकों से प्राप्त अंतर्दृष्टि को शामिल करके अपनी पेशकश को लगातार बढ़ाने में सक्षम बनाता है।

2. सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जिसमें निम्नलिखित के बारे में जानकारी होती है:

	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक पैरामीटर	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

	वित्त वर्ष 2023-24			वित्त वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	रिमार्क	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	रिमार्क
डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
विज्ञापन						
साइबर-सुरक्षा						
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी						
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार						
अनुचित व्यापार व्यवहार						
अन्य						

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण:

	संख्या	वापस मंगाने के कारण
स्वैच्छिक वापसी	लागू नहीं	
जबरन वापस मंगाना		

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

हां। निगम के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक आईटी नीति है।

व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) के भाग के रूप में, कंपनी संभावित प्राकृतिक या मानव-प्रेरित आपदाओं से निपटने के लिए फरीदाबाद स्थित अपने एसएपी डेटा सेंटर के लिए एक आपदा रिकवरी साइट का रखरखाव करती है।

साइबर जोखिम को एक संभावित खतरे के रूप में पहचाना गया है, और इस जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट नियंत्रण उपायों की पहचान की गई है।

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति नियमित रूप से इन प्रमुख नियंत्रण उपायों की वर्तमान स्थिति और की गई कार्रवाई की निगरानी और समीक्षा करती है।

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे सुधारात्मक कदमों का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस मंगाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों / सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने / कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

- a. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या

शून्य

- b. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

लागू नहीं

- c. डेटा उल्लंघन का प्रभाव, यदि कोई हो

लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. चैनल/प्लेटफॉर्म जहां से इकाई के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें)।

कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की जानकारी हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर पाई जा सकती है। इनका लिंक इस प्रकार है:

फ़ेसबुक: <https://www.facebook.com/MOILlimited/>

ट्विटर: https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FMOIL_Limited

इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/moil_limited/?hl=en

2. उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम।

उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों में उत्पादों के उचित उपयोग के बारे में समझाने के लिए नियमित ग्राहक बैठकें आयोजित करना शामिल है।

3. आवश्यक सेवाओं में व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए तंत्र मौजूद होना चाहिए।

ऐसी स्थिति में सबसे पहले जानकारी, स्टॉक एक्सचेंज पर प्रकट की जाएगी और फिर उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से ईमेल भेजा जाएगा।

4. क्या संस्था, स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अतिरिक्त उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी संस्था ने संस्था के प्रमुख उत्पादों/सेवाओं, संस्था के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों या समग्र रूप से संस्था से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हां/नहीं)

लागू नहीं





एसडीजीएस के साथ संरेखण

भारत जैसे विकासशील देश में, जहां 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इन समुदायों का उत्थान और विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मॉयल में, हम सीएसआर गतिविधियों को आत्मनिर्भर और समृद्ध समुदायों के निर्माण के साधन के रूप में देखते हैं, तथा अपने प्रयासों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जोड़ते हैं।



स्वच्छ जल और स्वच्छता: हम जल क्षमता बढ़ाने के लिए 31 नालों की सफाई करके, सिंचाई के लिए 27 कृषि तालाबों की खुदाई करके, तथा 37 स्प्रिंकलर इकाइयों और 68 ड्रिप इकाई सेटों की स्थापना करके स्वस्थ और जिम्मेदार जल-बचत आदतों को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, हम स्थानीय सरकारी स्कूलों में जल शोधक प्रणालियों और एक जल एटीएम के माध्यम से आसानी से सुलभ पेयजल उपलब्ध कराते हैं जो 24/7 स्वच्छ जल प्रदान करता है।



शून्य भुखमरी: जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को अपनाना, रसोई उद्यान स्थापित करना, तथा परती मौसम के दौरान उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती करना, कृषक समुदाय को महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करता है। हम 45 पशु चिकित्सा स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके और अधिक उपज देने वाली तथा स्वस्थ मादा बछड़ियों को सुनिश्चित करने के लिए, कृत्रिम गर्भाधान का अभ्यास करके पशुधन उत्पादकता को भी बढ़ाते हैं।



भूमि पर जीवन: हम मृदा स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देते हैं, तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि कृषि पद्धतियाँ, भूमि की उर्वरता और उत्पादकता को बनाए रखें।



गरीबी उन्मूलन: हमारी पहल कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करके आजीविका में सुधार करती है। उक्वा में आदिवासी किसान परिवारों के लिए, जलवायु-अनुकूल फसलों और उच्च उपज वाली सब्जियों को बढ़ावा देने जैसे उपायों से उनकी आय और लचीलेपन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। महिला उद्यमियों को समर्थन देना और पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना भी गरीबी कम करने में योगदान देता है।



जलवायु कार्रवाई: जलवायु-अनुकूल फसलों को बढ़ावा देकर, प्रतिकूल मौसम प्रभावों को कम करके, और बायोगैस इकाइयाँ स्थापित करके, हमारे प्रयास जलवायु परिवर्तन और कृषि पर इसके प्रभावों से निपटने में योगदान करते हैं।

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH



उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास: कृषि मंत्रालय के अंतर्गत तीन किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना, ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन एफपीओ ने प्रसंस्करण मिल्स, दूध संग्रहण केंद्र, और जैविक वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां स्थापित कीं, जिससे लाभ और रोजगार पैदा हुआ। हम मैकेनिक फिटर और माइन इलेक्ट्रीशियन ट्रेडों में 60 पुरुष उम्मीदवारों और हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) में 30 महिला उम्मीदवारों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों का भी समर्थन करते हैं, जिससे रोजगार और नौकरी की गारंटी सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, हम महिला उद्यमियों को ब्यूटी पार्लर और सिलाई बुटीक जैसे व्यावहारिक व्यवसाय मॉड्यूल स्थापित करने में सहायता करके उनका समर्थन करते हैं, जिससे 44 परिवार आत्मनिर्भर बन रहे हैं। लड़कियों को नर्सिंग योग्यता प्रदान करके, सक्षम बालिका कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा उद्योग में कुशल रोजगार के अवसरों के माध्यम से आर्थिक विकास में भी योगदान देता है। यह प्रतिभागियों को सम्मानजनक और संतुष्टिदायक करियर के लिए तैयार करके सभ्य कार्य को समर्थन प्रदान करता है।

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY



सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा: 648 बायोगैस इकाइयों की स्थापना से कोयले और लकड़ी से चलने वाले चूल्हों पर निर्भरता कम हो गई है, जिससे खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो रहा है। यह पहल न केवल वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य में सुधार लाती है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए एक स्थायी ऊर्जा स्रोत भी सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, हमने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छतों पर सौर प्रणालियां और सौर ऊर्जा से चलने वाले स्ट्रीटलैंप लगाए हैं, जिससे दिन के किसी भी समय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और परिणामस्वरूप समुदाय की महत्वपूर्ण बचत होती है। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए, हम ऊर्जा खपत को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। प्रयासों में ऊर्जा-कुशल मोटरों और ट्रांसफार्मरों को उन्नत करना, तथा ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए स्वचालित पावर फैक्टर करेक्शन (एपीएफसी) पैनल और सक्रिय हार्मोनिक फिल्टर को लागू करना शामिल है। हम ऊर्जा-कुशल लाइट फिटिंग भी खरीद रहे हैं तथा सौर और पवन ऊर्जा के उपयोग का विस्तार कर रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में नागदा हिल्स (4.8 मेगावाट) और रतेडी हिल्स (15.2 मेगावाट) में पवन फार्म, तथा महाराष्ट्र में 5.0 मेगावाट और मध्य प्रदेश में 5.5 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हम अपनी सतत ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के लिए जमीन पर सौर संयंत्र और सौर वृक्ष लगा रहे हैं।

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING



अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण: हम नियमित रूप से चिकित्सा निदान शिविर लगाते हैं, एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं, तथा निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी प्रायोजित करते हैं, जिससे 7,000 मरीजों को लाभ मिला। हमने 450 बच्चों की बाल चिकित्सा सर्जरी में भी सहयोग दिया। महामारी के दौरान, हमने आवश्यक उपकरणों के साथ कोविड केयर सेंटर स्थापित किए, जिनमें मध्य प्रदेश के मंडला में 350 बिस्तरों की सुविधा भी शामिल है, तथा सूखा राशन और पका हुआ भोजन वितरित किया। हमने 33 सामान्य स्वास्थ्य देखभाल शिविरों का आयोजन किया, जिनमें मधुमेह, रक्तचाप, एनीमिया, थायरॉयड और गठिया जैसी सामान्य बीमारियों के लिए निःशुल्क जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई गईं। नंदुरबार जिले में, हमने याहा मोगी कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बाद में आवश्यक जांच और पोषण प्रदान करके सहायता प्रदान की, जिससे 800 से अधिक आदिवासी महिलाओं को लाभ मिला। गढ़चिरोली जिले में, हमने ALIMCO की सहायता से दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग और गतिशीलता उपकरण प्रदान किए, जिससे 250 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES



सस्टेनेबल शहर और समुदाय: हमने पहुंच और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए आरसीसी और बिटुमिनस या तारकोल सड़कों के निर्माण और व्यवस्थित जल निकासी प्रणालियों के निर्माण में योगदान दिया। हमने विभिन्न उत्सवों और समारोहों के लिए सामुदायिक हॉल्स का निर्माण किया, रात्रि के समय बेहतर दृश्यता और सुरक्षा के लिए सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लैंप लगाए, तथा छतों पर ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा सिस्टम लगाए, जिसके परिणामस्वरूप समुदाय को 10 लाख रुपये तक की बचत हुई। इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में वृद्धि होती है तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।



गुणवत्तापूर्ण शिक्षा: आर्थिक रूप से वंचित लड़कियों को अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए प्रायोजित करके, सक्षम बालिका कार्यक्रम, समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन लड़कियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त हो, जिससे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उनके कौशल और अवसरों में वृद्धि हो। कंपनी ने भंडारा जिले में स्थित सीतासाँगी गांव में डीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के सहयोग से एक स्कूल भी स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नागपुर जिले में स्थित मनसर में स्कूल की एक और शाखा खोलने की योजना पर काम चल रहा है। इसके अलावा, कंपनी अपने खनन स्थलों के पास स्थित अनेक स्कूलों को सहायता प्रदान करती है।



लैंगिक समानता: हम स्वास्थ्य देखभाल किट वितरित करके, मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देकर, तथा एनीमिया और सिकल सेल रोगों की प्रारंभिक जांच करके महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को आयरन युक्त सुपरफूड युक्त पोषण किट प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और लड़कियों को मासिक धर्म किट वितरित किए गए। पौष्टिक भोजन की वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, हमने 48 सीमांत परिवारों को 13 प्रकार की सब्जियों और 7 प्रकार के फलों के बीज उपलब्ध कराए, जिससे 200 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। हमने 22 गांवों में 35 डिजिटल साक्षरता शिविर भी आयोजित किए, जिनमें महिलाओं को भीम, यूपीआई और अन्य माध्यमों से डिजिटल लेनदेन करना सिखाया गया। इन लेन-देन को सुविधाजनक बनाने, मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाने तथा बैंकिंग खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर उनके धन को सुरक्षित बनाने के लिए एक स्थानीय बैंकिंग सहयोगी "ई-दोस्त" की नियुक्ति की गई। इसके अलावा, हमने 30 महिला उम्मीदवारों के लिए हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM) पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिससे उन्हें विभिन्न संगठनों में नौकरियों के लिए तैयार किया जा सके। सक्षम बालिका कार्यक्रम, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियों को नर्सिंग में शिक्षा के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है। यह इन लड़कियों को स्वास्थ्य सेवा में करियर बनाने में सक्षम बनाकर लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। मॉयल ने आशा अस्पताल, कैम्पटी के सहयोग से मॉयल लिमिटेड के कांढ्री खदान में "मेडिसिन डायग्नोस्टिक एवं स्त्री रोग शिविर" का आयोजन किया। इस शिविर में खदान में कार्यरत महिला कर्मचारियों और उनके आश्रितों को निशाना बनाया गया। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं को संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना था। शिविर में स्त्री रोग संबंधी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई तथा स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, व्यायाम और विश्राम तकनीकों पर जानकारी प्रदान की गई।



असमानताओं में कमी: इस कार्यक्रम का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आर्थिक रूप से वंचित लड़कियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करके असमानताओं में कमी लाना है, जो अक्सर वित्तीय बाधाओं के कारण उनके लिए उपलब्ध नहीं होते। मॉयल लिमिटेड और आर्टिफिशियल लिम्ब मैनुयूफैक्चरिंग कंपनी (एलिम्को) ने भी दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग में सीएसआर पहल के तहत बालाघाट, भंडारा, नागपुर, गढ़चिरौली (आकांक्षी जिला) और चित्रकूट (आकांक्षी जिला) जिलों में प्रत्यारोपण और संबंधित सहायता का प्रावधान शामिल है।

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा: बुनियादी ढांचे के विकास पर हमारा ध्यान सड़कों, जल निकासी प्रणालियों और सामुदायिक हॉलों के निर्माण पर है। छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां और सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लैंप लगाने से नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास को बढ़ावा मिलता है। ये पहल ग्रामीण समुदायों में औद्योगिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देती हैं तथा आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान देती हैं। मॉयल ने सीएसआईआर-केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर), विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (वीएनआईटी), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एनआरएससी) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) खड़गपुर जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) प्रयास भी शुरू किए हैं। इन साझेदारियों का उद्देश्य उन्नत खनन प्रौद्योगिकियों को लागू करना और स्टॉप डिजाइन को उन्नत करना है। सॉफ्टवेयर, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके और उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देकर, मॉयल ने अपने खनन कार्यों में सुरक्षा, उत्पादकता और पर्यावरण मानकों में महत्वपूर्ण सुधार हासिल किया है।



आईएसएसबीटीएम, आईएफआरएसटीएम, एसएसबीटीएम और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक आईएफआरएस फाउंडेशन के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं। एसडीजी लोगो, एसडीजी व्हील और 17 यूएनएसडीजीटीएम चिह्नों में से कोई भी संयुक्त राष्ट्र की बौद्धिक संपदा है।

संक्षेपण और एसडीजी विवरण का उपयोग निम्नानुसार किया जाना है –

यूएनएसडीजी

लक्ष्य	लक्ष्य से जुड़ा स्टेटमेंट
लक्ष्य 1: गरीबी उन्मूलन	गरीबी को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य
लक्ष्य 2: भूखमरी को समाप्त करना	भूखमरी और अभाव को खत्म करना; पोषण संबंधी स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाने और व्यवहार्य विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य
लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली	बेहतर और स्वस्थ जीवनशैली के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य
लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का लक्ष्य, जो सभी के लिए खुला हो ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके
लक्ष्य 5: लैंगिक समानता	लिंग के चलते किसी भी तरह की पाबंदी न आने का लक्ष्य, महिला/लड़कियों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य
लक्ष्य 6: स्वच्छ जल एवं स्वच्छता	स्वच्छता और अत्यधिक सफाई के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य
लक्ष्य 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा	सभी के लिए क़ियायती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने का लक्ष्य
लक्ष्य 8: सम्य कार्य और आर्थिक विकास	सभी के लिए सतत, समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सम्य कार्य को बढ़ावा देने का लक्ष्य
लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा	लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण करने, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य
लक्ष्य 10: असमानता कम करना	देशों के भीतर और देशों में असमानता को कम करने का लक्ष्य
लक्ष्य 11: सस्टेनेबल शहर और समुदाय	शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सस्टेनेबल बनाने का लक्ष्य
लक्ष्य 12: जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन	सस्टेनेबल उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करने का लक्ष्य
लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई	जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का लक्ष्य
लक्ष्य 14: पानी के नीचे का जीवन	सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग करने का लक्ष्य
लक्ष्य 15: जमीन पर जीवन	स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग को संरक्षित, बहाल और बढ़ावा देना, वनों का सतत प्रबंधन करना, रेगिस्तानीकरण से निपटना, भूमि क्षरण को रोकना और जैव विविधता की हानि को रोकने का लक्ष्य
लक्ष्य 16: शांति और न्याय से जुड़ी मजबूत संस्थाएं	सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना और सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करने का लक्ष्य
लक्ष्य 17 : लक्ष्य प्राप्ति हेतु साझेदारियां	कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य

संक्षिप्त रूप

क्रमांक	विवरण
1.	ईएसजी: पर्यावरण, सामाजिक और शासन
2.	एसडीजी: सतत विकास लक्ष्य
3.	एसएसबी: स्थिरता लेखा मानक बोर्ड
4.	सेबी: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
5.	बीआरएसआर: व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्टिंग

स्टैंડअલोन વિત્તીય વિવરણ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा संशोधित रिपोर्ट

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी), लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए पूरक लेखापरीक्षण के बाद संशोधित, खंड में निहित परिवर्तन - "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकता पर रिपोर्ट" - पैराग्राफ (i) के उप-पैराग्राफ (i) और स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-सी के खंड - (vii) (b), (xi)(a) और (xx)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (a) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, 15.05.2024 को निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों को संशोधित किया गया है। संशोधित वित्तीय विवरण, 30.07.2024 को निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए हैं। संशोधन के प्रभाव को वित्तीय विवरणों के नोट 3.10 (संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन) के तहत प्रकट किया गया है। तदनुसार, अब एक संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की जा रही है। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारी 10 जून 2024 की पिछली रिपोर्ट का स्थान लेती है और किए गए संशोधन का कंपनी के वार्षिक खातों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता।

मॉयल लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने मॉयल लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च 2024 तक का तुलन पत्रक, और लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी देते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, ("इंड एस") तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाता है, जो 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कार्य की स्थिति, लाभ तथा कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

राय का आधार

हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों (एसए) के अनुसार की। उन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर -

अपनी राय स्पष्ट किए बिना, हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- राजस्व की पहचान के लिए लेखांकन नीति के बिंदु संख्या 1.2.13 और नोट संख्या 2.27. राजस्व में रॉयल्टी, जिला खनिज निधि (डीएमएफ) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट अंशदान (एनएमईटी) शामिल हैं, जो अनुबंध के अनुसार वास्तविक आधार पर तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र किया जाता है। हालांकि, यह उपचार इंड एस 115 के अनुरूप नहीं है, जो यह निर्धारित करता है कि राजस्व को तीसरे पक्ष की ओर से सभी संग्रह के अतिरिक्त, शुद्ध आधार पर दिखाया जाना चाहिए। यह कंपनी द्वारा उद्योग अभ्यास के अनुसार और प्राप्त विशेषज्ञ राय के आधार पर किया गया है।
- जीएमडीसी के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए वास्तविक अग्रिम व्यय (मॉयल शेयर) के वर्गीकरण के संबंध में नोट संख्या 2.5 (निवेश), जिसकी राशि ₹765.27 लाख है। इसे "मॉयल-जीएमडीसी संयुक्त उद्यम, अभी निर्गमित होना है" के नाम और शैली में निवेश के तहत प्रकट किया गया है। इस राशि को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।
- एमपीएसएमसीएल के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए वास्तविक अग्रिम व्यय (एमओआईएल शेयर) के वर्गीकरण के संबंध में नोट संख्या 2.2 (पूंजीगत डब्ल्यूआईपी) और नोट संख्या 3.13. ₹89.04 लाख की इस व्यय राशि को वित्तीय विवरणों में पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में मान्यता दी जा रही है और इसका लेखा-जोखा रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों में मैंगनीज अयस्क खनन के विकल्पों का पता लगाने के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस राशि को अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था।

अन्य मामले -

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (a) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, 15.05.2024 को निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों को संशोधित किया गया है। संशोधित वित्तीय विवरण 30.07.2024 को निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए हैं। संशोधन के प्रभाव को वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3.10 (संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन) के तहत प्रकट किया गया है। तदनुसार, अब एक संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की जाती है। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हमारी 10 जून 2024 की पिछली रिपोर्ट का स्थान लेती है और किए गए संशोधन का कंपनी के वार्षिक खातों पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले –

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे, मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर पृथक राय नहीं देते। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

क्रम संख्या	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षक का उत्तर
1	ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व: नोट संख्या 2.27 देखें राजस्व को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है, क्योंकि राजस्व एक प्रमुख वित्तीय प्रदर्शन माप है जो समय से पहले मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन उत्पन्न कर सकता है। किसी विशेष अनुबंध में कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त राजस्व, संबंधित ग्राहक के लिए बिक्री समझौते पर निर्भर करता है। मैंगनीज की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मैंगनीज के घोषित ग्रेड पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है। राजस्व मान्यता के परिप्रेक्ष्य के लिए, प्रासंगिक क्षेत्र मान्यता प्राप्त राशियों की सटीकता और राजस्व मान्यता का समय है। माल की बिक्री के मामले में इस तरह की राजस्व मान्यता का समय तब होता है जब उस पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है, जो मुख्य रूप से वितरण पर होता है। राजस्व में रॉयल्टी, जिला खनिज निधि और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के योगदान के संबंध में राशि शामिल है, परंतु जीएसटी और किसी भी अन्य कर/उपकर को शामिल नहीं किया गया है। बिक्री को मूल्य छूट की राशि की सीमा तक कम किया जाता है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक प्राध्यापक के रूप में कार्य करती है और सभी प्रदर्शन दायित्व कंपनी पर हैं, इसलिए राजस्व को सकल आधार पर दर्ज किया जाता है। परिचालन के दौरान उत्पन्न मैंगनीज अयस्क चूर्ण, हच, धूल और एचआईएमएस अपशिष्ट को, जब भी बेचा जाता है, तो उत्पादन के रूप में मान्यता दी जाती है तथा तदनु रूप बिक्री को खनन उत्पादों से प्राप्त राजस्व माना जाता है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में कंपनी की राजस्व मान्यता और प्रक्रिया में अनुमानित समायोजन की उपयुक्तता के संबंध में भारतीय लेखा मानक 115 के प्रावधानों के अनुप्रयोग का आकलन करना शामिल है। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: - राजस्व लेखांकन मानक से संबंधित डिजाइन, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना; - ग्राहकों के साथ मौजूदा अनुबंधों के लिए नमूनों का चयन करके और उन राजस्व धाराओं के संबंध में वर्तमान अवधि में राजस्व मान्यता नीति पर विचार करके राजस्व धाराओं पर प्रबंधन द्वारा किए गए विस्तृत विश्लेषण का मूल्यांकन करना - राजस्व मानक के तहत प्रदान किए गए प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना और प्रासंगिक प्रकटीकरणों की पूर्णता और गणितीय सटीकता का आकलन करना। - यह सुनिश्चित करना कि सभी अनुमानों का आधार लेखांकन नीति के अनुरूप हो। राजस्व मान्यता प्रणाली उपयुक्त पाई गई है
2	इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन: नोट संख्या 1.2.3 (महत्वपूर्ण लेखा नीति) देखें इन्वेन्ट्री का सत्यापन और मूल्यांकन तथा संबंधित राइट डाउन, यदि कोई हो, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसके लिए प्रबंधन के अनुमानों के निर्णय और लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है। इनका स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तदनुसार, हम इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं। इनका मूल्यांकन, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है: (a) तैयार माल - सभी ग्रेडों के मैंगनीज अयस्क (मैंगनीज अयस्क चूर्ण, हच डस्ट और एचआईएमएस अस्वीकृत को छोड़कर) - खान परिसंपत्तियों पर मूल्यहास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सहित खानों की लागत पर मूल्यांकित, जो भी कम हो। (b) मैंगनीज अयस्क चूर्ण, हच डस्ट और एचआईएमएस अस्वीकृत - तकनीकी अनुमानों या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के आधार पर आवंटित जिमिंग / प्रसंस्करण, परिवहन आदि पर प्रति टन लागत पर मूल्यांकन, जो भी कम हो। (c) बंदरगाह पर मैंगनीज अयस्क - बंदरगाह पर उतारने की लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो। उतारने की लागत में माल ढुलाई, उतारने का शुल्क, नमूना शुल्क आदि शामिल हैं। (d) इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड [ईएमडी] (उत्पादन के विभिन्न चरणों में 31 मार्च तक स्टॉक सहित, ईएमडी की पूर्ण इकाइयों के प्रतिशत के रूप में तकनीकी आकलन द्वारा निर्धारित) - संयंत्र के मूल्यहास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सहित चालू वर्ष की उत्पादन लागत पर, जो भी कम हो।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभावशीलता और इन्वेन्ट्री के सत्यापन और मूल्यांकन के संबंध में मूल परीक्षण के निम्नलिखित संयोजन शामिल थे: - हमने इन्वेन्ट्री निगरानी और नियंत्रण की प्रणाली का मूल्यांकन किया। - यह देखा गया कि वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेन्ट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। - हमने शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, उत्पादों की लागत के संबंध में विचार किए गए मूल्यों का भी परीक्षण किया है और इस संबंध में पोस्ट की गई इन्वेन्ट्री मूल्यांकन और लेखा प्रविष्टियों के साथ नमूना आधार पर इनका सत्यापन किया। - हमने इन्वेन्ट्री सत्यापन रिपोर्ट, लागत पत्रक और मूल्य सूचियों की एक प्रति प्राप्त की है, जिन्हें इन्वेन्ट्री के अंतिम समापन मूल्य पर पहुंचने के दौरान ध्यान में रखा गया है। इन्वेन्ट्री मूल्यांकन और स्टॉक स्तर की रिकॉर्डिंग की प्रणाली उपयुक्त पाई गई है।

क्रम संख्या	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षक का उत्तर
	(e) तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित 31 मार्च तक केक के रूप में स्टॉक सहित फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज - संयंत्र के मूल्यहास (स्लैग के वसूली योग्य मूल्य को घटाकर) या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सहित चालू वर्ष की उत्पादन लागत पर, जो भी कम हो। (f) प्रक्रियाधीन स्टॉक - प्रक्रियाधीन फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तौला, देखा या इसका आकलन नहीं किया जा सकता और इसलिए, कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। (g) स्लैग का स्टॉक - स्लैग फेरो मैंगनीज के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न अशुद्धियों का पिघला हुआ द्रव्यमान होता है, जिसे स्क्रेप माना जाता है और तदनुसार, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।	
3	आस्थगित कर: जैसा कि नोट 3.8 में बताया गया है, कंपनी ने अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और बोनस के लिए प्रावधान के कारण कुछ कटौतियों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी है। यह मान्यता इस संभावना तक दी गई है कि उन्हें भविष्य में कर लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए भविष्य की कर योग्य आय का अनुमान लगाने में प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता होती है और तदनुसार यह एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: - आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पुनःप्राप्ति का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त करना और प्रक्रिया में प्रमुख नियंत्रणों की पहचान करना। - प्रबंधन द्वारा अनुमानित कर योग्य लाभ के भविष्य के अनुमानों को प्राप्त करना और उनका विश्लेषण करना, उपयोग की गई प्रमुख मान्यताओं का आकलन करना, जिसमें पूर्व वर्ष में अनुमानित परिणामों के साथ विभिन्न खंडों द्वारा प्राप्त वास्तविक परिणामों की संगति का विश्लेषण निहित है। हमने अनिश्चित वर्तमान और आस्थगित कर स्थितियों के लिए प्रबंधन द्वारा की गई मान्यताओं की समीक्षा की है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या उचित वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों को मान्यता दी गई है और वे सबसे संभावित परिणाम पर आधारित हैं। हमें आयकर और आस्थगित कर शेष से संबंधित प्रकटीकरण उचित लगे।
4	परिभाषित लाभ योजना दायित्वों का मूल्यांकन: परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए लेखांकन बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है, जिसके लिए दायित्व को मापना, नियोजित परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना और संबंधित बीमांकिक लाभ या हानि की गणना करना आवश्यक है। दायित्व पर पहुंचने के लिए सभी भावी नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है। कंपनी के परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन करने में छूट दरों, मुद्रास्फीति दरों, वेतन में वृद्धि और मृत्यु दर सहित महत्वपूर्ण अनुमान लगाए जाते हैं। कंपनी उचित मान्यताओं का चयन करने और दायित्वों की गणना करने में सहायता करने के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ को नियुक्त करती है। इन मामलों का प्रभाव, जोखिम मूल्यांकन का एक हिस्सा है और परिभाषित लाभ दायित्वों का मूल्यांकन उच्च स्तर का अनुमान है क्योंकि यह मान्यताओं पर आधारित है। कंपनी ने दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ देयताओं को मान्यता दी है, जिसमें टर्मिनल अवकाश दायित्व और ग्रेजुटी और निर्धारित लाभ प्राप्य दायित्व (वित्तपोषित दायित्व के विरुद्ध योजना परिसंपत्ति का शुद्ध) और रोजगार के पश्चात लाभ शामिल हैं।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: - छूट दर, मुद्रास्फीति दर, मृत्यु दर जैसी लागू की गई प्रमुख मान्यताओं का मूल्यांकन - बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा और अनुमोदन पर नियंत्रण, बाहरी एक्जुअरी को प्रदान किए गए डेटा की पूर्णता और सटीकता, और विशेषज्ञ की गणना में उपयोग किए गए डेटा के साथ सामंजस्य का परीक्षण। - परिभाषित लाभ योजना के कारण अर्जित देयता के बारे में प्रबंधन के साथ चर्चा करना और यह आकलन करना कि क्या मान्यताओं में कोई असंगति थी। - नोटों में भारतीय लेखा मानक 19 के अनुसार कंपनी के प्रकटीकरण की पर्याप्तता सत्यापित की जाती है। निहित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम देखते हैं कि मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाएं उपलब्ध साक्ष्य द्वारा समर्थित थीं या नहीं।

क्रम संख्या	प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	लेखा परीक्षक का उत्तर
5	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान: जैसा कि नोट 2.26(सी) में बताया गया है, भारत सरकार (भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह आवश्यक है कि कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ के लिए एक कोष बनाए। इसके मूल्यांकन प्रावधान के लिए बाजार की स्थितियों, छूट दर, कर्मचारियों और अन्य आश्रितों की जीवन प्रत्याशा पर आधारित मान्यताओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें चिकित्सा लाभ के लिए अलग से निधि निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। इन मान्यताओं की स्थापना जटिल है और इसके लिए बाहरी एक्युअरी के समर्थन के साथ महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: मूल्यांकन के परीक्षण में, हमने वित्तीय और जनसांख्यिकीय दोनों तरह की प्रमुख बीमांकिक मान्यताओं की समीक्षा करने के लिए बाहरी बीमांकिक विशेषज्ञ की रिपोर्टों की जांच की है, और इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली पर विचार किया है। इसके अतिरिक्त, हमने परिभाषित लाभ दायित्वों के मूल्यांकन में प्रमुख मान्यताओं पर बाहरी पक्ष अर्थात् बीमांकिक द्वारा अपनाए गए संवेदनशीलता विश्लेषण की जांच की है। हम यह टिप्पणी करना चाहेंगे कि दायित्व के निर्धारण के संबंध में लागू की गई पद्धति और धारणा स्वीकार्य है।
6	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां वर्ष के दौरान कंपनी ने विभिन्न संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण पर पूंजीगत व्यय किया है, जिसमें प्रबंधन द्वारा निर्धारित इच्छित उपयोग के लिए इसकी तत्परता के आधार पर प्रगति पर कार्य का पूंजीकरण शामिल है। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवन एवं अवशिष्ट मूल्य का अनुमान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें प्रबंधन निर्णय, तकनीकी मूल्यांकन, ऐतिहासिक अनुभव पर विचार, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन आदि शामिल हैं। कंपनी के तुलन पत्रक के संदर्भ में भौतिकता और प्रबंधन निर्णय एवं अनुमान के स्तर को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त मामले को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है।	प्रमुख लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं: हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित शामिल थे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं थे: - परीक्षण जांच के आधार पर पीपीई में किए गए परिवर्धन और प्रगति पर चल रहे पूंजीगत कार्य के पूंजीकरण की प्रकृति का आकलन करना, ताकि यह देखा जा सके कि क्या वे इंड-एस 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुसार मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें प्रबंधन द्वारा निर्धारित इच्छित उपयोग के लिए इसकी तत्परता भी शामिल है। - विभिन्न लागतों के पूंजीकरण से संबंधित प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझना, उनका मूल्यांकन और परीक्षण करना। - पूंजीकृत अंतर्निहित लागत की प्रकृति, परिसंपत्तियों के प्राप्ति योग्य मूल्य का निर्धारण, मूल्यहास की गणना में लागू परिसंपत्तियों के जीवन की उपयुक्तता सहित प्रबंधन के निर्णय और मूल्यांकन की समीक्षा करना। - हमने मूल्यहास गणना की परीक्षण जांच की है। - हमने पाया है कि प्रबंधन ने नियमित रूप से निर्णयों और अनुमानों की समीक्षा की है। - हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरणों की पर्याप्तता और उपयुक्तता का भी आकलन किया है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पाया कि प्रबंधन द्वारा की गई धारणाएं स्वीकार्य थीं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, मंडल की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट और शेयरधारक की जानकारी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व है कि जब अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।
- यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई गलत विवरण शामिल है, तो हमें प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत लागू होने वाले मामलों को शासन के प्रभारी लोगों को सूचित करना आवश्यक है।
- हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में हैं, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और भारत में सामान्यतः स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एसएस) भी शामिल हैं। इसे जारी नियम 7 के साथ पढ़ें। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी के चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से

संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अतिरिक्त उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी उत्तरदायी है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों तथा उन विषयों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल किया जाना आवश्यक है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए और लेखापरीक्षण की योजना बनाकर उसे निष्पादित करना चाहिए, ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण में कोई महत्वपूर्ण गलतबयानी नहीं है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम आकलनों को करने में, लेखा परीक्षक कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। लेखा परीक्षा में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की उचितता का मूल्यांकन करना, साथ ही वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

हमारा उद्देश्य, इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। साथ ही हमारा उद्देश्य एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय

विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- i. वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना, तथा लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ii. लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या इकाई के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- iii. प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- iv. प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष, हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- v. प्रकटीकरणों सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यह देखना क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर यह संभावना बनाती है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा से संबंधित कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पहचाने गए

किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ, लेखा परीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, जिनमें लेखा परीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए उत्तरदायी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए उत्तरदायी लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की आशा है।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि;
 - a. हमने ऐसे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - b. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।
 - c. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्रक, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - d. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एस) का अनुपालन करते हैं, जो ऊपर बताए गए मामले पर जोर देने के अधीन हैं।
 - e. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
 - f. कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता

के संबंध में, "अनुलग्नक A" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

- g. संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में:
- h. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (E) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।
- i. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. कंपनी ने 31 मार्च, 2024 तक लंबित मामलों के कारण अपनी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का खुलासा अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 3.16 (i) (a) और (b) देखें।
 - ii. व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई भी दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए प्रावधान की आवश्यकता है।
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित की जाने वाली आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं की गई है।
 - iv. a) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) अग्रिम या उधार या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।
 - b) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("वित्त पोषण पक्ष") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण

है) प्राप्त नहीं की गई है। यह इस समझ के साथ है कि चाहे इसे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

- c) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(e) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (a) और (b) में प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण शामिल है।

2. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित या भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है;
3. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल है, ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर (एसएपी) का उपयोग किया है, जिसमें लेखा परीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन-देन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अतिरिक्त, हमारी लेखा परीक्षा के दौरान, हमें लेखा परीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।
4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार हम अनुलग्नक "B" में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाई गई लेखा परीक्षा पद्धति का अनुपालन करने के बाद जारी निर्देशों, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के खातों और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर उसके प्रभाव का विवरण दे रहे हैं।
5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम अनुबंध "C" में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं, जहां तक लागू हो।

टीएसीएस ऐंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन. 115064W)

सीए गौरव बी शर्मा
(पार्टनर)

तिथि: 30/07/2024
स्थान: नई दिल्ली

एम. नं. 121121
यूडीआईएन: 24121121BKGYPC1057

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मॉयल लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का

अनुलग्नक-A

(हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं' पर रिपोर्ट अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 (f) में संदर्भित और अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के संदर्भ में)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2024 तक मॉयल लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के लिए लागू सीमा तक। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक

वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के ओवरराइड के अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की कोटि खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय

रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

अन्य मामले

हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का अवलोकन और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता जो हमारे द्वारा की गई थी, उन क्षेत्रों को इंगित करती है जहां आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, ईआरपी सिस्टम एसएपी को विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है:

- रैंक और अधिकार के आधार पर सिस्टम के भीतर उपयोगकर्ता के अधिकारों को विनियमित करना। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में है जहां मेकर चेकर तंत्र मौजूद नहीं है।

- भौतिक पहुंच और उपयोगकर्ता पहुंच प्रबंधन में सुधार किया जाना चाहिए।
- भूमिकाओं और प्राधिकरण की आवधिक समीक्षा की जानी चाहिए।
- आईटी नीति की औपचारिक समीक्षा की आवश्यकता भी निर्दिष्ट नहीं की गई है।
- नए कर्मचारियों को शामिल करने, उन्हें उचित अधिकार देने और समाप्ति/सेवानिवृत्ति के बाद पहुंच से संबंधित उनके अधिकारों को समय पर हटाने की नीति का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है।

टीएसएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(FRN. 115064W)

सीए गौरव बी शर्मा
(पार्टनर)

एम. नं. 121121

यूडीआईएन: 24121121BKGYP1057

तिथि 30/07/2024

स्थान: नई दिल्ली

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मॉयल लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का

अनुलग्नक-B

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 5 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

1. क्या कंपनी के पास सभी लेखा संबंधी लेनदेन को आईटी सिस्टम के माध्यम से संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण से खतों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

हां, कंपनी के पास अपने लागू किए गए आईटी सिस्टम (एसएपी) के माध्यम से सभी अकाउंटिंग लेन-देन को प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम है। हालांकि, वित्तीय विवरण तैयार करने और इन्वेंट्री के मूल्यांकन सहित कुछ क्षेत्रों में मैन्युअल हस्तक्षेप देखा गया है। इसमें कई विशेषताओं को शामिल करके सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे:

- भूमिकाओं और प्राधिकरण की आवधिक समीक्षा
- लेखा परीक्षा ट्रेल लॉग की समीक्षा
- विभिन्न मॉड्यूल में मास्टर डेटा के निर्माण/परिवर्तन/संशोधन पर बेहतर नियंत्रण

वर्ष के दौरान एसएपी की आयोजित सिस्टम लेखा परीक्षा में कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं। इसमें बताए गए सभी मामलों में सुधार किया जा सकता है।

2. क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो इनका वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।

कंपनी का कोई ऋण नहीं है; इसलिए यह बिंदु लागू नहीं है।

3. क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाएँ।

केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से ऐसी कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है या प्राप्त होने वाली नहीं है; इसलिए यह बिंदु लागू नहीं है।

टीएसएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन. 115064W)

सीए गौरव बी शर्मा
(पार्टनर)

एम. नं. 121121

यूडीआईएन: 24121121BKGYP1057

तिथि: 30/07/2024

स्थान: नई दिल्ली

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का

अनुलग्नक-C

(इसी तिथि को मॉयल लिमिटेड को दी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 5 में संदर्भित)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर मॉयल लिमिटेड ('कंपनी') को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक के संदर्भ में, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) (a) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा पूंजीगत कार्य-प्रगति के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। कंपनी ने धारित अमूर्त परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
- (b) प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। यह सत्यापन के नियमित कार्यक्रम के अनुसार किया गया था, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करने का प्रावधान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (c) प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों की जांच करने पर पता चला कि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा पूंजीगत कार्य-प्रगति में शामिल अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।
- (d) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (e) बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।
- (ii) (a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रियाएं कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति के संबंध में उचित और पर्याप्त हैं। कंपनी ने इन्वेंट्री के उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। लेखा पुस्तकों के साथ तुलना करने पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के किसी भी समय बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से कोई कार्यशील पूंजी

सुविधा स्वीकृत नहीं की गई है। इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है, सिवाय सावधि जमा पर ग्रहणाधिकार के विरुद्ध प्राप्त बैंक गारंटी के, जिसके लिए कोई स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

- (iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने, वर्ष के दौरान कंपनियों और अन्य पक्षों को ऋण की प्रकृति में कोई गारंटी नहीं दी है, ऋण और अग्रिम राशि नहीं दी है। कंपनी ने वर्ष के दौरान फर्मों या सीमित देयता भागीदारी को ऋण की प्रकृति में कोई गारंटी नहीं दी है या ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है।

- (a) (A) हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनियों को ऋण नहीं दिया है, इसलिए खंड 3(iii)(a)(A) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।

- (B) हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने अन्य पक्षों को ऋण के रूप में निम्नानुसार अग्रिम राशि प्रदान की है:

(₹ लाख में)

विवरण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम – कर्मचारी अग्रिम
तुलन पत्रक की तिथि के अनुसार बकाया शेष राशि – अन्य पक्ष	
(a) चालू (नोट संख्या 2.14 देखें)	364.27
(b) गैर-चालू (नोट संख्या 2.6 देखें)	172.95
कुल	537.22

- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कोई गारंटी प्रदान नहीं की है, तदनुसार, 3(iii)(b) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- (c) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, दिए गए ऋणों और अग्रिमों के मामले में, मूलधन की वापसी और ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है तथा वापसी या प्राप्ति नियमित रही हैं।

- (d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में नब्बे दिनों से अधिक की कोई अतिदेय राशि नहीं है। इसलिए, 3(iii)(d) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- (e) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान देय ऋणों की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है, जिसे नवीनीकृत या विस्तारित किया गया हो या मौजूदा ऋणों की अतिदेय राशि का निपटान करने के लिए नए ऋण दिए गए हों या उसी पक्षों को दिए गए ऋणों की प्रकृति में अग्रिम हों। इसलिए, 3(iii)(e) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- (f) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने मांग पर चुकाए जाने वाले या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि को निर्दिष्ट किए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। इसलिए, 3(iii)(f) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती।
- (iv) हमारी राय में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है। कंपनी ने ऋण और निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसलिए आदेश के खंड 3(iv) के प्रावधान लागू नहीं होते।
- (v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 या किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन का मुद्दा लागू नहीं होता है। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- (vi) केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने का प्रावधान किया है और प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए गए हैं। हालांकि, हमने लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।
- (vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:
- (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा लेखा पुस्तकों की जांच के आधार पर, कंपनी आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क और वर्ष के दौरान लागू अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है। बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में देय कोई भी अविवादित राशि 31 मार्च, 2024 तक देय तिथि से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी। बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (b) प्रवेश कर और मूल्य वर्धित कर, व्यावसायिक कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क और आयकर आदि की बकाया राशि, जो मूल्यांकन बकाया से संबंधित विभिन्न विवादों के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं की गई है, निम्नानुसार है: -

नाम	मांगी गई राशि (₹ लाख रुपये में)	विरोध स्वरूप भुगतान की गई राशि (₹ लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
एम.पी.प्रवेश कर अधिनियम 1975	13.68	8.45	08-09	म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
एम.पी.प्रवेश कर अधिनियम 1975	6.28	6.28	12-13	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल
एम.पी.प्रवेश कर अधिनियम 1975	2.86	0.72	13-14	मैं म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील, जबलपुर को प्रथम अपील करता हूँ
एम.पी.प्रवेश कर अधिनियम 1975	21.75	5.44	14-15	मैं म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील, जबलपुर को प्रथम अपील करता हूँ
एम.पी.प्रवेश कर अधिनियम 1975	10.72	2.68	15-16	म.प्र. वाणिज्यिक कर, छिंदवाड़ा
एम.पी.वैट अधिनियम 2002	3.68	1.47	11-12	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल
एम.पी.वैट अधिनियम 2002	9.15	6.66	12-13	मैं म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील, जबलपुर को प्रथम अपील करता हूँ
एम.पी.सीएसटी अधिनियम 1956	6.10	1.53	13-14	म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
एम.एस.वैट अधिनियम 2002	0.4	0	10-11	बिक्री कर अपीलीय म.स.
एम.एस.वैट अधिनियम 2002	2.01	0	11-12	बिक्री कर अपीलीय म.स.
एम.एस.सीएसटी अधिनियम 1956	3.24	1.08	10-11	बिक्री कर अपीलीय म.स.
एम.एस.सीएसटी अधिनियम 1956	0.71	0.47	11-12	बिक्री कर अपीलीय म.स.

नाम	मांगी गई राशि (₹ लाख रुपये में)	विरोध स्वरूप भुगतान की गई राशि (₹ लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह मंच जहां विवाद लंबित है
एमजीएसटी अधिनियम 2017	7.19	0	18-19	कर निर्धारण अधिकारी, एल.टी.यू.-1, नागपुर
पेशेवर कर अधिनियम 1975	2.27	1.13	06-07	बिक्री कर अपीलीय म.स.
पेशेवर कर अधिनियम 1975	7.7	1.93	07-08	बिक्री कर अपीलीय म.स.
केंद्रीय उत्पाद शुल्क - एफएमपी	46194.68	1082.69	Mar. 2011- Dec. 2015	म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
*आयकर अधिनियम, 1961	133.67	133.67	2017-18	आयुक्त अपील, आयकर
*आयकर अधिनियम, 1961	68.96	68.96	2018-19	मूल्यांकन अधिकारी, आयकर
*आयकर अधिनियम, 1961	633.86	633.86	2019-20	आयुक्त अपील, आयकर
*आयकर अधिनियम, 1961	96.23	96.23	2020-21	मूल्यांकन अधिकारी, आयकर
सेवा कर अधिनियम, 1994	663.84	17.16	2012-13 to 2016-17	केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई
सेवा कर अधिनियम, 1994	3.30	0.10	April 2016 to June 2017	आयुक्त अपील, सीजीएसटी और उत्पाद शुल्क
ग्राम पंचायत, चिकला खदान	97.84	0.00	2019-20 to 2023-24	उच्च न्यायालय, नागपुर
ग्राम पंचायत, सीतासौंगी खदान	126.94	0.00	2019-20 to 2023-24	उच्च न्यायालय, नागपुर

*नोट: ऊपर बताई गई आयकर राशि, आयकर अधिकारियों द्वारा मांगी गई राशि है, जिस पर कंपनी ने विवाद किया है। इस राशि को आयकर विभाग ने अगले वर्ष के रिफंड के विरुद्ध एकतरफा समायोजित किया था, जो कंपनी को देय था। कंपनी ने विवादित बकाया राशि के वास्तविक रिफंड राशि के साथ इस तरह के समायोजन के खिलाफ दावा किया है।

- (viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में, खाता बहियों में आय के रूप में पहले से दर्ज न किए गए किसी भी लेनदेन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है।
- (ix) कंपनी के पास किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(ix)a-f लागू नहीं होते हैं।
- (x) (a) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3(x)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमानीय आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(b) लागू नहीं होता।
- (xi) a) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- b) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
- c) जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान तथा इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- (xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 406 के तहत निर्धारित निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।
- (xiii) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो, और ऐसे संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि लागू लेखांकन मानक द्वारा अपेक्षित है।
- (xiv) (a) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारी राय में, यद्यपि कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है, फिर भी इसे सुदृढ़ और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।
- (b) हमने लेखा परीक्षा अवधि के लिए आज तक प्राप्त कंपनी की सभी आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।

- (xvi) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है;
- (c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।
- (d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी, एक समूह कंपनी नहीं है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।
- (xvii) कंपनी को हमारी लेखा परीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं हुई है।
- (xviii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि

पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता है कि कंपनी तुलन पत्रक की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्रक की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

- (xx) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत किसी भी परियोजना के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx) (a) और 3(xx) (b) लागू नहीं होते।
- (xxi) आज कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम और सहयोगी नहीं हैं, परंतु मॉयल जीएमडीसी और मॉयल एमपीएसएमसीएल के साथ प्रस्तावित संयुक्त उद्यम के लिए किया गया अग्रिम व्यय कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण में क्रमशः निवेश और पूंजी डब्ल्यूआईपी शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है। चूंकि संस्थाओं को अभी निगमित किया जाना है, इसलिए हमारा मानना है कि आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

टीएसएस एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
(एफआरएन. 115064W)

सीए गौरव बी शर्मा
(पार्टनर)

तिथि: 30/07/2024
स्थान: नई दिल्ली

एम. नं. 121121
यूडीआईएन:24121121BKGYPC1057

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके द्वारा 30 जुलाई 2024 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी 10 जून 2024 की पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के कार्य-पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षक और कंपनी कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 3.10 में दर्शाया गया है, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरी कुछ लेखा परीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(b) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी देने या उसे पूरक बनाने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

(एस. अह्लादिनी पांडा)

लेखापरीक्षा महानिदेशक (ऊर्जा)

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 09/08/2024



तुलन पत्रक

31 मार्च, 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
परिसंपत्तियां				
1	गैर-चालू परिसंपत्तियां			
	(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2.1	86660.50	81245.62
	(b) पूंजीगत कार्य-प्रगति	2.2	33185.34	26176.90
	(c) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	2.3	5937.51	3966.32
	(d) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	2.4	2547.39	965.96
	(e) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) निवेश	2.5	766.56	755.31
	(ii) ऋण	2.6	172.95	177.06
	(iii) अन्य	2.7	179.60	3521.83
	(f) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	3.8	2887.11	2563.54
	(g) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	2.8	10129.13	10664.42
2	चालू परिसंपत्तियां			
	(a) इन्वेंट्री	2.9	21248.03	17023.62
	(b) वित्तीय परिसंपत्तियां			
	(i) निवेश	2.10	12055.07	14298.90
	(ii) व्यापार प्राप्त्य	2.11	20939.08	14334.00
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	2.12	3996.85	1305.04
	(iv) उपरोक्त (iii) के अलावा बैंक शेष	2.13	75014.15	79945.33
	(v) ऋण	2.14	364.27	330.39
	(vi) अन्य	2.15	3487.85	3140.95
	(c) चालू कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	2.16	1124.62	2430.05
	(d) अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	2.17	8051.95	6323.21
	बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां	2.18	134.29	0.00
	कुल परिसंपत्तियां		288882.25	269168.45
इक्विटी और देयता				
1	इक्विटी			
	(a) इक्विटी शेयर पूंजी	2.19	20348.52	20348.52
	(b) अन्य इक्विटी	2.20	224958.74	204083.21
	देयताएं			
2	गैर-चालू देयताएं			
	(a) वित्तीय देयताएं			
	अन्य वित्तीय देयताएं	2.21	120.63	42.24
	(b) प्रावधान	2.22	7847.85	6706.51
3	चालू देयताएं			
	(a) वित्तीय देयताएं			
	(i) व्यापार देयताएं	2.23		
	(a) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		3317.62	2774.29
	(b) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों का कुल बकाया		493.21	286.35
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	2.24	22894.70	21438.85
	(b) अन्य चालू देयताएं	2.25	4635.93	6071.96
	(c) प्रावधान	2.26	4265.05	7416.52
	कुल इक्विटी और देयताएं		288882.25	269168.45
सामग्री लेखांकन नीतियां और खातों पर संबंधित नोट्स:		1 to 3		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स टीएसएस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म का पंजीकरण नंबर : 115064W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

राकेश तुमाने

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 06639859

नीरज पांडे

कंपनी सचिव

एम.नं. F5632

सीए गौरव बी. शर्मा

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 121121

यूडीआईएन: 24121121बीकेजीवाईपीसी1057

अजित कुमार सक्सेना

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08588419

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 जुलाई, 2024

लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I परिचालन से राजस्व	2.27	144942.45	134164.60
II अन्य आय	2.28	9353.51	7687.35
III कुल आय (I+II)		154295.96	141851.95
IV व्यय			
(a) संयंत्र में खपत की गई सामग्री की लागत	2.29	2387.93	1983.84
(b) तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड और वर्क-इन-प्रोसेस की सूची में परिवर्तन	2.30	-4465.93	-6274.49
(c) कर्मचारी लाभ व्यय	2.31	55511.10	57011.02
(d) संविदात्मक व्यय	2.32	8624.91	8151.99
(e) स्टोर और स्पेयर की खपत	2.33	11716.69	12048.53
(f) बिजली और ईंधन	2.34	6035.73	5987.95
(g) रॉयल्टी और अन्य शुल्क	2.35	8895.15	8130.18
(h) मूल्यहास और परिशोधन	2.1 & 2.3	14424.86	11433.92
(i) मरम्मत और रखरखाव	2.36	5504.11	4046.01
(j) अन्य व्यय	2.37	6961.26	6169.78
कुल व्यय (IV)		115595.81	108688.73
V असाधारण मदों और कर से पहले लाभ/(हानि) (III-IV)		38700.15	33163.22
VI असाधारण मदें	3.24	0.00	-281.66
VII कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)		38700.15	33444.88
VIII कर व्यय:			
(a) चालू कर			
चालू वर्ष		10643.87	9071.63
पिछले वर्ष		-954.22	-127.64
(b) स्थगित कर	3.8	-323.57	-558.15
		9366.08	8385.84
IX निरंतर परिचालन से अवधि के लिए लाभ / (हानि) (VII-VIII)		29334.07	25059.04
X अन्य व्यापक आय			
(i) वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		85.89	-3425.18
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-18.39	855.79
		67.50	-2569.39
XI अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)		29401.57	22489.65
XII प्रति इक्विटी शेयर आय 10 रुपये (निरंतर परिचालन के लिए):			
(1) मूल (H)		14.42	12.31
(2) तनुकृत (H)		14.42	12.31
सामग्री लेखांकन नीतियां और खातों पर संबंधित नोट्स:	1 to 3		

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स टीएसएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण नंबर : 115064W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06639859

नीरज पांडे
कंपनी सचिव
एम.नं. F5632

सीए गौरव बी. शर्मा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 121121
यूडीआईएन: 24121121बीकेजीवाईपीसी1057

अजित कुमार सक्सेना
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08588419

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई, 2024



इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन			वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
			बोनस शेयर जारी करना	शेयरों की पुनर्खरीद	शुद्ध	
20348.52			-	-	-	20348.52

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन			वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि
			बोनस शेयर जारी करना	शेयरों की पुनर्खरीद	शुद्ध	
20348.52	-	-	-	-	-	20348.52

B. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	भंडार और अधिशेष			अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	नकदी प्रवाह का प्रभावी हिस्सा	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय की अन्य मद्दे-वे मद्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्दर्जीकृत किया जाएगा और उन पर आयकर (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	शेयर वारंट के बदले प्राप्त धन	कुल
			पूँजी रिज़र्व (पूँजी मोचन रिज़र्व)	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य रिज़र्व - सामान्य रिज़र्व	प्रतिघातित आय							
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष राशि	-	-	6289.04	-	191277.30	6516.87	-	-	-	-	-	-	204083.21
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनर्निर्धारित शेष राशि वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	29334.07	-	-	-	-	-	-	29334.07
अन्य व्यापक आय (कर के बाद शुद्ध)	-	-	-	-	-	67.50	-	-	-	-	-	-	67.50
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	29401.57	-	-	-	-	-	-	29401.57
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-20000.00	-	-	-	-	-	-	-20000.00
लाभ/हानि	-	-	-	-	-	-8526.04	-	-	-	-	-	-	-8526.04
प्रतिघातित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	-	-	6289.04	-	211277.30	7392.40	-	-	-	-	-	-	224958.74
कुल : इक्विटी (A+B)													245307.26

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी (जारी...) 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	भंडार और अधिशेष				अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन	नकदी प्रवाह का प्रभावी हिस्सा	पुनर्नूल्यांकन अधिशेष	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें- वे मधे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्कीकृत किया जाएगा और उन पर आयकर (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	शेयर वारंट के बदले प्राप्त धन	कुल
			पूंजी रिजर्व (पूंजी मोचन रिजर्व)	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य रिजर्व - सामान्य रिजर्व	प्रतिघातित आय								
पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-	6289.04	-	180777.30	6736.34	-	-	-	-	-	-	-	193802.68
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)						25059.04								25059.04
अन्य सम्पन्न आय (कर का शुद्ध)						-2569.39								-2569.39
पिछले वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	22489.65	-	-	-	-	-	-	-	22489.65
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण						-10500.00								-10500.00
लाभभांश	-	-	-	-	-	-12209.12	-	-	-	-	-	-	-	-12209.12
पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	-	-	6289.04	-	180777.30	6736.34	-	-	-	-	-	-	-	193802.68
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पिछली रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)						25059.04								25059.04
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)						-2569.39								-2569.39
पिछले वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	22489.65	-	-	-	-	-	-	-	22489.65
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण						-10500.00								-10500.00
लाभभांश	-	-	-	-	-	-12209.12	-	-	-	-	-	-	-	-12209.12
प्रतिघातित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	10,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10500.00
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	-	-	6289.04	-	191277.30	6516.87	-	-	-	-	-	-	-	204083.21
कुल: इक्विटी (A+B)														224431.73

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स टीएसएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण नंबर : 115064W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06639859

नीरज पांडे
कंपनी सचिव
एम.नं. F5632

सीए गौरव बी. शर्मा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 121121
यूडीआईएन: 24121121बीकेजीवाईपीसी1057

अजित कुमार सक्सेना
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08588419

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई, 2024

नकदी प्रवाह का विवरण

31 मार्च, 2024 तक

विवरण	(₹ लाख में)	
	वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च, 2024 के अंत तक	वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च, 2023 के अंत तक
A परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
आयकर से पूर्व लाभ/(हानि)		
सतत परिचालन	38700.15	33163.22
बंद परिचालन	0.00	0.00
बंद परिचालन सहित आयकर से पूर्व लाभ	38700.15	33163.22
समायोजन -		
(a) सावधि जमा पर ब्याज	-6220.65	-4756.71
(b) कर्मचारियों को दिए गए ऋण से ब्याज	-24.81	-22.77
(c) निवेश पर लाभांश	-0.02	-0.03
(d) म्यूचुअल फंड के मोचन पर लाभ	-856.17	-938.59
(e) मूल्यहास और परिशोधन व्यय	14424.87	11433.91
(f) असाधारण मदें	0.00	281.66
(g) संयंत्र, संपत्ति और उपकरणों से कटौती	39.95	261.78
	7363.17	6259.25
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	46063.32	39422.47
समायोजन -		
(a) (-) इन्वेंट्री में वृद्धि/कमी	-4224.41	-7011.88
(b) (-) व्यापार प्राप्त्य में वृद्धि/कमी	-6605.08	2952.36
(c) (-) चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	-770.21	-3365.83
(d) (-) गैर-चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी	1685.34	-792.40
(e) (-) ऋण और अग्रिम में वृद्धि/कमी	-29.77	602.76
(f) अन्य व्यापक आय	69.38	-2544.53
(g) व्यापार और अन्य देय राशियों में वृद्धि/(-) कमी	-1163.61	887.74
	-11038.36	-9271.78
परिचालन द्वारा उत्पन्न नकदी	35024.96	30150.69
भुगतान किया गया आयकर (शुद्ध)	-10643.87	-9071.63
पिछले वर्षों के लिए भुगतान किया गया आयकर	954.22	127.64
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी (A)	25335.31	21206.70
B निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(a) सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	6220.65	4756.71
(b) कर्मचारियों को दिए गए ऋण से ब्याज	24.18	22.77
(c) निवेश पर लाभांश	0.02	0.03
(d) म्यूचुअल फंड के मोचन पर लाभ*	818.70	861.67
(e) मूल्य एवं अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण तथा प्रगति पर पूंजीगत कार्य (बिक्री आय का शुद्ध)	-30575.05	-24504.89
(f) पूंजीगत मदों के लिए अग्रिम में परिवर्तन	-1033.64	-372.51
(g) तीन माह से अधिक अवधि की सावधि जमाओं में आय/(निवेश)	5500.00	6500.00
(h) 12 महीने की सावधि जमाओं में आय/(निवेश)	0.00	0.00
(i) एलसी और बीजी (गैर निधि आधारित सुविधाओं के लिए) के लिए भुगतान की गई जमा राशि	2647.85	-5499.46
(j) निवेश (संयुक्त उद्यम में शामिल किया जाना है)	-11.25	-117.94
(k) तरल म्यूचुअल फंड में आय/(निवेश) *	2281.30	8188.33
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (B)	-14126.61	-10165.29
C वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(a) लाभांश	-8526.04	-12209.12
(b) वारंट के नकदीकरण के लिए लंबित लाभांश खाते	9.15	-2.08

नकदी प्रवाह का विवरण

31 मार्च, 2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च, 2024 के अंत तक	वर्तमान रिपोर्टिंग वर्ष 31 मार्च, 2023 के अंत तक
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (C)	-8516.89	-12211.20
D नकदी और नकदी समकक्षों में शुद्ध वृद्धि/(-) कमी (A + B + C)	2691.81	-1169.79
E आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य	1305.04	2474.83
समापन नकदी और नकदी समतुल्य	3996.85	1305.04
नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(-) कमी	2691.81	-1169.79

नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 7 में दिया गया है।

* गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन, किसी भी आस्थगन या उपार्जन के प्रभावों का समायोजन, जहां भी आवश्यक हो, किया गया है।

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स टीएसएस एंड कंपनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

फर्म का पंजीकरण नंबर : 115064W

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

राकेश तुमाने

निदेशक (वित्त)

डीआईएन: 06639859

नीरज पांडे

कंपनी सचिव

एम.नं. F5632

सीए गौरव बी. शर्मा

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 121121

यूडीआईएन: 24121121बीकेजीवाईपीसी1057

अजित कुमार सक्सेना

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

डीआईएन : 08588419

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 30 जुलाई, 2024

नोट संख्या 1

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए सामग्री लेखांकन नीति की जानकारी और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

कॉर्पोरेट और सामान्य जानकारी

मॉयल लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है), भारत में स्थित और निगमित है। कंपनी एक अनुसूची "A" मिनीरलन श्रेणी-I केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह कंपनी, देश के सबसे बड़े मैंगनीज अयस्क उत्पादकों में से एक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र में 1-ए, कटोल रोड, नागपुर-440013 में स्थित है। कंपनी की प्रतिभूतियां क्रमशः स्क्रिप कोड मॉयल और 533286 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं।

1 सामग्री लेखांकन नीति की जानकारी

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

(a) अनुपालन का विवरण

ये वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के अनुसार प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं (कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, जिन्हें उचित मूल्यों पर मापा जाता है), कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों को अधिसूचित सीमा तक और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है। इंड एस को समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित किया जाता है। वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 की प्रासंगिक प्रस्तुति आवश्यकताओं और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III की प्रस्तुति आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाते हैं, (इंड एस के अनुरूप अनुसूची III, जैसा लागू हो)।

(b) माप का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों के, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है: -

- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं जिन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां, वहन राशि और उचित मूल्य में से लागत घटाकर जो भी कम हो।
- परिभाषित लाभ योजनाएं और योजना परिसंपत्तियां।

(c) कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण, भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। ₹ में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम दो दशमलव लाख तक पूर्णांकित किया गया है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

(d) अनुमानों, मान्यताओं और प्रबंधन के निर्णयों का उपयोग

कंपनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन को ऐसे अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि और वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स को प्रभावित करते हैं। वास्तविक आंकड़े, उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें इसे निर्धारित किया जाता है।

1.2 सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

1.2.1 परिसंपत्तियों का लेखांकन

(a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

पहचान और माप

खरीदी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के नकद मूल्य के समतुल्य प्रारंभिक लागत में उसका क्रय मूल्य शामिल होता है, जिसमें आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य क्रय कर, परिसंपत्तियों को कार्यशील स्थिति में लाने, स्थान निर्धारण और कमीशनिंग की कोई भी प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागतें, जहां भी लागू हो, शामिल होती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का रखरखाव लागत में से संचित मूल्यहास और क्षति (यदि कोई हो) घटाकर किया जाता है।

तुलन पत्रक की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को "पूँजीगत कार्य-प्रगति" के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसी वस्तुओं को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उचित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जब वे पूर्ण हो जाते हैं और इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाते हैं।

(b) अमूर्त परिसंपत्तियां

पहचान और माप

अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और क्षति (यदि कोई हो) घटाकर दर्शाया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति में शामिल हैं-

- लीज डीड में निर्दिष्ट अवधि के लिए प्राप्त लीजहोल्ड/खनन अधिकारों की लागत।

नोट संख्या 1 (जारी)..)

(ii) एसएपी लाइसेंस की खरीद की लागत, जिसका उपयोगी जीवन 5 वर्ष है।

(iii) सॉफ्टवेयर की लागत जिसका उपयोगी जीवन 3 वर्ष है।

तुलन पत्रक की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार न होने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में दर्शाया जाता है। ऐसी वस्तुओं को अमूर्त परिसंपत्तियों की उचित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जब वे पूरी हो जाती हैं और इच्छित उपयोग के लिए तैयार हो जाती हैं।

(c) मूल्यहास और परिशोधन

(i) मूल्यहास की गणना (i) पवन टर्बाइन जनरेटर और सौर ऊर्जा के मामले में सीधी रेखा पद्धति पर और (ii) सभी अन्य परिसंपत्तियों पर लिखित मूल्य पद्धति पर की जाती है, जो विभिन्न परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर होती है, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में प्रावधान है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। मूल्यहास की गणना परिसंपत्ति के उपयोग या निपटान के लिए उपलब्ध होने की तिथि से परिवर्धन / निपटान के लिए आनुपातिक आधार पर की जाती है।

(ii) खनन अधिकारों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है और इससे संबंधित सभी लागतों, जिसमें वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य भी शामिल है, को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके संबंधित अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। पट्टे पर दी गई भूमि की लागत पट्टे की अवधि पर परिशोधित की जाती है।

(iii) सॉफ्टवेयर का मूल्यहास उसके उपयोगी जीवन के अनुसार किया जाता है।

(d) परिसंपत्तियों पर हानि को बड़े खाते में डालना

नष्ट/त्याग की गई सभी परिसंपत्तियों को यह मानकर बड़े खाते में डाल दिया जाता है कि उनका स्क्रैप मूल्य शून्य है। यदि और जब ऐसी त्यागी गई परिसंपत्तियों का आंशिक या पूर्ण रूप से निपटान किया जाता है, तो बिक्री के कारण वर्ष के दौरान प्राप्त राशि को उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है।

(e) निर्माण अवधि के दौरान व्यय

विशिष्ट परियोजनाओं पर निर्माण अवधि के दौरान समस्त व्यय, जिन्हें ऐसी परियोजनाओं से संबंधित माना जाता है, उक्त परियोजनाओं के पूरा होने और चालू होने की तिथि तक उनके नामे कर दिए जाते हैं।

(f) निर्माण अवधि के दौरान ब्याज

निर्माण अवधि से लेकर निर्माण पूरा होने तक विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित ऋणों पर ब्याज (ऋणों पर अन्य संबंधित वित्तपोषण लागतों सहित) को पूंजीकृत किया जाता है।

(g) परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक तुलन पत्रक तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत होता है, तो कंपनी परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि इसकी वहन राशि से कम है, तो वहन राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है। इस कमी को हानि के रूप में माना जाता है और इसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। यदि कोई संकेत है कि पहले से आकलन की गई हानि अब उपस्थित नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है।

1.2.2 निवेश

शेयरों में दीर्घकालिक निवेश, लागत पर किया जाता है। यदि मूल्य में कोई कमी हो तो उसके लिए प्रावधान किया जाता है, यदि वह अस्थायी प्रकृति का न हो।

लिक्विड डेट फंड में निवेश को शुरू में अधिग्रहण की लागत पर पहचाना जाता है, वित्तीय वर्ष के दौरान रिडेम्प्शन पर होने वाले किसी भी लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से पहचाना जाता है। तुलन पत्रक की तिथि पर निवेश को तुलन पत्रक में शुद्ध परिसंपत्ति मान पर चालू निवेश के रूप में पहचाना जाता है और किसी भी लाभ/हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

1.2.3 इन्वेन्ट्री

इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन, निम्नलिखित आधार पर किया जाता है।

(A) तैयार माल

(i) सभी ग्रेड के मैंगनीज अयस्क (फाइन्स, हच डस्ट और एचआईएमएस रिजेक्ट्स को छोड़कर):- खानों पर लागत पर, जिसमें खान परिसंपत्तियों पर मूल्यहास या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य शामिल है, जो भी कम हो।

(ii) मैंगनीज अयस्क फाइन्स, हच डस्ट और एचआईएमएस रिजेक्ट्स:- जिगिंग/प्रसंस्करण, परिवहन आदि पर प्रति टन लागत पर, तकनीकी अनुमानों या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर आवंटित, जो भी कम हो।

(iii) बंदरगाह पर मैंगनीज अयस्क:- बंदरगाह पर उतारने से संबंधित लागत या शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर, जो भी कम हो। उतारने से संबंधित लागत में माल ढुलाई, उतराई शुल्क, नमूना शुल्क आदि शामिल हैं।

भौतिक और बुक स्टॉक के बीच अंतर को तब तक समायोजित नहीं किया जाता, जब तक कि खानों में स्टॉक की समग्र स्थिति समग्र बुक स्टॉक की तुलना में अधिक पाई जाती है। जब अयस्क वास्तव में भेजा जाता है, तो प्रत्येक स्टैक के विरुद्ध रेलिंग/शिपमेंट के बाद अधिकता

नोट संख्या 1 (जारी..)

- या कमी का पता लगाया जाता है और उसी वर्ष कंपनी की पुस्तकों में इसका लेखा-जोखा रखा जाता है।
- (iv) इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड [ईएमडी] (उत्पादन के विभिन्न चरणों में 31 मार्च तक स्टॉक सहित, ईएमडी की पूर्ण इकाइयों के प्रतिशत के रूप में तकनीकी अनुमान द्वारा निर्धारित): - संयंत्र के मूल्यहास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सहित चालू वर्ष की उत्पादन लागत पर, जो भी कम हो।
- (v) (a) 31 मार्च तक केक के रूप में स्टॉक सहित फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज, तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित: - संयंत्र के मूल्यहास (स्लैग के वसूली योग्य मूल्य को घटाकर) या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सहित वर्तमान वर्ष की उत्पादन लागत पर, जो भी कम हो।
- (b) प्रक्रिया में स्टॉक: - प्रक्रिया में फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तौला, देखा या आकलित नहीं किया जा सकता और इसलिए, कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है।
- (c) स्लैग का स्टॉक:- स्लैग फेरो मैंगनीज के निर्माण के दौरान उत्पन्न अशुद्धियों का पिघला हुआ द्रव्यमान है, जिसे स्क्रेप के रूप में माना जाता है और तदनुसार, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।(v) (a) 31 मार्च तक केक के रूप में स्टॉक सहित फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज, तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित: - संयंत्र के मूल्यहास (स्लैग के वसूली योग्य मूल्य को घटाकर) या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य सहित वर्तमान वर्ष की उत्पादन लागत पर, जो भी कम हो।
- (B) **भंडार सूची** (भंडार, पुर्जे, लकड़ी, विस्फोटक, ईंधन और स्नेहक और कच्चा माल आदि): - भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस परा लागत निर्धारण का आधार भारत औसत विधि है।
- (i) प्रत्येक वर्ष के अंत में सभी स्टोर, स्पेयर्स आदि का भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक स्टॉक और बुक स्टॉक के बीच अंतर की जांच की जाती है और लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।
- (ii) फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में, संयंत्र में मैंगनीज अयस्क को छोड़कर कच्चे माल के स्टॉक का मूल्यांकन भारत औसत विधि और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर निर्धारित लागत में से कम पर किया जाता है। संयंत्र में मैंगनीज अयस्क के स्टॉक का मूल्यांकन चालू वर्ष की उत्पादन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, साथ ही परिवहन लागत और अन्य शुल्क, यदि कोई हो, में से कम पर किया जाता है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 2 के अनुसार है। संयंत्र में अयस्क के आरंभिक और अंतिम स्टॉक को "कच्चे माल के स्टॉक" शीर्षक के अंतर्गत समूहीकृत किया जाता है।
- (iii) अप्रचलित स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान-
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रचलित स्टोर और स्पेयर के मूल्य के 70% के लिए प्रावधान किया जाता है। इसकी समीक्षा, वर्ष के अंत में की जाती है।
- (iv) अगतिमान सामग्री और स्पेयर्स के लिए प्रावधान
प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में तीन वर्ष से अधिक समय तक न चलने वाले सामान और स्पेयर पार्ट्स के मूल्य के 10% का प्रावधान किया जाता है। इसकी समीक्षा, वर्ष के अंत में की जाती है।
- (C) वर्ष के अंत में इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया जाता है।
- (D) मैंगनीज अयस्क के साथ-साथ थोक कच्चे माल और फेरो मैंगनीज का उत्पादन और सूची उत्पादन/तकनीकी विभाग द्वारा वजन मात्रा अनुपात के अनुसार निर्धारित की जाती है और तदनुसार उसका लेखा-जोखा रखा जाता है।

1.2.4 व्यापार प्राप्ति

व्यापार प्राप्ति में सुरक्षित और असुरक्षित दोनों तरह की व्यापार प्राप्ति शामिल हैं जिन्हें अच्छा माना जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट/बैंक गारंटी द्वारा कवर किए गए व्यापार प्राप्ति को सुरक्षित और अच्छा माना जाता है।

1.2.5 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में हाथ में नकदी और मांग जमा के साथ-साथ अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (अधिग्रहण की तिथि से तीन महीने या उससे कम) शामिल होते हैं, जिन्हें आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तित किया जा सकता है और मूल्य में परिवर्तन का जोखिम नगण्य होता है।

1.2.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

कंपनी, वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है। इसमें साधन का मूल्य तय करने के लिए बाजार सहभागियों के अनुरूप अनुमान और धारणाएँ विकसित करना शामिल है। कंपनी की धारणाएँ जहाँ तक संभव हो, अवलोकनीय डेटा पर आधारित होती हैं, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर। अनुमानित उचित मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर एक आर्म्स लेंथ लेनदेन में प्राप्त वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं।

1.2.7 नकदी प्रवाह का विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखा मानक-7: 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

नोट संख्या 1 (जारी)..)

1.2.8 स्ट्रिपिंग लागत

विकास स्ट्रिपिंग लागत

खनिज भंडार तक पहुंचने के लिए खदान/स्तर के प्रारंभिक विकास के दौरान ओवरबर्डन और अन्य खदान अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की लागत को परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर उस पर मूल्यहास की गणना की जाती है।

उत्पादन स्ट्रिपिंग लागत

ओवरबर्डन और अन्य खान अपशिष्ट पदार्थ, जो खदान के उत्पादन चरण के दौरान हटा दिए जाते हैं, उन्हें व्यय के रूप में काट लिया जाता है।

1.2.9 आयकर

आयकर में चालू और स्थगित कर निहित हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह इक्विटी या अन्य व्यापक आय में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो।

(a) चालू आयकर

वर्तमान अवधि के लिए चालू आयकर उस राशि पर मापा जाता है जिसे अवधि के लिए कर योग्य आय के आधार पर कराधान अधिकारियों से वसूला जाना या उन्हें भुगतान किया जाना अपेक्षित है। चालू कर राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं और अवधि के लिए लागू हैं। कंपनी चालू कर परिसंपत्तियों और चालू कर देनदारियों को ऑफसेट करती है, जहां उसके पास मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है या परिसंपत्ति और देयता को एक साथ वसूलना चाहती है।

(b) आस्थगित आयकर

आस्थगित आयकर को तुलन पत्रक दृष्टिकोण का उपयोग करके पहचाना जाता है। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधार और वित्तीय विवरणों में उनकी वहन राशि के बीच उत्पन्न होने वाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है, सिवाय जब आस्थगित आयकर किसी ऐसे लेन-देन में सद्भावना या परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय न तो लेखांकन और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है। आस्थगित आयकर, परिसंपत्तियों को इस सीमा तक पहचाना जाता है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है।

कर योग्य सभी अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित आयकर देयताओं को मान्यता दी जाती है। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह संभव नहीं रह जाता है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्ति का एहसास होता है या देयता का निपटान होता है, जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती है।

1.2.10 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर उन अवधियों में मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी उन संबंधित लागतों को व्यय के रूप में मान्यता देती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान का इरादा है।

जहां अनुदान किसी परिसंपत्ति के मूल्य से संबंधित है, उसे आस्थगित आय के रूप में मान्यता दी जाती है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि के विवरण में उन व्ययों के साथ मान्यता दी जाती है जिनसे ऐसे अनुदान संबंधित हैं या उन्हें कवर करने का इरादा रखते हैं।

जहां कंपनी को गैर-मौद्रिक अनुदान प्राप्त होते हैं, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित मात्रा में सकल रूप से दर्ज किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ के उपभोग के पैटर्न और अपेक्षित उपयोगी जीवन पर आय विवरण में जारी किया जाता है।

1.2.11 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना, कर के बाद शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस की गणना कर के बाद शुद्ध लाभ को मूल ईपीएस प्राप्त करने के लिए विचार की गई इक्विटी की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

1.2.12 अन्वेषण और मूल्यांकन

राजस्व प्रकृति के अन्वेषण और मूल्यांकन व्यय को अनुसंधान और विकास व्यय के रूप में माना जाता है और इसे व्यय के वर्ष में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। हालांकि, अनुसंधान और विकास से संबंधित पूंजी प्रकृति के व्यय को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के समान ही माना जाता है।

नोट संख्या 1 (जारी..)

पूँजीगत व्यय के वहन मूल्य की समीक्षा प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष हानि के लिए की जाती है।

1.2.13 परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व की पहचान तब की जाती है जब माल का नियंत्रण, ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित कर दिया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं के बदले में हकदार होने की अपेक्षा करती है।

माल की बिक्री से प्राप्त सभी राजस्व को एक निश्चित समय पर मान्यता दी जाती है। रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/डिलीवरी चालान के आधार पर माल के प्रेषण के बाद ही राजस्व को लेखा पुस्तकों में मान्यता दी जाती है।

अनुबंध परिसंपत्ति: अनुबंध परिसंपत्ति, ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल पाने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाएं हस्तांतरित करके कार्य करती है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है जो सशर्त है।

अनुबंध देयता: अनुबंध देयता, किसी ग्राहक को माल या सेवाएं हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त किया है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहक को माल या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है।

(A) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

- प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता में भिन्नता के लिए डेबिट नोट/क्रेडिट नोट जारी किए जाते हैं। अगले वर्ष में प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों को कट-ऑफ तिथि तक प्रेषण के वर्ष में माना जाता है। तदनुसार, डेबिट/क्रेडिट नोट जारी किए जाते हैं और उसी वर्ष उनका लेखा-जोखा रखा जाता है। कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के संबंध में, उसके लिए चालान (इनवॉइस) अगले वर्ष में जारी किए जाते हैं।
- बिक्री में रॉयल्टी, जिला खनिज निधि और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंशदान की राशि शामिल है, लेकिन जीएसटी और कोई अन्य कर/उपकर शामिल नहीं है। बिक्री मूल्य छूट की राशि की सीमा तक कम हो जाती है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक प्रमुख के रूप में कार्य

करती है और सभी प्रदर्शन दायित्व कंपनी पर हैं, इसलिए राजस्व का हिसाब सकल आधार पर लगाया जाता है।

- परिचालन के दौरान उत्पन्न मैंगनीज अयस्क चूर्ण, हच, धूल और एचआईएमएस अपशिष्ट को तब उत्पादन के रूप में मान्यता दी जाती है, जब वे बेचे जाते हैं और तदनुसार बिक्री को खनन उत्पादों से प्राप्त राजस्व माना जाता है।

(B) एम.पी. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को बिजली की बिक्री

पवन ऊर्जा से प्राप्त राजस्व को समय के साथ ग्रिड में डाली गई ऊर्जा के आधार पर, विद्युत क्रय समझौते में सहमत टैरिफ दर पर मान्यता दी जाती है।

(C) अप्रचलित भंडार, स्पेयर और स्कैप:

राजस्व की पहचान, वसूली की तिथि पर ग्राहक को हस्तांतरित नियंत्रण के आधार पर की जाती है।

1.2.14 अन्य आय

(A) विविध देनदारों से ब्याज आय को निम्नानुसार मान्यता दी जाती है—

- जहां तक वसूली देनदारों से बैंक के माध्यम से ऋण पत्र या बैंक गारंटी द्वारा समर्थित है, जहां इसकी वसूली की निश्चितता है, मान्यता प्रोव्जन आधार पर की जाती है।
चालू वित्तीय वर्ष से परे क्रेडिट अवधि के लिए ग्राहकों को बिल किया गया ब्याज उस वर्ष में मान्यता प्राप्त है जिससे वह संबंधित है।
- जहां तक प्राप्ति बैंक के माध्यम से ऋण पत्र या बैंक गारंटी द्वारा समर्थित नहीं है और जहां इसकी प्राप्ति अनिश्चित है, प्रबंधन के अनुभव के आधार पर, जब भी वास्तविक प्राप्ति की जाती है, उसे आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(B) जमा और अग्रिम पर ब्याज की आय को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(C) प्रतिस्थापित/खराब हो चुके पुर्जों/स्कैप पूँजीगत मदों के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे गए हैं। जब उनका निपटान किया जाता है, तो उस वर्ष की विविध रसीद के रूप में आय ली जाती है।

(D) म्यूचुअल फंड से आय की पहचान, निपटान की तिथि पर प्रचलित एनएवी या लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से तुलन पत्रक की तिथि के आधार पर की जाती है।

(E) आय की प्रकृति की अन्य प्राप्ति का लेखा वसूली की निश्चितता के आधार पर किया जाता है, अन्यथा प्राप्ति के आधार पर।

(F) दोष देयता अवधि के पूरा होने की तिथि से पांच वर्ष से अधिक समय तक विक्रेताओं को अघोषित एसडी/ईएमडी/बकाया या देय

नोट संख्या 1 (जारी)..)

राशि, यदि कोई हो, की समीक्षा प्रत्येक मामले के आधार पर की जाती है। यदि कोई दावा लंबित नहीं है, तो ऐसी देनदारियों को खातों में वापस लिख दिया जाता है। यदि भविष्य के दावे बाद के वर्ष में उत्पन्न होते हैं, तो उनका हिसाब उस वर्ष में लगाया जाएगा जिसमें दावों का निपटान किया गया है।

1.2.15 निवेशक उपभोग

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी/फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में जारी किए गए मैंगनीज अयस्क, फाइन्स, एचआईएमएस रिजेक्ट्स का मूल्यांकन वर्तमान वर्ष की उत्पादन लागत पर किया जाता है और फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट्स का मूल्यांकन प्रति टन की दर से किया जाता है, जैसा कि स्टॉक के मूल्यांकन के लिए अपनाया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत पर की जाती है। जारी किए गए अयस्क के मूल्य को अयस्क जुटाने/परिचालन व्यय से घटाया जाता है और इसे "विनिर्माण व्यय" में कच्चे माल की खपत के रूप में माना जाता है।

विद्युत

पवन टरबाइन जनरेटर और सौर ऊर्जा संयंत्र की इकाइयों द्वारा उत्पादित बिजली, जिसका उपयोग खदान/संयंत्र में किया जाता है, को उत्पादन लागत के आधार पर संबंधित इकाइयों से वसूला जाता है।

1.2.16 बिक्री कर, आयकर, जीएसटी आदि।

- (a) बिक्री कर, आयकर, जीएसटी आदि के संबंध में, मूल्यांकन आदेश के अनुसार देय या प्राप्य राशि का लेखा उस वर्ष में किया जाता है जिसमें उक्त आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त और स्वीकार किया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंधित हो।
- (b) खरीद पर बिक्री कर/जीएसटी पर सेट ऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जाता है। दावा किए गए सेट ऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट और वास्तव में स्वीकृत सेट ऑफ/इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच अंतर का हिसाब उस वर्ष में लगाया जाता है जिसमें मूल्यांकन आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त और स्वीकार किया जाता है।

1.2.17 कर्मचारी लाभ

(a) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पावधि कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में बिना छूट वाली राशि पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

(b) रोजगार के बाद के लाभ

रोजगार के बाद मिलने वाले लाभों में भविष्य निधि, ग्रेजुएटी, अवकाश नकदीकरण, पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं।

(i) परिभाषित लाभ योजनाएँ

ग्रेजुएटी, छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाओं जैसे रोजगार के बाद के लाभों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी ने सेवाएं दी हैं। व्यय को देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसे बीमाकिक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। इन रोजगार के बाद के लाभों के संबंध में बीमाकिक लाभ और हानि को ओसीआई के तहत लाभ और हानि विवरण में आवेशित किया जाता है।

चिकित्सा सुविधाएं (अंतर-रोगी) जैसे लाभ, बीमा पॉलिसी द्वारा कवर किए जाते हैं तथा बीमा प्रीमियम की राशि उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में दर्शाई जाती है जिसमें वह व्यय की गई हो।

(ii) परिभाषित अंशदान योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं (भविष्य निधि, पेंशन), रोजगार-पश्चात लाभ योजनाएं, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग-अलग संस्थाओं (निधियों) में निश्चित अंशदान का भुगतान करती है। परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी का अंशदान उस वर्ष के लाभ-हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जिससे वह संबंधित है।

कंपनी परिभाषित अंशदान योजना के तहत छूट प्राप्त ट्रस्ट (आंशिक रूप से छूट प्राप्त) को सरकार द्वारा अनुमोदित एक निर्दिष्ट दर पर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान देती है। ट्रस्ट सदस्यों के खाते में योगदान पर ट्रस्टियों द्वारा अनुमोदित दर पर ब्याज का भुगतान कर रहा है।

कंपनी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन योजना) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित 10% की निर्धारित दर पर भारतीय जीवन बीमा निगम को योगदान देती है।

1.2.18 वी.आर.एस. व्यय

कंपनी अपने व्यय की पूरी राशि को लाभ-हानि विवरण में उस वर्ष में दर्शाती है।

1.2.19 कल्याण आयुक्त से सब्सिडी का लेखा-जोखा

(a) श्रमिक क्वार्टर

कंपनी ने कुछ श्रमिक क्वार्टरों का निर्माण किया है/निर्माणाधीन है, जिसके लिए कंपनी कल्याण आयुक्त से सब्सिडी प्राप्त कर रही है। चूंकि जिस भूमि पर ऐसे क्वार्टर बनाए गए हैं, वह कल्याण आयुक्त को सौंप दी गई है और संपत्ति (निर्मित क्वार्टर) कल्याण आयुक्त के पास है, इसलिए कंपनी द्वारा किया गया पूरा व्यय

नोट संख्या 1 (जारी..)

कल्याण आयुक्त को सौंपा जाता है और प्राप्त सब्सिडी भी उस वर्ष के राजस्व में जमा की जाती है जिसमें व्यय किया गया/सब्सिडी प्राप्त की गई।

(b) कल्याणकारी परिसंपत्तियां

कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत स्कूल बस, एम्बुलेंस, जलापूर्ति योजना आदि जैसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए संपूर्ण व्यय उस वर्ष में संबंधित परिसंपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है जिसमें व्यय किया जाता है। प्राप्त सब्सिडी की राशि प्राप्ति के वर्ष में उसी परिसंपत्ति शीर्ष में जमा की जाती है और फिर उस वर्ष से परिसंपत्ति के ऐसे कम मूल्य पर मूल्यहास लगाया जाता है।

1.2.20 कंपनी द्वारा दावा

बीमा कंपनी/रेलवे के पास दर्ज दावों की राशि का लेखा वर्ष के दौरान दावा की गई राशि के आधार पर किया जाता है, तथा उनकी प्राप्ति की उचित निश्चितता का आकलन किया जाता है, तथा अंतर, यदि कोई हो, को दावों के निपटान पर समायोजित किया जाता है।

1.2.21 पूर्व-निर्धारित व्यय

प्रत्येक मामले में व्यय को केवल तभी पूर्व-निर्धारित माना जाएगा जब राशि ₹5.00 लाख से अधिक हो।

1.2.22 संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

दो वर्षों से अधिक समय से बकाया विभिन्न देनदारों के प्रत्येक मामले की समीक्षा के आधार पर खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है। निजी पक्षों से तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया ऋण

या जुर्माना लगाने के कारण बकाया राशि, जिसकी वसूली संदिग्ध मानी जाती है, के लिए हमेशा प्रावधान किया जाता है।

1.2.23 अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास व्यय को व्यय वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण में शामिल किया जाता है। हालांकि, अनुसंधान एवं विकास से संबंधित पूंजीगत प्रकृति के व्यय को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के समान ही माना जाता है।

1.2.24 खदान बंद करने का व्यय

प्रासंगिक अधिनियमों और नियमों के तहत अंतिम खदान बंद करने की योजनाओं के वित्तीय निहितार्थों का तकनीकी रूप से अनुमान लगाया जाता है, जो सभी खदानों के कुल उपलब्ध अयस्क भंडार पर आधारित होता है। सभी खदानों के समग्र उत्पादन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष दर वर्ष आधार पर खातों में इसका प्रावधान किया जाता है।

1.2.25 गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए वन भूमि के परिवर्तन का शुद्ध चालू मूल्य

संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर दायित्व की पहचान की जाती है।

1.2.26 भौतिक त्रुटि/चूक पर पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों का पुनर्कथन

त्रुटि और चूक का मूल्य, प्रस्तुत पूर्व अवधि के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों तथा इक्विटी के आरंभिक शेष को पुनः बताने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि पूर्व अवधि की आय/व्यय के प्रत्येक मामले में राशि पिछले वर्ष के टर्नओवर के 1% से अधिक है।

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

नोट 2.1 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2024 तक	01.04.2023 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1	फ्रीहोल्ड भूमि	2524.02	0.00	0.00	2524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2524.02	2524.02
2	इमारतें	49077.60	7515.64	71.36	56521.88	17701.03	3232.16	50.03	20883.16	35638.72	31376.57
3	संयंत्र और उपकरण	108222.54	11849.49	1307.27	118764.76	62154.29	10419.45	1170.14	71403.60	47361.16	46068.25
4	फर्नीचर और फिक्सचर	940.22	59.52	8.33	991.41	616.19	85.24	5.64	695.79	295.62	324.03
5	वाहन	1587.24	131.65	37.73	1681.16	1223.24	109.90	35.85	1297.29	383.87	364.00
6	कार्यालय उपकरण	1586.02	67.82	27.22	1626.62	997.27	193.67	21.43	1169.51	457.11	588.75
	कुल	163937.64	19624.12	1451.91	182109.85	82692.02	14040.42	1283.09	95449.35	86660.50	81245.62

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
		01.04.2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2023 तक	01.04.2022 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2023 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1	फ्रीहोल्ड भूमि	2524.02	0.00	0.00	2524.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2524.02	2524.02
2	इमारतें	45724.54	3540.32	187.26	49077.60	15248.68	2565.82	113.47	17701.03	31376.57	30475.86
3	संयंत्र और उपकरण	88901.55	21290.10	1969.11	108222.54	55723.43	8220.10	1789.24	62154.29	46068.25	33178.11
4	फर्नीचर और फिक्सचर	815.79	128.79	4.36	940.22	534.59	85.75	4.15	616.19	324.03	281.21
5	वाहन	1477.98	199.92	90.66	1587.24	1193.28	116.08	86.12	1223.24	364.00	284.70
6	कार्यालय उपकरण	1286.00	332.10	32.08	1586.02	875.39	150.76	28.88	997.27	588.75	410.61
	कुल	140729.88	25491.23	2283.47	163937.64	73575.37	11138.51	2021.86	82692.02	81245.62	67154.51

नोट 2.2 - पूंजीगत कार्य प्रगति पर

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
निर्माणाधीन पूंजीगत परिसंपत्तियां	31932.01	25337.99
स्टोर में पूंजीगत सामान	359.29	734.58
कुल	32291.30	26072.57

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
निर्माणाधीन पूंजीगत परिसंपत्तियां	25337.99	29444.56
स्टोर में पूंजीगत सामान	734.58	553.38
कुल	26072.57	29997.94

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.2 - पूंजीगत कार्य प्रगति पर (जारी)

31.03.2024 तक

अन्वेषण हेतु व्यय (प्रगति पर)		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
अन्वेषण हेतु पूंजीगत प्रकृति का व्यय #		894.04	104.33
कुल		894.04	104.33

नोट संख्या 3.13 देखें

31.03.2023 तक

अन्वेषण हेतु व्यय (प्रगति पर)		31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
अन्वेषण के लिए पूंजीगत प्रकृति का व्यय		104.33	1.20
कुल		104.33	1.20

सीडब्ल्यूआईपी आयुवृद्धि और समापन कार्यक्रम

31.03.2024 तक

सीडब्ल्यूआईपी आयु निर्धारण कार्यक्रम

सीडब्ल्यूआईपी	2023-24 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 तक
परियोजनाएं प्रगति पर	13009.07	6685.34	5181.77	7415.12	32291.30

31.03.2023 तक

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल	2022-23 की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 तक
परियोजनाएं प्रगति पर	11386.55	6567.76	1610.40	6507.86	26072.57

31.03.2024 तक

(A) सीडब्ल्यूआईपी, जिसका पूरा होना विलंबित है या जिसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो गई है।

सीडब्ल्यूआईपी	कुल	इतने दिन में पूरा किया जाना है			
	31.03.2024 तक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
मुख्य कार्यालय	11.16	1.21	0.00	7.19	2.77
बालाघाट	14443.70	14443.70	0.00	0.00	0.00
उकवा	211.16	211.16	0.00	0.00	0.00
सीतापटोर	391.97	391.97	0.00	0.00	0.00
डोंगरी बुजुर्ग	206.98	206.98	0.00	0.00	0.00
चिखला	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00
गुमगांव	11041.51	11012.78	0.00	0.00	28.73
कांद्री	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00
मनसर	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
बेलडोंगरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सोलर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	26410.33	26371.64	0.00	7.19	31.50

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.2 - पूंजीगत कार्य प्रगति पर (जारी)

(B) सीडब्ल्यूआईपी समापन कार्यक्रम (शेष) 31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	कुल	इतने दिन में पूरा किया जाना है			
	31.03.2023 तक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर	5880.97	5129.58	751.39	-	0.00
कुल (A+B)	32291.30	31501.22	751.39	7.19	31.50

31.03.2023 तक

(A) सीडब्ल्यूआईपी जिसका पूरा होना विलम्बित हो चुका है या जिसकी लागत मूल योजना की तुलना में अधिक हो चुकी है।

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	कुल	इतने दिन में पूरा किया जाना है			
	31.03.2023 तक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
मुख्य कार्यालय	158.63	147.46	7.19	0.00	3.97
बालाघाट	9722.18	9722.18	0.00	0.00	0.00
उकवा	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00
तिरोड़ी	2140.57	2140.57	0.00	0.00	0.00
डोंगरी बुजुर्ग	429.87	429.87	0.00	0.00	0.00
चिखला	308.47	308.47	0.00	0.00	0.00
गुमगांव	6945.62	6928.49	0.00	0.00	17.13
कांद्री	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00
मनसर	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00
परसोडा	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00
ईएमडी प्लांट	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00
कुल	19983.80	19906.95	55.74	0.00	21.10

31.03.2023 तक

(B) सीडब्ल्यूआईपी पूरा होने का कार्यक्रम (शेष) 31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

सीडब्ल्यूआईपी	कुल	इतने दिन में पूरा किया जाना है			
	31.03.2023 तक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजनाएं प्रगति पर	6088.77	6088.77	0.00	0.00	0.00
कुल (A+B)	26072.57	25995.72	55.74	0.00	21.10

नोट 2.3 - अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2023 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2024 तक	01.04.2023 तक	वर्ष के लिए कटौती/समायोजन	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2024 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1790.45	39.15	113.25	1716.35	1683.32	21.96	107.83	1597.45	118.90	107.13
2. खनन अधिकार	5106.30	2321.91	0.00	7428.21	1247.11	362.49	0.00	1609.60	5818.61	3859.19
कुल	6896.75	2361.06	113.25	9144.56	2930.43	384.45	107.83	3207.05	5937.51	3966.32

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.3 - अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां (जारी)

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

परिसंपत्तियों का विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2022 तक	इस अवधि के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2023 तक	01.04.2022 तक	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती/समायोजन	31.03.2023 तक	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1745.70	50.70	5.95	1790.45	1636.52	52.58	5.78	1683.32	107.13	109.18
2. खनन अधिकार	2026.57	3721.07	641.34	5106.30	1645.63	242.82	641.34	1247.11	3859.19	380.94
कुल	3772.27	3771.77	647.29	6896.75	3282.15	295.40	647.12	2930.43	3966.32	490.12

नोट 2.4 - विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	6.86	0.00
2. खनन अधिकार	2540.53	965.96
कुल	2547.39	965.96

31.03.2023 तक

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 तक	31.03.2022 तक
1. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.40
2. खनन अधिकार	965.96	1426.19
कुल	965.96	1426.59

31.03.2024 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	सीडब्ल्यूआईपी में इस अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2024 तक
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	1964.03	156.05	259.52	167.80	2547.39

31.03.2023 तक विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	सीडब्ल्यूआईपी में इस अवधि के लिए राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	31.03.2023 तक
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	390.25	264.39	309.83	1.49	965.96

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां 31.03.2023 तक पूर्ण होने की अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	कुल	इतने समय में पूरा किया जाना है			
	31.03.2024 तक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	2547.39	2547.39	0.00	0.00	0.00

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.4 - विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (जारी)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ 31.03.2023 तक पूर्ण होने की अनुसूची

(₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	कुल	इतने समय में पूरा किया जाना है			
	31.03.2023 तक	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ	965.96	531.10	0.00	0.00	434.86

गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

नोट 2.5 निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
इक्विटी शेयरों में		
गैर-व्यापारिक और लागत पर असूचीबद्ध:		
(a) विभिन्न खानों में सहकारी भंडार/समितियों के पूर्ण चुकता शेयर:		
(i) सहकारी स्टोर्स (अपंजीकृत) के 500 (500) इक्विटी शेयर, 5 रुपये प्रत्येक	0.03	0.03
(ii) सहकारी स्टोर्स (अपंजीकृत) के 500 (500) इक्विटी शेयर, 5 रुपये प्रत्येक	0.40	0.40
(iii) सहकारी समितियों के 8556 (8556) इक्विटी शेयर, 10 रुपये प्रत्येक (परिशोधित लागत पर मापा गया)	0.86	1.29
कोई भी निवेश सूचीबद्ध नहीं है और इस प्रकार किसी भी निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं है।		
(b) अन्य		
अन्वेषण हेतु पूंजीगत प्रकृति का व्यय (एमओआईएल-जीएमडीसी संयुक्त उद्यम अभी शामिल नहीं हुआ है) ##	765.27	754.02
कुल	766.56	755.31

नोट 2.6 गैर-चालू ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
(a) माना जाता है कि यह अच्छा है-सुरक्षित	136.68	133.48
(b) माना जाता है कि यह अच्छा है-असुरक्षित	36.27	43.58
(c) जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00
(d) खराब क्रेडिट	0.00	0.00
कुल	172.95	177.06

नोट 2.7 - अन्य वित्तीय गैर-चालू परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(a) 12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमा राशि		
बैंक गारंटी के विरुद्ध बैंक जमा, जिसकी शेष परिपक्वता अवधि 12 महीने से अधिक है	127.54	3353.36
(b) अन्य		
(i) सावधि और अन्य जमा राशियों पर ब्याज अर्जित हुआ परंतु देय नहीं	7.33	124.59
(ii) कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर ब्याज अर्जित हुआ परंतु देय नहीं	44.73	43.88
कुल	179.60	3521.83

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.8 अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(a) पूंजीगत अग्रिम-असुरक्षित	3393.23	2359.59
(b) पूंजीगत अग्रिम के अलावा अन्य को अग्रिम:		
(i) आयकर का अग्रिम भुगतान (शुद्ध)	4074.82	5841.51
(ii) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)	2523.51	2319.40
(c) अन्य:		
(i) पूर्व भुगतान व्यय	0.00	4.17
(ii) विशेष सहमति शुल्क- एमपीपीसीबी/एमपीसीबी को पूर्व भुगतान	137.57	139.75
कुल	10129.13	10664.42

चालू परिसंपत्तियां

नोट 2.9 इन्वेंटरी [प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित एवं प्रमाणित]

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(a) कच्चा माल **	173.30	381.92
(b) कार्य-प्रक्रिया	43.17	4.86
(c) तैयार माल *	17096.11	12650.67
(d) भंडार और स्पेयर आदि #	3991.20	4038.00
(-) अप्रचलित स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	44.81	37.27
(-) धीमी/अगतिमान स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	10.94	14.56
	3935.45	3986.17
कुल	21248.03	17023.62

* इन्वेंट्री का मूल्यांकन, लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो, पर किया जाता है

स्टोर और स्पेयर आदि की लागत का मूल्यांकन भारित औसत विधि से किया जाता है।

नोट संख्या 3.12 देखें

** कच्चे माल की सूची में 31.03.2024 को फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थल में पड़े 12.98 मीट्रिक टन (62.05 मीट्रिक टन) के मैंगनीज अयस्क का स्टॉक शामिल है, जिसका मूल्य ₹ 0.99 लाख (₹ 6.02 लाख) है।

वित्तीय परिसंपत्तियां

नोट 2.10 निवेश

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
बाजार मूल्य पर कारोबार और उद्धृत :		
लिविड म्यूचुअल फंड में वर्तमान निवेश *		
कुल	12055.07	14298.90

* वर्तमान निवेश का विवरण

(₹ लाख में)

लिविड म्यूचुअल फंड में वर्तमान निवेश	31.03.2024			31.03.2023		
फंड का नाम	इकाइयों की संख्या	एनएवी (₹)	(₹ लाख में)	इकाइयों की संख्या	एनएवी (₹)	(₹ लाख में)
एसबीआई लिविड फंड नियमित वृद्धि	1,62,373.27	3745.6791	6081.98	2,02,687.96	3496.0787	7086.13
यूटीआई लिविड कैश प्लान- प्रत्यक्ष विकास योजना	1,50,912.93	3957.968	5973.09	1,95,499.42	3689.4071	7212.77
कुल मूल्य			12055.07			14298.90

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.11 व्यापार प्राप्य

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(a) माना जाता है कि यह अच्छा है-सुरक्षित है #	17744.34	10403.00
(b) माना जाता है कि यह अच्छा है-असुरक्षित है	3194.74	3931.00
(c) जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	0.00	0.00
(d) खराब क्रेडिट	4.94	4.94
उप योग	20944.02	14338.94
(-) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	4.94	4.94
कुल	20939.08	14334.00

वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त हुआ

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है	20809.90	128.30		0.88		20939.08
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-ऋण क्षीण					4.94	4.94
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है						-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य-जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य-ऋण क्षीण						-
31.03.2024 तक बकाया बिल - शून्य						

वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ

व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ लाख में)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया					
	6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है	13587.38	745.74	0.88			14334.00
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-ऋण क्षीण					4.94	4.94
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य-अच्छा माना जाता है						-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य-जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है						-
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य-ऋण क्षीण						-
31.03.2023 तक बकाया बिल - शून्य						

एलसी/बीजी द्वारा कवर किए गए व्यापार प्राप्य को सुरक्षित और अच्छा माना जाता है। ₹ 194,61.65 लाख (₹ 99,99.68 लाख) के व्यापार प्राप्य बकाया नहीं हैं।

नोट 2.12 नकदी और नकदी समकक्ष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(a) हाथ में नकदी	0.91	0.74
(b) बैंकों के पास शेष राशि:		
बैंक जमा में (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने या 3 महीने से कम)	950.00	1180.00
चालू खातों में	3045.94	124.30
	3996.85	1305.04

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.13 बैंक बैलेंस (उपर्युक्त के अलावा)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(a) बैंक जमा में (मूल परिपक्वता अवधि 3 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम या उसके बराबर)	68000.00	73500.00
(b) 12 महीने से कम या उसके बराबर की परिपक्वता अवधि वाली बैंक जमाओं में (बैंक गारंटी/एलसी और निर्धारित राशि के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में) *	6792.38	6214.41
(c) लाभांश खातों में वारंटों के नकदीकरण की प्रक्रिया लंबित है	221.77	230.92
कुल	75014.15	79945.33

नोट 2.14 चालू ऋण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		
(a) माना जाता है कि यह अच्छा है-सुरक्षित	99.82	103.43
(b) माना जाता है कि यह अच्छा है-असुरक्षित	264.45	226.96
(c) खराब क्रेडिट	0.40	0.37
	364.67	330.76
(-) संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	0.40	0.37
	364.27	330.39
कुल	364.27	330.39

नोट 2.15 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(a) सावधि और अन्य जमाशियों पर अर्जित ब्याज	3464.04	3120.58
(b) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं	23.81	20.37
कुल	3487.85	3140.95

नोट 2.16 वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	1124.62	2430.05

नोट 2.17 अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(a) विविध प्राप्य	4990.42	4287.52
(-) संदिग्ध विविध प्राप्य के लिए प्रावधान	41.24	43.71
	4949.18	4243.80
(b) प्रीपेड खर्चें #	2243.21	638.72
दूसरों को ऋण और अग्रिम		
अच्छा माना जाता है- असुरक्षित		
(c) स्टोर, स्पेयर आदि की खरीद के लिए अग्रिम	76.60	34.50
(d) ठेकेदारों और अन्य को अग्रिम	89.38	9.87
(-) संदिग्ध विविध प्राप्य के लिए प्रावधान	6.42	3.68
	82.96	6.19
(e) सीएसआर पूर्व-व्यय व्यय	700.00	1400.00
कुल	8051.95	6323.21

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.18 बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	134.29	0.00
कुल	134.29	0.00

* नोट 2.13 बैंक शेष (उपर्युक्त के अलावा) (बी) में बैंक जमा शामिल है ₹ 1800.00 लाख जो खदान बंद करने के व्यय के लिए निर्धारित है

** नोट संख्या 3.29 देखें

पूर्व-भुगतान व्यय में एलआईसी के पास देयता से अधिक निधि शामिल है

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
a छुट्टी	243.16	0.00
b ग्रेच्युटी	526.97	0.00
कुल	770.13	0.00

प्रावधान - भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

(₹ लाख में)

प्रावधानों का विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2023	प्रावधान	प्रावधान वापस लिखा/प्रयुक्त	समापन शेष 31.03.2024
खराब एवं संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	8.99	2.77	0.00	11.76
	(63.84)	(0.37)	(55.22)	(8.99)

इक्विटी

नोट 2.19 इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अधिकृत		
इक्विटी शेयर : संख्या	30,00,00,000	30,00,00,000
प्रति शेयर सममूल्य अंकित मूल्य ₹	10.00	10.00
राशि कुल	30000.00	30000.00
जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से चुकता		
इक्विटी शेयर : संख्या	20,34,85,211	20,34,85,211
प्रति शेयर सममूल्य अंकित मूल्य ₹	10.00	10.00
राशि कुल	20348.52	20348.52

*शेयर से जुड़ी शर्तें/अधिकार:-

कंपनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर के इक्विटी शेयरों के रूप में केवल एक ही श्रेणी के शेयर हैं, जिनमें से एक इक्विटी शेयर के लिए एक वोटिंग अधिकार और शेयरधारिता के अनुपात में समान लाभांश का अधिकार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी धारक शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे।

प्रत्येक शेयरधारक की शेयरधारिता का ब्यौरा

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.19 इक्विटी शेयर पूंजी (जारी..)

5% से अधिक शेयर :

शेयरधारक का नाम	31.03.2024 को धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	31.03.2023 को धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से)	10,85,52,846	53.35	10,85,52,846	53.35
म.प्र. राज्य के राज्यपाल (मध्य प्रदेश सरकार की ओर से)	1,09,39,108	5.38	1,09,39,108	5.38
म.प्र. राज्य के राज्यपाल (महाराष्ट्र सरकार की ओर से)	1,21,32,134	5.96	1,21,32,134	5.96
भारतीय जीवन बीमा निगम	1,04,62,466	5.14	1,61,90,008	7.96

तुलन पत्रक की तिथि से तुरंत पहले पांच वर्षों की अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का प्रकटीकरण

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
शुरुआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	25,76,08,888	25,76,08,888	23,73,27,879	23,73,27,879	20,34,85,211
(a) नकद भुगतान प्राप्त किए बिना आवंटित पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	-	-	-	-	-
(b) वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या	-	-	-	-	-
कंपनी ने 2,02,81,009 शेयर ₹152 की दर से वापस खरीदे, कुल राशि ₹308,27.13 लाख	-	2,02,81,009	-	-	-
कंपनी ने 3,38,42,668 शेयर ₹ 205 की दर से वापस खरीदे, कुल राशि ₹ 693,77.47 लाख	-	-	-	3,38,42,668	-
वित्तीय वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	25,76,08,888	23,73,27,879	23,73,27,879	20,34,85,211	20,34,85,211

वित्तीय वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या

क्रम संख्या	प्रमोटरों द्वारा धारित शेयर विवरण	वर्ष के अंत में		वर्ष की शुरुआत में		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		शेयर की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
(i)	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार की ओर से)	10,85,52,846	53.35	10,85,52,846	53.35	0.00
(ii)	म.प्र. राज्य के राज्यपाल (मध्य प्रदेश सरकार की ओर से)	1,09,39,108	5.38	1,09,39,108	5.38	0.00
(iii)	म.प्र. राज्य के राज्यपाल (महाराष्ट्र सरकार की ओर से)	1,21,32,134	5.96	1,21,32,134	5.96	0.00
कुल		13,16,24,088	64.68	13,16,24,088	64.68	0.00

अन्य इक्विटी

नोट 2.20 रिज़र्व और अधिशेष

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सामान्य रिज़र्व		
अंतिम तुलन पत्रक के अनुसार	191277.30	180777.30
(+) प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	20000.00	10500.00
	211277.30	191277.30
पूंजी मोचन रिज़र्व		
अंतिम तुलन पत्रक के अनुसार	6289.04	6289.04
(+) वर्ष के दौरान वृद्धि	0.00	0.00
प्रतिधारित आय		
अंतिम तुलन पत्रक के अनुसार	6516.87	6736.34
जोड़ें : वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	29334.07	25059.04
जोड़ें : प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त ओसीआई की मर्दे	67.50	-2569.39
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि (ए)	35918.44	29225.99

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.20 रिज़र्व और अधिशेष (जारी..)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
घटाएँ: विनियोजन -		
अंतरिम लाभांश @ 35% -वित्तीय वर्ष 2023-24 (30% -वित्तीय वर्ष 2022-23)	7121.98	6104.56
अंतिम लाभांश @ (6.90% -वित्तीय वर्ष 2022-23) (30% -वित्तीय वर्ष 2021-22)	1404.06	6104.56
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	20000.00	10500.00
कुल विनियोजन (B)	28526.04	22709.12
शेष राशि आगे ले जाई गई (A-B)	7392.40	6516.87
कुल	224958.74	204083.21

अंतरिम लाभांश को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तिथि पर देयता के रूप में दर्ज किया जाता है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2.55 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 5188.87 लाख रुपये का अंतिम लाभांश देने की अनुशंसा की है। यह भुगतान, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में शेयरधारक की मंजूरी के अधीन है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 3.00 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 6104.56 लाख रुपये का अंतरिम लाभांश और 0.69 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से 1404.06 लाख रुपये का अंतिम लाभांश देने की घोषणा की है।

गैर-चालू देयताएँ

नोट 2.21 वित्तीय देयताएँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य वित्तीय देयताएँ (निर्दिष्ट देयताओं के अलावा)		
आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य लोगों से सुरक्षा जमा	120.63	42.24
कुल	120.63	42.24

नोट 2.22 गैर-चालू प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(a) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :		
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	6385.73	5313.59
(b) अन्य		
अंतिम खदान बंद होने के खर्च के लिए प्रावधान	1462.12	1392.92
कुल	7847.85	6706.51

चालू देयताएँ

वित्तीय देयताएँ

नोट 2.23 व्यापार देयताएँ

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(a) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	3317.62	2774.29
(b) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	493.21	286.35
कुल	3810.83	3060.64

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

भुगतान के लिए देय व्यापार देयताएँ

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष

(₹ लाख में)

विवरण	बिना बिल के (एमआईआरओ नहीं बना)	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	2345.11	844.03	-	-	-	-	3189.14
(ii) अन्य	164.05	329.15	-	-	-	-	493.20
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई*	128.48	-	-	-	-	-	128.48
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	0.00
कुल	2637.65	1173.18	-	-	-	-	3810.83

* 4 वर्ष से अधिक से संबंधित

31 मार्च 2023 को समाप्त हुआ वर्ष

(₹ लाख में)

विवरण	बिना बिल के (एमआईआरओ नहीं बना)	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) एमएसएमई	2021.96	623.85	-	-	-	-	2645.81
(ii) अन्य	137.68	148.67	-	-	-	-	286.35
(iii) विवादित बकाया - एमएसएमई*	128.48	-	-	-	-	-	128.48
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	-	-	-	0.00
कुल	2288.12	772.52	-	-	-	-	3060.64

* 3 वर्ष से अधिक से संबंधित

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) की धारा 22 के अनुसार 31 मार्च 2024 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में जानकारी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1 (a)	एमएसएमई को भुगतान न की गई मूल राशि		
	(i) एमएसएमई को देय राजस्व व्यापार के लिए देयता	3317.62	2774.29
	(ii) पूंजीगत व्यय की देयता जिसमें एमएसएमई को देय राशि शामिल है	2725.03	2122.10
	(iii) व्यय देयता जिसमें एमएसएमई को देय राशि शामिल है	713.01	72.33
	कुल	6755.66	4968.73
1 (b)	और उपरोक्त पर देय ब्याज, जो प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किया जाता है।	शून्य	शून्य
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत तिथि के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन से परे किया गया है) परंतु एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना);	शून्य	शून्य
4	लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और अप्रदत्त शेष ब्याज की राशि; तथा	शून्य	शून्य
5	एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, उस तिथि तक बकाया और आगामी वर्ष में भी देय ब्याज की राशि, जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	शून्य	शून्य

विक्रेताओं को भुगतान संबंधित अनुबंधों की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.24 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(a) वारंट के नकदीकरण तक अवैतनिक लाभांश	221.77	230.92
(b) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से प्रतिभूति जमा	4910.78	4697.47
(c) पूंजीगत व्यय के लिए देयताएँ *	9645.75	8845.46
(d) व्यय के लिए देयताएँ *	7590.73	7215.90
(e) अन्य देयताएँ	525.67	449.10
कुल	22894.70	21438.85

नोट 2.25 अन्य चालू देयताएं

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(a) अनुबंध देयता- ग्राहक	1522.91	3069.49
(b) सरकार/वैधानिक बकाया के प्रति देयता	3113.02	3002.47
कुल	4635.93	6071.96

नोट 2.26 प्रावधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान :		
(a) अप्रयुक्त अवकाश के लिए प्रावधान #		
तुलन पत्रक तिथि पर देयता	7649.25	7677.15
(-) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधि	7649.25	7543.09
	0.00	134.06
(b) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान #	0.00	2915.13
(c) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	587.43	411.54
(d) कर्मचारियों को अन्य देय के लिए प्रावधान	3677.62	3955.79
कुल	4265.05	7416.52

* पूंजीगत व्यय के लिए देयताओं में एमएसएमई देय ₹ 2725.03 लाख (₹ 2122.10 लाख) शामिल हैं और व्यय के लिए देयताओं में एमएसएमई देय ₹ 713.01 लाख (₹ 72.33 लाख) और एमएसएमई के अतिरिक्त विवादित बकाया ₹ 11.81 लाख (₹ 11.81 लाख) शामिल हैं।

एलआईसी के पास छुट्टी और ग्रेच्युटी के दायित्व से अधिक निधि को प्रीपेड व्यय में नोट संख्या 2.17 (b) में शामिल किया गया है

परिभाषित दायित्व - Ind-AS 19 के अनुसार प्रकटीकरण: कर्मचारी लाभ निम्नानुसार हैं -

A परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

- भविष्य निधि: कंपनी भविष्य निधि ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दर पर निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है।
- पेंशन फंड: कंपनी मॉयल ग्रुप सुपरएनुएशन कैश एक्ज्युमुलेशन स्कीम (परिभाषित अंशदान) [मॉयल जीएससीए (डीसी)] ट्रस्ट को निश्चित अंशदान देती है जो भारतीय जीवन बीमा निगम में निधियों का निवेश करता है।

B परिभाषित लाभ योजनाएँ:

- ग्रेच्युटी: समूह, ग्रेच्युटी नकद संचय योजना कंपनी द्वारा वित्तपोषित है और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार मॉयल ग्रेच्युटी ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित की जाती है। ग्रेच्युटी के लिए देयता की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है। ट्रस्ट द्वारा अलग होने पर कर्मचारियों को पात्र राशि का भुगतान किया जाता है।
- सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ: यह लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी को उपलब्ध होता है, जिन्होंने लाभ के लिए विकल्प चुना है। इसके लिए देयता की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.26 प्रावधान (जारी..)

C अवकाश लाभ :

संचित अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश/बीमारी अवकाश, अलग से देय है, जो अधिकतम स्वीकार्य सीमा के अधीन है। इसके लिए देयता की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(₹ लाख में)

विवरण	ग्रेच्युटी		छुट्टी नकदीकरण भुगतान	
	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार वित्तपोषित दायित्व के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान				
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	24617.19	22705.40	7677.15	7549.02
वर्तमान सेवा लागत	1116.50	1182.39	482.70	471.49
ब्याज लागत	1814.29	1625.71	565.81	540.51
बीमांकिक (-)लाभ/हानि	-1359.95	1289.59	481.49	915.05
कुल भुगतान किए गए लाभ	-2341.57	-2185.90	-1801.06	-1798.92
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	23846.46	24617.19	7406.09	7677.15
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक/अंतिम शेष का समाधान				
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	21702.06	21829.81	7543.09	7252.02
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	2096.88	1184.63	575.73	551.39
निधि प्रबंधन शुल्क	-29.96	-25.48	-1.32	-1.18
नियोक्ता अंशदान	2946.02	899.00	219.07	296.65
कुल भुगतान किए गए लाभ	-2341.57	-2185.90	-687.32	-555.79
वर्ष के अंत में	24373.43	21702.06	7649.25	7543.09
परिसंपत्तियों और वित्तपोषित दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान				
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	24373.43	21702.06	7649.25	7543.09
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	23846.46	24617.19	7406.09	7677.15
तुलन पत्रक में मान्यता प्राप्त देयता/(-) पूर्ववर्त व्यय	-526.97	2915.13	-243.16	134.06
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त व्यय				
वर्तमान सेवा लागत	1116.50	1182.39	482.70	471.49
ब्याज लागत	1814.29	1625.71	565.81	540.51
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-2096.88	-1184.63	-575.73	-551.39
बीमांकिक (-)लाभ/हानि	-1359.95	1289.59	481.49	915.05
निधि प्रबंधन शुल्क	29.96	25.48	1.32	1.18
विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ और हानि तथा ओसीआई राशि	-496.08	2938.54	955.59	1376.84
बीमांकिक अनुमान				
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.21%	7.37%	7.21%	7.37%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल (प्रति वर्ष)		7.37%	7.21%	7.37%
वेतन वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

परिभाषित लाभ योजनाओं की विशेषताएं:

परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना: – ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने के लिए वित्त पोषण प्रदान करना। ग्रेच्युटी की गणना उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है और यह अधिकतम 20 लाख रुपये तक सीमित है।

परिभाषित लाभ अवकाश नकदीकरण योजना: - कंपनी के अवकाश नियमों के अनुसार, कर्मचारियों के खाते में अंतिम आहरित वेतन की दर से संचित अवकाश के अंतस्थ नकदीकरण लाभ के लिए वित्तपोषण प्रदान करना, जो अधिकतम 300 दिनों के अवकाश शेष तक सीमित है।

अनुमान और सीमाएं:

परिभाषित लाभ योजना और अन्य रोजगार-पश्चात लाभों की लागत और ऐसे दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य में पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.26 प्रावधान (जारी..)

मुख्य अनुमान, छूट दर और वेतन वृद्धि दर हैं। छूट दर आम तौर पर देयताओं से मेल खाने वाली अवधि के लिए लाभ भुगतान की मुद्रा से संबंधित लेखांकन तिथि पर सरकारी बॉन्ड पर उपलब्ध बाजार प्रतिफल पर आधारित होती है। वेतन वृद्धि दर, वेतन वृद्धि के रूप में कंपनी का दीर्घकालिक सर्वोत्तम अनुमान है और प्रासंगिक लेखांकन मानक में दिए गए अनुसार मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, व्यवसाय योजना, मानव संसाधन नीति और दीर्घकालिक आधार पर अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखती है।

जोखिम:

प्रबंधन ने चार अनुमोदित निधि प्रबंधकों अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम, बजाज आलियांज जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस को ग्रेजुटी के लिए निधि का प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व सौंपा है, यानी 60% एलआईसी के पास और अधिकतम 40% निजी बीमा कंपनियों और भारतीय जीवन बीमा निगम के पास छुट्टी नकदीकरण के लिए जमा किया जाना है। प्रबंधन द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के लिए निधि के प्रदर्शन, धारणाओं, छूट दरों और शुद्ध संपत्ति मूल्य का मूल्यांकन किया जाता है। निधि प्रबंधकों को आईआरडीए और भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट इसके निवेश मानदंडों द्वारा विनियमित किया जाता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है। निधि प्रबंधक, जोखिम को कम करने के लिए नीतियों का पालन करते हैं जिसमें क्रेडिट रेटिंग की समीक्षा, जोखिम एकाग्रता, सहनशीलता के स्तर का जोखिम, नियामक अनुपालन मानक, मानक संचालन प्रक्रिया आदि शामिल हैं।

क्रम संख्या	निवेश का प्रकार	विनियमन 4(b) के अंतर्गत निधियों का प्रतिशत
(i)	केंद्रीय सरकार प्रतिभूतियाँ	20% से कम नहीं
(ii)	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	40% से कम नहीं (उपर्युक्त (i) सहित)
(iii)	शेष राशि को अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुमोदित निवेशों में निवेश किया जाएगा, जो विनियमन 9 में निर्दिष्ट प्रदर्शन/विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।	60% से अधिक नहीं

(₹ लाख में)

विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	
	31.03.2024	31.03.2023
एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा मूल्यांकन के अनुसार, वित्तपोषित दायित्व के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान:		
वर्ष के आरंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5725.13	4914.12
वर्तमान सेवा लागत	92.47	88.87
ब्याज लागत	421.94	352.84
बीमांकिक (-)लाभ/हानि	1291.38	822.79
भुगतान किए गए लाभ	-557.76	-453.49
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	6973.16	5725.13
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के प्रारंभिक/अंतिम शेष का समाधान :		
वर्ष के आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	0.00	0.00
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	0.00	0.00
निधि प्रबंधन शुल्क	0.00	0.00
नियोक्ता अंशदान	0.00	0.00
भुगतान किए गए लाभ (निधि)	0.00	0.00
वर्ष के अंत में	0.00	0.00
बीमांकिक अनुमान		
मृत्यु दर तालिका	100% of IALM (2012-14)	100% of IALM (2012-14)
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.21%	7.37%
भविष्य में चिकित्सा लागत में वृद्धि	1.00%	1.00%

बैलेंस शीट के लिए नोट्स

नोट 2.27 परिचालन से राजस्व

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों की बिक्री		
(a) खनन उत्पाद	135955.13	122768.79
(b) निर्मित उत्पाद	8297.09	10694.69
	144252.22	133463.48
अन्य परिचालन राजस्व		
बिजली की बिक्री	690.23	701.12
कुल	144942.45	134164.60

नोट 2.28 अन्य आय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य आय		
(a) ब्याज आय		
(i) ब्याज आय	6220.65	4756.71
(ii) कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर	24.81	22.77
(iii) अन्य	728.92	198.78
	6974.38	4978.26
(b) लाभांश आय	0.02	0.03
(c) म्यूचुअल फंड के निकासी मोचन पर लाभ	856.17	938.59
(d) कर्मचारियों से वसूली	25.55	55.84
(e) स्ट्रैप की बिक्री	42.41	225.77
(f) बिक्री कर सेट-ऑफ/रिफंड	0.00	5.91
(g) विविध आय	1316.67	1149.98
वापस लिखे गए प्रावधान :		
(a) संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान-वापस लिखे गए	73.76	291.21
(b) संदिग्ध ऋणों/देयताओं के लिए प्रावधान	2.47	10.55
(c) वापस लिखे गए प्रावधान/देयताएँ	62.08	31.21
कुल	9353.51	7687.35

नोट 2.29 उपभोग किये गये कच्चे माल की लागत

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइ-ऑक्साइड संयंत्र		
(a) मैंगनीज अयस्क	139.88	99.38
(b) सल्फ्यूरिक एसिड	60.91	91.62
(c) सोडियम कार्बोनेट	7.60	8.61
(d) अन्य	11.63	10.73
	220.02	210.34
फेरो मैंगनीज संयंत्र		
(a) मैंगनीज अयस्क	1906.41	2200.85
(b) कोक	1557.44	1137.06
(c) कार्बन पेस्ट	120.61	69.23
(d) अन्य	338.87	342.45
	3923.33	3749.59
कुल	4143.35	3959.93
अंतर इकाई स्थानांतरण		
(-) इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइ-ऑक्साइड और फेरो मैंगनीज संयंत्रों में स्थानांतरित मैंगनीज अयस्क की लागत	1755.42	1976.09
कुल	2387.93	1983.84

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

नोट 2.30 तैयार माल, स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में परिवर्तन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(a) खनन उत्पाद		
अंतिम स्टॉक	14521.19	12129.73
(-) प्रारंभिक स्टॉक	12129.73	5471.39
	2391.46	6658.34
(b) निर्मित उत्पाद		
अंतिम स्टॉक	2605.09	530.62
(-) प्रारंभिक स्टॉक	530.62	914.47
	2074.47	-383.85
शुद्ध अभिवृद्धि/(-) हास [a + b]	कुल 4465.93	6274.49

नोट 2.31 कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(a) वेतन, मजदूरी और बोनस	42782.01	44423.80
(b) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	8712.94	8742.09
(c) कल्याण व्यय	4016.15	3845.13
कुल	55511.10	57011.02

नोट 2.32

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संविदागत व्यय (ठेकेदारों के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य)	8624.91	8151.99

नोट 2.33

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
स्टोर और स्पेयर की खपत	11716.69	12048.53

नोट 2.34

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली और ईंधन	6035.73	5987.95

नोट 2.35 - रॉयल्टी और अन्य शुल्क

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1 रॉयल्टी और उपकर *	8895.15	8130.18

लाभ और हानि विवरण के लिए नोट्स

नोट 2.36 - मरम्मत और रखरखाव

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1 इमारतों और सिविल कार्यों की मरम्मत और रखरखाव	1122.10	777.95
2 संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	2792.75	1967.80
3 अन्य की मरम्मत और रखरखाव	1589.26 5504.11	1300.26 4046.01

नोट 2.37 - अन्य व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1 विक्रय व्यय :		
a बिक्री पर नकद छूट	201.10	264.89
b ई-नीलामी पर सेवा शुल्क	90.73	103.26
c नमूना व्यय	21.75 313.58	18.01 386.16
2 किराया	122.85	85.77
3 दरें और कर	484.22	464.88
4 बीमा	299.93	314.53
5 लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
i लेखा परीक्षा शुल्क	5.13	5.13
ii कर लेखा परीक्षा शुल्क	1.54	1.54
iii अन्य सेवाएं (सीमित समीक्षा)	3.08 9.75	3.08 9.75
6 लागत लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	1.60	1.60
7 आंतरिक लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	16.00	16.00
8 निदेशकों की बैठक शुल्क	17.80	15.80
9 विज्ञापन	97.90	75.00
10 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास पर व्यय #	1666.48	1373.54
11 विविध व्यय	3294.16	2665.07
12 आर एंड डी व्यय - खदानों में अन्वेषी ड्रिलिंग	419.53	175.94
13 आर एंड डी व्यय - ब्लास्टिंग/रॉक मैकेनिक्स/स्तोप डिजाइन अध्ययन आदि पर व्यय	92.68	116.05
	512.21	291.99
14 त्यक्त की गई संपत्तियों को बट्टे खाते में डालना	39.94	261.76
15 स्टोर और स्पेयर की कमी को बट्टे खाते में डालना	2.78	17.46
16 अप्रचलित स्टोर और स्पेयर को बट्टे खाते में डालना	0.00	30.09
17 खराब ऋणों को बट्टे खाते में डालना	0.00	10.55
18 अग्रिम को बट्टे खाते में डालना	0.00 42.72	23.78 343.64
19 अप्रचलित स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	7.54	32.25
20 धीमी/गैर-चलित स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	2.56	14.56
21 विविध प्राप्त्य और अन्य डेबिट आदि के लिए प्रावधान	0.00	28.71
22 संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	2.77	8.99
23 अंतिम खदान बंद करने के व्यय के लिए प्रावधान	69.19	41.54
कुल	6961.26	6169.78

* जिला खनिज निधि और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट का अंशदान भी इसमें शामिल है।

नोट 3.20 देखें

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

नोट 3 :

3.1 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों को 30 जुलाई, 2024 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

3.2 उचित मूल्य मापन

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक			31 मार्च 2023 तक		
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
i निवेश	12055.07			14298.90		
ii व्यापार प्राप्त्य			20939.08			14334.00
iii नकद और नकद समतुल्य			3996.85			1305.04
iv उपर्युक्त (iii) के अलावा बैंक शेष			75014.15			79945.33
v ऋण			537.22			507.45
vi अन्य			179.60			3521.83
कुल	12055.07	0.00	100666.90	14298.90	0.00	99613.65
वित्तीय देनदारियाँ						
i व्यापार देयताएँ			3810.83			3060.64
ii अन्य वित्तीय देनदारियाँ			22894.70			21438.85
iii अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ		120.63			42.24	
कुल	0.00	120.63	26705.53	0.00	42.24	24499.49

3.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन तंत्र

कंपनी के निदेशक मंडल के पास कंपनी के जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना और निगरानी का समग्र उत्तरदायित्व है। निदेशक मंडल ने कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों को विकसित करने और उनकी निगरानी के लिए जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है। जोखिम प्रबंधन समिति, नियमित आधार पर लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से निदेशक मंडल को अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट करती है।

कंपनी के जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना, कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने तथा जोखिमों और सीमाओं के पालन की निगरानी करने के लिए की गई है। बाजार की स्थितियों और कंपनी की गतिविधियों में होने वाले बदलावों को दर्शाने के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचे और प्रणालियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कंपनी अपने प्रशिक्षण और प्रबंधन मानकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से एक अनुशासित और रचनात्मक नियंत्रण वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य रखती है जिसमें सभी कर्मचारी अपनी भूमिकाएं और दायित्व समझते हैं।

निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करता है, तथा कंपनी के सामने आने वाले जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्याप्तता की समीक्षा करता है।

कंपनी को वित्तीय साधनों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है:

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	उपाय	प्रबंधन
A ऋण जोखिम	नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्त्य, ऋण	एजिंग विश्लेषण और क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट लेटर और बैंक गारंटी पर बिक्री	बैंक जमा/लिविड म्यूचुअल फंड, ऋण सीमा, ऋण पत्र और बैंक गारंटी का विविधीकरण।
B तरलता जोखिम	अन्य वित्तीय देयताएं	रोलिंग नकदी प्रवाह पूर्वानुमान। ऋण आधारित- लिविड कैश योजना	दैनिक कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग परिपक्वता अवधि के साथ जमा/तरल म्यूचुअल फंड की उपलब्धता।
C बाजार जोखिम - ब्याज दर जोखिम - मुद्रा जोखिम	लागू नहीं	शून्य	शून्य

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

A ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम, वह जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेगा, जिससे वित्तीय हानि होगी। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्तियां) और बैंकों के पास जमा राशि से क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है।

(a) व्यापार प्राप्तियां

कंपनी की बिक्री, सामान्यतः अग्रिम भुगतान और ऋण पत्रों/बैंक गारंटी के माध्यम से होती है। पुस्तकों में व्यापार प्राप्तियां मुख्य रूप से मेसर्स सेल मेल लिमिटेड (चंद्रपुर), सेल भिलाई स्टील प्लांट और सेलम स्टील, इस्पात मंत्रालय के तहत सीपीएसई को ऋण बिक्री के कारण हैं।

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों के लिए ऋण हानि का विवरण नीचे दी गई तालिकाओं के अनुसार दिया गया है

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष

	(₹ लाख में)			
उत्प्र बढ़ना	< 6 महीने	6-12 महीने	>12 महीने	कुल
सकल वहन राशि	20809.90	128.30	5.82	20944.02
अपेक्षित हानि दर (%)	0%	0%	85%	0.02%
अपेक्षित ऋण हानियाँ (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान)	0.00	0.00	4.94	4.94
व्यापार प्राप्य की अग्रणीत राशि (क्षति के बाद शुद्ध)	20809.90	128.30	0.88	20939.08

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष

	(₹ लाख में)			
एजिंग	< 6 महीने	6-12 महीने	>12 महीने	कुल
सकल वहन राशि	13587.38	745.74	5.82	14338.94
अपेक्षित हानि दर (%)	0%	0%	85%	0.03%
अपेक्षित ऋण हानियाँ (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान)	0.00	0.00	4.94	4.94
व्यापार प्राप्य की वहन राशि (क्षति के बाद शुद्ध)	13587.38	745.74	0.88	14334.00

अपेक्षित ऋण हानियों (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान) का समाधान - व्यापार प्राप्य

	(₹ लाख में)
31 मार्च 2022 को अपेक्षित ऋण हानियाँ (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान)	10.55
प्रावधान में परिवर्तन	5.61
31 मार्च 2023 को अपेक्षित ऋण हानियाँ (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान)	4.94
प्रावधान में परिवर्तन	0.00
31 मार्च 2024 को अपेक्षित ऋण हानियाँ (संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान)	4.94

ऊपर बताए गए व्यापार प्राप्य के लिए हानि प्रावधान, चूक के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं।

(b) वित्तीय उपकरण और नकद जमा

बैंकों में शेष राशि से होने वाले ऋण जोखिम का प्रबंधन कंपनी के ट्रेजरी विभाग द्वारा डीपीई दिशा-निर्देशों और कंपनी की निवेश नीति के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक निवेश के ऋण जोखिम की समीक्षा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से नियमित आधार पर की जाती है। ऋण जोखिम शमन उपाय लागू किए जाते हैं और उनका नियमित रूप से पालन किया जाता है।

B. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम, वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके निपटाया जाता है। चलनिधि के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि, जहाँ तक संभव हो, उसके पास अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि होगी, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों स्थितियों में, अस्वीकार्य नुकसान उठाए बिना या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाए बिना।

सामान्यतः कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों की पूर्ति सहित वर्तमान और अपेक्षित परिचालन व्ययों को पूरा करने के लिए मांग पर पर्याप्त नकदी उपलब्ध हो; इसमें उन चरम परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता, जिनका यथोचित पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, जैसे प्राकृतिक आपदाएं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.3 वित्तीय जोखिम प्रबंधन (जारी)

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता :

नीचे दी गई तालिका, संविदागत नहीं किए गए भुगतानों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का सारांश प्रस्तुत करती है।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष

(₹ लाख में)

विवरण	मांग पर	3 महीने से कम	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	कुल
व्यापार देयताएं	0.00	3810.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3810.83
अन्य वित्तीय देयताएं	12644	7648.71	66.27	2535.72	0.00	0.00	22894.70
अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं- सुरक्षा जमा आदि।	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62	33.01	120.63

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष

(₹ लाख में)

विवरण	मांग पर	3 महीने से कम	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 से 2 वर्ष के बीच	2 से 5 वर्ष के बीच	कुल
व्यापार देयताएं	0.00	3060.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3060.64
अन्य वित्तीय देयताएं	11691.93	6962.42	61.42	2723.08	0.00	0.00	21438.85
अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएं- सुरक्षा जमा आदि।	0.00	0.00	0.00	0.00	41.89	0.35	42.24

C. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में बदलाव, जैसे कि विदेशी मुद्रा दरें और ब्याज दरें कंपनी की आय या वित्तीय साधनों की होल्डिंग के मूल्य को प्रभावित करेंगी। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाजार जोखिम जोखिमों का प्रबंधन और नियंत्रण करना है, जबकि रिटर्न को अनुकूलित करना है।

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम :

चूंकि कंपनी का अधिकांश परिचालन भारत में किया जा रहा है तथा सभी भौतिक शेष उसकी कार्यात्मक मुद्रा में अंकित हैं, इसलिए कंपनी को मुद्रा में उतार-चढ़ाव का कोई भौतिक जोखिम नहीं है।

(ii) ब्याज दर जोखिम :

ब्याज दर जोखिम, वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण उतार-चढ़ाव करेगा। चूंकि सावधि जमा पर ब्याज दरें तय होती हैं, इसलिए कंपनी को कोई ब्याज दर जोखिम नहीं होता। इसके अतिरिक्त, चूंकि कंपनी के पास कोई उधार नहीं है इसलिए, कोई ब्याज दर जोखिम नहीं है।

3.4 कंपनी वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों का समायोजन करती है, जहां उसके पास मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और जहां वह या तो शुद्ध आधार पर निपटान करना चाहती है या परिसंपत्ति और देयता को एक साथ वसूलना चाहती है।

3.5 भारतीय लेखा मानक 1, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के पैराग्राफ 117 के अनुसार, हमने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों, वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीति सं.1.1 (b) में मापन आधार तथा वित्तीय विवरणों को समझने के लिए प्रासंगिक प्रयुक्त अन्य लेखांकन नीतियों के संबंध में खुलासे किए हैं।

3.6 हेज अकाउंटिंग लागू नहीं है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.7 पूंजी प्रबंधन

(a) जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। पूंजी प्रबंधन करते समय, कंपनी का उद्देश्य एक चालू चिंता के रूप में जारी रहने की अपनी क्षमता की रक्षा करना है, ताकि वे शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सकें।

मंडल की नीति एक मजबूत पूंजी आधार बनाए रखने की है ताकि निवेशक, ऋणदाता और बाजार का विश्वास बनाए रखा जा सके और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन, पूंजी पर रिटर्न की निगरानी करते हैं, जिसे कंपनी कुल शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित परिचालन गतिविधियों के परिणाम के रूप में परिभाषित करती है।

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य से, पूंजी (इक्विटी) में जारी इक्विटी शेयर पूंजी और इक्विटी धारकों के लिए उत्तरदायी अन्य इक्विटी शामिल हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास कोई बाहरी ऋण नहीं है।

(b) लाभांश

विवरण	(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ` 0.69 (31 मार्च 2022 ` 3.00) प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया।	1404.06	6104.56
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश 3.50 रुपये (31 मार्च 2023, 3.00 रुपये) प्रति इक्विटी शेयर	7121.98	6104.56
निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 2.55 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है और यदि अनुमोदित किया जाता है तो नकदी बहिर्वाह होगा।	5188.87	

(c) ऋण

विवरण	(₹ लाख में)	
	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
शुद्ध ऋण (अल्पावधि को छोड़कर)	0.00	0.00
कुल इक्विटी	245307.26	224431.73
शुद्ध ऋण और इक्विटी का अनुपात	0.00	0.00

3.8 आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयता - भारतीय लेखा मानक 12 के अनुसार प्रकटीकरण: आयकर निम्नानुसार हैं।

क्रम संख्या	विवरण	(₹ लाख में)	
		2023-24/ 31 मार्च, 2024	2022-23/ 31 मार्च, 2023
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1741.92	1255.84
	आयकर अधिनियम के तहत अस्वीकृतियाँ	-14.16	486.08
	A	1727.76	1741.92
2	आस्थगित कर देयता	821.62	749.55
	मूल्यहास से संबंधित	337.73	72.07
	B	1159.35	821.62
	शुद्ध आस्थगित कर (-) देयता/परिसंपत्ति	A+B	2563.54
	लाभ और हानि खाते के लिए आस्थगित कर: देयता में वृद्धि(-)/कमी	323.57	558.15

आयकर व्यय में लाभ और हानि के विवरण में चालू वर्ष के चालू और आस्थगित आयकर शामिल हैं। आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी वहन राशियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

3.9 कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज से स्रोत पर आयकर की कटौती 617.53 लाख रुपये (477.63 लाख रुपये) है। धारा 194O और 194Q के तहत ई-नीलामी और ग्राहकों से टीडीएस 163.02 लाख रुपये (153.15 लाख रुपये) है। कुछ मामलों में कर कटौती प्रमाण-पत्रों की प्रतीक्षा है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.10 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) के तहत सीएंडएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अनुसरण में, 15.05.2024 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय विवरणों को संशोधित किया गया। सी एंड एजी द्वारा सलाह के अनुसार कुछ सुधारों को इन नोटों में शामिल किया गया है। संशोधन के प्रभाव को नीचे सारणीबद्ध रूप में इन नोटों में शामिल किया गया है। वित्तीय विवरणों पर संशोधन का कोई प्रभाव नहीं है।

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन – भारतीय लेखा मानक 24/कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का प्रकटीकरण

(1) संबंधित पक्षों और संबंधों की सूची

(a)	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	पदनाम
(i)	श्री अजित कुमार सक्सेना	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और सीईओ
(ii)	श्री राकेश तुमाने	निदेशक (वित्त) और सीएफओ
(iii)	श्रीमती उषा सिंह	निदेशक (मानव संसाधन)
(iv)	श्री पी.वी.वी. पटनायक (31.08.2023 तक)	निदेशक (वाणिज्यिक)
(v)	श्री एम.एम. अब्दुल्ला	निदेशक (उत्पादन और योजना)
(vi)	श्रीमती रश्मि सिंह (20.12.2023 से)	निदेशक (वाणिज्यिक)
(vii)	श्री एन.डी. पांडे	कंपनी सचिव

(b) कर्मचारियों को लाभ का भरोसा

- (i) मॉयल समूह सेवानिवृत्ति नकद संचय योजना (परिभाषित अंशदान) निधि (सेवानिवृत्ति निधि)
- (ii) मॉयल समूह ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा योजना (ग्रेच्युटी ट्रस्ट)
- (iii) मॉयल वरिष्ठ कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट

(c) मॉयल कर्मचारी सहकारी ऋण सोसायटी

(d) मॉयल फाउंडेशन

(2) उपरोक्त 1 (a) में उल्लिखित संबंधित पक्षों के साथ वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन:

भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को मुआवजा:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	जैसा कि मूल रूप से कहा गया है	जोड़/(हटाना)	संशोधित	जैसा कि मूल रूप से कहा गया है	जोड़/(हटाना)	संशोधित
(a) अल्पावधि कर्मचारी लाभ	411.44	0.00	411.44	288.36	0.00	288.36
(b) सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	19.96	77.23	97.19	18.51	31.64	50.15
(c) अन्य दीर्घकालिक लाभ	-	-	-	-	-	-
(d) समाप्ति लाभ	77.23	(77.23)	0.00	31.64	(31.64)	0.00
(e) शेयर-आधारित भुगतान	-	-	-	-	-	-
कुल	508.63	0.00	508.63	338.51	0.00	338.51

(3) उपरोक्त 1(b)(c) (d) में उल्लिखित अवधि के दौरान संबंधित पक्षों के साथ संबंधित पक्ष लेनदेन:

(a) लेन-देन की राशि

(₹ लाख में)

संबंधित पक्ष का नाम (ट्रस्ट, सोसायटी और फाउंडेशन)	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)
	जैसा कि मूल रूप से कहा गया है	जोड़/ (हटाना)	संशोधित	जैसा कि मूल रूप से कहा गया है	जोड़/ (हटाना)	संशोधित
1 मॉयल ग्रुप सुपरएनुएशन कैश एक्ज्युमुलेशन स्कीम (परिभाषित अंशदान) फंड (सुपरएनुएशन फंड),	-	3107.17	3107.17	-	4,123.07	4123.07
2 मॉयल ग्रुप ग्रेच्युटी सह जीवन बीमा योजना (ग्रेच्युटी ट्रस्ट),	-	2935.13	2935.13	-	875.59	875.59

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

(₹ लाख में)

संबंधित पक्ष का नाम (ट्रस्ट, सोसायटी और फाउंडेशन)	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)	कंपनी द्वारा किया गया भुगतान/ (प्राप्त राशि)
	जैसा कि मूल रूप से कहा गया है	जोड़/ (हटाना)	संशोधित	जैसा कि मूल रूप से कहा गया है	जोड़/ (हटाना)	संशोधित
3 मॉयल स्टाफ प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट,		313.90	313.90	-	316.72	316.72
4 मॉयल कर्मचारी सहकारी ऋण सोसाइटी	-	(0.02)	(0.02)	-	(0.03)	(0.03)
5 मॉयल फाउंडेशन	-	-	-	-	-	-
	-	6,356.18	6,356.18	-	5,315.35	5,315.35

(₹ लाख में)

विवरण	असुरक्षित		सुरक्षित	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
(b) प्रतिबद्धताओं सहित बकाया शेष राशि की राशि	-	-	-	-
(i) उनकी शर्तों और नियम, जिनमें यह भी शामिल है कि क्या वे सुरक्षित हैं, तथा निपटान में प्रदान किए जाने वाले प्रतिफल की प्रकृति, और	-	-	-	-
(ii) दी गई या प्राप्त किसी गारंटी का विवरण	-	-	-	-
(c) बकाया शेष राशि से संबंधित संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान और	-	-	-	-
(d) संबंधित पक्षों से बकाया अशोध्य या संदिग्ध ऋणों के संबंध में अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय	-	-	-	-

(₹ लाख में)

निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
(a) मांग पर चुकाने योग्य या	शून्य	शून्य
(b) चुकोती की कोई शर्त या अवधि निर्दिष्ट किए बिना	शून्य	शून्य

(₹ लाख में)

उधारकर्ता का प्रकार	वर्तमान अवधि		पिछली अवधि	
	बकाया राशि (लाखों में)	% का कुल	बकाया राशि (लाखों में)	% का कुल
(a) प्रवर्तक	-	-	-	-
(b) निर्देशक	-	-	-	-
(c) केएमपी	-	-	-	-
(d) संबंधित पक्ष	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.11 अन्य व्यय (नोट संख्या 2.37) में शामिल हैं -

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	यात्रा व्यय		
	(a) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	75.83	19.28
	(b) निदेशक	60.90	52.94
	(c) कंपनी सचिव	1.39	3.32
	कुल	138.12	75.54
2	लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (वैधानिक लेखा परीक्षा)		
	(a) लेखा परीक्षक के रूप में	5.13	5.13
	(b) कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	1.54	1.54
	(c) अन्य सेवाओं के लिए (सीमित समीक्षा)	3.08	3.08
	कुल	9.75	9.75

3.12 अन्वेषण के लिए पूंजीगत व्यय- मॉयल जीएमडीसी जेवीसी को अभी तक शामिल नहीं किया गया है: मॉयल ने गुजरात राज्य में मैंगनीज अयस्क के खनन की संभावना का पता लगाने के लिए अक्टूबर, 2019 में गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी), एक गुजरात राज्य उद्यम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विस्तृत अन्वेषण और विश्लेषण के लिए, मॉयल ने खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कोर ड्रिलिंग का अन्वेषण पहले ही पूरा हो चुका है और परिणाम लगभग 9.51 मिलियन (एमटी) मैंगनीज अयस्क की मात्रा की उपलब्धता का संकेत देते हैं। अन्वेषण कार्य पूरा होने के बाद, तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की गई है, जो इंगित करती है कि परियोजना तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) और नीति आयोग ने मॉयल लिमिटेड और गुजरात खनिज विकास निगम लिमिटेड (जीएमडीसी) के बीच संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब, मॉयल जीएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) समझौते पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है। मॉयल ने इस परियोजना में अब तक 765.27 लाख रुपये (754.02 लाख रुपये) खर्च किए हैं। चूंकि मॉयल जीएमडीसी जेवीसी को अभी निगमित किया जाना है, इसलिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

3.13 मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन: मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के साथ मध्य प्रदेश राज्य में मैंगनीज-युक्त क्षेत्र का पता लगाने के लिए मॉयल ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अन्वेषण के लिए छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में क्रमशः 487 वर्ग किलोमीटर और 850 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आरक्षित किया है। मॉयल ने छिंदवाड़ा क्षेत्र में अन्वेषण कोर ड्रिलिंग पूरी कर ली है, जहाँ एक क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क स्थित है। बालाघाट जिले में अन्वेषण प्रक्रियाधीन है। मॉयल ने इस परियोजना में अब तक 894.04 लाख रुपये (104.33 लाख रुपये) खर्च किए हैं।

छिंदवाड़ा क्षेत्र में कोर ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण पूरा हो चुका है, जिसमें से दो क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क का सकारात्मक प्रतिच्छेदन हुआ है। बालाघाट में चिन्हित 16 ब्लॉकों में से, मॉयल ने दो ब्लॉकों में अन्वेषण पूरा कर लिया है, जिनमें से एक क्षेत्र में मैंगनीज अयस्क का सकारात्मक प्रतिच्छेदन हुआ है। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मंजूरी दे दी है।

3.14 छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी) के साथ समझौता ज्ञापन: मॉयल लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ राज्य में मैंगनीज और संबंधित खनिजों की संभावना का पता लगाने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने बलरामपुर जिले में 218 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अन्वेषण के लिए आरक्षित किया है। मॉयल जल्द ही अन्वेषण शुरू करने जा रहा है।

3.15 मनसर-परसोड़ा खनन पट्टे का एकीकरण: महाराष्ट्र सरकार ने आदेश संख्या एमएनजी-0123/सीआर.18/इंड-9(A), दिनांक 18.01.2024 और शुद्धिपत्र दिनांक 25.01.2024 के तहत 31.05.2032 तक की अवधि के लिए मैंगनीज अयस्क के खनन के लिए मनसर, चारगांव, खैरी, कांद्री परसोड़ा, तहसील रामटेक, जिला नागपुर में मनसर खदान के निम्नलिखित खनन पट्टे के 193.27 हेक्टेयर क्षेत्र के एकीकरण की अनुमति दी है।

क्रम संख्या	गांव का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	समाप्ति तिथि
1	मनसर, चारगांव, खैरी, परसोड़ा और कांद्री	108.63	30.06.2042
2	चारगांव	25.15	13.05.2032
3	मनसर	5.74	31.03.2040
4	परसोड़ा	53.75	21.04.2066
	कुल	193.27	

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.16 आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ:

(i) आकस्मिक देयताएँ

- (a) कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है -

विवादित वैधानिक मांगें (आयकर, प्रवेश कर, केंद्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कर्मचारी व्यवसाय कर) ₹ 48117.08 लाख (₹ 44992.28 लाख)।

- (b) अन्य धन जिसके लिए कंपनी अनिश्चित रूप से उत्तरदायी है

अन्य दावे - कानूनी मामले, आदि ₹ 12577.11 लाख (₹ 5794.56 लाख)।

(ii) पूंजी प्रतिबद्धता

पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ₹ 26392.97 लाख (₹ 37,771.85 लाख) है। अनुबंधों के लिए अग्रिम भुगतान ₹ 3393.23 लाख (₹ 2359.59 लाख) है।

(iii) अन्य प्रतिबद्धताएँ:

अन्य प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत कवर की जाने वाली दीर्घकालिक संविदात्मक राजस्व सेवाओं की अनुमानित राशि, जिसका निष्पादन होना बाकी है तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है, ₹ 17,441.52 लाख (₹ 14,328.45 लाख) है।

3.17 बोम्बिली में भूमि: बोम्बिली में भूमि को मॉयल द्वारा एपीआईआईसी से फेरो/सिलिको मैंगनीज संयंत्र की स्थापना के लिए खरीदा गया था। आरआईएनएल के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई गई थी। मेकॉन द्वारा 2009 में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट (टीईएफआर) तैयार की गई थी। टीईएफआर में सुझाए गए परियोजना की व्यवहार्यता के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी, मिट्टी परीक्षण आदि जैसी कुछ प्रारंभिक औपचारिकताएं की गईं और मुख्य भट्टी और उपकरणों की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की गईं। तकनीकी कारणों से निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और अंतरिम अवधि में ए.पी. विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली इकाइयों का टैरिफ ` 2.50 / किलोवाट से बढ़ाकर ` 5.00 / किलोवाट कर दिया गया। उपरोक्त के मद्देनजर, 2013 में मेकॉन द्वारा संशोधित टीईएफआर तैयार किया गया था बिजली दरों में असामान्य वृद्धि के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में बहुत देरी हुई। प्रबंधन ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ईमानदारी से प्रयास किए। फिर भी परियोजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

मॉयल ने एपीआईआईसी से बोम्बिली में मॉयल द्वारा खरीदी गई भूमि के बदले में अदला बदली व्यवस्था द्वारा विशाखापत्तनम के अप्पिकोडा में भूमि आवंटन के लिए अनुरोध किया। एपीआईआईसी अधिकारियों के साथ भौतिक बैठक के बाद भी, आज तक एपीआईआईसी से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए, इस तरह की स्वैपिंग का वित्तीय प्रभाव पता लगाने योग्य नहीं है। प्रबंधन व्यवहार्यता के आधार पर वैकल्पिक उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करने की संभावना तलाश रहा है। उपरोक्त के मद्देनजर, ₹ 908.73 लाख (भूमि की लागत ₹ 898.92 लाख और भवन का डब्ल्यूडीवी ₹ 9.81 लाख) को नोट संख्या 3.16 (i) (b) के तहत अनिश्चित देयता के रूप में माना गया है।

3.18 खनन योजना/पट्टे और अन्य गतिविधियों के लिए क्षेत्रीय खान नियंत्रक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को 4164.27 लाख रुपये (9567.77 लाख रुपये) की बैंक गारंटी जारी की गई है। बैंक गारंटी बैंक जमा द्वारा समर्थित है, जिसके विरुद्ध मॉयल लिमिटेड ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 के अनुसार प्रभार बनाया है। खदान बंद करने के व्यय के लिए 1800.00 लाख रुपये की बैंक जमा राशि भी निर्धारित की गई है।

3.19 व्यापार प्राप्य और व्यापार देय राशि के शेष की पुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र भेजे गए हैं। 31.03.2024 तक ₹ 20939.08 लाख के कुल व्यापार प्राप्य बकाया में से ₹ 11546.66 लाख की पुष्टि की गई है। 31.03.2024 तक ₹ 3810.83 लाख के कुल व्यापार देय में से ₹ 746.90 लाख की पुष्टि की गई है। प्राप्त पुष्टियों के संबंध में, कंपनी शेष राशि की जांच और समाधान करने की प्रक्रिया में है।

3.20 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
a. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली कुल राशि	703.99	710.61
b. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	1630.50	1350.00
c. वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर व्यय की गई राशि :		
(i) किसी भी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00
(ii) उपरोक्त (i) के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य से	1666.48	1373.54
d. संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण :		
मॉयल फाउंडेशन में योगदान	0.00	0.00

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.20 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) (जारी..)

Break-up of the CSR expenses under major heads is as under :

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
1. शिक्षा एवं कौशल विकास	366.90	299.02
2. शिक्षा एवं कौशल विकास	305.14	211.62
3. स्वास्थ्य देखभाल और पोषण	294.44	241.33
सीएसआर से स्थानांतरित पूर्व-व्यय	700.00	600.00
4. पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना	-	18.28
5. प्रशासनिक	-	3.29
कुल	1666.48	1373.54

(₹ लाख में)

e. अव्ययित राशि के संबंध में धारा 135(5) के तहत प्रकटीकरण				समापन शेष
प्रारंभिक शेष	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(₹ लाख में)

धारा 135(5) के तहत अधिक व्यय की गई राशि के संबंध में प्रकटीकरण			अतिरिक्त व्यय/ उपयोगित सेट ऑफ
प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	
-	703.99	966.48	262.49
चालू वर्ष के लिए सीएसआर व्यय के रूप में दर्ज की गई राशि अर्थात् सीएसआर पूर्व-व्यय से स्थानांतरित की गई राशि			700.00

(पिछले वर्ष के सीएसआर व्यय के रूप में दर्ज राशि अर्थात् सीएसआर पूर्व-व्यय से स्थानांतरित राशि 600 लाख रुपये)

* मॉयल ने अपने औसत शुद्ध लाभ के 2% की अनिवार्य आवश्यकता से परे स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त सीएसआर कार्य किए हैं। इसने 966.48 लाख रुपये खर्च किए हैं और 703.99 लाख रुपये की अनिवार्य आवश्यकता के विरुद्ध व्यय के रूप में मान्यता दी है। 31.03.2024 तक पुस्तकों में कुल 1666.48 लाख रुपये सीएसआर व्यय को मान्यता दी गई है, जिसमें 1400.00 लाख रुपये (2000.00 लाख रुपये) की सीएसआर पूर्व-व्यय राशि से स्थानांतरित 700 लाख रुपये (600 लाख रुपये) शामिल हैं, जो अभी के दिशा-निर्देशों के अनुसार तत्काल अगले तीन वर्षों तक सेट ऑफ के लिए उपलब्ध हैं।

f. चल रही परियोजनाओं का विवरण

(₹ लाख में)

प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		समापन शेष	
कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते से	कंपनी के साथ	पृथक सीएसआर अप्रयुक्त खाते में
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3.21 राजस्व की पहचान, विद्युत क्रय समझौते में सहमत टैरिफ दर पर, बिक्री के लिए ग्रिड में 15.2 मेगावाट क्षमता के पवन टरबाइन जनरेटर द्वारा अंतःक्षेपित ऊर्जा के आधार पर की जाती है।

3.22 बिजली का उत्पादन 4.8 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर इकाइयों में किया जाता है तथा इसका उपयोग खदान/संयंत्र में ही किया जाता है।

3.23 मुख्यालय, मनसर, तिरोड़ी, उकवा और बालाघाट में सौर ऊर्जा उत्पादन पैनलों द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसका उपयोग मुख्यालय/खदान/संयंत्र में सीमित उपभोग के लिए किया जाता है।

3.24 कंपनी ने मध्यस्थता निर्णय से संबंधित 281.66 लाख रुपये की प्रावधान राशि वापस लिख दी थी, परंतु वित्तीय वर्ष 1995-96 से दावा नहीं किया गया था और इसे पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में असाधारण मद के रूप में दिखाया गया था।

3.25 31.03.2024 (31.03.2023) तक ईपीएस की गणना भारित औसत चुकता शेयर पूंजी पर की जाती है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

प्रति शेयर आय की गणना निम्नानुसार की गई है

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2024	31.03.2023
सतत परिचालन से शुद्ध लाभ/(हानि) (लाख में) (A)	29334.07	25059.04
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयरों की संख्या	20,34,85,211	20,34,85,211
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	0	0
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	20,34,85,211	20,34,85,211
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या (B)	20,34,85,211	20,34,85,211
बेसिक ईपीएस (A/B)*100000 (H)	14.42	12.31
तनुकृत ईपीएस [#] (A/B)*100000 (H)	14.42	12.31

* कंपनी के पास कोई संभावित रूप से डाइल्यूटिव करने वाली इक्विटी नहीं है।

3.26 मुख्य ग्राहकों के बारे में जानकारी: 31 मार्च 2024 (31 मार्च 2023) को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व में सेल से बिक्री शामिल है, जो खनन गतिविधि से उत्पादों की कुल बिक्री का 15% (13%) है।

3.27 अन्य आय (नोट 2.28) में वर्ष के दौरान वापस लिखे गए निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	Provision for doubtful advances-written back	73.76	291.21
2	Provision for doubtful debts/Liabilities	2.47	10.55
3	Provision /liabilities written back- others	62.08	31.21

अन्य व्यय (नोट 2.37) में निम्नलिखित बड़े खाते डाले गए व्यय और अवधि के दौरान किए गए प्रावधान शामिल हैं

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	त्यागी गई संपत्तियों को बड़े खाते में डालना	39.94	261.76
2	स्टोर और स्पेयर की कमी को बड़े खाते में डालना	2.78	17.46
3	अप्रचलित स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	7.54	32.25
4	धीमी/गैर-चलन वाले स्टोर और स्पेयर के लिए प्रावधान	2.56	14.56
5	संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	2.77	8.99
6	अंतिम खदान बंद करने के खर्च के लिए प्रावधान	69.19	41.54

3.28 पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआईआर) के तहत प्राप्त शिकायत के माध्यम से एक कर्मचारी द्वारा सरकारी धन की हेराफेरी का मामला सामने आया है। सीवीसी के परामर्श से मंत्रालय की सलाह के अनुसार मामले को स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। मामले में शामिल राशि महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जांच के तहत लेनदेन का मूल्य लगभग 135.00 लाख रुपये है।

3.29 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को ऐसे वर्गीकरण की तिथि पर अवशिष्ट मूल्य पर मापा गया था। परिणामस्वरूप, इन परिसंपत्तियों पर कोई हानि नहीं पाई गई। बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत प्रारंभिक वर्गीकरण की तिथि के बाद ऐसी संपत्तियों के मूल्य में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	31.03.2024	31.03.2023 *
1	संयंत्र और उपकरण	131.53	177.73
2	फर्नीचर और फिक्सचर	0.15	0.22
3	वाहन	1.89	1.45
4	कार्यालय उपकरण	0.72	4.53
कुल		134.29	183.94

* पिछले वर्ष 2022-23 में, बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों को लाभ और हानि में त्यागी गई परिसंपत्तियों के बड़े खाते में डाल दिया गया था। इसलिए, पिछला आंकड़ा शून्य के रूप में दिखाई देता है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.30 लेखांकन नीति संख्या 1.2.14.(एफ)-अन्य आय को जोड़ने के कारण अनुमानित वित्तीय प्रभाव लगभग 629.14 लाख रुपये होगा।

3.31 विश्लेषणात्मक अनुपात:

अनुपात	अंश	हर	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% विचरण	भिन्नता का कारण (अनुपात में 25% से अधिक कोई धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन)
(a) चालू अनुपात	'चालू परिसंपत्तियाँ	चालू देयता	4.11	3.66	12.17	
(b) ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (गैर-चालू ऋण + वर्तमान ऋण + कुल पट्टा देयता)	शेयरधारकों की इक्विटी	0.00	0.00	0.00	कोई ऋण नहीं। लागू नहीं।
(c) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	करों के बाद शुद्ध लाभ + अपवाद मर्दे + गैर नकद परिचालन व्यय (मूल्यहास) + वित्त लागत + अन्य समायोजन (पीपीई की बिक्री पर हानि)	ब्याज भुगतान + दीर्घकालिक मूलधन चुकोती + पट्टा भुगतान	0.00	0.00	0.00	कोई ऋण नहीं। लागू नहीं।
(d) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक इक्विटी	12.49	11.43	9.30	कारोबार में वृद्धि के कारण पीएटी (40%) में वृद्धि के परिणामस्वरूप इक्विटी पर उच्च रिटर्न मिला है।
(e) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	उत्पादों की बिक्री	"औसत इन्वेंट्री"	9.70	14.08	-31.11	वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मॉयल ने आयोजित मैंगनीज़ अयस्क मूल्य के साथ समानता लाने के लिए कीमतों में कमी की है, जिसके परिणामस्वरूप औसत प्राप्ति में 15% की गिरावट आई है। साथ ही, मैंगनीज़ अयस्क इन्वेंट्री में 183624MT (104%) की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप नकारात्मक इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात (-31.15) हुआ है।
(f) व्यापार प्राप्त टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण बिक्री	औसत व्यापार प्राप्त	4.78	3.94	21.17	-
(g) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध ऋण खरीद	औसत व्यापार देयताएं	4.82	5.81	-17.08	-
(h) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.31	1.33	-1.27	

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.31 विश्लेषणात्मक अनुपात: (जारी..)

अनुपात	अंश	हर	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% विचरण	भिन्नता का कारण (अनुपात में 25% से अधिक कोई धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तन)
(i) शुद्ध लाभ अनुपात	करों के बाद शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	20.24	18.68	8.36	मैगनीज अयस्क मात्रा की बिक्री में 30% की वृद्धि ने टर्नओवर में वृद्धि में योगदान दिया है और परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ अनुपात में 29.29% का सुधार हुआ है
(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	नियोजित पूंजी (मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण)	16.33	15.23	7.22	
(k) निवेश पर रिटर्न	बैंक जमा से प्राप्त आय	बैंक जमा में भारित औसत निवेशित निधि	7.39	5.83	26.77	वर्ष के दौरान बैंक जमा की ब्याज दर में वृद्धि
	ऋण आधारित लिक्विड म्यूचुअल फंड से उत्पन्न आय	लिक्विड म्यूचुअल फंड में भारित औसत निवेशित फंड	6.90	5.44	26.82	वर्ष के दौरान ब्याज दर में वृद्धि

3.32 'भौतिकता' के विचार के अतिरिक्त प्रकटीकरण:

आय या व्यय का कोई भी मद जो परिचालन से प्राप्त राजस्व के एक प्रतिशत या 10,00,000 रुपये, जो भी अधिक हो, से अधिक हो।

		(₹ लाख में)	
विवरण		2023-24	2022-23
परिचालन से प्राप्त राजस्व का एक प्रतिशत (1%)		1449.42	1341.65
आय			
1 जमा पर ब्याज आय		6220.65	4756.71
व्यय			
1 कच्चा माल Mn अयस्क _मूल्यांकन - Fm प्लॉट		1668.88	1918.77
2 कोक-एफएमपी		1557.44	1137.06
3 पीस रेटेड मजदूरी - वास्तविक आय		7499.21	7247.23
4 पीस रेटेड मजदूरी - अन्य		2300.20	4141.89
5 आईडीए- कर्मचारी		3390.37	2782.90
6 छुट्टी का वेतन - कर्मचारी		1533.27	1532.77
7 अन्य कर योग्य भत्ते- कर्मचारी		1543.82	1544.31
8 बेसिक - गैर-कार्यकारी		7737.86	8466.48
9 आईडीए - गैर-कार्यकारी		3168.19	2601.80
10 अन्य कर योग्य भत्ते गैर-कार्यकारी		1517.19	1684.01
11 बेसिक - कार्यकारी		2911.11	2987.75
12 ईपीएफ-कर्मचारी		1368.60	1543.75
13 पोस्ट पेंशन फंड-पीआरडब्ल्यू में नियोक्ता का योगदान		1538.84	1486.90
14 ठेकेदारों का भुगतान- उत्पादन		2014.04	1825.45
15 ठेकेदारों का भुगतान- अन्य खनन कार्य		3309.39	2493.94
16 ठेकेदारों का भुगतान - यूजी विकास		1034.73	1732.15
17 अन्य स्टोर की खपत		2664.58	2325.64
18 स्पेयर की खपत		1296.67	1414.71

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

3.32 'भौतिकता' के विचार के अतिरिक्त प्रकटीकरण: (जारी..)

(₹ लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
19 पीओएल की खपत	6179.06	6874.81
20 बिजली आपूर्ति - औद्योगिक	5260.79	5240.74
21 डीएमएफ और एनएमईटी सहित रॉयल्टी	8895.15	8130.18
22 ठेकेदारों का भुगतान - मैकेनिकल	1990.37	1290.17
23 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय	1666.48	1373.54
24 भवन पर मूल्यहास	3232.16	2565.82
25 योजना और मशीनरी पर मूल्यहास	10419.45	8220.10

3.33 अन्य व्यापक आय:

(₹ लाख में)

वह वस्तु जिसे लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	2023-24	2022-23
(i) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना (-) बीमाकिक लाभ और हानि	1291.38	822.79
(ii) सुरक्षा जमा पर एनपीवी (काल्पनिक लाभ का अंतर)	-12.85	24.86
(iii) छुट्टी नकदीकरण (-) बीमाकिक लाभ और हानि	463.00	884.08
(iv) ग्रेच्युटी बीमाकिक (-) बीमाकिक लाभ और हानि	-1827.43	1693.46
शुद्ध कुल	-85.89	3425.18

3.34 व्यवसाय खंडों के बारे में जानकारी

कंपनी ने सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक इंड एस-108 के अनुसार तीन व्यावसायिक खंडों की पहचान की है, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	खनन		विनिर्माण		विद्युत उत्पादन		एलिमिनेशन		समेकित	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	राजस्व										
	(a) बाहरी बिक्री	135955.13	122768.79	8297.09	10694.69	690.23	701.12	0.00	0.00	144942.45	134164.60
	(b) अंतर-खंड बिक्री	1755.42	1976.09	0.00	0.00	1555.02	1431.79	-3310.44	-3407.88	0.00	0.00
	(c) कुल राजस्व	137710.55	124744.88	8297.09	10694.69	2245.25	2132.91	-3310.44	-3407.88	144942.45	134164.60
2	परिणाम										
	(a) खंड परिणाम	27000.22	22491.88	1089.75	1708.44	1256.67	1275.55	0.00	0.00	29346.64	25475.87
	(b) अन्य आय (वापस लिखना शामिल)	8636.48	7545.21	96.80	141.81	620.23	0.33	0.00	0.00	9353.51	7687.35
	(c) कुल	35636.70	30037.09	1186.55	1850.25	1876.90	1275.88	0.00	0.00	38700.15	33163.22
	(d) घटाएँ: अपवादात्मक आइटम									0.00	-281.66
	(e) कर से पहले लाभ									38700.15	33444.88
	(f) पिछले वर्ष के कर सहित आयकर									9689.65	8943.99
	(g) स्थगित कर									-323.57	-558.15
	(h) कर के बाद लाभ									29334.07	25059.04
3	अन्य सूचना										
	(a) खंड परिसंपत्तियाँ	144440.48	123411.84	6024.52	4046.79	6706.08	7370.03	131711.17	134339.79	288882.25	269168.45
	(b) खंड देयताएं	22262.51	19171.84	793.28	1523.97	850.99	1092.58	19668.21	22948.33	43574.99	44736.72
	(c) नियोजित पूंजी [(a)-(b)]	122177.97	104240.00	5231.24	2522.82	5855.09	6277.45	112042.96	111391.46	245307.26	224431.73
	(d) पूंजीगत व्यय	30699.96	23632.33	484.04	414.24	-2.47	571.53	427.16	259.30	31608.69	24877.40
	(e) पूंजीगत व्यय	13096.81	10237.21	351.49	290.33	661.40	609.49	315.16	296.89	14424.86	11433.92

नोट: पवन टरबाइन जनरेटर और सौर ऊर्जा संयंत्रों में उत्पादित बिजली के संबंध में, उपभोक्ता इकाइयों के बिजली प्रभार को मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बिजली बिलों में जमा की गई बिजली इकाइयों के आधार पर दी गई क्रेडिट राशि से जोड़ा जाता है और इसे बिजली उत्पादन इकाई के अंतर-खंड राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है ताकि खंड राजस्व का पता लगाया जा सके।

इसमें असंबद्ध पूंजीगत व्यय, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां और कॉर्पोरेट देयताएं शामिल हैं

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा नोट्स

- 3.35 (i) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कंपनी के विरुद्ध कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।
- (ii) कंपनी ने बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।
- (iii) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना है।
- (iv) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।
- (v) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:
- (a) कंपनी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या
- b) परम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना।
- (vi) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी:
- (a) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण देना या निवेश करना, या
- (b) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना,
- (vii) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो और जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान)।
- (viii) कंपनी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं है और इसे कभी भी किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

3.36 पिछले वर्ष के समतुल्य आंकड़े कोष्ठकों में दर्शाए गए हैं तथा उन्हें तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

नोट संख्या 1 से 3.36 वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
मेसर्स टीएसीएस एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का पंजीकरण नंबर : 115064W

निदेशक मंडल की ओर से

राकेश तुमाने
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 06639859

नीरज पांडे
कंपनी सचिव
एम.एन. F5632

सीए गौरव बी. शर्मा
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 121121
यूडीआईएन: 24121121बीकेजीवाईपीसी1057

अजित कुमार सक्सेना
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 08588419

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई, 2024

अतिरिक्त जानकारी जो वित्तीय विवरण का हिस्सा नहीं है

उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक -

विवरण	31-03-2024 को समाप्त वर्ष		31-03-2023 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (मीट्रिक टन)	₹ लाख में	मात्रा (मीट्रिक टन)	₹ लाख में
a) उत्पादन/उत्पादन -				
मैंगनीज अयस्क	17,56,113	--	13,02,217	--
ई.एम.डी.	1,413.00	--	1,100	--
फेरो मैंगनीज	10,163	--	8,660	--
फेरो मैंगनीज स्लैग	14,159	--	10,600	--
पवन ऊर्जा (किलोवाट घंटा)	2,83,95,808	--	2,88,87,276	--
b) बिक्री -				
मैंगनीज अयस्क	15,36,341	135955.13	11,77,944	122768.78
ई.एम.डी.	937	1962.53	1,448	2393.49
फेरो मैंगनीज	8,385	5480.76	8,419	6962.95
फेरो मैंगनीज स्लैग	10,371	853.80	11,570	1338.26
एमपीईडीसीएल को बिजली (किलोवाट घंटा)	2,05,42,597	690.23	2,08,66,699	701.12
कारोबार (लाखों में)		144942.45		134164.60
c) आरंभिक स्टॉक -				
मैंगनीज अयस्क	1,75,809	12129.73	79,826	5471.39
ई.एम.डी.	44	81.31	393	485.21
फेरो मैंगनीज	712	414.88	471	216.74
फेरो मैंगनीज स्लैग	271	28.41	1,240	147.58
एफएम प्लांट में एमएन अयस्क	62	6.02	3,728	64.93
कुल		12660.35		6385.85
d) अंतिम स्टॉक -				
मैंगनीज अयस्क	3,58,433	14521.19	1,75,809	12129.73
ई.एम.डी.	520	808.08	44	81.31
फेरो मैंगनीज	2,490	1451.03	712	414.88
फेरो मैंगनीज स्लैग	4,059	345.00	271	28.41
एफएम प्लांट में एमएन अयस्क	13	0.99	62	6.02
कुल		17126.29		12660.35
नोट:				
मैंगनीज अयस्क का अंतिम स्टॉक उत्पादन के लिए अयस्क के निर्गम के समायोजन के पश्चात प्राप्त किया जाता है -				
ईएमडी	15,281		9,128	
फेरो मैंगनीज	21,884		19,178	
कुल	37,165		28,306	
पवन चक्कियों से बिजली उत्पादन में कैप्टिव खपत (किलोवाट घंटा) के लिए उपयोग शामिल है	78,53,211		80,20,577	





मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन : L99999MH1962GOI012398

पैन: AAACM8952A

मॉयल भवन, 1-ए काटोल रोड, नागपुर - 440 013

ई-मेल : compliance@moil.nic.in | टेलीफैक्स: 07122591661

वेबसाइट: www.moil.nic.in

